राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का ४०वां दिवस [संख्या २६

बुधवार, दिनांक ६ अप्रेल, १९६६

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(यातायात, सार्वजनिक निर्माण, विकास, पंचायत, रसद, विद्युत्, सहकारी एवं श्रम विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न श्री तेजाराम।

टिकट न काटने के मामले

६१४. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वर्ष १९६५-६६ में डिपोवार विभागीय तौर पर कितने मामले टिकट न काटने तथा कम दूरी के काटने के पकड़े गये ?

(२) ये मामले कितने परिचालकों से सम्बन्धित हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त प्रकार के मामले यात्री कर विभाग ने भी वर्ष १९६५-६६ में पकड़े हैं ? यदि हां, तो यातायात निगम को उनका पता पड़ने पर क्या कार्यवाही की ?

(४) उपरोक्त मामलों से सम्बन्धित ऐसे कौन कौन से परिचालक हैं जो एक वर्ष में ६ बार से भी अधिक बार टिकट न काटने व कम दूरी के काटने के मामलों में पकड़े गये हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मन्त्री यातायात (श्री भीमसिंह) : सन् १९६५-६६ में निम्न केस डिपोवार टिकिट न काटने तथा कम दूरी के काटने के पकड़े गये हैं : (१) जोधपुर डिपो १३४ मामले, (२) अजमेर डिपो १०१, (३) उदयपुर डिपो ५, (४) सिरोही डिपो १३, (५) आबूरोड डिपो १७ मामले, (६) जयपुर डिपो २२६, (७) कोटा डिपो ७६, (८) अलवर डिपो ७६, (९) भरतपुर डिपो २६।

(२) ये मामले २२३ परिचालकों से सम्बन्धित हैं।

(३) ऐसे मामले जो यात्री कर विभाग द्वारा पकड़े गये हैं, और जिनकी सूचना इस विभाग को दी गई है वे कुल १३ हैं जिनकी सूची मय कार्यवाही के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) जिन परिचालकों के खिलाफ ६ से अधिक मामले पकड़े गये हैं उनकी सूची

(श्री भीमसिंह)

उनके खिलाफ की गई कार्यवाही के विवरण सहित सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना इन्होंने दी है वह बिल्कुल असत्य है। इन्होंने टेक्सेशन विभाग द्वारा पकड़े गये १३ मामले बताये। पर इनमें वे मामले हैं ही नहीं जो मेरे रूबरू पकड़े गये। १७-१०-६५ को जब कि मैं पाली से सिरोही गया था। मेरे सामने चार गाड़ियों को पकड़ा था। १२ सवारियां उसमें फ्री थीं। तो उसका इसमें कोई हवाला नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करवाई जावे और इस तथ्य को छिपाने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

श्री भीमसिंह : आपने जो मामला बताया मैं उसकी भी जानकारी कर लूंगा।

श्री तेजाराम गहलोत : फिर आपने जो २-३ मामले बताये उनमें चार-चार साल के पुराने मामले भी ही गये हैं और एक-एक आदमी के खिलाफ दस बारह मामले हैं। इन पर अभी तक कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जब कि लेबर एक्ट के अनुसार एक महीने में पूरे हो जाने चाहियें।

श्री भीमसिंह : इनको एक्सपीडाइट कराया जा रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : और भी ओवरलोडिंग की हैं बिना टिकट सफर करने की हैं शिकायतें कम्पलेन्ट बुक में की जाती हैं उन पर भी ध्यान देकर कार्यवाही करने की कोशिश करें

श्री भीमसिंह : कम्पलेन्ट बुक टाइम-टाइम पर सम्बन्धित अधिकारी चैक अप करते हैं और एक्शन भी लेते हैं। इसके बावजूद भी कोई कम्पलेन्ट बिना एक्शन के रह गई होगी तो कार्यवाही की जावेगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने स्वयं ने कम्पलेन्ट बुक में नोट लगाया है। पर जांच के वक्त न मुझ से पूछा गया न मुझे इत्तला दी गई कि उसमें क्या किया गया या किया जा रहा है?

श्री भीमसिंह : आप स्पेसिफिकली कुछ लिखकर दें तो कार्यवाही कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने बताया है उनमें ज्यादातर केस ऐसे हैं जिनमें लिखा है कि रीजनल मैनेजर को कार्यवाही करने हेतु भेज दिये गये हैं और ये पांचवें और छठे महीने के हैं। तो उनको चार्ज शीट भी अभी सर्व नहीं की, यह समझा जावे।

श्री भीमसिंह : कइयों को चेतावनी दे दी गई है। कइयों को पूछा गया है। फिर डिटेल मालूम करके निवेदन कर सकूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप रीजनल मैनेजर को पूछ लें और अगर चार्ज-शीट सर्व नहीं हुई हैं अभी तक भी तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ढिलाई बरती गई है इसमें।

श्री भीमसिंह : जानकारी कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : दूसरा निवेदन और है। इसमें कहा गया है कि कइयों में चार्ज-शीट

Page No.3

[श्री अध्यक्ष]
इसलिये भी नहीं दी गई कि लोग डेपूटेशन पर आये हैं। इस बारे में सदन में भी स्पष्टीकरण हो चुका था कि आप उनको भी चार्ज-शीट दे सकते हैं। तो इस बारे में क्या स्थिति है थोड़ा स्पष्ट कर दें।

श्री भीमसिंह : अर्ज कर सकता हूं जानकारी करके ही।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अगर कम्पलेन्ट है तो अमूमन कार्यवाही करना आवश्यक होता है। आप क्या कार्यवाही करते है ? क्या व्यवस्था हैं आपकी ? क्या अमल है ?

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जब कि सिरोही के डिपो मैंनेजर के पास कम्पलेन्ट लिखी हुई है तो क्या दिक्कत है यहां उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : कब लिखी ? कॉपी मन्त्री महोदय को आपने भेजी, या नहीं भेजी; आप बता दें, तो जानकारी कर लेंगे। भविष्य में आप शिकायत करें तो मन्त्री महोदय को नकल भेज दिया करें तो फिर आप पूछ तो सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हम बराबर लिख लिख कर देते हैं। पर कोई एक्शन नहीं होता। रोडवेज की तो हालत इस तरह की है कि आधी इनकम लोग खा रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): कम्पलेंट बुक के हवाले से मैंने चिट्ठी लिखी है मन्त्रीजी और उप-मन्त्रीजी को।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उसका भी असर ही नहीं है। कार्यवाही नहीं की जावे तो कम्पलेन्ट बुक रखना नहीं रखना बराबर है।

प्रश्न संख्या ६१५

श्री अध्यक्ष श्री मोहरसिंह

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६१६

श्री कृष्णकुमार गोयल

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह ।

सरपंच के विरुद्ध मामले की जांच

६१७. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बरवास ग्राम, तहसील टोडारायसिंह के भूतपूर्व सरपंच श्री नेवाराम के विरुद्ध कोई गबन का मामला चलाया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि वहां के पंचों ने सन् १६६१ में आई० जी० पुलिस को भी शिकायत की थी और दिनांक २३-१०-६१ को आई० जी० पुलिस ने उप-विकास आयुक्त को गबन की जांच के लिए लिखा था ?

(३) क्या यह सत्य है कि दिनांक ६-२-६२ को उप-विकास आयुक्त ने उप-जिला विकास अधिकारी टोंक को वास्ते जांच यह कागजात भेज दिये ?

Page No.4

(श्री दिग्विजयसिंह)

(४) क्या यह सत्य है कि उप-जिला विकास अधिकारी टोंक ने दिनांक १६, १७ व १८ अक्टूबर, १९६२ को जांच की और दिनांक १०-१२-६२ को रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी ? क्या उस रिपोर्ट में ३,९०६)६० ७ पै० का गबन होना बतलाया है ?

(५) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने दिनांक ७-३-६३ को उक्त सरपंच को धारा १७ (४) का नोटिस देते हुए ३०-३-६३ को सुनवाई रखी थी ?

(६) क्या यह सही है कि उक्त सुनवाई के बाद दिनांक २४-४-६३ को बहस हुई और राज्य सरकार ने यह आदेश दिये कि उक्त मामले की फिर से जांच की जावे ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(७) अब इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पंचायत मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सन् १९६१ में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी।

(२) भ्रष्टाचार विभाग ने मामला लोकल पुलिस में देने के लिए लिखा था।

(३) जी हां, दिनांक १४-११-६१ को।

(४) जी हां।

(५) जी हां।

(६) जी हां, राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, १९६१ के नियम २१ (४) के अन्तर्गत जांच होना अनिवार्य था।

(७) मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। जांच अपूर्ण होने से पुनः उप-जिला विकास अधिकारी को लिखा गया है।

श्री दिग्विजयसिंह : भूतपूर्व सरपंच को विभाग की ओर से पहले नोटिस कब दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : पहला नोटिस जो उन्होंने दिया उसके बाद में फिर दुबारा जांच करने का नोटिस दिया तो इसमें क्या बात थी कि दुबारा जांच करने की आवश्यकता हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरपंच ने एतराज किया था कि जो एस्टीमेट्स पंचायत समिति के ओवरसियर ने भेजे वह गलत थे और इसलिये एग्जिक्यूटिव इन्जीनियर और असिस्टेन्ट इन्जीनियर को लिखा गया कि वह स्वयं जाकर एस्टीमेट्स को वैरीफाई करें कि वह ठीक हैं या नहीं ?

श्री दिग्विजयसिंह : यह मामला ६१ से चल रहा है और आज दिन तक आपकी जांच पूरी नहीं हुई है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप कब तक जांच पूरी करके इस पर एक्शन लेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा है कि ओवरसियर की रिपोर्ट का वैरीफिकेशन है उसमें कुछ इख्तलाफात हैं और इसलिये असिस्टेन्ट इन्जीनियर और एग्जिक्यूटिव इन्जीनियर को कहा गया है कि वह जांच कर लें। अगर उसमें पाया गया कि उसमें गड़बड़ी की है तो उस पर कार्यवाही होगी। जैसा मैंने

Page No.5

(श्री दामोदरलाल व्यास)
अर्ज किया कि अभी भी मामला सरकार के विचाराधीन है। मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है जांच अपूर्ण होने से पुनः उप-जिला विकास अधिकारी को लिखा गया है।

श्री दिग्विजयसिंह : मेरा इतना निवेदन है कि सरपंच के खिलाफ इस तरह की जांच पूरी कर के उसकी रिपोर्ट देने की कोई अवधि नहीं है। ५ ६ साल लग जाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कोई अवधि नियुक्त कर दें कि इतने समय में कार्यवाही हो जायेगी। जैसे यह मामला ६१ का है और आज ६६ हो गया है और अभी तक यह मामला चल रहा है। इसमें निवेदन यह है कि जांच अपूर्ण है वह कब तक पूरी होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच अपूर्ण से पूर्ण कराना इसलिए आवश्यक है कि किसी को सजा देने से पहले उसको पूरा मौका देना चाहिए और किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जांच कराई जा रही है।

श्री दिग्विजयसिंह : लेकिन ५ साल से ज्यादा और क्या मौका देंगे ? फिर ५ साल और देंगे क्या ? ५ साल का मतलब ६१ से आज ६६ हो गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : टाइम लग जाता है।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०): आपने कहा है कि उप-जिला विकास अधिकारी को आदेश दिया गया है कि वह तुरन्त कार्यवाही करके सूचित करें तो यह कौनसी तारीख को लिख कर भेजा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : २९-९-६५ को लिखा गया है। उसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

बारां सब-डिविजन में सीमेन्ट और चद्दरों का कोटा

६१८. श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) : क्या रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बारां सब-डिविजन को सीमेन्ट और चद्दरों का जो कोटा दिया जाता है वह पर्याप्त नहीं है ?

(२) गत वर्ष व इस वर्ष कुल कितना कोटा सीमेन्ट व चद्दरों का दिया गया है और उसमें से कितना वितरित किया गया है ?

उप-मंत्री, रसद (श्री चन्दनमल वैद) :
(१) राजस्थान के सीमेन्ट के कुल कोटे को देखते हुए बारां सब-डिवीजन के सीमेन्ट का कोटा पर्याप्त था। चद्दरों का कोटा पिछले चार साल से राजस्थान को नहीं मिल रहा है इसलिए इसकी कमी सारे राजस्थान में है।

(२) १९६४ व १९६५ में बारां सब-डिविजन को जो सीमेन्ट का कोटा दिया गया है वह निम्न प्रकार है:—

सन् १९६४ ... १३७५ टन

सन् १९६५ ... २२३५ टन

सन् १९६४ में चद्दरों का कोई कोटा प्राप्त नहीं हुआ। सन् १९६५ ६६ के कोटे का अलॉटमेन्ट दिनांक ३-११-६५ को प्राप्त

(श्री चन्दनमल वैद)

हुआ है मगर इस कोटे के अन्तर्गत कोई माल प्राप्त नहीं हुआ इसलिए वितरण का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दयाचन्द सोन : आपने ६४ और ६५ के कोटे के बारे में कहा है। जो यह टिन शेड्स की चद्दरें होती हैं, क्या इसका कोटा लोगों को बारां में नहीं मिला ?

श्री चन्दनमल वैद : उद्योग विभाग के पास जो कोटा रहा उसकी बात कर रहा हूं। कृषि विभाग का जो कोटा होता है उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। यदि उसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो कृषि विभाग से करें।

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : आपने प्रश्न २ में कहा है कि गत वर्ष इतना कोटा दिया गया तो यह वितरण की क्या पद्धति है ? बारां में आपने कोटा दिया उसका वितरण किस प्रकार से होता है ? कुल कितना कोटा होता है वह जनता की पोपुलेशन के हिसाब को देखते हुए पर्याप्त है या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : सीमेन्ट के बारे में बताया और मैंने १९६४-६५ के आंकड़े भी बताये। वितरण के लिए अलग कानून बना हुआ है उसके अनुसार वितरण होता है। कलेक्टर, म्युनिसिपेलिटी के चेयरमैन, पंचायत समिति के प्रधान और विकास अधिकारी परमिट्स काटते हैं। जो बारां सब-डिविजन में मिला उसको अलग-अलग किस पंचायत समिति को कितना माल दिया गया यह सब जिलाधीश के अधीन होता है। वह जनसंख्या को देखते हुए कोटे का वितरण पंचायत समितिवाइज और म्युनिसिपेलिटी में और सब जगह उसका वितरण करते हैं और उनके परमिट काटे जाते हैं।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु.) : जो दो साल का कोटा नहीं मिला उसका क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद : ४ साल का कोटा किसी भी स्टेट को भारत सरकार ने अलॉट नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : अब तो सीमेन्ट का कन्ट्रोल हट गया।

श्री चन्दनमल वैद : सीमेन्ट का कन्ट्रोल अब हट गया लेकिन वह तो ६४-६५ की बात पूछ रहे हैं इसलिए कहा है। अब तो सीमेन्ट की कोई बात ही नहीं है।

श्री दयाचन्द सोन : मैं तो चद्दरों की बात कर रहा हूं। गत दो वर्षों में टीन के कोटे की वितरण की व्यवस्था बिलकुल गड़-बड़ रही है। आपने कहा कि जिलाधीश करता है तो वह सिर्फ अपने हो अपने आदमियों को दे देते हैं। नहीं तो आप इस बात की जानकारी दे दें कि कितने हरिजनों को टीनें दी हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं फिर अर्ज कर चुका हूं कि आप कृषि कोटे से इसको कन्फ्यूज कर रहे हैं। उसकी लिस्ट मेरे पास नहीं है। हमारे पास तो केवल उद्योग का और जो Industry या अर्बन पोपुलेशन है उसका कोटा आता है, उसका वितरण करते हैं। देहातों में पंचायतों के पास जो कोटा आता है वह कृषि विभाग की मार्फत आता है और कृषि विभाग ही जिला प्रमुख को और

(श्री चन्दनमल वैद)

पंचायत समिति के प्रधान को वितरण करता है उसका उद्योग विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री दयाचन्द सोन : तो वह तो बारां सब-डिविजन में पंचायत समिति एरिया आ गया।

श्री चन्दनमल वैद : जितनी मेरे पास जानकारी है वह मैं आपको अर्ज कर चुका हूं।

श्री अब्दुल जब्बार खां : बारां म्युनिसिपल एरिया में कितनी चद्दरें डिस्ट्रिब्यूट कराईं ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं अर्ज कर चुका हूं कि ४ साल से किसी भी स्टेट को भारत सरकार ने कोटा नहीं दिया। सन् ६५ का कोटा १-११-६५ को प्राप्त हुआ है उसके लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम को लिखा गया है और वह माल आ जायेगा तो वितरण हो जायेगा।

श्री अब्दुल जब्बार खां : मंत्री महोदय कहते हैं कि कोटा नहीं आया हम बांटते हैं और हर साल बांटते हैं और दो-दो चद्दरें एक-एक आदमी को देते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा वह आप समझे नहीं। दो तरह का कोटा आता है।

श्री अब्दुल जब्बार खां : बारां में लोगों को कोटा नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि ४ साल से नहीं दिया है। किसी भी रियासत को नहीं दिया है। राजस्थान पूरे को नहीं दिया है।

श्री चन्दनमल वैद : उसका पहले भी जो कोटा था वह हमारे पास ब्लेक शीट के रूप में आया १७१ टन उसके लिए कोटा को ५० टन दिया है। ४ साल से कोटा नहीं आया इसलिए वितरण नहीं किया। १९६५-६६ का कोटा आया है और ज्योंही वह माल आयेगा हम जिलों में वितरण करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार खां।

रोडवेज के ड्राइवरों पर जुर्माना

६१६. **श्री अब्दुल जब्बार खां** (निम्बाहेड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि रोडवेज के कई ड्राइवर इसलिए जेल में रहे कि उन पर हुआ जुर्माना नहीं भरा गया ?

(२) क्या यह भी सही है कि अगर कोई कर्मचारी अपनी जेब से जुर्माना भर दे तो विभाग उसे वापिस नहीं देता ?

उप-मंत्री यातायात (श्री भीमसिंह) :

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

श्री अब्दुल जब्बार खां: मंत्री महोदय क्या यह बतायेंगे कि कितने ड्राइवर्स के चालान हुए हैं ?

श्री भीमसिंह : यह फीगर्स आपने मांगे नहीं इसलिए यह मौजूद नहीं हैं।

श्री अब्दुल जब्बार खां : क्या यह सही है कि आपने जुर्माने की रकम अदा नहीं की ?

Page No.8

श्री भीमसिंह : जिसमें गलती ड्राइवर की थी उसका जुर्माना ड्राइवर ने दिया और जिसमें सरकार की गलती थी उसमें सरकार ने जुर्माना दिया।

श्री अब्दुल जब्बार खां : एक आदमी वर्कशॉप से गाड़ी लेकर चलता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जुर्माना कौन भरता है ?

श्री भीमसिंह : एक्सीडेंट की अलग चीज है। इसके रूल्स बने हुवे है कि जब भी ड्राइवर गाड़ी ले जावे तो गाड़ी ले जाते हुवे यह देखे कि सारी चीजें मुकम्मिल हैं। और जब गाड़ी को बिल्कुल मुकम्मिल हालत में लेकर वह जाता है और उसके बाद भी उस पर जुर्माना होता है तो वह जुर्माना ड्राइवर को देना पड़ता है। गाड़ी ले जाने से पहले उसे देख लेना होता है कि इन्जीनियरिंग पॉइन्ट ऑफ व्यू से गाड़ी ठीक हालत में है; उसके टूल्स, नट, बोल्ट वगैरह सब ठीक हैं, कोई ढीले नहीं हैं। मैकेनिकल तौर से गाड़ी ठीक होने पर जब ड्राइवर गाड़ी ले जाता है और उसके बाद उसकी खुद की नेग्लीजेंस से कुछ होता है तो उसका वही देनदार है।

श्री अब्दुल जब्बार खां : जयपुर से जब गाड़ी लाइन पर पास की जाती है, जब गाड़ी वर्कशॉप से निकाली जाती है तो क्या यह वर्कशॉप के इन्चार्ज की रेस्पोंसिबिलिटी नहीं है कि गाड़ी को कम्पलीट फिटनेस के साथ बाहर निकाले ?

श्री भीमसिंह : वर्कशॉप इन्चार्ज का भी फर्ज है लेकिन अगर वही गल्ती करता है तो गाड़ी ले जाने वाले ड्राइवर का भी फर्ज है कि वह देख ले और अगर गाड़ी फिट नहीं है तो उसे नहीं ले जावे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि गाड़ियों की कमी के कारण ड्राइवर्स को फोर्स किया जाता है कि वह इनकम्पलीट गाड़ियों को भी ले जावे ?

श्री भीमसिंह : ऐसा कोई केस होता है तो उसका जुर्माना सरकार भी देती है। लेकिन उसे गाड़ी ले जाने से पहले पॉइन्ट आउट करना पड़ता है कि गाड़ी में इस तरह की मैकेनिकल कमी है। वैसे तो मैकेनिकल कमी होने पर गाड़ी को ले जाने भी नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी अगर ड्राइवर गाड़ी ले जाता है तो यह ड्राइवर की जिम्मेदारी है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यह सही है कि जो अनफिटेड गाड़ियां ड्राइवर लेकर जाते हैं उसका अलग से रिकार्ड रखते हैं ? गाड़ियों की कमी होने के कारण इनकम्पलीट गाड़ियों को ले जाने के लिये आप ड्राइवर्स को अलाउ करते हैं तो उसके लिये क्या अलग से रिकार्ड रखते हैं ताकि अगर कोई जुर्माना हो तो उसकी जिम्मेदारी विभाग उठा सके ?

श्री भीमसिंह : रिकार्ड रखने का सवाल ही नहीं है। अगर गाड़ी इनकम्पलीट होती है तो ड्राइवर को नहीं देते हैं; इसके बावजूद अगर वह ले जाता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है।

श्री विजयसिंह झाला : आपने कहा कि गाड़ियों की कमी होने की वजह से इस प्रकार करना पड़ता है।

Page No.9

श्री भीमसिंह : मैंने नहीं कहा है, यह तो प्रश्नकर्त्ता ने कहा है ....

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने अभी कहा है। जब आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया और सप्लीमेंट्री के द्वारा जब स्पष्टीकरण कराना चाहा तो आपने कहा है कि जो इनकम्पलीट गाड़ियां होती हैं उनको भी गाड़ियों की कमी होने के कारण अलाउ कर देते हैं तो उसका जुर्माना विभाग द्वारा दिया जाता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका भुगतान डिपार्टमेंट करता है। इसके लिये जब माननीय सदस्य ने यह पूछा कि इसका रिकार्ड मेन्टेन किया जाता है या नहीं, आया ड्राइवर अपनी मर्जी से बिना इन्फोर्म किये गाड़ी ले जाता है या गाड़ी के इनकम्पलीट होने पर भी विभाग द्वारा उसे गाड़ी ले जाने के लिये फोर्स किया जाता है ?

श्री भीमसिंह : ऐसा तो बहुत कम, रेयर केसेज में होता है और अगर एन्क्वायरी के दौरान यह साबित हो जाय कि ड्राइवर की गल्ती से यह चीज नहीं हुई बल्कि विभाग की गल्ती से हुई तो उसका जिम्मेदार विभाग होता है और उसका देनदार भी विभाग होता है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि गाड़ी वर्कशॉप से ले जाने से पहले उसे फिटनेस सर्टिफिकेट मिलना चाहिये कि ड्राइवर इस गाड़ी को ले जावे या नहीं ?

श्री भीमसिंह : ये सारी चीजें प्रिजम्पशन की हैं ....

श्री विजयसिंह झाला : प्रिजम्पशन की बात नहीं है; ऐसे नियम हैं कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के ड्राइवर गाड़ी नहीं ले जा सकता, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : ड्राइवर अपनी तरफ से मौके पर देख ले, यही तो मंत्री महोदय कह रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : यह सब होने के बाद में भी इस प्रकार की गाड़ियां वर्कशॉप में क्यों आती हैं डिपो से ? क्या डिपो मैनेजर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है ? इसके बाद में यह भी देखने में आता है कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो विभाग की तरफ से कम्पलीट होने चाहियें, नहीं होने की वजह से ड्राइवर्स पर जुर्माने होते हैं।

श्री भीमसिंह : अगर ऐसे चालान होते हैं या हुए हैं, तो सरकार उनका पैसा देती है।

श्री विजयसिंह झाला : इस तरह के चालान हुए हैं या नहीं, मैं तो यह जानना चाहता हूं ?

श्री भीमसिंह : मैंने आपको जवाब दिया कि अगर ऐसे चालान होते हैं या हुए हैं या हुए होंगे तो सरकार अपने पास से देती है और आगे भी देगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): जैसा आपने कहा कि ड्राइवर्स की गल्ती से चालान होता है तो ड्राइवर अपने पास से देते हैं और अगर विभाग की गल्ती से चालान होते हैं तो विभाग देता है। इसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि जो विभाग की तरफ से पैसा देते हैं तो वह तो जनता का पैसा देते हैं और ड्राइवर्स देते हैं तो वे अपनी जेब से, अपनी तनख्वाह में से देते हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब विभाग की गल्ती पर पैसा विभाग की तरफ से दिया जाता है तो क्या ड्राइवर्स उनके विभाग के नहीं हैं ? अगर

Page No.10

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

विभाग वाले गलती करें तो उसका पैसा तो जनता के पैसे से दे दिया जाय और अगर ड्राइवर गलती करे तो उसे अपनी तनख्वाह में से देना पड़े, यह कहां का न्याय है? मैं यह जानना चाहता हूं कि आप किन चीजों को परमिट करते हैं एज ए जुर्माना? जो विभाग की गलती से पे किया जाता है तो उसे एक्सचैकर को कौन पे करता है और जब एक्सचैकर का पैसा दिया जाता है तो ड्राइवर्स की गलती पर क्यों नहीं पे करते हैं? इन दोनों में फर्क क्या है?

श्री भीमसिंह : मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य का सुझाव उपयुक्त है। विभाग में से भी अगर किसी की गलती से जुर्माना देना पड़ता है तो वह भी उसे ही देना चाहिए और डिपार्टमेंट नहीं दे, इसके लिए उचित व्यवस्था की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

फर्जी इन्द्राज

६२०. श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम खेरवा (तहसील डेगाना) के सरपंच ने पंचायत के रिकार्ड में फर्जी इन्द्राज किया है?

(२) क्या यह भी सही है कि कई सदस्यों को सूचना न देकर भी सूचना देना दिखाया गया है और इसी प्रकार की फर्जी कार्यवाही चार पांच-बार करके तीन पंचों को पंचायत से खारिज करवा दिया है?

(३) क्या यह भी सही है कि पंचायत का सारा रिकार्ड हैडक्वार्टर पर न रख कर सरपंच अपने घर पर रखता है?

(४) इस प्रकार अवैधानिक तरीकों से कार्यवाही करने वाले सरपंच के विरुद्ध अब तक राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) ऐसी शिकायत की गई है।

(२) सरपंच ने पांच बार पंचायत की बैठक में नहीं आने के कारण तीन पंचों के नाम खारिज कर दिये हैं।

(३) ऐसी शिकायत की गई है कि सरपंच पंचायत की बैठक मुख्यालय पर नहीं करते।

(४) जांच करवाई जा रही है।

श्रीमती गौरी पूनिया : माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है वह काफी पुराना उत्तर प्रतीत होता है। मेरी खुद की जानकारी है कि रिपोर्ट आ चुकी है और जितने चार्जेज इनके खिलाफ लगाये गये थे वे सब साबित हो चुके हैं। मेरी खुद की कलेक्टर से जिला परिषद् में बात हुई थी। अभी कुछ समय पहले तो उन्होंने कहा था कि १७ (४) में कार्यवाही के लिए कागजात आगे भेज दिये हैं। इसलिए मेरी मंत्रीजी से यह प्रार्थना है कि ये नीचे से जो कागजात आए हैं वे दबे के दबे न रह जायं, आप इसमें तुरन्त कार्यवाही करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने फाइल देखी नहीं है। अगर उनके खिलाफ चार्जेज साबित हो गए हैं तो फाइल आते ही अवश्य कार्यवाही की जावेगी।

Page No.11

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सरकार को इस सम्बन्ध में शिकायत कब मिली ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शिकायत कब हुई, इसकी तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसे सन् में मिली ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख होती तो सन् भी जरूर होता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): चार-पांच महीने पहले की तारीख में मिले तो आप तुरन्त आज ही कल्याण कर देंगे क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये जो तीन पंचों को खारिज किया है तो क्या उनको खारिज ही माना गया है या उनको रोकने के लिए कार्यवाही की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके लिए नियम हैं, कायदे हैं, आप स्वयं जानते हैं। माननीय सदस्य खुद बहुत लायक वकील हैं। अगर खारिज कर दिया है तो एस० डी० ओ० के यहां कार्यवाही की जाती है। बाकी जब जांच रिपोर्ट आएगी तभी कुछ कह सकूंगा कि क्या स्थिति है। रिपोर्ट को पढ़ कर ही कुछ कह सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जांच हो गई क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, जांच हो गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

रोडवेज की बसों की बॉडी के लिये टेन्डर्स

६२१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सन् १९६३ में सरकार ने राजस्थान राज्य रोडवेज के लिये १०० बसों की बॉडी बनाने के आॅर्डर दिये थे ? यदि हां, तो किसको तथा ये आॅर्डर किस दर पर दिये गये ?

(२) क्या यह सही है कि इस संबंध में सबसे नीचा टेंडर स्वीकार नहीं किया गया था ? यदि हां, तो क्यों तथा इस कारण सरकार को कितनी आर्थिक हानि उठानी पड़ी ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य क्षेत्र से बाहर स्थित व्यापारिक संस्थाओं को आॅर्डर देने के कारण अधिक परिवहन-व्यय करना पड़ा ? यदि हां, तो इस कारण कितना अतिरिक्त व्यय किया गया था ?

(४) क्या यह सही है कि इन व्यापारिक संस्थाओं ने केवल २ प्रतिशत बिक्री-कर दिया जब कि राजस्थान की व्यापारिक संस्थाओं को ६ प्रतिशत बिक्री-कर देना पड़ता, इस प्रकार राज्य कोष को ४ प्रतिशत बिक्री-कर की भी हानि हुई ? यदि हां, तो राजस्थान की व्यापारिक संस्थाओं को आॅर्डर दिये जाने की स्थिति में राज्य-कोष को प्राप्त होने वाले बिक्री-कर की राशि कितनी होती ?

(५) क्या यह सही है कि उन बसों के बारे में जिनकी बॉडी या तो शियोन गैराज, बंबई या रूबी बॉडी बिल्डर्स, हैदराबाद द्वारा बनाई गई है, अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

Page No.12

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(६) क्या यह सही है कि इन दोनों व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाई गई बॉडियों को मैकेनिकल इन्सपेक्टर ने अनुमोदित नहीं किया था ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह): (१) जी हां। यह कार्य मैसर्स शियोन गैरेज, बोम्बे को १३,५५०) रुपये प्रति बॉडी बनाने व ३५०) रु० यातायात की खर्च की दर से प्रति बस तय हुआ था।

(२) यह सही है कि प्राप्त टेन्डरों में से ७ टेन्डर नीचे थे लेकिन हाई पावर कमेटी ने इन कम्पनियों को अपनी क्षमता के लिये उपयुक्त न समझ कर शियोन गैरेज, बोम्बे को ही आॅर्डर दिये जिसके टेन्डर हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली फर्मों में सबसे कम थे।

(३) जी नहीं, कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया।

(४) जी नहीं। बिक्री-कर हर साल से रोडवेज से लेकर कर विभाग को मिलता है। इसलिये राज्य-कोष को कोई हानि नहीं हुई।

(५) जी नहीं। सिर्फ इसके ग्लासेज की शिकायत अवश्य पाई गई जिसके लिये उनके बिलों में उचित कटौती की गई थी।

(६) जिस नमूने की बॉडी बनाने के आदेश दिये गये, वे मोटर व्हीकल एक्ट में उल्लिखित धारा नं० ७० (२) (ए) से कुछ भिन्न थे, इस अन्तर को दूर करने के लिये मोटर व्हीकल रूल्स की धारा १७३ (बी) द्वारा संशोधन कर दिया गया, जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। बॉडी बनाने में कोई कमी नहीं थी। संशोधन के बाद गाड़ियां अनुमोदित कर दी गई हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो शियोन गैरेज, बोम्बे को बॉडी बनाने का काम दिया गया तो इसके ऊपर किस-किस के टेंडर्स थे ?

श्री भीमसिंह : कई दूसरी कम्पनीज़ से भी फिगर्स मांगे गए थे। इससे ऊपर वालों में मैं निवेदन करूं कि मेसर्स ओटोमोबाइल बॉडी बिल्डर्स को-ऑपरेटिव सोसायटी, ग्लोब मोटर्स दिल्ली, रमेश बॉडी बिल्डर्स, राम बॉडी बिल्डर्स, देहली, जयहिन्द खीरा एण्ड कम्पनी, जालंधर बॉडी बिल्डर्स देहली, हैदराबाद एलवान हैदराबाद, सैमसन एण्ड को., मद्रास, ये थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिन १०० बसों की बॉडी बनाने का ऑर्डर था उन १०० बसेज की बॉडी बिल्डिंग का काम केवल शियोन गैराज को दिया गया ?

श्री भीमसिंह : शियोन गैराज को ही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये जो नीचे की ७ फर्म्स थीं जिनका कि आपने उल्लेख किया है कि उनके टेण्डर कम थे तो क्या उन फर्म्स की कैपेसिटी सप्लाई करने की नहीं थी इसलिये हाई पावर कमेटी ने उन १०० बसेज की बॉडी बिल्डिंग का काम एक ही फर्म को दिया ?

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि इन सब को दो कैटेगरीज में छांटा गया। एक तो वे जो विदिन राजस्थान और दूसरी वे जो आउट

Page No.13

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ऑफ राजस्थान की थीं। उनके फिगर्स इकट्ठे किये गये थे कि उन्होंने पहले किन-किन स्टेट्स की रोडवेज को अथवा सेन्टर की बसेज के लिये बॉडी बनाकर दी है, उनके वर्कशॉप कितने इक्विप्ड हैं। इसके लिए एक मैकेनिकल कमेटी मुकर्रर की गई थी। उसने वर्कशॉप को जाकर चैक किया। आम तौर पर किसी भी वर्कशॉप में सारी बॉडी की चद्दर को मोल्ड करने के लिए जितने शियोन के प्रेसेज की जरूरत होनी चाहिये थी उस कैपेसिटी के प्रेसेज नहीं थे और न पूरा इक्विपमेन्ट था कि जितने नम्बर में गाड़ियां तैयार होनी चाहियें उतनी तैयार नहीं हो सकती थीं। हमने यह तय किया था कि इतनी गाड़ियां इतने टाइम में सप्लाई करने की हैं जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। जैसा कि माननीय सदस्य ने फरमाया कि २-३ औरों को दे देते लेकिन उनके पास प्रेस और इक्विपमेन्ट नहीं होने की वजह से जिस रिक्वायरमेन्ट को गाड़ियां चाहिए थीं वैसी बॉडी बिल्डिंग करने में वे कोम्पीटेन्ट नहीं थीं इसलिए उनको ऑर्डर नहीं दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि शियोन गैराज के अतिरिक्त बाकी के जिनके टेन्डर्स थे वे सारे लोग इनकोम्पीटेन्ट थे कि शियोन गैराज के अतिरिक्त बॉडी बिल्डिंग का काम नहीं कर सकते थे ?

श्री भीमसिंह : जिनकी लिस्ट बनी है उनमें सबमें शियोन गैराज का लोएस्ट टेन्डर था जिसके पास कि इक्विपमेन्ट भी थे और प्रेस भी था और मशीनरी पूरी थी। इन दो कैटेगरीज में जिनको छांटा गया था उनके शियोन गैराज का लोएस्ट टेन्डर होने के कारण उनको देना पड़ा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि शियोन गैराज का टेन्डर एक्सेप्ट करने से पहले इस सम्बन्ध में जांच कराई गई थी ?

श्री भीमसिंह : क्या फरमाया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो जांच की बात आप कहते हैं कि इक्विपमेन्ट और प्रेस के सम्बन्ध में तो यह जांच शियोन गैराज का टेन्डर एक्सेप्ट करने से पहले करा ली गई थी ?

श्री भीमसिंह : जितने भी वर्कशॉप वगैरह थे उनको मैकेनिकल कमेटी ने विजिट किया था। उसने बम्बई भी विजिट की थी और इनके वर्कशॉप को देखा था। जिन-जिन दूसरों ने बिल्डिंग का वर्क किया है जहां पर उनसे जानकारी की है और अपने यहां भी वर्कशॉप को चैक किया है कि वह काम हमारे स्टैण्डर्ड का है कि नहीं। इसके बाद इनका लोएस्ट टेन्डर था तभी इनका टेन्डर एक्सेप्ट किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा क्वेश्चन यह नहीं था, मेरा क्वेश्चन यह है कि शियोन गैराज को १०० बसेज की बॉडी बिल्डिंग का टेन्डर एक्सेप्ट करने से पहले यह सरकार द्वारा जानकारी या जांच कर ली गई थी कि वे कोम्पीटेन्ट हैं। यह टेन्डर एक्सेप्ट करने के बाद जांच करते रहे, यह मैं नहीं पूछ रहा हूं। आपने टेन्डर एक्सेप्ट करने से पहले उनकी जांच कर ली थी या नहीं ?

श्री भीमसिंह : जांच ही नहीं इन्होंने पहले भी हमें बॉडी बनाकर दी थी जो कि सेटिसफैक्ट्री काम कर रही थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे बॉडीज इन १०० बसेज की बॉडीज से अलग थीं क्या ?

श्री भीमसिंह : इन १०० के पहले भी कुछ बॉडीज बनाई थीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे पहले और भी कम्पनियां थीं जिन्होंने बॉडीज बनाकर राजस्थान रोडवेज को दी थीं।

श्री भीमसिंह : केवल बॉडीज बनाने का प्रश्न ही नहीं है लेकिन उनका टेन्डर लोएस्ट था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शियोन गैराज के अलावा पहले किस-किस ने बॉडीज बनाई थीं ? जिन लोगों ने बॉडी बनाई थीं, क्या वे लोकल डीलर्स थे और सरकार ने बॉडी बिल्डिंग का आर्डर उनको प्लेस नहीं किया ?

श्री भीमसिंह : जैसा मैंने निवेदन किया कि लोकल डीलर्स के पास हेवी प्रेसेज नहीं थे कि जिससे वे चद्दर को मोल्ड कर सकें बिना किसी जोड़ के, और अपनी जिस प्रकार की रिक्वायरमेन्ट है उसको पूरी कर सकें। उनके पास वांछनीय मशीनरी भी नहीं थीं बॉडी बिल्डिंग की। आप नहीं चाहते हैं कि किसी चलते रस्ते लोहार को दे दें और ठीक ठाक कर वह बना दे। गाड़ियां अगर खराब होती हैं तो उसका ओलम्भा आप देते हैं कि ठीक काम क्यों नहीं किया गया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो १०० बसेज की बॉडी बिल्डिंग का काम दिया गया था उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार को भी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्री भीमसिंह : उन्होंने सिर्फ कांच इन्फीरियर क्वालिटी का लगाया था इसलिए फी गाड़ी ५००) रु० उनके पेमेन्ट में से काट लिये गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि ५००) रु० फी गाड़ी के हिसाब से १०० गाड़ियों के ५०,०००) रु० होते हैं उसके अलावा भी १५ हजार रुपये शियोन गैराज से डेफिशियेन्सी और डिफेक्ट के सम्बन्ध में काटे गये हैं ? उसके अलावा ३० हजार रुपये एक दूसरे कोन्ट्रेक्ट में डेफिशियेन्सी और डिफेक्ट के काटे गये हैं। २०,०००) रु० और काटे हैं, ७,०००) रु० और काटे हैं, ६,०००)रु० और, उसके बाद २००) रु० प्रति बस के हिसाब से डेफिशियेन्सी और डिफेक्ट के सम्बन्ध में फिर काटे हैं। तो इस प्रकार यह रकम ५०,०००) रु० से ज्यादा आती है। मैं समझता हूं कि इस सदन में जिन माननीय सदस्यों ने राजस्थान रोडवेज की बसों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में विचार रखे हैं और सब ने शिकायत की है कि जितनी भी बसेज हैं उनमें सिर्फ शीशे या ग्लास ही डिफेक्टिव नहीं हैं बल्कि सारी बॉडी ही डिफेक्टिव है। मैंने चर्चा की थी कि जो बीच में लगे हुए लोहे के बार्स हैं वे सारे मुड़ गये हैं। सारे दरवाजे हिलने हैं, छतों से पानी चूता है। राज्य सरकार को बॉडी बिल्डिंग में डिफेक्ट क्यों रहे, किस कारण से रहे, इस सम्बन्ध में जांच कराना चाहिए।

श्री भीमसिंह : मैंने स्पेसिफिकली निवेदन किया है कि फी गाड़ी ५००) रु० के हिसाब

Page No.15

(श्री भीमसिंह)

से कांच डिफेक्टिव होने के काटे हैं। दूसरे डिफेक्ट्स कान्ट्रेक्ट वगैरह के हैं उनकी अलग रकम काटी है वह इसमें नहीं आती है। इनमें केवल कांच डिफेक्टिव होने के कारण ५००) रु० हर एक गाड़ी का काटा गया है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक प्रश्न और है।

क्या यह सही है कि राजस्थान की सरकार की यह नीति है कि राजस्थान के अपने लोकल डीलर्स हैं, उनको इस सम्बन्ध में इम्पीटस देने के लिए यह रीज़नेबल है कि उनसे भी परचेजेज की जायं, अगर उनकी प्राइसेज रीज़नेबल हों तो ?

श्री भीमसिंह: प्राइसेज के रीजनेबल का ही सवाल नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर चीज एफिशियेन्ट देवें और जैसी हमको चाहिए वैसी देवें, जो कि वे दे नहीं पाते हैं तो खाली खिलौना तो नहीं खरीदना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेंट को स्टैण्डर्ड फिक्स कर देना चाहिए कि ये हमारी एप्रूव्ड फर्म्स हैं फिर क्वेश्चन नहीं कि कम कीमत है या ज्यादा कीमत। पिछली बार बॉडी कराई थी तो उसकी रेट १३,५६०) रु० थी और राजस्थान रोडवेज बॉडी बिल्डिंग का कान्ट्रेक्ट दे रही है वह २५,७२८) रु० के हिसाब से दे रही है। पहले १३,५५०) रु० के हिसाब से एक बॉडी बनवाई थी उसी शियोन गैराज से और अब उसी शियोन गैराज को ३६ बसों के सम्बन्ध में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं २५,७२८) रु० के हिसाब से। एक बॉडी पर १२ हजार का डिफरेन्स है जिससे साढ़े चार लाख का राजस्थान को नुकसान हो रहा है। उस शियोन गैराज के टेन्डर एक्सेप्ट किये हैं जिससे कि ७ फर्मों के टेन्डर्स नीचे थे। उस सम्बन्ध में जानकारी करना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग के सम्बन्ध में लाखों रुपयों का घोटाला हो रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेन्ट कहती है कि बॉडी अच्छी है और माननीय सदस्य शिकायत करते हैं और उनकी शिकायतें सारी १०० बसों के सम्बन्ध में हैं। सारी बसेज में से २५ पर्सेन्ट बसें तो डिपो में पड़ी हुई हैं।

श्री भीमसिंह : सदस्य तोड़ मरोड़ कर सारे फैक्ट्स को रख रहे हैं। गाड़ियों में इन्जिन वगैरह का डिफेक्ट हो सकता है। सारी बॉडी बिल्डिंग के डिफेक्ट की वजह से पड़ी हों ऐसी बात नहीं हैं। लोकल वर्क शॉप के लिए मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि जिनके पास रिक्वायर्ड मशीनरी नहीं हैं, प्रेसेज नहीं हैं तो कोई ट्रैक्टर का ठेला नहीं बनाना है, बैलगाड़ी नहीं बनानी है। ऑर्डर कैसे दे देंगे उनको जब तक कि उनके पास मशीनरी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो उनके टेन्डर्स आप खोलते ही क्यों हैं ?

श्री भीमसिंह : अगर उनके पास सारी कॉम्पीटेन्ट मशीनरी है और अपने वर्कशॉप को डेवलप करेंगे, जो चीज चाहिए उस तरह की चीज बना सकते हैं तो क्यों नहीं ऑर्डर देंगे ? जरूर ऑर्डर देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनके टेन्डर्स जिनको कि आप यह समझते हों कि उनके पास प्रेसेज नहीं हैं, के कॉम्पीटेन्ट नहीं हैं सप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो क्यों एक्सेप्ट करते हैं ? उनको खोलिये मत। मगर खोलने के बाद अगर टेन्डर ज्यादा हैं तो आप कह देते हैं कि टेन्डर लोएस्ट नहीं है। अगर किसी को ऑबलाइज करना चाहते हैं तो उनको दे देते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह की बात करते हैं। यह प्रोसीजर गलत है। जिन फर्म्स को आप समझते हैं कि वे कोम्पीटेन्ट नहीं हैं तो उनके टेन्डर एक्सेप्ट न करें। जांच कराने के बाद टेन्डर खोलें। जो कम्पीटेन्ट फर्म्स टेन्डर्स दें उन्हीं के टेन्डर आपको खोलने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : राज्य सरकार को चाहिये कि बॉडी बिल्डिग का काम राजस्थान में ही जहां तक सम्भव हो कराया जाये तो ठीक ही है। यह एक पॉलिसी का प्रश्न है। हम बाहर जायें और बाहर से बिल्डिग करायें बॉडीज यह तो ठीक व्यवस्था नहीं है। माननीय सदस्य ने आरोप भी लगाया है, तो मेरे खयाल से सरकार को यह नीति अपनानी चाहिये कि बॉडी बिल्डिग राजस्थान में होना आवश्यक है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इतना बड़ा काम हमारे पास है तो सरकार क्यों नहीं खोलती है ? बड़ा सिम्पल काम है। सरकार ट्रूल्स के बड़े-बड़े कारखाने चलाती है तो अपने यहाँ वर्कशॉप खोलकर मनमाने तरीके से अपने स्पेसिफिकेशन के अनुसार बनाने के लिये खुब ही क्यों नहीं खोल लेती है। इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है।

श्री भीमसिंह : इस पर सरकार विचार करेगी और इसके फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स को देखेगी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

चांद शिल्प शाला की इमारत

६२२. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या जयपुर स्थित चांद शिल्प शाला की इमारत राज्य सरकार की है और किराये पर दी हुई है ?

(२) यदि हां, तो किराया बराबर वसूल किया जा रहा है या बकाया पड़ा है ?

(३) यदि बकाया पड़ा है तो कितने अर्से से और क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, इसकी इन्फोर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं। अगले टर्न पर उत्तर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

घड़ी की मरम्मत

६२३. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर में अजमेरी गेट के पास जो घण्टाघर बना हुआ है उसकी घड़ी हमेशा खराब रहती है ? यदि

(श्री जयनारायण सालोदिया)

हां, तो कब से व उसको ठीक क्यों नहीं कराया जाता है ?

(२) इसका निर्माण कब व किसके द्वारा कराया गया था और क्या खर्चा हुआ था ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जून, १९६३ से यह घड़ी खराब है। ठीक कराये जाने का उत्तरदायित्व इस विभाग का नहीं है।

(२) १९१३ में भूतपूर्व जयपुर राज्य द्वारा कराया गया था, बाकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : ठीक कराने का उत्तरदायित्व किस विभाग का है ?

श्री हरिश्चन्द्र : एक ट्रस्ट है किंग एडवर्ड मेमोरियल ट्रस्ट, मेरा खयाल है। वे ठीक कराते हैं। उनकी एक मीटिंग हुई थी और उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया है कि इसको ठीक कराया जाये।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या इस घड़ी में हमेशा १२ बजे रहते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इस ट्रस्ट के अन्दर गवर्नमेन्ट को क्या अधिकार है ? गवर्नमेन्ट कन्ट्रोल तो पूरा करती है। इस ट्रस्ट के मेम्बर्स कौन हैं ? वर्चुअली-इट इज़ ए गवर्नमेन्ट बॉडी और घड़ी खराब होती है तो विभाग की जिम्मेदारी नहीं, ट्रस्ट की है। जब लड़कों को रखना है और दूसरे काम करने हैं तो सरकार की है और घड़ी ठीक करनी हो तो हमारा सम्बन्ध नहीं है। सरकार कन्ट्रोल करती है या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : ट्रस्ट के मेम्बर्स कन्ट्रोल करते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेम्बर्स कौन-कौन हैं ? गवर्नमेन्ट का क्या सम्बन्ध है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ट्रस्ट के मेम्बर्स ही कन्ट्रोल करते हैं। उनमें सरकार के रिप्रेजेन्टेटिव्ज भी हैं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : यह घड़ी कब से खराब है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : किंग एडवर्ड मेमोरियल बिल्डिंग ट्रस्ट में वेस्ट करती है और राज्य सरकार ने ट्रस्ट से किराये पर ले रखी है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं तो घड़ी के संबंध में जवाब दे रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : घड़ी क्या बिल्डिंग से अलग है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे यह सूचना मिली है कि ट्रस्ट ने रिजोल्यूशन पास कर लिया है कि घड़ी को ठीक कर दिया जाये।

श्री जयनारायण सालोदिया : घड़ी शहर के बीच में है, इसको ठीक कराना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने बताया न कि ट्रस्ट ने निर्णय ले लिया है कि घड़ी को ठीक कराया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदसिंह।

प्रसार अधिकारियों को ऋण

६२४. **श्री उम्मेदसिंह** (बाड़मेर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति शिवगंज, जिला सिरोही द्वारा

Page No.18

(श्री उम्मेदसिंह)
१९६४-६५ में प्रसार अधिकारियों को मोटर साइकिल के लिये ऋण दिया गया ?

(२) अगर हां, तो कितने प्रसार अधिकारियों को ऋण मिला ?

(३) क्या यह सही है कि ऋण देय रूल्स के मातहत केवल पंचायत समिति एवं अन्य विभागों द्वारा अपने स्थाई स्टाफ को ही ऋण देने का प्रावधान है ?

(४) अगर हां, तो जो प्रसार अधिकारी उक्त पंचायत समिति में डेपूटेशन पर आये हुए हैं और जो समिति के स्थाई स्टाफ के श्रेणी में नहीं आते उनको ऋण कैसे दे दिया गया ?

(५) क्या यह सही है कि उन प्रसार अधिकारियों के ऋण के प्रार्थना-पत्र पर लेखा लिपिक (Accountant) ने इसी रूल को लेकर आपत्ति उठाई मगर उक्त कानूनी आपत्ति का उल्लंघन करते हुए स्वीकृति देने वाले अधिकारी ने जो कि विकास अधिकारी है, ऋण की स्वीकृति दे दी ?

(६) नियम विरुद्ध कार्यवाही करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(७) अगर नहीं की गई, तो क्यों व सरकार क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दे सकती है ?

पंचायत मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) जी हां।

(२) तीन प्रसार अधिकारियों को।

(३) जी हां।

(४) नियम विरुद्ध दिया गया है।

(५) लेखा लिपिक ने आपत्ति की थी। स्वीकृति पंचायत समिति की स्थाई समिति द्वारा दी गई।

(६) जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(७) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री उम्मेदसिंह : इसके बारे में कोई एन्क्वायरी करने का सरकार प्रयत्न कर रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। सम्बन्धित प्रसार अधिकारियों के खिलाफ विभागाध्यक्षों को लिख दिया गया है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज जो आजकल डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, जोधपुर हैं उससे एक्सप्लेनेशन कॉल कर दिया गया है। जिलाधीश को लिख दिया गया है कि सम्बन्धित स्थायी समिति के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : कितनी रकम थी ?

श्री उम्मेदसिंह : एन्क्वायरी का जो प्रयत्न किया गया है वह मेरे प्रश्न के पूछने के पहले किया गया या बाद में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके प्रश्न आते ही लिख दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले क्यों नहीं चलाया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उन्होंने जानकारी दी। जानकारी आते ही एन्क्वायरी चलाई।

श्री उम्मेदसिंह : वहां पर बी. डी. ओ. है जो पंचायत समिति का सदस्य है, तो ऐसा ऋण किसी प्रसार अधिकारी को नहीं देना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां पर जो अकाउन्टेन्ट है उसने आपत्ति की थी पर पंचायत समिति के सदस्यों ने आपत्ति पर गौर नहीं किया और ऋण दे दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न आने पर ही आपने जांच शुरू करवाई। उसके पहले आपकी तरफ से क्यों नहीं जांच की गई?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि अब एक्शन ले लिया गया है। बी. डी. ओ. के खिलाफ एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया है। प्रसार अधिकारियों के लिये विभागाध्यक्षों को लिख दिया गया है और स्टैन्डिंग कमेटी के सदस्यों के लिये नामों की जानकारी के बाद उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिये लिख दिया गया है।

श्री उम्मेदसिंह : जिन्होंने मोटर साइकिल के लिये लोन लिया है उन्होंने क्या पहले साईकल के लिए भी लोन लिया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो अलग सवाल है। इसके लिये मुझे नोटिस दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसिन्द): आपने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बर्स के खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन लोन तो विकास अधिकारी रिकमेंड करता है, फिर स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बर्स के खिलाफ एक्शन क्यों?

श्री दामोदरलाल व्यास : अकाउण्टेण्ट ने आपत्ति की थी कि लोन नहीं दिया जाये, फिर भी दिया गया, तो विकास अधिकारी से तो जवाब तलबी की ही जा रही है, उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या विकास अधिकारी ने कोई इस पर डिसेंटिंग नोट लिखा था?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जब नियमानुसार ऋण नहीं दिया जा सकता तो इसकी जिम्मेदारी तो विकास अधिकारी की है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया न कि विकास अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों की भी अगर कोई गल्ती है, तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों की जा रही है जब कि वहां पर बी. डी. ओ. बैठा हुआ है जो सारे कायदे-कानून जानता है?

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

फर्जी भुगतान

६२५. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा)—[**श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.20

(श्री जोधसिंह चौहान)

(१) क्या यह सही है कि खेरवाड़ा-हिम्मतनगर रोड पर खजूरिया पुल के ठेकेदारको १०,०००) रु० के बजाय ६०,०००) रु० का फर्जी पेमेन्ट कराया गया ?

(२) क्या यह सही है कि इस फर्जी पेमेन्ट कराने में एस. ई., पी. डब्ल्यू. डी., उदयपुर का हाथ है ? उन्होंने ओवरसियर अब्दुल रहमान की नोट बुक में जो मेजरमेन्ट था उसको फर्जी तरीके से मेजरमेन्ट बढ़ाने को कहा और वह बढ़ाया गया, इस तरह ५०,००० रु० का फर्जी पेमेंट हुआ ?

(३) क्या यह भी सही है कि उस फर्जी पेमेंट की मेजरमेन्ट बुक ६१६ नम्बर की है ? क्या सरकार इसकी जांच करने का इरादा रखती है ?

(४) क्या यह सही है कि एस. ई., पी. डब्ल्यू. डी., उदयपुर पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जांच के लिये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास भेजे गये हैं ? यदि हां, तो वह कितने हैं, उन पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) जी नहीं।

(४) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में २ प्रार्थना-पत्रों पर जांच कर तकनीकी राय के लिये इस विभाग को भेजे हैं जो विचाराधीन हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : यह किस बात की जांच हो रही है ? भ्रष्टाचार की जांच हो रही है या कार्य के लिये आवेदन-पत्र आया था ?

श्री हरिश्चन्द्र : कंपलेन्ट आई थी उसकी जांच हो रही है।

श्री अब्दुल जब्बार : कौनसा केस था, किस सम्बन्ध में जांच की गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने प्रश्न पूछा था उससे सम्बन्धित नहीं है। जो कंपलेन्ट्स आई थीं वे एण्टी-करप्शन में भेज दी हैं, वे जांच करेंगे टेक्निकल राय ली जा रही है ।

श्री अब्दुल जब्बार : किस संबंध में कंपलेन्ट आई थी ? भ्रष्टाचार किया था या कोई गलती की थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने जो पूछा है उसकी कंपलेन्ट नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : आपने फरमाया कि कंपलेन्ट आई थी उसकी जांच हो रही है।

श्री हरिश्चन्द्र : दो पत्र उदयपुर से आये थे, वे एन्टी-करप्शन में भेज दिये हैं। टेक्निकल प्रश्न है, उसके ऊपर चीफ इन्जीनियर की राय ले रहे हैं, उसके बाद कानूनी कार्यवाही की जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : खजूरिया पुल का ठेकेदार कौन था ?

श्री अध्यक्ष: श्री झाला ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मेजरमेन्ट बुक नं० ६१६ है क्या यह सही है कि उसके एस्टिमेट के अनुसार १०,०००) रु० का ही काम बनता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह गलत है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि इस बुक को एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट के पास पेश किया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेजरमेन्ट बुक नंबर ५,१४० है एण्ड नोट ६१६।

श्री विजयसिंह झाला : ६१६ नंबर की मेजरमेन्ट बुक है उसमें क्या इस प्रकार के कार्य के अमाउन्ट का जिक्र है इसकी क्या आपने जांच कराई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप बुक नं० ६१६ बता रहे हैं लेकिन उसके नंबर दूसरे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मैं कहता हूं कि ६१६ नंबर की बुक में इस कार्य का मेजरमेन्ट है या नहीं यह बता दीजिये। यदि आप यह कह दें कि नहीं है तो उसको हाउस में पेश करें।

श्री हरिश्चन्द्र : मेजरमेन्ट बुक नं० ५,१४० है।

श्री विजयसिंह झाला : आप इसको डिनाइ कर दीजिये कि बुक नं० ६१६ में इसका मेजरमेन्ट नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस कार्य का मेजरमेन्ट बुक नं० मुझे सूचना मिली है उसके अनुसार दूसरा है।

श्री विजयसिंह झाला : यही तो झगड़ा है ६१६ नं० की बुक एक्च्युअल बुक थी। उसके बजाय फर्जी बुक बनाई गई। सौभाग्य से कहिये या दुर्भाग्य से कहिये ६१६ नंबर की बुक लोगों को प्राप्त हो गई जिसमें १०,०००) रु० का कार्य बताया गया है उसके बजाय फर्जी बुक बनाई गई उसमें इतने अधिक पेमेन्ट का हवाला है। इसी पर तो हमने शिकायत की है।

श्री अध्यक्ष : क्या उसकी जांच हो रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : पोजिशन यह है कि आपने कहा कि १० हजार रु० के ठेके पर ६० हजार रु० का पेमेन्ट हो गया लेकिन इसमें कहीं ६० हजार का पेमेन्ट ही नहीं हुआ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : तो कुल कितना पेमेन्ट हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपकी शिकायत थी कि १० हजार के बजाय ६० हजार का पेमेन्ट हो गया, आपने बुक नं० ६१६ बताया दरअसल में बुक नं० ६१६ नहीं है ५१४० है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना है कि इस संबंध में शिकायत की है उसके साथ ६१६ नं० की किताब पेश की है उस संबंध में आपको कुछ मालूम है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, अभी इस बात की तहकीकात की कि मेजरमेन्ट बुक, जिससे इस कार्य का सम्बन्ध है, का नम्बर है ५१४०। आप कहते हैं कि एक मेजरमेंट बुक वह है और दूसरी और है। अगर दूसरी मेजरमेंट बुक है कहीं, और अगर वह एन्टी-करप्शन के पास पहुँच गई है तो जरूर उस पर कार्यवाही होगी। मेरे पास सूचना है वह यह है कि इस कार्य के लिए यही मेजरमेंट बुक है। फिर इसको मैं कैसे स्वीकार करूं कि नहीं ६१६ है।

(श्री हरिश्चन्द्र)
अगर किसी बुक की डुप्लीकेट रखी गई है और पेश की गई है तो जानकारी करके आपको बताऊंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : खजूरिया पुल के सम्बन्ध में जो मेजरमेंट बुक है, जो मेजरमेंट बुक ६१६ के सम्बन्ध में कहा है, इसके सम्बन्ध में कोई जांच की क्या ?

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि मालूम नहीं है। जांच हो रही है ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जांच की कि मेजरमेंट बुक का नम्बर क्या है तो वह यही है ५,१४० ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने मेजरमेंट बुक नं० ६१६ भी देखी है क्या ? क्या उसकी जांच की है कि उसका किस आइटम से सम्बन्ध है ? आपने देखी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने देखी नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जांच कराई क्या ? आपने एन्ट्री के सम्बन्ध में कहा कि दस हजार की एन्ट्री मिल सकती है। खजूरिया पुल की मेजरमेंट बुक नं० ६१६ एक फर्जी बुक तैयार की गई, फर्जी मेजरमेंट किया गया फिर पेमेन्ट हुआ है। जब तक आप सैकिण्ड आइटम को न देख लें तब तक कॉन्क्ल्यूजिवली नहीं कह सकते कि फाल्स है ।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरा अर्ज करना है कि एक काम की एक मेजरमेंट बुक है। आपका कहना है कि एक और मेजरमेंट बुक है और जो ओरीजिनल बुक थी वह ६१६ । इन दोनों मेजरमेंट बुक्स के लिए जहां तक मुझे बताया गया है, इस काम के सम्बन्ध में जो मेजरमेंट बुक है उसका नम्बर है ५१४० । अगर दूसरी मेजरमेंट बुक है तो उसकी जांच हो सकती है। दूसरी मेजरमेंट बुक है....

श्री अध्यक्ष : जांच....

श्री हरिश्चन्द्र : ६१६ कैसे रिप्लेस हो सकती है इसकी जांच हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष : जांच करा लीजिये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, खजूरिया पुल मैंने देखा है। इसमें सबसे मोटा सवाल यह है कि दरअसल में पुल दस हजार की लागत का है या पचास-साठ हजार की लागत का है। दस हजार की लागत बताई जाती है—उससे मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे ख्याल में पुल ज्यादा लागत का है। मंत्री महोदय को इस बारे में जानकारी करनी चाहिए। जो प्रश्न पूछा गया है वह मेरे ख्याल में इस वक्त इन ऑर्डर प्रतीत नहीं होता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पेमेन्ट आपने कुल कितने का किया है इस सम्बन्ध में ?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सिर्फ इतना सा फिगर....

श्री अध्यक्ष : सारी जांच के लिये उन्होंने कहा है ।

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे बताया गया है कि दूसरे वर्क की मेजरमेंट बुक है ६१६ ।

(श्री हरिश्चन्द्र)

श्री अध्यक्ष : अभी न ता कर सारे मामले की जांच कर लीजिये कि कौनसा क्लेम दिया, क्या बात है ?

श्री मोहरसिंह ।

बीकानेर-पिलानी मार्ग का राष्ट्रीयकरण

६२६. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार बीकानेर से पिलानी मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : अभी सन् १९६७ तक निगम का विचार इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने का नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इस क्वेश्चन के सिलसिले में निवेदन कर दूं कि यह बीकानेर-पिलानी मार्ग का नेशनलाइजेशन करने के विषय में है, लेकिन गवर्नमेन्ट जिन-जिन रूट्स का नेशनलाइजेशन करने का विचार रखती है एक साल के अन्दर-अन्दर—कम से कम उसकी जानकारी सदन को करा दी जाय कि इन-इन रूट्स का नेशनलाइजेशन करने वाले हैं। नहीं तो होता क्या है कि किसी रूट का नेशनलाइजेशन करने का नोटिफिकेशन निकल जाता है। उसके बाद में जब प्रेशर आता है तो उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। इसलिए गवर्नमेन्ट डेफीनेटली जानकारी दे दे कि राजस्थान में आने वाले एक साल में इन-इन रूट्स का नेशनलाइजेशन करने वाले हैं।

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, निगम इसकी लिस्ट तैयार कर रहा है और लिस्ट तैयार होते ही सदन को जानकारी करा देंगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि माननीय यातायात मंत्री ने इस सदन को आश्वासन दिया था कि १९६७ तक किसी भी रूट का नेशनलाइजेशन नहीं होगा ?

श्री भीमसिंह : १९६७ तक किसी, रूट का नेशनलाइजेशन नहीं होगा—इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है कि उप-मंत्री क्या कह रहे हैं और मंत्री क्या कहते हैं। यह कल की ही बात है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने यह कहा जो उप-मंत्री कह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन लिस्ट तैयार कर रहा है कि किन-किन रूट्स को लिया जायगा । जब लिस्ट तैयार हो जायगी तो सदन को जानकारी करा दी जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : यह कहा था कि १९६७ तक...

उप-मन्त्री (श्री चन्दनमल वैद) : यह नहीं कहा ।

श्री भैरोंसिंह : कल कहा था ।

श्री चन्दनमल वैद : मैं भी यहां था ।

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, जितनी गाड़ियां हमारे पास होंगी उतने का

Page No.24

(श्री भीमसिंह)
नेशनेलाइजेशन होगा। अभी हमारे पास गाड़ियां नहीं हैं और लिस्ट तैयार नहीं है तो नेशनलाइजेशन का प्रश्न कैसे पैदा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

कृषि कार्यों हेतु बिजली, निम्बाहेड़ा

६२७. श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि खेती के उपयोग हेतु अधिक से अधिक गांवों में बिजली पहुँचाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो अब तक निम्न गांवों में बिजली की सुविधा क्यों नहीं पहुँचाई गई है :-

(२) तहसील निम्बाहेड़ा (अ) कनेरा से अठाना (मध्य प्रदेश) से एक्सटेन्शन किया जा सकता था।

(३) तहसील निम्बाहेड़ा (ब) अरनोदा, अरनिया, जोशी, मांगरोल, बड़ोली, घाटा इत्यादि।

(४) तहसील निम्बाहेड़ा (स) कासोदा मण्डी, रानीखेड़ा, धीनवा, बड़ोलो, माधोसिंह, लसड़ावन जावदा, डोरिहा तथा बिनोता।

(५) तहसील भदेसर, भदेसर तथा आस-पास के गांव।

(६) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम इक्काबाद, तहसील निम्बाहेड़ा जो कि सब-स्टेशन से लगा हुआ है वहां भी बिजली नहीं दी गई है जब कि वहां के कुछ किसानों ने एडवान्स रकम भी आर. एस. ई. बी., निम्बाहेड़ा में जमा करा दी है? यदि हां, तो क्यों?

उप-मन्त्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) : (१) से (५) जी हां। इन गांवों को अब तक बनी हुई किसी भी योजना में शामिल नहीं किया जा सका।

(६) केवल तीन किसानों ने कृषि हेतु प्रार्थना-पत्र दिये हैं। इनमें से एक को बिजली दे दी गई है। एक ने कार्यवाही हाल ही में पूरी की है और उसे शीघ्र बिजली दे दी जायगी। तीसरे ने अभी कार्यवाही (formality) पूरी नहीं की है। कार्यवाही पूरी होने पर उसे भी कनेक्शन दे दिया जायगा।

श्री अब्दुल जब्बार खां : यह मैंने जो प्रश्न के खंड एक में पूछा था उसका जवाब दिया है कि बिजली सरकार पहुँचाना चाहती है। लेकिन क्यों नहीं पहुँचाई गई यह नहीं बतलाया है आपने। प्रश्न के खंड एक में आखिर में शब्द हैं।

श्री चन्दनमल वैद : राजस्थान के हर गांव में एक साल में एक साथ बिजली नहीं पहुँचाई जा सकती।

श्री अब्दुल जब्बार खां : मैंने पूछा है तहसील निम्बाहेड़ा के तीन-चार गावों के बारे में। कनेरा से अठाना-मध्य प्रदेश से अठाना पास पड़ता है-उसके लिए आपने क्या बताया?

श्री चन्दनमल वैद : इसके बारे में मध्य प्रदेश से बातचीत चल रही है। उसकी बातचीत पूरी नहीं हुई है। बातचीत सफल होने के बाद अगर स्कीम रेम्युनरेटिव पाई गई तो विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

श्री अब्दुल जब्बार : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि आपने जबाब के अन्दर फर्माया कि दो पार्टी ने पैसा जमा करा दिया है और तीसरी ने नहीं कराया है। जब कि तीनों ने जमा करा दिया है। आप तहकीकी जबाब फरमायें।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, तीनों को उत्तर मैंने दिया है-एक को बिजली दी जा चुकी है, दूसरे को भी दे दी जायगी। तीसरे के बारे में मैंने कहा कि उसने अभी पैसा जमा नहीं कराया है, न फिटिंग ही कराई है और न एल फार्म और टैस्ट फार्म ही दिया है।

श्री अब्दुल जब्बार : पैसा जमा करा दिया है, आप रसीद चाहें तो आज दे सकता हूं। इसमें आपके विभाग की सुस्ती है। आप इसके लिए दो सौ रुपया लेते हैं लेकिन फिर भी बिजली नहीं देते। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि इससे किसानों को बहुत हैरेसमेंट होता है।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बात अर्ज करना चाहता हूं, एक किसान को ६-२-६६ को कनेक्शन दिया गया। दूसरे ने २५-२-६६ को एल फॉर्म दिया है, उसको भी करेन्ट दे दिया जायगा। तीसरे ने न फिटिंग ही कराई है, न एल फार्म और टैस्ट फार्म ही जमा कराया है। फिर कनेक्शन कैसे दे दें। जब फिटिंग ही नहीं है तो बिजली का कनेक्शन किस जगह दे दें।

श्री अब्दुल जब्बार : माफ फर्माइयेगा, मेरे मकान से ज्यादा दूर नहीं है। बिजली का फिटिंग कर दिया है और पैसे भी दो सौ जमा करा दिये हैं उसे तीन साल जमा कराये हो गये हैं। आप कहते हैं-यह ठीक नहीं है। आप इस पर गौर फर्मायें और कर्मचारियों को प्रोटेक्ट न करें। मैं मानता हूं कि बिजली की शोर्टेज है लेकिन आप प्रोटेक्शन न फर्मायें कर्मचारियों को। इससे कर्मचारी खराब होते हैं।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मेरा मकान उस जगह से दूर है। मैं नहीं कह सकता। मुझे जो जानकारी दी गई है वह मैं कहता हूं। माननीय सदस्य इतनी तत्परता के साथ कह रहे हैं तो मैं जांच करवा लूंगा और अगर गड़बड़ी पाई जायगी तो निश्चित रूप से जिसने गलती की है उसे सजा दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : क्या बिजली बोर्ड को ऐसे आदेश है कि पंचायत और पंचायत समितियों से सम्पर्क रखें जिससे गलतफहमी नहीं हो और यह पता चलता रहे कि कितनी दरख्वास्तें आई हैं और क्या स्थिति है ?

एक माननीय सदस्य : ऑटोनोमस बोर्ड है।

श्री अध्यक्ष : अधिकारी समय-समय पर मीटिंग में जाते रहें और सम्पर्क रखें तो स्थिति की जानकारी होती रह सकती है।

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : मीटिंग में जाने के लिए कह रखा है।

श्री अध्यक्ष : आप फिर से आदेश जारी कर दें कि पंचायत और पंचायत समिति से सम्पर्क रखें।

Page No.26

श्री हरिश्चन्द्र : कह रखा है, बी. डी. ओ. और प्रधान से सम्पर्क रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर ताकीद कर दें।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, इसमें दिक्कत यह है कि डिमाण्ड बहुत ज्यादा है और पावर बहुत कम है।

श्री अध्यक्ष : इसके साथ दिक्कत यह भी है। बिजली की कमी जरूर है लेकिन उसका वितरण ठीक तरह से हो जाय तो ठीक रहेगा।

प्रश्न संख्या ६२८

श्री जुझारसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत।

सिणला संयुक्त कृषि सहकारी समिति

६२६. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला पाली की सिणला संयुक्त कृषि सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन कब हुआ व उसके सदस्य कितने थे ?

(२) क्या समिति की सदस्य संख्या १० से कम भी हुई ? यदि हां, तो विभाग द्वारा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या सही है कि उक्त समिति के सचिव द्वारा समिति के ट्रेक्टर के दुरुपयोग व उसके गलत व फर्जी ढ़ग से अपने हक में ट्रान्सफर कराने की शिकायत सदस्यों ने सहायक रजिस्ट्रार पाली को की ? यदि हां, तो कब व अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) :

(१) सिणला संयुक्त सहकारी समिति लि. का रजिस्ट्रेशन दिनांक ३१-३-६० को हुआ था। रजिस्ट्रेशन के समय समिति की सदस्य संख्या ११ थी।

(२) समिति की सदस्य संख्या १० से कम कभी भी नहीं हुई। अतः विभाग द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी हां, दिनांक २१-८-६२ को रजिस्ट्रेशन चैनसिंह मंत्री के नाम पाया गया व समिति की ग्राम सभा ने यह इच्छा प्रकट की कि शिकायत पर कोई गौर नहीं किया जावे।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि इसमें सदस्य संख्या १० से कभी कम नहीं हुई यह गलत है। आप समिति का कार्यवाही रजिस्टर देखें तो आपको पता लगेगा कि आठ से ज्यादा कभी नहीं थे और अब तो पांच भी नहीं है। दूसरे नम्बर आपने बताया कि समिति के सदस्यों ने इच्छा जाहिर की है कि चैनसिंह के खिलाफ शिकायत पर गौर नहीं किया जाय। ऐसा कौन कहेगा कि जुर्म करने के बाद किसी अपराधी के लिए यह कहे कि इसे माफ किया जा सकता है। जब पंचायत समिति की ओर से ट्रेक्टर खरीदने के लिए एक हजार की सब्सिडी दी गई और उसके बाद में ट्रेक्टर पर्चेज किया गया और उसको एक आदमी खाकर बैठ जाय। और बाद में किश्त अदा न करे। आप कहते हैं कि समिति के सदस्यों ने इच्छा जाहिर की है

Page No.27

(श्री तेजाराम गहलोत)

इसलिए कार्यवाही नहीं कर सकते । मैं निवेदन करूंगा कि किसी गलत आदमी को प्रोटेक्ट न करें । यदि कोई सहकारिता में गलत काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठायें और उसको सजा दें ।

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदस्यों की संख्या कम होने की बात कही है लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है और मेरे पास जो कागजात आये हैं उसमें उनकी संख्या कम साबित नहीं होती है अगर उसके बावजूद भी माननीय सदस्य कहते हैं कि कम है तो उनकी मौजूदगी में इन्क्वायरी करा लेंगे । रहा सवाल चैनसिंह के बारे में । 'चैनसिंह' मंत्री लिखा था और 'चैनसिंह' मंत्री की कैपेसिटी में यह ट्रैक्टर रजिस्टर्ड हुआ था । इसलिये जब, 'चैनसिंह' मंत्री लिखा था तो शिकायत करने वालों ने शिकायत विथड्रॉ की और जब शिकायत करने वाला ही विथ्ड्रॉ करता है तो एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं रहती ।

श्री तेजाराम गहलोत : उसके बाद में उन्होंने अपने खुद के नाम से दो तीन व्यक्ति मिल कर प्रस्ताव पास कर दिया और बेचान करा लिया । जहां तक पहले मंत्री का सवाल है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके बाद में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे अपने नाम पर ट्रान्सफर करवा लिया, यह कैसे करा लिया ।

श्री भीमसिंह : अगर कोई सामान पुराना हो जाता है तो उसको बेच दिया जाता है और जब बेच दिया जाता है तो रजिस्ट्रेशन ट्रान्सफर हो जाता है । पहले मंत्री के नाम से था । उसके बाद उन्होंने एक प्रस्ताव पास करके अमुक आदमी को बेच दिया तो मैं समझता हूं कि कोई इसमें खामी नहीं है । इसके बावजूद भी अगर आप साबित करेंगे और गलती होगी तो सजा होगी ।

श्री अध्यक्ष : यह पैसे अभी बाकी हैं । जो लोन ट्रैक्टर के लिये लिया गया था वह चुका दिया गया है या अभी बाकी है ?

श्री भीमसिंह : यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : मंत्री सब कास्ट होती है । यहां पर मंत्री से आपका क्या अभिप्राय है ? सब कास्ट से है या मंत्री ऑफिशियल डेजिग्नेशन है ?

श्री भीमसिंह : इसमें मंत्री का अभिप्राय सेक्रेट्री से है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

सरपंच के रकम की वसूली

१३०. श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि जिला जालोर के सूतड़ी पंचायत के सरपंच ने टांका बनाने की रकम को विकास खण्ड से लेकर अपने घर में टांका बना लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस धन को वापिस वसूल करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

विकास मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): टांका सरपंच की ढाणी में बनाया गया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : पैसा टांके के लिये सरकार ने दिया है और क्या

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
सरकार इसको वाजिब मानती है कि यह जो टांके पर व्यय किया गया है वह वाजिब है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा यह कहना है कि विकास अधिकारी इस पर ध्यान देते हैं और दिया है।

सन् १९६२ में एक हजार रुपये की रकम और सन् ६४ में १,२००) रु० की रकम इसको पूरा करने के लिये दो गई इस प्रकार कुल २,२००) रु० दिये गये थे।

आपका खयाल है कि उसने अपने घर में टांका बना लिया है। यह बात गलत है उसने अपने घर में नहीं बनाया है। ढाणी में बनाया है। उस ढाणी में वह रहता है। अब यह टांका सार्वजनिक काम में आता है। मैंने जिलाधीश को लिख दिया है कि इसकी जांच करें कि जो लोग ढाणी में रहते हैं उन सब के काम में आता है या वह अपने ही काम में लेता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

चुरु रतनगढ़ सड़क निर्माण

६३१. **श्री मोहरसिंह** (चुरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चुरू से रतनगढ़ सड़क का निर्माण कब हुआ ? इस पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क पर धूल पड़ी रहती है जिसके कारण कार अथवा गाड़ियों का आवागमन रुका हुआ है ?

(३) क्या यह सत्य है कि यह सड़क बहुत टूटी-फूटी हालत में है ? इसकी मरम्मत के लिये क्या किया जा रहा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) सड़क निर्माण १९५६ में आरम्भ कराया गया था इस पर ९,७७,७५८) रु० व्यय किया गया है।

(२) जी नहीं, केवल ग्रीष्म ऋतु में सड़क के पास के टीबों से रेत सड़क पर आ जाया करती है। आवागमन चालू है।

(३) सड़क कहीं-कहीं खराब हो गई है जिसकी मरम्मत की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बिल का भुगतान

६३२. **श्री दयाचन्द सोन** (बारा-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि अभी तक बारां हॉस्पिटल के क्वार्टर्स के फाइनल बिल का पेमेन्ट नहीं किया गया है ?

(२) यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री-हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री दयाचन्द सोन : पेमेन्ट नहीं हुआ उसका कारण क्या है ?

"(अश्रव्य)" ❀

❀ टिप्पणी— भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ।

श्री भेरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उन्होंने कारण पूछा है। पेमेन्ट नहीं होने के कारण क्या हैं इसका उत्तर चाहा है और आपने सूची सदन की मेज पर रख दी है।

श्री हरिश्चन्द्र : उसमें पेमेन्ट नहीं होने के कारण बता दिये गये हैं। इसका कारण यह है कि स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं हुआ है उसका डिस्प्यूट चल रहा है।

प्रश्न संख्या ६३३ व ६३५

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न

(१५-३-६६)

सरदार शहर कालू सड़क का निर्माण

२७७. **श्री मोहरसिंह** (चुरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरदारशहर से कालू सड़क निर्माण कार्य कब शुरू किया गया और उस पर अब तक क्या-क्या कार्य हुआ है ? इस कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

(२) यह कर्य कहां से कहां तक हुआ है और इसमें क्या कार्य बाकी है ?

(३) इस सड़क की कुल लम्बाई क्या है और कुल संभावित खर्चा क्या होगा ?

(४) इस अधूरे कार्य को सरकार कब पूरा करावेगी ? ऐसा करने तक इस सड़क पर पड़े हुए पत्थर आदि की रखवाली की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

(५) क्या इस सड़क के लिए ली गई भूमि का मुआवजा किसानों को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक यह मुआवजा दिया जायेगा और वह कितनी धनराशि होगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्रीहरिश्चन्द्र):

(१) अकाल राहत कार्य में १९६३--६४ में सरदारशहर कालू सड़क का निर्माण आरम्भ कराया गया था। ४,२३,००० घनफुट बाबला पत्थर इकट्ठा हुआ है और ३३ मील में मिट्टी खुदाई, १७॥ मील में बाबला बिछाई, ४ मील में जंगल कटाई का कार्य कराया गया है। इस कार्य पर ३,३७,६०३)रु. की धनराशि खर्च हुई है।

(२) यह कार्य भीनासर से अतीसर और कालू से गरवादेसर के बीच कराया गया है। बाबला कुटाई व बिछाई का कार्य शेष है।

(३) यह सड़क ३४ मील लंबी है। यदि सड़क पक्की बनाई जावे तो १६,८०,०००)रु० व्यय होने का अनुमान है।

(४) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता। सामान की देखरेख के लिए सम्बन्धित जिलाधीश को लिख दिया गया है।

(५) जी नहीं। राजस्व विभाग से अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है ज्योंही राजस्व विभाग से अवार्ड प्राप्त होगा मुआवजा दे दिया जायेगा।

श्री मोहरसिंह : अवार्ड प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

Page No.30

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। इस सड़क के लिये कितनी धनराशि व्यय की है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

स्थगित प्रश्न

(२३-३-६६)

देहली क्लोथ मिल्स, कोटा की यूनियन का डिमाण्ड चार्ट

४४५. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि देहली क्लोथ मिल्स, कोटा की यूनियन ने डिमाण्ड चार्ट भेज दिया है ?

(२) अगर हां, तो कब व उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मन्त्री, श्रम (श्री दिनेशराय डांगी):

(१) जी हां।

(२) यूनियन का दिनांक १७ नवम्बर, १९६५ को मांग-पत्र प्रादेशिक सहायक श्रम आयुक्त, कोटा को दिनांक १८ नवम्बर, १९६५ को प्राप्त हुआ। जिस पर उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई और अब विवाद को रेफर कर दिया है। दो मांगें ट्रिब्यूनल के सुपुर्द कर दी गई हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कुल कितनी मांगे थीं और कितनों में कम्प्रोमाइज हुआ और यह कब हुआ ?

श्री दिनेशराय डांगी : कुल १६ मांगें थीं उनमें से १३ ऐसी थीं जिनमें आपस में कम्प्रोमाइज हो कर ड्रॉप किया गया और एक मांग ऐसी है जिस पर टेक्निकल ओपीनियन मांगी गई है। दो मांगें ट्रिब्युनल को सुपुर्द करदी गई हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक मांग कौनसी है ?

श्री दिनेशराय डांगी : एक मांग में टेक्निकल ओपीनियन मांगी गई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

आडसर से भोमासर सड़क का निर्माण

६१५. श्री मोहरसिंह (चुरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) आडसर से भोमासर सड़क निर्माण कार्य कब शुरू किया गया और अब तक कितना कार्य किया गया है ? उस पर कितना रुपया व्यय हुआ है ?

(२) इस सड़क की लम्बाई क्या है और कुल अनुमानित व्यय कितना होगा ?

(३) इस सड़क का अधूरा कार्य कब पूरा किया जावेगा ?

(४) क्या इस सड़क के लिए ली गई भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं तो क्यों नहीं दिया गया ? अब कब तक सरकार इस भूमि का मुआवजा देगी और वह राशि कितनी होगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र):

(१) अकाल सहायता कार्य वर्ष १९६३-६४ तथा ६५-६६ में प्रारम्भ किया गया है। २ मीलों में ग्रेवल तथा बाकी ५ मीलों में मिट्टी का कार्य हुआ है। तथा १,४३,००० घनफुट सामान खानों पर एकत्रित किया गया है। इस कार्य पर १,३०,१०८) रु० व्यय हुआ है।

(२) इस सड़क की लम्बाई ७ मील है कुल १,७५,०००) रु० व्यय होने का अनुमान है।

(३) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(४) जी नहीं। राजस्व विभाग से अवार्ड प्राप्त होने पर मुआवजा दिया जावेगा। मुआवजा की धनराशि अवार्ड प्राप्त होने पर ही आंकी जा सकेगी।

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही है कि अवार्ड प्राप्त करने के लिये राजस्व विभाग को लिखा ही नहीं गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास सूचना के मुताबिक लिख दिया गया है।

श्री मोहरसिंह : कब लिखा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : १८-२-६६ को मीटिंग हुई थी उसमें तय किया गया था कि राजस्व विभाग को लिखा जाय।

श्री मोहरसिंह : अब तक लिखा नहीं गया है

श्री हरिश्चन्द्र : मैं लिखवा दूंगा जल्दी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ११६।

सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

६११६. **श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :** क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत आवों, पंचायत समिति सांगोद कोटा के भूतपूर्व सरपंच श्री बदरीलाल के विरुद्ध हजारों रुपयों के गबन के आरोप ऑडिट ने सन् ६२ में किये थे ?

(२) क्या यह सही है कि सन् ५९-६० में भी इसी व्यक्ति के विरुद्ध गबन की कार्यवाही हुई थी जो क्षमा मांगने पर समाप्त करा दी ?

(३) क्या यह सही है कि अभी तक उस व्यक्ति के विरुद्ध वसूली व पुलिस की कार्यवाही नहीं की गई ? अगर हां, तो क्यों ?

विकास मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(किसी अन्य प्रश्न का उत्तर पढ़ने लगे)

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह क्या बोल रहे है ? मेरे प्रश्न के नम्बर तो केवल (१), (२) और (३) ही हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई बात नहीं मैं (३) का जवाब दे देता हूं। मेरे पास ६ के उत्तर है, काट-पीट कर तीन ही नम्बर रख दिये होंगे। I am sorry, that was a different question. I am extremely sorry.

श्री अध्यक्ष : कई दफा तो चल जाता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस काम में ये एक्सपर्ट हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : शुक्रिया जनाब का।

(१) ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितताएं एवं रकम का दुरुपयोग करने के आक्षेप उठाये गये थे।

(२) जी हां, अनियमितताओं के आरोप थे।

(३) ऑडिट आक्षेपों पर पहले राजस्थान पंचायत अधिनियम, १९५३ की धारा १७ के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक है जिससे उक्त कार्यवाही की जा रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सवाल यह है कि यह ५९-६० में पहले सरपंच था और इसने गबन किया था, इसको आपके विभाग ने माफी मांगने पर छोड़ दिया। ६२ में ऑडिट हुआ ३ हजार का गबन का, डबल पेमेंट का, फर्जी बिल का आरोप है तो क्या कारण है कि सरकार उसके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही या फौजदारी कार्यवाही नहीं करती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक गबन का प्रश्न है उसके खिलाफ खाली अनियमितताएं ही साबित हुई थी। ६१ की बात आप फरमा रहे हैं, ११-२-६६ को कलेक्टर को आदेश दिये जा चुके हैं कि वह धारा १७ पंचायत एक्ट के तहत कार्यवाही करे। अनुशासनात्मक कार्यवाही करना आवश्यक समझें तो उसका प्रतिवेदन भेजें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि कई बार विभाग द्वारा सरपंच से वसूली के लिये लिखा जा चुका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वही तो मैं कह रहा हूं। धारा १७ पंचायत एक्ट के तहत ही कार्यवाही होगी। कार्यवाही के लिये कलेक्टर को लिखें तभी तो वसूली होगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि गबन के केसेज, एम्बेजलमेंट के नाम से जांच करने पर साबित हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ६१ में कई कार्यवाहियां इसके खिलाफ हुई हैं आप कौनसी का पूछ रहे हैं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : गबन १६८७) रु० के, फर्जी बिल बनाये, १३३०) रु० के। वसूली के लिये लिखा गया १२७६) रु०। क्लीयर कट कई बार एन्क्वायरी हुई है, पर वसूली नहीं हुई है। आप फरमा रहे हैं कि कलेक्टर को लिख चुके हैं उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक रिपोर्ट १५-२-६३ को आई थी कि चन्द रकमें कुओं के निर्माण के लिये और दूसरे कार्यों के लिये दी थीं। यह रिपोर्ट आई थी। धारा १७ (४) के तहत उसको नोटिस दिया गया, उसका उसने खण्डन किया, विस्तृत जांच के ऑर्डर १७-४-६३ को दिये, जांच की रिपोर्ट १०-१२-६३ को आई, जांच रिपोर्ट से गबन साबित नहीं हुआ, अनियमितताएं हिसाब की पाई गईं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वसूली के लिये कलेक्टर को कब लिखा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने ११-२-६६ को कलेक्टर को लिख दिया है

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कि धारा ६७ पंचायत एक्ट के तहत कार्यवाही करें और सरपंच के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की आवश्यकता हो तो प्रतिवेदन भेजें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने पहले कहा था कि आपके पास रिपोर्ट आई है, एम्बेजलमेंट नहीं है। पर वास्तव में दो-तीन हजार का एम्बेजलमेंट है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऑडिट पंचायत का हुआ। आवों की लोकल फंड ऑडिट द्वारा रिपोर्ट भेजी गई, उसके अन्दर ६७ की कार्यवाही के लिये लिखा गया। यह भी लिखा गया कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेना कलेक्टर आवश्यक समझें तो यहां प्रतिवेदन भेज दें। दूसरा पॉइन्ट यह है कि एम्बेजलमेन्ट केसेज की रिपोर्ट आई तो १७ (४) का नोटिस दिया गया, एन्क्वायरी ऑफिसर ने माना कि गबन नहीं था, हिसाब की अनियमितताएं थीं। ये दो मामले हैं जिनकी सूचना मेरे पास है, इनके अलावा और कोई तीसरा मामला हो तो मैं देख कर बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

इन्जीनियरों का क्षेत्राधिकार

६९८. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सामान्य तौर पर कितने परमानेन्ट कनेक्शन के आधार पर असिस्टेन्ट इन्जीनियर व जूनियर इन्जीनियर की किसी क्षेत्र में नियुक्ति की जानी चाहिये ?

(२) क्या घनी आबादी वाले व ग्रामीण क्षेत्र में इस आधार पर फर्क रखा जाता रहा है ? यदि हां, तो किस अनुपात में और क्यों ?

(३) रामगंजमण्डी तहसील में अब तक कस्बे व गांवों में मिला कर कुल कितने स्थाई कनेक्शन्स हैं और उनको चैक करने व व्यवस्थित रखने के लिये कितना स्टाफ कहां-कहां पर नियुक्त है ?

(४) झालावाड़ व भवानीमंडी व बारां क्षेत्र के असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स के तहत कितना कितना क्षेत्र दिया हुआ है और उनके अलग अलग क्षेत्र में कितने-कितने स्थाई व अस्थाई कनेक्शन्स लग चुके हैं व उनकी अलग अलग आय कितनी है ?

(५) क्या अगले विद्युत प्रोग्राम को देखते हुए बोर्ड रामगंजमण्डी में अलग से असिस्टेन्ट इन्जीनियर रखने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) किसी क्षेत्र में सहायक व कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति केवल स्थायी कनेक्शन के आधार पर ही न होकर कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे भौगोलिक स्थिति व प्रशासनिक सुविधा, विद्युतयुदा कस्बों और ग्रामों की संख्या आदि को दृष्टि में रख कर प्रत्येक केस में पूर्ण रूप में जांच करने के बाद ही सम्भव होती है।

आबादी की घनिष्टता के आधार पर ही कोई अनुपात निश्चित नहीं होता है। प्रत्येक

(श्री विद्युत् मंत्री)
परिस्थिति में भिन्न-भिन्न रूप से अनेक महत्वपूर्ण आधार से प्रभावित होता है। वैसे साधारणतया एक कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति कम से कम १०० से १०००, १५० से १३०० तक व ३०० से १५०० तक उपभोक्ता (कन्जूमर्स) क्रमशः २५, १०, ५ मील के क्षेत्र में हो तो की जाती है। जब कन्जूमरों की संख्या कनिष्ठ अभियन्ता के लिये (प्रेस्क्राइब्ड) निश्चित संख्या से ज्यादा हो तो कनिष्ठ अभियन्ता का दफ्तर सब-डिविजन में बदला जा सकता है। एक सब-डिविजन ५००० से ६००० कन्जूमर्स तक का काम देख सकता है।

(२) घनी आबादी व ग्रामीण क्षेत्र में भिन्नता होती है जैसी कि कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति में ऊपर बताया गया है।

(३) रामगंजमण्डी तहसील में कस्बे व ग्रामों को मिला कर १२५३ स्थायी कनेक्शन्स हैं जिनकी व्यवस्था हेतु सुकेत, सलावत, मोरक स्टेशन, मोरक ग्राम, चेचट, खेराबाद, शाखल खेड़ी, उढेवा और नियामन खेड़ी में ३५ आदमी आर० एस० ई० बी० के कार्य करते हैं। जिनका कार्य शिफ्ट प्रणाली अनुसार चलता है। इस क्षेत्र के लिये सहायक अभियन्ता झालावाड़ में हैं व कनिष्ठ अभियन्ता रामगंजमण्डी में है।

(४) झालावाड़ व भवानीमण्डी के सहायक अभियन्ताओं के अधिकार में जो क्षेत्र हैं उनकी सूची साथ में संलग्न है तथा विशेष विवरण निम्नलिखित है:—

झालावाड़

(१) क्षेत्र ५५ ग्राम (सूची संलग्न है)
(२) स्थायी कनेक्शन्स ३२६४
(३) आय-लगभग ३५,००० रु० प्रति माह

भवानीमण्डी

(१) क्षेत्र ४१ ग्राम (सूची संलग्न है)
(२) स्थायी कनेक्शन्स १५८०
(३) आय-लगभग ३८,००० रु० प्रति मास

बारां में सहायक अभियन्ता की नियुक्ति नहीं है।

(५) जी हां, इस बारे में प्रश्न विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रोड़वेज की बसों का संधारण

६३३. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या रोड़वेज की बसों का मेन्टीनेन्स मेन्युफेक्चरर्स के सर्विस मेन्युअल के माफिक ही किया जाता रहा है ? यदि नहीं, तो समय पर सर्विस नहीं की जा सकने के क्या कारण हैं और उन्हें मिटाने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

उत्तर

(१) जी हां, बसों का मेन्टीनेन्स मेन्युफेक्चरर्स की सर्विस मेनुअल के माफिक ही होता है।

पंचायत समितियों में ओवरसियर, जिला कोटा

६३४. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा जिले की कितनी पंचायत समितियों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के

(श्री जुझारसिंह)
ओवरसियर स्वीकृत हैं और उनमें से कितने स्थानों पर पोस्टिंग की जा चुकी है व कितने स्थान खाली हैं ?

(२) क्या यह सही है कि किन्हीं स्थानों पर सिंचाई विभाग के ओवरसियर के स्थान भी मन्जूर किये हुए हैं और वहां से सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओवरसियर विड्रा किये गये हैं ? यदि हां, तो किन २ स्थानों पर से ?

(३) क्या यह सही है कि पंचायत समिति छीपाबड़ोद के सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओवरसियर को जिसकी जगह विकास विभाग से समिति को स्वीकृत की हुई है, चीफ इन्जीनियर के आदेश से यह कह कर वापिस बुलाया जा रहा है कि वहां सिंचाई ओवरसियर की नियुक्ति की जावेगी जब कि समिति को इस विषय की कोई सूचना नहीं है ?

उत्तर

(१) कोटा जिले की पंचायत समितियों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओवरसियर अलग से स्वीकृत नहीं हैं फिर भी समय-समय पर ७ पंचायत समितियों में ओवर-सियर नियुक्त किये जा चुके हैं। रिक्त स्थानों के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(२) इस विभाग को जानकारी नहीं है। केवल छीपाबड़ोद पंचायत समिति के ओवरसियर को वापस बुलाया है।

(३) अधीक्षण अभियन्ता, कोटा को दिनांक २८-३-६६ को पुनः लिख दिया गया है कि यदि सिंचाई विभाग से कोई ओवर-सियर अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है तो छीपाबड़ोद के ओवरसियर का स्थाना-न्तरण आदेश आस्थगित रखा जावे।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चौमूं डिस्पेन्सरी में स्टाफ

१२७. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमूं): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चौमूं डिस्पेन्सरी में कितना स्टाफ स्वीकृत है और अभी वास्तव में कितना स्टाफ कार्य कर रहा है ?

(२) यदि स्टाफ कम है, तो उसकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(१) चौमूं डिस्पेन्सरी का स्वीकृत स्टाफ और जो स्टाफ कार्य कर रहा है वह निम्न प्रकार है:—

क्र० सं०	स्थान	स्थाई स्टाफ	मौजूदा स्टाफ
१.	डाक्टर	१	१
२.	कम्पाउण्डर ग्रेड २	१	१
३.	कम्पाउण्डर ग्रेड ३	१	१
४.	मिडवाइफ	१	१
५.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	४	४

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सड़कों का निर्माण

१२८. श्री मोहरसिंह (चूरू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No.36

(श्री मोहरसिंह)

(१) राजस्थान के प्रत्येक जिले में कितनी २ लम्बी सड़क कारपेटेड एवं मेटल्ड हैं ?

(२) राजस्थान के प्रत्येक जिले में उपरोक्त सड़कों के निर्माण के लिये अब तक कितना २ रुपया प्रति वर्ष खर्च किया गया है ?

उत्तर

(१) सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) डामर तथा मेटल्ड रोड के व्यय के अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जिलेवार सड़कों पर व्यय हुआ है उसकी सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उकाड़ी की घाटी-बंध माधोसागर सिकराय सड़क का निर्माण

१२६. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उकाड़ी की घाटी वाया बन्ध माधोसागर तहसील सिकराय का मुख्य रास्ता है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस मार्ग से माधोपुर जिला जयपुर जिले से जुड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सही है कि पार्लियामेंट क्षेत्र माधोपुर होने के नाते तहसील सिकराय को इससे जोड़ना जरूरी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) इस विभाग को बंध माधोसागर की जानकारी नहीं है अतः निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(२) जी हां। यह सड़क योजना में स्वीकृत नहीं है। अर्थाभाव के कारण।

(३) इस विभाग को चुनाव क्षेत्रों की जानकारी नहीं है अतः प्रश्न नहीं उठता।

सिकराय तहसील के गांवों को बिजली

१३०. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार दौसा-बांदीकुई लाइन से सिकराय तहसील के गांवों को बिजली देने का विचार रखती है ?

(२) अगर हां, तो कब तक और कौन-कौन से गांवों को और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(१२.१५ म.प.)

श्री हरिराम चौहान की रिहाई विषयक सूचना

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री हरिराम चौहान

(श्री अध्यक्ष)

जिन्हें डिफेन्स आफ इन्डिया रूल्स, १६६२ के रूल ३० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था, उन्हें ५ अप्रेल, सन् १६६६ को रिहा कर दिया गया।

. विधायी कार्य, राजस्थान करारोपण विधि (संशोधन) विधेयक, १६६६

विधायी कार्य

वित्त मंत्री के प्रति विशेषाधिकार प्रस्ताव विषयक अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन मैंने माननीय वित्त मंत्री के खिलाफ दे रखा है। माननीय सदस्य ने जिन शब्दों का प्रयोग करके मेरी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया उसके सम्बन्ध में अभी तक निर्णय नहीं दिया गया है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उस पर शीघ्र निर्णय लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जिस प्रस्ताव की सूचना दी है, उसके सम्बन्ध में जानकारी चाही जा रही है, विचार किया जा रहा है, शीघ्र ही निर्णय लिया जायगा।

राजस्थान करारोपण विधि (संशोधन) विधेयक, १६६६ (विचारार्थ इत्यादि लेने सम्बन्धी निर्धारित आपत्ति)

श्री परसराम मदेरणा (उप मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान करारोपण विधि (संशोधन) विधेयक, १६६६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : इस सम्बन्ध में क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे। यह टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल है इस पर प्रेसिडेन्ट ऑफ इन्डिया की प्रायर एसेंट ली है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : आवश्यकता नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, ये तीनों बिल साथ ही लिये जायेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : जी नहीं, एक एक लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा कि इसमें प्रेसिडेन्ट की असेन्ट लेना जरूरी नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान संविधान के अनुच्छेद ३०४ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं :

"Notwithstanding anything in article 301 or article 303 the Legislature of a State may by law—

(a) Impose on goods imported from other States or the Union territories any tax to which similar goods manufactured or produced in that State are subject, so however, as not to discriminate between goods so imported and goods so manufactured or produced; and

(b) Impose such reasonable restrictions on the

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

freedom of trade, commerce or intercourse with or within that State as may be required in the public interest:

Provided that no Bill or amendment for the purposes of clause (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a State without the previous sanction of the President.

Article 304 admits two exceptions in favour of the State Legislatures to the rule that trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free. Article 304 (a) enables the imposition of tax on goods from other States if similar goods in the State are subject to similar tax so as not to discriminate between the goods manufactured or produced in that State, and the goods which are imported from other States. In the Firm Mehtab case the sales tax imposed under the impugned Act on tanned hides or skins imported from outside was higher as compared to the tax on tanned hides or skins manufactured or produced in the State. The court invalidated the tax as it was discriminatory and therefore unconstitutional under clause (a) of this article.

Clause (b) enables a State Legislature to impose such "reasonable restrictions" on the freedom of trade, commerce and intercourse as may be required in the "public interest." But no Bill or amendment for the purpose of clause (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a State without the previous sanction of the President. Thus, there are three conditions which must be satisfied in passing an Act under Article 304 (b)"

यह बिल जो मूव किया है, इसकी प्रायर असेंट प्रेसिडेन्ट की नहीं ली है, इसलिये ऐसा बिल न सदन में इन्ट्रोड्यूस किया जा सकता है, न मूव किया जा सकता है, न इस पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि कमेंटरी में लिखा है, जिसमें ये तीन कंडीशन्स बतलाई गई हैं:—

"(i) the previous sanction of the President must be obtained;

(सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(ii) the legislation must be in the public interest; and

(iii) it must impose restrictions which are reasonable".

जहां तक पिछली दो कन्डीशन्स का सवाल है, इस सम्बन्ध में जब वादविवाद होगा, तो माननीय सदस्य अपने विचार रखें कि टैक्सेशन मेज़र पब्लिक इन्टरेस्ट में नहीं है और उसमें क्या रिज़नेबल रेस्ट्रिक्शन्स लगी हुई हैं। मेरी आपत्ति है पहली के बारे में :

"Previous sanction of the President must be obtained."

इस सम्बन्ध में जो कमेन्टरी दी है आर्टिकल ३०४ की, उसकी तरफ मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारे राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट के सम्बन्ध में इस बात का पता है कि पहले भी सदन में जब फाइनेंस एक्ट पास किया था तो हमने प्रेसिडेंट ऑफ इण्डिया की प्रीवियस असेंट नहीं ली, उसके कारण पैसेंजर्स टैक्स के सिलसिले में हाई कोर्ट में रिट हुआ और उसके आधार पर सारी धाराएं अनकॉन्स्टीट्यूशनल करार दी गईं, विधान सभा ने पैसेंजर्स फैयर्स टैक्स एक्ट पास किया था तो इसी धारा के अनुसार प्रेसीडेंट की बिना असेंट लिये हाई कोर्ट ने अल्ट्रा वायर्स करार दिया। राजस्थान सरकार ने ऑर्डिनेन्स निकाला, विधान सभा में वह कानून लाई, विधान सभा ने पारित किया और गल्ती रह गई। राजस्थान विधान सभा ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते, "डीम" करके नहीं चल सकते, प्रेसीडेंट का प्रायर असेंट लेना जरूरी था, सरकार सुनती नहीं, मंत्री सुनते नहीं, न समझते हैं। कोई आदमी अगर नहीं समझे तो समझ में आ सकता है लेकिन समझाने के बाद भी न समझे तो क्या किया जाय। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वित्त मन्त्री महोदय कानून को समझते नहीं, सारी बातों के लिये डिप्टी मिनिस्टर पर डिपेंड करते हैं और डिप्टी मिनिस्टर चाहे जिस तरह से उसको रोंग में रख सकता है। आखिर राजस्थान का कानून हाई कोर्ट में जाकर इन्वेलिडेट होता है तो रिफ्लेक्शन वित्त मन्त्री पर आता है, सारी जिम्मेदारी टैक्सेशन मिनिस्टर की है। वे कानून को समझते नहीं। वे समझते हैं कि हम कानून पास कर दें, इन्टरप्रिटेशन का काम हाई कोर्ट का है। विधान सभा जो कानून बनाती है, वह विधान सभा कानून की स्पष्ट धाराओं के होने के बावजूद संविधान जिसकी शपथ हम सब मिल कर लेते हैं, वह उन धाराओं का उल्लंघन करे तो हम अपनी ली हुई शपथ का उल्लंघन करते हैं और जान-बूझ कर संविधान का अपमान करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन्स सेल्स एक्ट डिसाइड करने में दिये हैं और सरकार को आदेश दिये हैं, सरकार उनका उल्लंघन करके राजस्थान के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करती है जिनमें लिखा है कि प्रेसीडेंट की असेंट लेनी चाहिये।

मैं इसके समर्थन में आपके सामने राजस्थान राजस्व बोर्ड का एक लेटेस्ट

(सतीशचन्द्र अग्रवाल)

डिसीज़न जो होने वाला था और उसके सामने इस प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। यह २७ मई, १६६५ को डिसाइड किया गया है। ऑब्जर्वेशन्स की हैं राजस्थान टेक्सेशन लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट, १६६५ पर, आज हम विचार कर रहे हैं टेक्सेशन लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट, १६६६। जब पिछली साल सदन में टेक्सेशन लॉज पास किया तो उस सम्बन्ध में भी राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड में एक आपत्ति प्रस्तुत की गई और उस सम्बन्ध में वहां के रेवेन्यू बोर्ड के माननीय सदस्य ने यह लिखा है :—

"It is not necessary for me in the present case to consider the validity of the Rajasthan Taxation Laws (Amendment) Act, 1965 on the ground that it violated the provisions of Article 304 B of the Constitution or that it failed to receive the assent of the President for the simple reason that these matters are not relevant for the disposal of the present revision application in which I am called upon to decide only one question whether the amended Section 14 of the Rajasthan Sales Tax Act could be given retrospective effect or not. I have already answered this previously that this amended Section 14 of the aforesaid Act cannot be given retrospective effects. It is, therefore, not necessary for me to consider the constitutional validity or otherwise of the Rajasthan Taxation Laws (Amendment) Act, 1955 for the simple reason that it is not relevant for the purpose of this case."

रेवेन्यू बोर्ड इस बात को महसूस कर रहा था कि यह कॉन्स्टीट्यूशनल डिफेक्ट इसमें रहा है, प्रीवियस असेंट प्रेसीडेंट की नहीं ली गई है जो लेनी चाहिये। अब वित्त मन्त्री महोदय शायद नहीं कहेंगे, लेकिन जो कुछ कानून की जानकारी निश्चित रूप से रखते हैं और सारे मन्त्रिमण्डल में अगर कानून को थोड़ा बहुत समझते हैं तो वह उप-मंत्री श्री परसराम ही है। इसलिये वे कानून के पॉइन्ट्स को एप्रीशिएट करेंगे। राजस्थान सरकार और मन्त्री महोदय की नजर में रेवेन्यू बोर्ड नीचे है, वे रेवेन्यू बोर्ड को ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहते, रेवेन्यू बोर्ड ऑब्जर्वेशन्स देता है तो समझते हैं कि साधरण आइ० ए० एस० ऑफिसर्स ने दी है। सरकार का ऐसा कॉन्टेम्पचुअस एटीट्यूड कन्डेमेबल है। इस प्रकार का एटीट्यूड सरकार को अपने ही रेवेन्यू बोर्ड के प्रति नहीं होना चाहिये।

मैं राजस्थान हाई कोर्ट का हवाला नहीं देना चाहता, मैं ऐसी कोर्ट का हवाला देना चाहता हूं जिसके ऊपर सिवाय भगवान के और कोई कोर्ट नहीं है, वह है हिन्दुस्तान

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की सुप्रीम कोर्ट (पेज ८०९) वित्त मन्त्रीजी आप कानून की चिन्ता क्यों करते हैं; वे बैठे हैं, कानून को जानते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : आपके कन्फ्यूजन करने के एटीट्यूड को एप्रीशिएट करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आजकल तो आप कन्फ्यूजन की स्टेज में चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह है पेज ८५९, Attibari Tea Co. Ltd. Vs The State of Assam and Others.

Article 304 (b) empowers the State Legislature to impose reasonable restrictions on the freedom of trade with other States or within its own territory. Again, the reference to the territory within the State supports the conclusion that Art. 301 covers the movement of trade both inter-State and intra-State Article 304 (b) is to be read with the non-obstante clause relating to Art. 301 as well as Art. 303, and in substance it gives power to the State Legislature somewhat similar to the power conferred on the Parliament by Art. 302. The reference to Art. 303 in the non-obstante clause has presumably been made as a matter of abundant caution since the Legislature of a State has been included in Art. 303 (1). There are, however obvious differences in the powers of the Parliament and State Legislatures. In regard to an Act which the State Legislature intends to pass under Art. 304 (b) no bill can be introduced without the previous sanction of the President, and this requirement has obviously been inserted in order that regional economic pressures which may inspire legislation under the said clause should be fully examined in the light of the interest of national economy : such legislation must also be in the public interest which feature is common with the provision contained in Art. 302 : such legislation must also satisfy the further test that the restrictions imposed by it are reasonable. That is another additional restriction imposed on the powers of the State Legislatures. Thus there are three conditions

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

which must be satisfied in passing an Act under Art. 3)1 (b)-the previous sanction of the President must be obtained, the legislation must be in the public interest, and it must impose restrictions which are reasonable.

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट का यह ओब्जेक्शन होने के बाद संविधान की धारा ३०४ (बी) के तहत कोई भी इस प्रकार का मेजर इस विधान सभा के द्वारा पास नहीं किया जा सकता जो इन तीनों टेक्सेज पर खरा न उतरे। दो टेस्टों पर जब सदन में इस पर वादविवाद होगा तब मैं यह कितना पब्लिक इन्ट्रेस्ट में है यह कहना चाहूंगा लेकिन पहला टेस्ट है कि प्रेसिडेन्ट को अमेन्ट होनी चाहिये। मैंने अभी, अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड के ओब्जर्वेशन और हिन्दुस्तान के उच्च न्यायालय के ओब्जर्वेशन इस बात के पढ़ कर सुनाये कि प्रेसिडेन्ट की प्रीवियस सेन्क्शन लेना जरूरी है जो कानून विधान सभा संविधान की धारा ३०४ (बी) के अन्तर्गत बनाना चाहती है। पहले वह मैंने १६६१ का केस लिया और लेटेस्ट केस रखना चाहता हूं दी राजस्थान ओटोमोबाइल्स वर्सेज दी राजस्थान स्टेट गवर्नमेन्ट। वह आसाम का केस था और आप कह सकते हैं कि वह तो आसाम का केस है राजस्थान का केस चाहिये। यह राजस्थान का केस है। पेज ४६१। यह मोटर व्हिकल्स टेक्सेशन एक्ट के सम्बन्ध में था और उसमें माननीय न्यायाधीशों ने जो कहा है वह थोड़ासा रिलेवेन्ट पढ़कर सुनाता हूं :

'Now clause (b) of Art. 304 provides that notwithstanding anything in Art. 3)1 or Art. 303, the Legislature of a State may by law impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within the State as may be required in the public interest. The proviso to cl. (b) says that no bill or amendment for the purpose of cl. (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a State without the previous sanction of the President. This provision appears to be the State analogue to the Union Parliament's authority defined by Art. 302 inspite of the omission of the word 'reasonable' before the word 'restrictions' in the later article. Leaving aside the pre-requisite of previous Presidential sanction for the validity of State Legislation under cl. (b) provided in the proviso thereto, there are two important differences

Page No.43

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

between Art. 302 and Art. 304 (b) which require special mention.'

उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन इसमें भी उन्होंने यह कहा है कि प्रीवियस सेन्क्शन ऑफ दी प्रेसिडेन्ट आवश्यक है और आगे उन्होंने पेज ५६१ पर कहा है :

"Article 304 (b) enables the State Legislature to impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or without that State as may be required in the public interest. But no Bill or amendment for the purpose of cl. (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a State without the previous sanction of the President.

अब इससे ज्यादा और कोई डाइरेक्ट ऑथोरिटी सुप्रीम कोर्ट के अलावा आप चाहते हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैंने ये दो केसेज आपके सामने अभी रखे हैं। इतना ही नहीं, शायद वे यह कहेंगे कि ६३ का केस है इसलिये ६३ के केस के बाद और भी कोई केस चाहिये। मैंने आसाम के सम्बन्ध में एक केस रखा, दूसरा राजस्थान का ही मोटर व्हिकल्स टैक्सेशन एक्ट के सिलसिले में उच्च न्यायालय का केस रखा। अब यह मध्य प्रदेश का केस है। पहले वाला ६१ का, दूसरा ६३ का और अब ६४ का केस रखना चाहता हूं जिसमें ऑनरेबल P. B. Gazendra Gadkar, K. N. Wancboo, K. C. Das Gupta, J. C. Shah and N. Rajagopala Ayyangar, J.J.; इन सारे जजेज ने मिल कर सारे पिछले डिसिजन्स को एप्रूव किया और उसके बाद जो ३०४ (बी) धारा संविधान की है उसके अन्तर्गत ऐसे केसेज में प्रीवियस असेन्ट ऑफ दी प्रेसिडेन्ट जरूरी रखा है। सारे डाइरेक्शन इस लेटेस्ट ऑथोरिटी में एप्रूव किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट की ऑथोरिटी को पढ़ रहा था तो माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि मेरे दिमाग का कन्फ्यूजन है। यह कन्फ्यूजन उनको है, मंत्री महोदय के दिमाग का कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन आप में है। आपको प्रीवियस असेन्ट प्रेसिडेन्ट की लेनी चाहिये, आप इन खामियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और यह कन्फ्यूजन की बात है तो मैं उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९६२ व ६३ में फाइनेन्सिग बिल पेश किया गया था तो उस समय भी विचार रखे गये थे। आप कह सकते हैं कि मैं उस समय वित्त मंत्री नहीं था और हरिभाऊजी वित्त मंत्री थे। मेरा उससे लेना-देना नहीं था। आप वित्त मंत्री थे या हरिभाऊजी वित्त मंत्री थे मैं इसमें नहीं पड़ता लेकिन यह बात तो सही है कि कांग्रेस की सरकार थी। उस समय इस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल बातें रखी गयी थी, आज आप कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन क्रीयेट कर रहे हैं, आपने ध्यान

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं दिया। आप इस सम्बन्ध में अपना दिमाग नहीं लगाते, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं लगाते और इसके कारण इसका नतीजा यह हुआ है कि विधान सभा ने कानून पारित किया और वह हाई कोर्ट में चैलेन्ज हुआ और उसने उस कानून को रद्द कर दिया यह कह कर कि बिना प्रेसिडेन्ट की असेन्ट यह कानून पास किया गया है यह गलत किया गया है और विधान सभा को अधिकार नहीं था। उसके बाद राजस्थान वेलिडेटिंग कानून लाये, उस पर फिर आपत्ति की, सरकार ने नहीं सुनी और फिर विधान सभा से वह कानून पास कराया. फिर वह कानून हाई कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में गया और उच्च न्यायालयों ने यह कहा कि राजस्थान सरकार ने यह गलत किया है। राजस्थान सरकार पर फिर चांटा पड़ा कि राजस्थान सरकार ने अनकोन्स्टिट्यूशनल कार्यवाही की और यह सरकार फिर इस प्रकार की अनकोन्स्टिट्यूशनल कार्यवाही में इस सदन को भागीदार बनाना चाहती है, यह सदन उसका भागीदार नहीं बनना चाहता। सदन के एक जागरूक सदस्य होने के नाते जो सुप्रीम कोर्ट के आब्जर्वेशन्स हैं संविधान की जो धारा ३०४ (बी) है, माननीय मंत्री कहें कि चाहे जैसे कानून पास करवा सकते हैं, चाहे वह गलत हो या सही हो, यह उनके मुंह को शोभा दे सकता है, कानून गलत हो कानूनसंगत वह हो या न हो लेकिन विधान सभा उसको पास कर सकती है। मैं विधान सभा की कॉम्पीटेन्सी को चैलेन्ज नहीं करना चाहता लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा के सामने एक तथ्य आ जाय कि सदन में अनकोन्स्टिट्यूशनली कानून पास कराया जा रहा है, यह बात नोटिस में आजाय कि प्रेसिडेन्ट से पहले कन्सेन्ट ली जानी चाहिये, मैं राजस्थान की इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने प्रेसिडेन्ट की प्रीवियस सेन्क्शन क्यों नहीं ली ?

संविधान की धारा २९५ और दूसरे प्रोविजन्स हैं उनका आधार क्यों रखना चाहते हैं कि डिफेक्ट को क्योर करवा लेंगे ? आप कानून विधान सभा से बनवा लीजिये, हाई कोर्ट उसको अल्ट्रावायर्स करार दे देगी और आप आॅर्डिनेन्स ले आवेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि उस प्रकार की स्थिति पैदा की जाय या नहीं ? कोई आदमी अनजाने में कोई बात गलत कर देता है तो वह समझ में आ सकती है। लेकिन यदि जानबूझ कर गलती करे तो वह समझ में नहीं आ सकती और उसको माफ नहीं किया जा सकता। अनजाने में किसी के ठोकर लग जाय लेकिन जानकारी में किसी को कोई ठोकर मारे तो आपको ठोकर मारेगा। आॅर्डिनेन्स लाये, कानून पास किया जा सकता है लेकिन राजस्थान सरकार का ठोक-ठोक कर बजा-बजा कर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मैंने ध्यान दिलाया। राजस्थान सरकार को ठीक करने का एक ही रास्ता है। यह सरकार अपनी ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर हाथ उठवा देगी और इसको पास करवा देगी। आर्टिकल २९५ के अन्तर्गत यह प्रेसिडेन्ट को एप्रोच भी कर लेगी। सरकार के पास कोई लोजिकल आर्गूमेन्ट नहीं है। सरकार के पास यदि कोई लोजिकल आर्गूमेन्ट है तो सदन को सेटिस्फाई करे कि इसमें प्रेसिडेन्ट की कोई पहले असेन्ट लेने आकी वश्यकता नहीं है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लेकिन सरकार यह मान कर चलती है कि प्रीवियस असेन्ट की जरूरत हो सकती है और हमने नहीं ली है तो बाद में ले लेंगे, हाउस में इसके पास हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन्स हो जाने के बाद उनकी इस प्रकार से अवहेलना करना कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा । सुप्रीम कोर्ट ज्युडीशियरी की हाईयेस्ट बॉडी है उसके ओब्जर्वेशन्स को न मानना उसके प्रति अपमान है । उसने जो डाइरेक्शन दिये हैं, ओब्जर्वेशन्स दिये हैं उनको इगनोर करके कानून पास कराने की कोशिश करती है तो राजस्थान सरकार और वित्त मन्त्री कोन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जो ओब्जर्वेशन्स दिये हैं उनको न मानने से कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भागीदार होंगे, कोन्स्टिट्यूशन को न मानने के दोषी होंगे । यदि राजस्थान की सरकार यह माने की प्रीवियस असेन्ट प्रेसिडेन्ट की आवश्यक है और लेना जरूरी है और नहीं ली है तो इस कानून को विधान सभा में प्रस्तुत होने से पहले दिल्ली जाय और प्रेसिडेन्ट की असेन्ट ले कर आये और फिर इसको पारित कराये ।

कानूनों का कितना असर हो रहा है, इस सम्बन्ध में इस समय कुछ नहीं कहना चाहता, जब इसको रखेंगे तब कहूंगा । लेकिन आज यह हालत है कि सेल्स टैक्स का कानून है वह जनता को हेरास करने का कानून है । आपके अधिकारी दुकानों में घुस जाते हैं, दुकानों पर ताले लगा देते हैं, घरों में घुस जाते हैं और किताबें उठा लाते हैं । ऐसी हालत में ये जो सारे कानूनी मुद्दे आपके सामने रखें हैं उन पर विचार करें और इस तरह से जन भावना के साथ खिलवाड़ न करें । राजस्थान सरकार को यह अधिकार नहीं था कि वह पांच परसेन्ट टैक्स ले सके । आपने इसके लिये नोटिफिकेशन निकाल दिया जब कि आपको कानून के अन्तर्गत अधिकार नहीं था आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया । हाईकोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड में चेलेंज हुआ आपने उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया कानून के खिलाफ यह सब किया । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपका कोमर्सियल टैक्सेशन डिपार्टमेंट, राजस्थान का फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर इस काबिल नहीं । आज उनका एक मात्र उद्देश्य यह रह गया कि लोगों को हेरेस करें, जबरदस्ती लोगों के घरों और दुकानों में घुस जायं, लोगों को अकाउन्ट्स की किताबें उठा लायें ।

रेवेन्यू बोर्ड और हाई कोर्ट के डाइरेक्शन के बाद भी उनको न लौटाये जायं, लाखों रुपये खा जायं, बिना कानून बनाये ही लोगों से टैक्स वसूल करें । आपके सामने मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले रखे, आपसे मैं यह आशा करता हूं कि आप इस बारे में समझ कर इस बारे में निर्णय लेंगे । यह नहीं होना चाहिये । पहले भी हमारे यहां के कानून सुप्रीम कोर्ट में जाकर नल एण्ड वोइड हुए हैं उससे एक प्रकार का इम्प्रेशन उन लोगों पर पड़ा है कि राजस्थान विधान सभा में कोई कानून को समझने वाला नहीं, कॉन्स्टीट्यूशन को समझता नहीं । प्रतिज्ञा ले ली हूंगी । लेकिन कानून और संविधान की धाराओं को समझते नहीं । हिन्दुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान विधान सभा के सदस्यों द्वारा पारित कानून का जो हाल हुआ उससे मैं यह समझता हूं कि हमारा अपमान हुआ । उस अपमान को अब मिटाना है । अब हमें यह इम्प्रेशन देना होगा कि राजस्थान विधान सभा में कानूनी और संविधानिक धाराओं को समझते हैं उस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पर विचार करते हैं और उसके बाद कानून को पास करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ राजस्थान करारोपण विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ को विचारार्थ लिये जाने का जो प्रस्ताव आया है उसको अनुमति प्रदान नहीं की जावे; यही मेरा निवेदन है।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कॉन्स्टीट्यूशन के पार्ट २ की धारा ३०१ से ३०७ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जब कि मंत्री महोदय बैठे हुए हैं उनको बोलना चाहिये ताकि उनकी काबलियत का पता लगे कि वे कितने काबिल हैं; या वैसे ही हैं जैसा मैंने "अँगूठा छाप" कहा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह कन्वेन्शन नहीं होना चाहिये कि मिनिस्टर के हाउस में होते हुए डिप्टी मिनिस्टर बोले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें लोगों का यह इम्प्रेशन बनता है कि डिप्टी मिनिस्टर ज्यादा योग्य हैं मिनिस्टर से। है तो यह सही, लेकिन इस प्रकार का इम्प्रेशन न हो कि मिनिस्टर महोदय जवाब ही नहीं दे सकते।

श्री परसराम मदेरणा : आप इसमें कॉम्पीटेन्सी का तुलनात्मक विवेचन मत कीजिये....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम तो यह मानते हैं कि वे जवाब नहीं दे सकते।

एक माननीय सदस्य : दे सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर वे जवाब देंगे तो मैं अपने प्रस्ताव को विथड्रा कर लूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अगर हाउस के बिजनेस में डिप्टी मिनिस्टर पार्टीसीपेट नहीं करते हैं तो उसकी भी आलोचना। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य खामख्वाह धुआं बना रहे हैं। डिप्टी मिनिस्टर के लिये यह भी कहा जाता है, उनके पास काम नहीं है, फालतू बैठे रहते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके लिये कभी नहीं कहा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिये कि यू० पी० विधान सभा में मि० पाण्डे जो पार्लियामेन्टरी सचिव हैं, वे एक महत्वपूर्ण बिल को पाइलट कर रहे हैं, वैसी हालत में अगर मिनिस्टर के स्थान पर डिप्टी मिनिस्टर भी जवाब देता है तो वह ट्रेजरी बेन्चेज का ही जवाब है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का सवाल है जिस समय मंत्री महोदय उपस्थित हों उस समय क्या डिप्टी मिनिस्टर को जवाब देना चाहिये? अगर मिनिस्टर की उपस्थिति में डिप्टी मिनिस्टर जवाब देते हैं तो कुछ ऐसा लगता है मास्टर बैठा हो और क्लास के लड़के से कहा जाय कि तुम मास्टर का काम करो। मास्टर जबरदस्ती उस लड़के को कहे कि तुम्हें यह

(श्री भैरोंसिंह)
पढ़ कर सुनाना पड़ेगा। होना तो यह चाहिये, मास्टर को बताना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय चाहते हैं कि उप-मंत्री महोदय का हौंसला बढ़े।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनका हौंसला तो बढ़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : उप-मंत्री महोदय कहीं रुक गये तो वे अवश्य मदद पर पहुंचेंगे।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : अध्यक्ष महोदय, जो बहस हो रही है, क्या वह राजस्थान सेल्स टैक्स बिल में जो दो क्लाजेज हैं उन्हीं पर है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यहां जो मुद्दे उठाये उसका मकसद यह है कि इस टैक्सेशन लॉज (अमेन्डमेन्ट) बिल के जरिये जो राजस्थान सरकार टैक्स इम्पोज करने जा रही है वह टैक्स आर्टिकल ३०१ का अोफेन्ड करना है। ३०४ के बी. में जो प्रोवीजो है उसके अनुसार इसके लिये प्रेसीडेन्ट की प्रायर सेंक्शन की आवश्यकता है। उसके सम्बन्ध में उन्होंने कई केसेज का रेफरेन्स दिया। आसाम के केस का, ऑटोमोबाइल और अत्याबारी केस सुप्रीम कोर्ट, १९६३ इन तीन केसेज का हवाला दिया।

अध्यक्ष महोदय, इन सब आर्टिकल्स के सम्बन्ध में फ्रीडम ऑफ ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करता है क्या। इस बारे में मैंने एक साल पहले काफी विस्तृत रूप से विश्लेषण किया था और इन केसेज के रिलेवेन्ट पैराग्राफ्स भी मैंने उस समय पढ़ कर सुनाये थे। उस समय गुड्स पेसेन्जर (अमेन्डमेन्ट) बिल जो सदन में विचारार्थ था उस सम्बन्धी केसेज थे।

आज जिस बिल को राज्य सरकार सदन में ला रही है वह एन्ट्री ५४, लिस्ट २ से सम्बन्धित है। और जो केसेज आपने रेफर किये हैं वे एन्ट्री ५६ (२) से सम्बन्धित हैं। एन्ट्री ५४ (२) इस प्रकार है:—

"Taxes on the sale or purchase of goods other than newspapers, subject to the provisions of entry 92A of List 1."

माननीय सदस्य जो रेफर कर रहे थे वह एन्ट्री ५६ (२) है। उन्होंने एक केस बताया जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड हो चुका है जिसमें मुद्दा यह था फ्रीडम ट्रेड कॉमर्स का किसी प्रकार रेस्ट्रिक्शन हो उस पर प्रेसीडेन्ट के प्रायर सेंक्शन की आवश्यकता है। जिन केसेज का हवाला दिया है वे अत्यबारी केस और ऑटोमोबाइल केस के उपरान्त केस में डिस्कस हो चुका है। ऑटोमोबाइल केस आन्ध्र प्रदेश के केस में डिस्कस हो चुका है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है Shri Durga and Baba Oil Mills and others Versus The State of Andhra Pradesh and others.

इसमें ५४ एन्ट्रीज डिस्प्यूटेबल थीं। उन्होंने अत्याबारी और ऑटोमोबाइल इन दोनों केसेज को डिस्कस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो होल्ड किया है. वह रिलेवेन्ट पोर्शन पढ़ कर सुनाता हूं :

(श्री परसराम मदेरणा)

"The Andhra Pradesh General Sales Act (Second Amendment) (Act No. 2 of 1959) cannot be regarded as a colourable legislation. It is merely to increase the rate of tax payable on certain commodities at the point of first purchase. It does not relate to inter-state trade or commerce and is directly within the competence of the State Legislature."

माननीय सदस्य जिस एन्ट्री का जिक्र कर रहे थे वह डाइरेक्टली स्टेट ट्रेड कॉमर्स से सम्बन्धित था। उन केसेज से जो रिलेवेन्ट आॅब्जर्वेशन्स थे, उसके बारे में आंध्र का फैसला है जिसको चीफ जस्टिस रेड्डी ने हेल्ड किया है। आंध्र प्रदेश का जनरल सेल्स टैक्स फ्रीडम ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, इसलिये लेजिस्लेचर कॉम्पीटेन्ट है। उसमें प्रेसीडेन्ट की प्रायर सेंक्शन की आवश्यकता नहीं है।

हमने जब कभी सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल आदि प्रस्तुत किये हैं, उनमें हमने कभी प्रेजीडेन्ट की प्रायर सेंक्शन नहीं ली है।

गुड्स और पेसेन्जर टैक्स के अन्दर जो ओरीजिनल बिल सदन में आया था तो अनुमति ली थी। सब्सीक्वेन्ट पर नहीं ली। इसलिये लीगल पॉइन्ट खड़ा हो गया था इसलिये सेंक्शन ली। इसमें डाइरेक्टली रेस्ट्रिक्शन आफ फ्री ट्रेड का सवाल नहीं आता। इस बारे में बसु और चक्रवर्ती की कमेन्ट्स हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जहां तक सेल आॅफ गुड्स पर टैक्स है वहां किसी तरह से फ्रीडम आफ ट्रेड पर असर नहीं होता। इसलिये प्रेसीडेन्ट की प्रायर सेंक्शन न उसमें आवश्यक थी, न इसमें आवश्यक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मैंने आॅथोरिटीज बताईं कि रोड टैक्स का सवाल नहीं खड़ा होता। यहां पर तो तम्बाखू पर टैक्स था। आपने भी घी पर टैक्स लगा दिया। तो इसके कारण से भी ट्रेड की फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शन है। तो इसके लिये आपको तीन शर्तें सेटिसफाई करनी होंगी।

रोड टैक्स का मामला नहीं है। मैंने केस साइट किये, वे आइटम हैं जो सेल्स टैक्स एक्ट में आते हैं। तो अमेंडिंग टैक्सेशन के द्वारा तो ५४-५६ का झगड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ३०४ (बी) के तहत में केस बनाया जावे तो सेंक्शन ले। आपका यह ३०४ (बी) के तहत आता है। इससे कवर अगर नहीं होता है तो बात दूसरी है। पर अगर होता है तो फिर मैंने कहा वह ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट का जजमेंट साइट किया। उसमें सेल्स टैक्स डिस्प्यूट में था। तो उसमें भी सभी केस डिस्कस हुवे थे। आॅटोमोबाइल का और अत्याबारी का।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुप्रीम कोर्ट में ?

श्री परसराम मदेरणा : सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आंध्र हाई कोर्ट में।

Page No.49

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या हाई कोर्ट ?

कमाल की बात करते हैं आप। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑथोरिटी की बात करता हूं और आप कहते हैं कि हाई कोर्ट में डील हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में डिस्कस हुआ था ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, एक अच्छे एडवोकेट होकर ऐसी बात कह रहे हैं। वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात कह कर ऐसा उदाहरण दे रहे हैं जैसे लीडर और चीफ व्हिप में कौन बड़ा है। ऐसा कह कर कानून की डेलीकेसी के मामले को सेट असाइड मत करिये।

प्रश्न यह था आंध्र के केस में जिसका मैंने अनुमान दिया। इसमें सेल्स टैक्स डाइरेक्टली इन्वोल्व्ड था। इसको चैलेन्ज किया था कि टैक्स इम्पोज किया गया है वह ट्रेड और कॉमर्स के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है। इस केस में अत्याबारी और ओटोमोबाइल केस में डिस्टिंग्विश किया है कि उनमें जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने हैल्ड किया है वह सेल्स टैक्स पर लागू नहीं है। यह भी हैल्ड किया है कि जहां पर जो डाइरेक्टली और इमीजियेटली इफेक्ट करती है तो वह ३०४ (बी) में होता है। सैल्स टैक्स के सम्बन्ध में सिस्टर स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह डिसीजन ले लिया हो कि ओटोमोबाइल और अत्याबारी ३०४ (बी) अटेक नहीं होता है तो इस स्टेट में भी ३०४ (बी) का प्रोविजो अटेक नहीं होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कब का डिसीजन है आंध्र का ?

श्री परसराम मदेरणा : यह बता दूंगा। अत्याबारी केस और ओटोमोबाइल केस।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साइटेशन और पेज नम्बर क्या है ? ताकि सदन को मालूम तो पड़े।

श्री परसराम मदेरणा : अगस्त, १९६३। साइटेशन Durga Das and Baba Oil Mills V/s Andhra Pradesh Government and others.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सेल्स टेक्स के सम्बन्ध में लागू नहीं होता ३०४ (बी)। आपने अगस्त, ६३ का साइट किया है आंध्र का और मैंने साइट किया है ६४ का केस सुप्रीम कोर्ट का। सन् ६४ का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लॉ है कन्ट्री का। कॉन्स्टीट्यूशन में लिखा है :

"Decisions given by the Supreme Court shall be the law of the land."

हाई कोर्ट का कहीं नहीं लिखा है। लॉ आफ दी लैंड क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वह है। इसमें भी तम्बाखू पर सेल्स टैक्स का आइटम था। मध्य प्रदेश में सेल्स टैक्स लगा। इसके सम्बन्ध में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है :

"There can be no doubt therefore that even though it is the sale in Madhya Bharat of the imported goods that creates the

Page No.50

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

liability to tax and not the import by itself the trade and commerce as between Madhya Bharat and other parts of India as directly impeded by this tax. On the authority of this Court's decision in Atiabari Tea Co. Ltd. V/s State of Assam.'

जो मैंने रेफर किया। जिस पर वे डिसीजन पेश करते हैं। उसका हवाला करते हुए :

"It must therefore, be held that the tax contravenes the provisions of Article 30 of the Constitution. It may be mentioned that the later decision of this Court in Automobile Transport (Rajasthan) Ltd. V/s Sate of Rajasthan which slightly modified the majority decision in Atiabari Tea Co.'s case does not alter this position."

जब सुप्रीम कोर्ट ६४ में यह कह रहा है कि यह सारा सेल्स टैक्स के सिलसिले में भी इन्फ्रिन्जमेन्ट होता है तो आपने जो सेल्स टैक्स लगाया इसमें क्यों नहीं होता ?

श्री परसराम मदेरणा : यह डिस्टिंग्विशेबल है। रिलेवेन्ट एन्ट्री अत्याबारी केस में डिस्कस हुई है। दो-चार लाइनें मैं पढ़ रहा हूं, डिस्टिंग्विशेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्टेड गुड्स पर। इसलिये जिस केस का हवाला आप देते हैं उससे हमारे पर असर नहीं पड़ता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब कोई जवाब नहीं, लोजिक नहीं, तर्क नहीं तो यह जवाब दे दिया डिस्टिंग्विशेबल है। आप डिस्टिंग्विशेबल किस आधार पर कहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : इस केस को मैंने लॉ डिपार्टमेन्ट के साथ डिस्कस किया था और करीब, कह सकता हूं, दो-ढ़ाई महीने पहिले डिस्कस किया था और इसलिये कहता हूं कि इसका असर हमारे पर नहीं पड़ता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, ने राजस्थान करारोपण विधेयक, ६६ पर यह कहा है कि यह विचारार्थ नहीं लिया जावे। इसमें यह प्रावधान है कि हमारे संविधान की धारा ३०४ (बी) के अनुसार राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता है जो इसमें नहीं ली गई है।

हमारे संविधान का भाग १३ जो है, जिसके अन्तर्गत यह बहस हो रही है, उसका मतलब यह है कि सारे देश में जो भी अपने देश का राज्य क्षेत्र है उसमें व्यापार की स्वतन्त्रता हो और एक राज्य से दूसरे राज्य में जो सामान और विक्रय हो उस पर रुकावट न हो और हरएक राज्य अपने-अपने तरीके से इस तरह के कानून और कर न लगावें जिससे सारे देश के व्यापार पर धक्का लगे इस बात को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान बनाया गया है।

Page No.51

(श्री अध्यक्ष)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का कहना है कि इसके लगने से जो एक व दूसरे राज्य के बीच में व्यापार है उस पर इसका असर पड़ता है और इस बात को ध्यान में रख कर उन्होंने कई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का उल्लेख किया।

तम्बाखू के बारे में और चमड़े के बारे में मिसालें दीं। उन सब में इस प्रकार की स्थिति सम्भवतः थी कि जो राज्य में सामान खरीदता था उसमें टैक्स कम था और बाहर से आता है उस पर ज्याद था। इस बात को इनडिस्क्रिमिनेटरी माना जाय या जिस तरह की व्यवस्था थी एक इन्टर-स्टेट के व्यापार के अन्तर्गत चमड़ा-तम्बाखू की स्थिति यह थी कि वह बाहर से आता था सामान, उसमें ज्यादा था, उस राज्य में सामान बना है उसके मुकाबले में। अगर यह है तो ३०४ (बी) भाग १३ जो है उस पर ध्यान अवश्य ही दिलाना पड़ता है। हमारे यहां जो व्यवस्था है और इस विधेयक पर विचार है उसमें केवल कुछ सेल्स टैक्स के बारे में उल्लेख है और उसमें कोई इस तरह का उल्लेख नहीं है या जो प्रावधान हैं उससे हम इस तरह का अर्थ भी नहीं निकाल सकते कि राज्यों के बीच में जो आदान-प्रदान है उसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ३०४ (बी) के अन्तर्गत यह मामला नहीं आता है। अगर आता तो अवश्य ही आवश्यक था कि जो भी इसमें व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की मन्जूरी ली जानी चाहिए उसके बगैर पेश नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं कि जो आपत्ति उठाई गई है वह इस विधेयक पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होती और उसके पश्चात् भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि बाद में राष्ट्रपति की अनुमति ली जा सकती है। इसलिए उन सारी बातों में नहीं जाकर इस समय जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है उसे मैं अस्वीकार करता हूं और विधेयक पर आगे विचार-विमर्श हो इस प्रकार की व्यवस्था देता हूं।

विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

संशोधन—श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

(१.२ म. प.)

राजस्थान करारोपण विधि (संशोधन) विधेयक, १६६६

(विचार-विमर्श एवं पारित)

[प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए:

(१) श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली)
(२) श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द)
(३) श्री चौसरसिंह बाबेल (बेगूं)

"राजस्थान करारोपण विधि (संशोधन) विधेयक, १६६६ को तीन माह/एक माह/तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।"

(१) श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल)
(२) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद)
(३) श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)

"राजस्थान करारोपण विधि (संशोधन) विधेयक, १९९९ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में/अगले सत्र के प्रथम सप्ताह मे/एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद मे प्रस्तुत करदी जावेगी) ।"]

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये।

आज देश में और खास तौर से हमारे प्रान्त में टैक्सेशन की जिस प्रकार की नीति है उस पर यदि दृष्टिपात करें तो लगेगा कि हमारी नीतियां बिल्कुल राज्य की प्रगति के विरुद्ध जा रही हैं। हम बजट बनाते हैं, बजट बनाते समय यह आंक लगाते हैं कि हमको बजट से इतनी आमदनी होगी और इतना खर्चा होगा। लेकिन होता क्या है कि जितना खर्च हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक खर्च हो जाता है, जितनी आमदनी सोचते हैं उससे कहीं अधिक आमदनी हो जाती है और फिर भी बजट में घाटा रहता है और इस घाटे को मीट-आउट करने के लिए हमें भी बारबार जब सदन नहीं चल रहा होता है तो बीच में टैक्सेज लगाने होते हैं। जब कि प्रपोर्शनेटली खर्चा बढ़ता जाता है तो उसको मीट करने के लिए हमें साल के बीच में भी टैक्सेज लगाने पड़ते हैं याने कहने का अर्थ यह है कि हमें बजट के देखने से यह पता नहीं लगता कि हमें कितनी आमदनी चाहिए और कितना खर्चा हमें करना है और उसके लिए हमारे पास क्या-क्या साधन हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे आज के हालात भी वही हैं जैसे पुराने जमाने में थे। राज्यों में खजाना होता था और वह खर्च हो जाता था तो राजा हुक्म देता था कि रुपया वसूल कर लाओ और खजाना भरो। उसी तरह से आज की सरकार भी पैसा खर्च हो जाने के बाद टैक्स लगा देती है और अपना खजाना भर लेती है। उसी समय की सी हालत आज है। टैक्सेज लगाने के लिए कोई न कोई वैज्ञानिक आधार होने चाहिए, ताकि स्पष्ट रूप से मालूम हो सके कि उससे कितना टैक्स आयेगा, किस चीज पर टैक्स लगाने से कितनी आमदनी होगी और उससे कहीं हमारी आर्थिक प्रगति में बाधा तो नहीं पड़ेगी, उसका हमारे उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा, कृषि पर क्या असर पड़ेगा, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा, हमारे जीवन-स्तर पर क्या असर पड़ेगा, हमारे कोस्ट ऑफ लिविंग पर क्या असर पड़ेगा ? लेकिन आज इसका कतई ध्यान नही रखा जाता है। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के पास कोई स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं हैं कि किस प्रकार के टैक्स लगाने से हमारे प्रान्त में कितनी आमदनी होगी और कितना घाटा होगा।

आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अध्यक्ष महोदय, कि जब राजस्थान सरकार ने शराब पर टैक्स लगाया तो कहा था कि शराब पर टैक्स लगाने से १४ लाख रुपये की आमदनी होगी। लेकिन जब राजस्थान सरकार ने शराब पर टैक्स लगाया तो उसकी बिक्री कम हो गई और जो बाहर एक्सपोर्ट होती थी वह कम हो गई और उसमें १२ लाख का घाटा हो गया। तो जहां हमारी सरकार शराब पर टैक्स लगा कर १४ लाख रुपये की आमदनी लेकर चलती थी वहां उस पर

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

१२ लाख का घाटा हुआ। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, अभी टैक्स लगाया और १८ पर्सेन्ट टैक्स अफीम पर लगाया। जब राज्य सरकार ने देखा कि बिक्री पर टैक्स नहीं आया तो उसकी खरीद पर टैक्स लगाया। अध्यक्ष महोदय, यह अफीम भारत सरकार खरीदती है और किसानों से डाइरेक्ट खरीदती है, उसमें सेल्स टैक्स के आने का सवाल नहीं। सिर्फ यही है कि भारत सरकार से टैक्स वसूल करना होता है। मैं कहता हूं कि यदि आपको टैक्स ही लगाना था तो सीधी बात करके लगा सकते थे। अब वह किसान किस तरह से उस अफीम का हिसाब रखेगा और फिर बिक्री पर भी टैक्स और खरीद पर भी टैक्स। अध्यक्ष महोदय, हमारी जो नीति रही है वह स्टेट के इन्टरेस्ट के बिल्कुल विपरीत रही है।

आज कृषि उत्पादन की दिशा में जहां चारों ओर भारत सरकार ट्रेक्टर की ओर मेन्योर की हर तरह की सुविधा दे रही है वहां हमारी राजस्थान सरकार ने धीरे-धीरे एक-एक चीज़ से लेकर ५५ से, जब से टैक्स लगने शुरू हुए हैं तब से कृषि उत्पादन पर हर बार उसने टैक्स लगाया है। जो कृषि की उपज के लिये आवश्यक साधन हैं उनके ऊपर हमारी सरकार ने टैक्स लगाये और इस तरह से उसने उत्पादन को रोका है। अध्यक्ष महोदय, सन् ५८ तक कृषि के सभी उपकरणों पर जो कि कृषि में काम में आते थे उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था और सन् ५८ में कृषि के काम में आने वाली सभी चीजों पर टैक्स लगाया सिर्फ १३ आइटम्स को छोड़कर और उसके बाद में २-३-६३ को ट्रेक्टर और उसके पार्ट्स पर टैक्स लगाया और उसके बाद में ६-३-६४ को ट्रेक्टर्स के टायर्स और ट्यूब्स पर २ पर्सेन्ट के बजाय ६ पर्सेन्ट टैक्स लगा दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि वे चीजें जो कि कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए काम में आती हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। एक ओर हमारी नीति है कि हम प्रोडक्शन बढ़ायें और दूसरी तरफ ऐसे टैक्सेस लगायें कि जिससे उत्पादन की प्रगति में बाधा आये। मेन्योर के ऊपर टैक्स नहीं है लेकिन आज जब कि हम साइन्टिफिक एडवांसमेन्ट कर रहे हैं, हम अधिक से अधिक उपज बढ़ाना चाहते हैं तो खाद डालकर अधिक पैदा किया जा सकता है, लेकिन फसल को कीड़ों से बचाने के लिए उनको मारने के लिए दवा छिड़केंगे लेकिन उस पर भी हमारी राज्य सरकार ने कोई छूट नहीं दी है और उस पर भी टैक्स ६ पर्सेन्ट इन्सेक्टीसाइड पर लगा दिया। पंचायत समितियां आज अच्छे बीज वितरण करती हैं और इसलिए करती हैं कि उससे अच्छी पैदावार हो उस पर भी नोटिफिकेशन के जरिये टैक्स वसूल किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने तो यह घोषणा की थी कि किसानों पर कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन मुझे दुःख होता है कि आज भी जो किसान माल बाहर ले जाता है उससे चैक-पोस्ट पर जबरदस्ती टैक्स वसूल कर लिया जाता है। जब कि कानून में यह घोषणा की है कि हम किसानों पर टैक्स नहीं लगायेंगे। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि हर व्यक्ति जो बोर्डर एरिया का रहने वाला है वह नामच में या मन्दसौर में अपना माल ले जाता है तो उस गाड़ी वाले से रोक कर टैक्स वसूल कर लिया जाता है।

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)
अध्यक्ष महोदय, किसानों को हर तरह की सुविधायें देनी चाहिए लेकिन क्योंकि किसान गन्ना पैदा करता है और उस गन्ने का गुड़ बनाता है और अपने खाने के लिये और बैलों को देता है लेकिन २२-११-६२ से राज्य सरकार ने कहा कि वह केजुअल ट्रेडर है इसलिए उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अब किसान गुड़ का कैसे हिसाब रखेगा कि इसमें ५ हजार तक की भी छूट नहीं है या कितनी है। चाहे एक रुपया का भी गुड़ कोई बनाता है तो उस पर भी टैक्स लगा दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का भी यही हाल है। पहले सारी चीजें माफ थीं लेकिन धीरे-धीरे करके छाछ पर १ पर्सेन्ट टैक्स लगा दिया, अब घी पर ३ पर्सेन्ट लगा दिया और यह कह कर लगाया कि घी का जहां तक ताल्लुक है हमें दूसरी स्टेट्स को भी देखना है और इसलिए उस पर भी टैक्स लगा दिया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, घी पर टैक्स लगाया था मध्य प्रदेश सरकार ने भी लेकिन वहां की पब्लिक प्रेशर के कारण वह हटा लिया, ऐसा अखबारों में मैंने देखा है। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार इस पर विचार करेगी और इस टैक्स को हटायेगी और मैंने बजट भाषण में भी कहा था कि आपको इससे कितनी आमदनी होगी। आज यदि घी पर टैक्स का हिसाब लगायें तो मेरे हिसाब से राजस्थान में घी जो बाहर जाता है या मण्डियों में बिकने आता है उससे एक करोड़ से अधिक नहीं हो सकती और यदि एक करोड़ के घी पर टैक्स लगायें तो ३ लाख से ज्यादा आमदनी नहीं होगी। लेकिन इसका हर व्यक्ति के ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह बहुत छोटा टैक्स है और जो टैक्स लगाया है इससे आमदनी नहीं होने वाली है।

राजस्थान में आज ८० प्रतिशत जनता गांवों में है और वहां आपस में ही घी ले लिया जाता है तो इससे सरकार के पास कोई टैक्स आने वाला नहीं है लेकिन इन्सपेक्टर को और ऑफिसर्स को तंग करने का मौका जरूर मिल जायेगा। वे गांव-गांव में जायेंगे और किसानों को तंग करेंगे। इस प्रकार का टैक्स जिससे सिर्फ हैरेसमेन्ट बढ़ता है, नहीं लगाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, पशु-धन पर २९-१-६२ तक सिर्फ बकरे पर एक पर्सेन्ट तक टैक्स था और किसी पशु-धन पर टैक्स नहीं था, लेकिन २-१-६३ को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट सभी पर टैक्स लगाया गया। यह प्रश्न विधान सभा के सामने भी आया था और इस पर यहां काफी वादविवाद भी हुआ था, काफी झगड़ा भी हुआ था और उसके बाद १८-३-६३ को केवल भेड़, बकरी और ऊंट पर टैक्स रखा गया था। लेकिन यह सब विधान सभा में तय होने के बाद अब राजस्थान सरकार ने ४-११-६५ को सारे पशु-धन पर टैक्स लगा दिया है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, विधान सभा मे इस प्रश्न के आने से पहले ही टैक्स को डबल तरीके से कर दिया, मेले में पशु-धन की बिक्री हो तो उस पर टैक्स लगा दिया गया और अगर राजस्थान के बाहर एक्सपोर्ट हो तो उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। इस पर यहां विधान सभा में काफी वादविवाद हुआ और वादविवाद होने के बाद सिर्फ यह

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

रहा कि जो माल राजस्थान के बाहर एक्सपोर्ट होगा वह जहां पहली बार खरीद किया जायगा वहां टैक्स लगेगा। लेकिन विधान सभा के माननीय सदस्यों को यह मालूम नहीं है कि इसमें पहले क्या था। पहले केवल भेड़, बकरी और ऊंट पर टैक्स था और इस समय सांड, बछड़े, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, गधा, घोड़ा, खच्चर (स्त्रीलिंग-पुल्लिंग), बच्चे-बच्ची, सब प्रकार के पशुओं पर टैक्स लगा दिया गया और इस प्रकार से........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह स्त्रीलिंग-पुल्लिंग क्या है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : घोड़ा हो या घोड़ी हो। इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें इस प्रकार से हैं........

श्री परसराम मदेरणा : इसमें जरा स्पष्टीकरण हो जाय कि क्या यह टैक्स इसी वक्त लगा है, पहले नहीं था ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : पहले केवल भेड़, बकरी, ऊंट पर ही था।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आप देख लीजिये। पहले केवल भेड़, बकरी, ऊंट पर ही था।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आप बता दीजिये और अपने जवाब में आप कह देना। मैं बता रहा हूं कि दि० २-३-६३ तक किसी पशु-धन पर टैक्स नहीं था और १८-३-६३ को सिर्फ भेड़, बकरी और ऊंट पर पांच प्रतिशत टैक्स रहा लेकिन ४-११-६५ को जब कि विधान सभा का अधिवेशन खत्म हुए थोड़े ही दिन हुए थे और आपने बाकी पशुओं पर भी टैक्स लगा दिया और वह टैक्स सांड, बछड़े, बकरी, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा खच्चर सब आइटम्स पर आपने टैक्स लगा दिया और जब आपने ४-११-६५ को टैक्स लगा तो आपको भी इसकी कल्पना थी कि इसका विरोध होगा तो आपने इसे अमेन्डेड फार्म में डबल टैक्स लगा दिया, मेले में बिक्री हो तो टैक्स और राजस्थान से एक्सपोर्ट किया जाय, तो भी टैक्स, इस प्रकार से आपने डबल टैक्स इन पर लगा दिया। अब जहां पर किसान लोग हैं, जाट लोग हैं जहां मेले अधिक भरते हैं वहां पर परेशानी सामने आयी और इसके साथ ही चुनाव भी आये तो इस चुनाव के कन्सीडरेशन से, चाहे किसी भी कन्सीडरेशन से हो या वही कंसीडरेशन हो कि चुनाव आ गये हैं, किसानों पर टैक्स रहा तो वे वोट नहीं देंगे इसलिये यह टैक्स हटाया गया। किसी भी कारण से हटाया गया हो लेकिन सदन को यह बात मालूम होनी चाहिये कि इन आइटम्स पर जो पहले टैक्स नहीं था और अब आपने ४-११-६५ से इन सारी चीजों पर टैक्स लगाया है। इस तरह से किसानों के काम की चीजों पर; जिनसे किसान प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं इन सब चीजों पर आपने टैक्स लगा दिया है और सदन को मालूम भी नहीं होने दिया कि नये टैक्स लगा दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार ६-१-६१ तक पशुओं के खाने की चीजों पर टैक्स नहीं

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

था लेकिन उसमें से भी आपने कपास, गुवार आदि जो पशुओं के खाने के काम आती हैं को निकाल दिया और इन पर टैक्स लगा दिया। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, रजका ऐसी चीज है जो पशुओं के खाने के काम में ही आता है। इसी पॉइन्ट का कंसीडरेशन रखते हुए कमिश्नर, श्री गुलजारीलालजी माथुर ने यह सर्कूलर निकाल कर यह आदेश दे दिया था कि इस तरह के कैटलफूड पर टैक्स नहीं लिया जाय, लेकिन ६३ के बाद टैक्स लिया जाने लगा। जब रिप्रेजेन्टेशन किया गया, सेक्रेटरियेट में गये मिनिस्टरों से मिले तो उन्होंने एक चिट्ठी दे दी कि टैक्स नहीं लिया जाय लेकिन आपके ऑफिसर्स कहते हैं कि टैक्स लेंगे। यह इस प्रकार की दुविधा इसमें है। इसी प्रकार पोल्ट्री फीड - मुर्गे-मुर्गियों के खाने के काम में जो चीजें आती हैं ऑयल केक वगैरह, इसमें भी यह आदेश दे दिया गया कि पोल्ट्री फीड पर भी टैक्स लगेगा। इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, अभी तक खेत के काम में आने वाले डीजल ऑयल पर कन्सेशनल रेट थी लेकिन २४-५-५८ को इसको हटा दिया और जो कन्सेशन से टैक्स ले सकते थे उसको हटा कर डीजल ऑयल को मोटर व्हीकल एक्ट के अन्दर कर दिया। इससे जो किसानों को कन्सेशन रेट पर ऑयल मिल सकता था, वह भी नहीं मिल सका।

अध्यक्ष महोदय, पम्पिग सेट्स पर टैक्स माफ किया गया, लेकिन अगर कोई मोटर अलग से खरीदे और पम्पिग अलग से ले तो उसको टैक्स देना पड़ता है। इस प्रकार यह मैंने कुछ उदाहरण देकर यह बताने की कोशिश की है कि राजस्थान की सरकार सन् १९५८ के बाद में आज दिन तक प्रतिदिन कुछ न कुछ नये टैक्स लगा कर खेतों में उपज बढ़ाने के काम में आने वाली हर चीज पर टैक्स लगा रही है और खेती की प्रगति में स्वयं बाधक बनी है। जहां दूसरी ओर भारत सरकार हर प्रकार की सुविधा किसानों को दे रही है वहां राजस्थान की सरकार खेती की प्रगति में बाधक बन रही है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा पॉइन्ट औद्योगिक उत्पादन का है। औद्योगिक उत्पादन में टैक्स की स्थिति ऐसी है कि क्या आज हमारी इस टैक्सेशन की नीति से हमारे उद्योग बढ़े हैं, क्या हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, क्या हमारा व्यापार बढ़ा है? अगर आप टैक्स स्ट्रक्चर को देखें तो, अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि जहां भारत सरकार टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट देती है, अगर कोई अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है तो भारत सरकार उसको टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट देती है, अगर कोई अपना माल अधिक पैदा करके एक्सपोर्ट बढ़ाता है तो उसको टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैं आपको इसका सेक्शन पढ़ कर सुनाऊंगा इन्कम टैक्स एक्ट में से जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई अपना प्रोडक्शन बढ़ायेगा तो उसको टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जो भारत के बाहर माल का एक्सपोर्ट करेगा तो उसको भी टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह है सेक्शन २८० (जेड) (सी):

"(1) Subject to the provisions of this Section, a person who exports any goods or merchandise out

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

of India after the 28th day of February, 1965, and receives the sale proceeds thereof in India in accordance with the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (7 of 1947) and the rules made thereunder, shall be granted a tax credit certificate for an amount calculated at a rate not exceeding fifteen per cent on the amount of such sale proceeds."

यानी सेल प्रोसीड का १५ प्रतिशत सेल क्रेडिट दिया जायगा इन्कम टैक्स में। प्रोडक्शन के लिए भी टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट देने के लिए सैक्शन २८० (जेड) (डी) में है :

"(1) Subject to the provisions of this section, a person, who during any financial year commencing on the first day of April, 1965, or any subsequent financial year (not being a year commencing on the 1st day of April, 1970, or any financial year, thereafter) manufactures or produces any goods shall be granted a tax credit certificate for an amount calculated at a rate not exceeding twenty-five per-cent of the amount of the duty of excise payable by him on that quantum of the goods cleared by him during the relevant financial year which exceeds the quantum of goods cleared by him during the base year, whether the clearance in either case is for home consumption or export."

तो यह स्थिति है, अध्यक्ष महोदय, जो मैं आपको बतला रहा हूं कि जहां भारत सरकार भारत के बाहर माल बेचने के लिये टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट इश्यू करती है वह कहती है कि तिगुना माल पैदा करके हिन्दुस्तान के बाहर भेजा जायगा हम तुम्हें टैक्स में रिलीफ देंगे, तुमने अधिक माल पैदा किया तो तुमको टैक्स में रिलीफ देंगे, लेकिन हम र राजस्थान सरकार ने क्या किया है ? राजस्थान सरकार कहती है कि यदि तुमने राजस्थान का माल मैन्यूफैक्चर करके बाहर बेच दिया और कंसेशनल रेट पर माल खरीद कर उत्पादन किया तो तुम पर सवाया टैक्स लगेगा और दुगुना जुर्माना होगा यानी सवा तीन गुना टैक्स लगेगा। यह आपके राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट की धारा ५ (सी) में है कि एक मैन्यूफैक्चर राजस्थान में माल बना के एक प्रतिशत टैक्स देकर खरीद सकता है और इण्टर-स्टेट ट्रेड में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट मे एक प्रतिशत देकर माल खरीदे। लेकिन यदि वह अपने माल का एक्सपोर्ट करेगा और उसको बाहर बेचेगा तो

(श्री सम्पत्तिलाल वोहरा)

उसको सवाया टैक्स देना होगा और अगर सेक्शन ११ (८) में की गई व्यवस्था से गलत काम कर लिया तो उसको दुगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। यह हमारी नीति है एक्सपोर्ट बढ़ाने की। अध्यक्ष महोदय, जहां हम विदेशों की बातें करते हैं, जापान में इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट इतना रेपिडली क्यों हुआ, क्योंकि वहां की सरकार माल का एक्सपोर्ट करने पर सब्सीडी देती है। हमारे यहां पर भी भारत सरकार शक्कर को विदेशों में बेचने के लिये हिन्दुस्तान में महंगी बेचती है, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार का तरीका बिल्कुल उल्टा है।

अध्यक्ष महोदय, २-३-६३ तक राजस्थान के मैन्युफैक्चरर यह इजाजत थी कि वह १०) रु० का एक्जेम्प्शन सर्टिफिकेट दे कर कोई भी माल जो भी रो मैटीरियल उस लिए आवश्यक था वह बिना टैक्स दिये खरीद सकता था। २-३-६३ से, वित्त मंत्री ६२ में आये, तो ६२ तक तो यह सुविधा थी, लेकिन जब से ये वित मंत्री आये सारे कन्सेशन हटा दिये गये। अब कोई आदमी राजस्थान में मैन्युफेक्चरर है वह बिना टैक्स दिये माल नहीं खरीद सकता है। २-३-६३ के बाद में जो कन्सेशन हैं वह मैंने अर्ज किया है कि सिर्फ इन्टर-स्टेट और सैल इन दी स्टेट के लिए है, एक्सपोर्ट और आउटसाइड दी स्टेट के लिए नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं ६-३-६४ को राजस्थान सरकार ने सारे माल पर पर्चेज टैक्स लगा दिया। पहले कुछ गिनी-चुनी कॉमोडिटीज, ५-४ आइटम्स थे जिन पर कि पर्चेज टैक्स लेते थे। अब 'such' की जगह 'any' वर्ड यूज करके, जो कि एक सिम्पल एमेंडमेंट था और एक साधारण से आदमी की समझ में नहीं आ सकता है, जो कि राजस्थान गजट में स्पेसिफाई करेगी उस पर ही पर्चेज टैक्स लगेगा, वहां पर अब 'एनी' का ऐमेंडमेंट करके यह कर दिया कि हर आइटम पर पर्चेज टैक्स लगेगा। कोई भी मेन्युफेक्चरिंग करने वाला रॉ मैटीरियल काम में लेगा तो उसको पर्चेज टैक्स देना पड़ेगा। पहले सेल्स टैक्स लगता था, वह फिनिश्ड गुड्स पर लगता था, अब माल पर भी जो कि वह कन्जूम करता है इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए सब पर उसको पर्चेज टैक्स देना पड़ेगा। पर्चेज टैक्स किसको देना पड़ेगा ? जो कि मेन्युफेक्चरिंग करेगा। उसको फिर फुल सेल्स टैक्स देना पड़ेगा, अगर वह एक्सपोर्ट करता है तो फुल रेट पर टैक्स देना पड़ेगा अगर वह आउटसाइड दी स्टेट बेचता है।

अध्यक्ष महोदय, यह पर्चेज टैक्स का जहां तक इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन का सवाल है, यदि एक आदमी सिर्फ माल ही माल बेचे, जैसे कपड़ा, तो उसको यह कन्सेशन एवेलेबल नहीं है। खादी बेचने वालों को कन्सेशन एवेलेबल नहीं है। कोटा में मसूरिया बनाने वाले को यह कन्सेशन नहीं मिल सकता है, क्योंकि वह एक्जम्प्टेड आइटम नहीं है। मैं कोटा गया तो वहां देखा कि कपड़ा बनाने वालों को, मसूरिया बनाने वालों को जो कि लाखों रुपयों का अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है, जो कि जरी की साड़ियां बनाते हैं, लेकिन उन लोगों को भी कन्सेशनल रेट पर माल खरीदने की इजाजत नहीं दी जाती है, क्योंकि वे राजस्थान के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। यह है हमारा

Page No.59

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

न्याय ! यह है हमारी नीति ! अध्यक्ष महोदय, मसूरिया वालों ने रिप्रजेन्टेशन किया। वे वित्त मंत्री और उप-वित्त मंत्री से मिले तो उनको एशोरेन्स दिया गया कि माफ कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मसूरिया वालों के लिए जब मैंने भी बात की तो इस पॉइंट पर उल्टा यह कहा गया कि आप भी कोई चीज एकाध उस पार्टी से कह दें, कोटा वाले आये थे उनको कह दें कि १५-२० रुपये के झूठे बिल बता दें टैक्सेबल आइटम के तो दे सकते हैं, यानी यह कहा जाय कि जो काम नहीं करते हैं वह करें। झूठे सर्टिफिकेट देकर, झूठी रिपोर्ट देकर, झूठे बिल बनाकर वे कन्सेशन ले लें, लेकिन जो ओरीजनल क्लेम है वह नहीं ले सकते हैं। यदि खादी बनाने वाला खादी बेचता है और कोई टैक्सेबल आइटम नहीं बेचता है तो उनको कपास, धागा कन्सेशन रेट पर खरीदने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि वह यह बता दे कि उसने दो रुपये की जो टैक्सेबल आइटम है वह बेची है तो उसको अधिकार मिलता है। मिल वाले कपड़ा बुनते हैं लेकिन कपड़े के साथ-साथ वे वेस्ट कोटन बेचते हैं तो उनको कन्सेशन रेट पर कपास और रूई खरीदने का अधिकार मिल जाता है लेकिन कॉटेज इन्डस्ट्रीज को यह अधिकार नहीं मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, २-३-६३ तक जो डीजल ऑयल की कन्सेशनल रेट पर खरीद करने का इन्डस्ट्रियेलिस्ट को अधिकार था वह भी, जब कि एक ओर तो हम यह कहेंगे कि हम मेन्युफेक्चरर को इजाजत देते हैं कि कन्सेशन रेट पर सामान खरीद सकता है।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : मैं एक स्पष्टीकरण कर दूं कि जो ५०) रुपये का भी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बेचता है तो किस बात का कन्सेशन मांगता है। आपने यह कहा कि डिपार्टमेंट वालों ने यह बात कही कि बिक्री के फर्जी कागज बनाये तो जब वह ५०) रु० को भी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बेचता है तो फिर बेचता क्या है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : टैक्सेबल प्रोडक्ट का कहा है। फिनिश्ड प्रोडक्ट तो बेचेगा ही, लेकिन यदि वह एक्जेम्प्टेड आइटम बेचता है तो चाहे उसकी सेल एक लाख रुपये की हो तो भी उसको लाइसेन्स नहीं देंगे, क्योंकि वह एक्जेम्प्टेड डीलर है, लेकिन एक लाख की सेल या ५ हजार की सेल के साथ, ५ हजार के एक्जेम्प्टेड आइटम की सेल के साथ १० रु० की सेल टैक्सेबल कमोडिटीज की बताता है तो उसको लाइसेन्स लेने का अधिकार होता है। मेन्युफेक्चरिंग की टोटल लिमिट ५ हजार की है, लेकिन वह ५०,१०) रु० की सेल करता है तो उसको अधिकार हो गया कन्सेशन लेने का, लेकिन एक लाख की सेल करता है, मसूरिया बनाता है और १० रुपये के टैक्सेबल आइटम नहीं बेचता है तो उसको यह अधिकार नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : दिक्कत क्या हो रही है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : दिक्कत यह हो रही है कि उसको रॉ मैटीरियल टैक्स-पेड खरीदना पड़ता है और टैक्स पे करके खरिदता है तो वह महंगा होता है और एक्सपोर्ट करने में उसका असर पड़ता है। जो सामान सस्ता बन सकता है और

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)
एक्सपोर्ट करने के लिए उसको सस्ता बेच सकते हैं तो वह पॉसिबल नहीं है। इससे एक्सपोर्ट में हिन्डेरेन्सेज आ रही हैं और एक्सपोर्ट बन्द हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, डीजल ऑइल २-३-९३ तक कन्सेशनल रेट पर इन्डस्ट्रियेलिस्ट्स को मिलता था। जो भी इन्डस्ट्रीज हैं चाहे वे कॉटेज इन्डस्ट्रीज हों या बड़े मेन्युफेक्चरर्स हों उनको वह कन्सेशनल रेट पर मिलता था। एक ओर तो हम यह कहते हैं कि कोई भी रॉ मेटीरियल एक पर्सेन्ट का टैक्स देकर खरीद लें, लेकिन डीजल ऑइल को वहां से निकाल कर मोटर व्हिकल एक्ट में लगा दिया। सैल्स टैक्स एक्ट में एमेंडमेंट करके जो डीजल ऑइल पर सैल्स टैक्स लगाते हैं तो उसको वहां से हटाकर मोटर टेक्सेशन एक्ट में ले लिया। अब डीजल ऑइल पर फुल टैक्स देना पड़ता है और किसी भी इन्डस्ट्रियेलिस्ट को, किसी भी कारखाने वाले को कन्सेशनल रेट पर नहीं मिल सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (आसपुर) : सब यह जानबूझ कर किया गया है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : बिल्कुल।

अध्यक्ष महोदय, खाद्य तेल का बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आगे चलकर कहूंगा। अभी तक तो यह था कि यदि मूंगफली पर टैक्स दे दो, तिलहन पर टैक्स दे दो, सरसों पर टैक्स दे दो, तो तेल पर कोई टैक्स नहीं लगाया जायेगा। तो इस कारण से तेल एक्सपोर्ट होता था और मेन्युफेक्चरिंग में काम में आता था, और उसकी एक एडवांटेजियस पोजीशन थी। यह भी क्यों हुआ? खाद्य तेल पर टैक्स लगा। पर्चेज टैक्स भी लगा और सेल्स टैक्स भी लग गया। उस पर भरतपुर के व्यापारी यहां आये और उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन किया, और चूंकि वहां के व्यापारी काफी प्रभावशाली थे तो वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री ने इसके लिए मन्जूर किया कि डबल टैक्स नहीं लगना चाहिए, और उस पर यह तय हुआ कि सिर्फ एक बार टैक्स लगेगा। अगर वह पर्चेज टैक्स मूंगफली पर दे दें, तिलहन पर दे देंगे तो तेल पर नहीं लगेगा। इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर नहीं की गई और एक विशेष नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन अभी भी जो सदन ने पास किया उसको ओभरूल करके २-११-९५ को जिस समय विधान सभा नहीं चल रही थी उस समय खाद्य तेल पर कंसेशन को विथड्रॉ कर लिया और ५ पर्सेन्ट टैक्स लगा दिया। जो भी आदमी खाद्य तेल लेगा उसको ५ पर्सेन्ट टैक्स देना पड़ेगा और जो भी तेल राजस्थान के बाहर एक्सपोर्ट होगा या बिना सी फॉर्म के जायेगा तो उसको १० पर्सेन्ट देना पड़ेगा। जो भी खाद्य तेल इन्डस्ट्रियल कन्जम्प्शन में आता है, परचेज टेक्स की परिभाषा में आता है और एक इन्डस्ट्रियेलिस्ट उसको कन्ज़्यूम करता है चाहे वह हलवाई हो वह यदि मीठे तेल को काम में लेता है तो उसको ५ पर्सेन्ट पर्चेज टैक्स देना पड़ेगा। आज यह स्थिति है कि जहां पर जीरो पर्सेन्ट टैक्स था खाद्य तेल पर उसको २ पर्सेन्ट टैक्स कर दिया पर्चेज पर जिसको रिड्यूस करके १ पर्सेन्ट, वह भी नोटिफिकेशन के जरिये नहीं किया, एक सर्क्यूलर के जरिये किया है तो सर्क्यूलर की कोर्ट में क्या वक़त है। आज नहीं तो कल जब कभी भी कोर्ट में केस जायगी तो तय होगा।

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

कमिश्नर ने सक्यूर्लर जारी किया है कि एक पर्सेन्ट टैक्स लिया जाये, लेकिन सैल्स टैक्स ऑफिसर उसको नहीं मानते हैं, कमिश्नर के सक्यूर्लर की कोई वकत नहीं है। एक पर्सेन्ट टैक्स लगेगा माल पर और ५ पर्सेन्ट पर्चेज टैक्स लगेगा तेल पर, कुल मिलाकर ६ पर्सेन्ट टैक्स लगता है। इस प्रकार यह तेल जो हमारे यहां से एक्सपोर्ट होता है उस पर इतना टैक्स बढ़ा दिया। आस-पास के स्टेट्स में देखें तो मध्य प्रदेश में २ पर्सेन्ट है और कई जगह नहीं भी है लेकिन हमारे यहां राजस्थान सरकार ने ५ और ६ पर्सेन्ट का भार डाल दिया है। इस तरीके से राजस्थान में इन्डस्ट्रीज का डेवलपमेन्ट किस प्रकार हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं ऐसे कितने ही आइटम्स हैं जिनका राजस्थान और दिल्ली से मुकाबला करें तो आज दिल्ली में ऐसी कई चीजें हैं जिन पर वहां टैक्स नहीं है सिर्फ इसलिये वह डिस्ट्रीब्यूशन सेन्टर है और वहां पर इन्डस्ट्रीज बढ़ रही हैं और राजस्थान पिछड़ रहा है। कागज को ही ले लीजिये व्हाइट प्रिन्टिंग पेपर ले लीजिये, क्रीमलेड पेपर ले लीजिये, हैंड मेड पेपर ले लीजिये इन पर कोई टैक्स दिल्ली में नहीं है लेकिन राजस्थान में ६ पर्सेन्ट टैक्स है और २ पर्सेन्ट सेन्ट्रल टैक्स है। जो मेन्युफेक्चर्ड माल है उसको कन्ज्यूम करने पर पर्चेज टैक्स और लगता है। नतीजा यह है कि राजस्थान में न तो कोई रजिस्टर बनते हैं, न एक्सरसाइज़ बुक्स बनती हैं। सारी की सारी एक्सरसाइज़ बुक्स और रजिस्टर बाहर से प्रिन्ट होकर, बल्कि सारे के सारे दिल्ली में प्रिंट होकर, हमारे यहां आते हैं और राजस्थान में बिकते हैं। राजस्थान का मार्केट स्पोइल हो रहा है, सेल घट रहा है। यही नहीं, कोटन यानी और दूसरी कितनी ही चीजें हैं जिन पर दिल्ली में टैक्स नहीं है और राजस्थान दिल्ली से इतना नजदीक है कि वहां की चीजों का फ्लो या बहाव राजस्थान की ओर है क्योंकि वहां पर यहां की बनिस्बत ६ पर्सेन्ट कम कीमत लगती है।

अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज के बारे में बताया। यदि हम घरेलू उद्योगों की ओर देखें और सरकार का यदि यह रवैया होता कि बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज पर टैक्स लगा कर छोटी इन्डस्ट्रीज़ को डेवलप कर रही है तो भी बात समझ में आती। लेकिन यदि हम हमारी कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ की तरफ ध्यान दें तो उनके लिये यहां पर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर दी गई है कि या तो ये बन्द हो जायं या राजस्थान के बाहर इनकी बिक्री कम हो जाय। हाथ से बने हुए बर्तन जो ठठेरों द्वारा बनाये जाते हैं उन पर टैक्स माफ था लेकिन ६-३-६५ से उन पर भी टैक्स लगा दिया गया ६ पर्सेन्ट।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते होंगे कि राजस्थान में बीकानेर के अन्दर पापड़ बनते हैं और वे सारे भारतवर्ष में मशहूर हैं और राजस्थान की कितनी ही विधवा औरतें, बीकानेर की विधवा औरतें पापड़ बनाने का काम करती हैं। एक सोशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम विधवाओं को काम देना है, वहां पापड़ बन कर एक्सपोर्ट होते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने २-११-६५ से उस पर भी टैक्स लगा दिया। इससे भी अधिक मजेदार बात यह है कि राजस्थान के बाहर अगर पापड़ जायगा तो उस पर १० पर्सेन्ट टैक्स लगेगा ताकि विधवाओं को काम न मिले और

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

पेट भरने को पैसा न मिले। वहां के लोग यहां पर आये, रिप्रेजेन्टेशन दिये लेकिन कुछ दिनों तक कोई सुनवाई नहीं हुई और अन्त मे १६-३-६६ को इन्टर-सेल पर २ परसेन्ट टैक्स डिक्लेयर किया। पहले सिर्फ इसलिये कन्सेशन नहीं दिया कि कोई इनके पास आवे, जी हुजूरी करे, वोट देने का आश्वासन दे इस प्रकार के पोलिटिकल कंसीडरेशन देख कर काम करते हैं। इकोनोमिक कंसीडरेशन की ओर ध्यान नहीं देकर मर्जी आवे जैसा टैक्स लगा देते हैं।

घरेलू उद्योगों के बारे में मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। यदि वित मंत्रीजी हैं तो वे सारे राजस्थान के वित्त मन्त्रीजी हैं खाली अजमेर के ही नहीं हैं। घरेलू उद्योग चाहे नाथद्वारा मे हों चाहे अजमेर में हों सब जगह एकसा ही वर्ताव होना चाहिये। वितमन्त्रीजी अजमेर से आये हैं इसलिये वहां की जो मुड्डा इन्डस्ट्री है उस पर टैक्स माफ कर दिया क्योंकि उनसे उनको वोट लेने हैं इसलिये उनको माफ कर दिया बाकी हाथी दांत पर टैक्स लगता है, जयपुर में मूर्ति बनाते हैं उस पर टैक्स लगा दिया, मोर पंख से बड़े-बड़े पंखे बनते हैं उस पर भी टैक्स लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, यदि आप हिसाब लगावें तो छोटी-छोटी चीजें जो घरेलू उद्योग से बनती हैं, हाथ से काम करने वालों द्वारा बनाई जाती हैं उन पर टैक्स लगा दिया और एग्जेम्प्ट उनको किया जो उनको वोट देते हैं। मुड्डे अजमेर में मेन्युफेक्चर होते हैं इसलिये उनको एग्जेम्प्ट कर दिया। इस प्रकार की पार्शियेलिटी करना उचित नहीं है। उदयपुर में वुडनटोयज़ बनते हैं वे हिन्दुस्तान के बाहर भी जाते हैं उन पर भी पर्चेज़ टैक्स और सेल्स टैक्स लगा दिया; कन्सेशन नहीं दिया ...

श्री परसराम मदेरणा : अजमेर में क्या चीज़ मेन्युफेक्चर हो रही है, कौनसी चीज़ या आर्टिकल्स राजस्थान के दूसरे हिस्सों में टैक्सेबल है और अजमेर में नही है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुड्डे। सुनना चाहिये आपको, क्वेश्चन पूछने से क्या फायदा ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं सो नहीं रहा हूं न कान में रूई डाली है। कहने का मतलब यह है कि कोई बात बीच में पूछ लेता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रश्न पूछ रहा हूं लेकिन क्योंकि मुझे जवाब के वक्त जवाब देना है इसलिये क्लेरिफिकेशन के लिये पूछ रहा हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कान में रूई नहीं है तो मुंह में पान है और पान खाने में मशगूल हैं.......

श्री परसराम मदेरणा : इससे क्या ?

श्री विजयसिंह झाला : सदन में पान खाना मना है इसलिये व्यवस्था का प्रश्न है पान थूंक कर आवें ताकि अच्छी तरह से सुन सकें।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : आपने कहा, सो नहीं रहा हूं, आप ही नहीं सो रहे हैं सारी सरकार सो रही है।

(हियर-हियर)

राजस्थान का डेवलपमेन्ट कैसे होना चाहिये इस पर किसी ने सोचा नहीं। मैं बता रहा था कि राजस्थान में अजमेर

Page No.63

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

एक ऐसी जगह है जहां पर मुड्ढे मेन्युफेक्चर बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ और जगह भी बनते होंगे लेकिन अजमेर में बहुत ज्यादा बनते हैं ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : और जगह नहीं बनते हैं क्या ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: बनते होंगे लेकिन बहुत कम। वहीं के कन्जम्पशन के लिये बनते होंगे। अजमेर में मुड्डों को एग्जेम्पशन दिया लेकिन हाथीदांत को नहीं दिया, मोर पंख को नहीं दिया, वुडन-टॉयेज को एग्जेम्पशन नहीं दिया। और भी कई चीजें बनती हैं उनको एग्जेम्पशन नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, जयपुर पर तो इनकी कड़ी निगाह है। प्रेशियस स्टोन्स जो जर्मनी,जापान,अमेरिका और दूसरी कन्ट्रीज से खरीद कर यहां आते हैं और जयपुर में मेन्युफेक्चर होकर बाहर जाते हैं उन पर भी ५ पर्सेन्ट टैक्स लगा दिया और वह भी फर्स्ट पोइन्ट पर लगाया और जब लिखा-पढ़ी हुई, हल्ला-गुल्ला हुआ तब लास्ट पोइन्ट पर कर दिया लेकिन राहत नहीं दी जो अब तक बिना टैक्स था उस पर टैक्स लगा दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैंने मसूरिया का उदाहरण दिया था, एक बात और कहना चाहता हूं जिस पर आगे डिस्कशन करूंगा, लेकिन जो हमारा कांस्टिट्यूशन है उसका क्लॉज २८६ (ए) कहता है :

"(1) No law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place –

(a) outside the State; or

(b) in the course of the import of the goods into, or export of the goods out of the territory of India."

वैसे यह सेक्शन सबसे ज्यादा रिलेवेन्ट तो उस समय होगा जब राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट पर अमेन्डमेन्ट आयगा। उस समय निवेदन करूंगा क्योंकि एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाने का है लेकिन जो मसूरिया हिन्दुस्तान के बाहर एक्सपोर्ट होता है उस पर टैक्स लगाना इल्लीगल है, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय, कहना नहीं चाहिये लेकिन बाजार में अफवाह है जिससे तबीयत घबराती है। जिस समय हौजरी वालों का डेपुटेशन वित्त मंत्रीजी से मिलने गया और उनसे कहा कि हौजरी पर सिर्फ राजस्थान में ही इतना टैक्स है दूसरी जगह नहीं है अध्यक्ष महोदय, हौजरी पर राजस्थान में ६ पर्सेन्ट टैक्स है, दिल्ली में १ पर्सेन्ट है, गुजरात में माफ है मध्यप्रदेश में १ पर्सेन्ट है। जब हौजरी वालों के रिप्रेजेन्टेटिव उनसे मिलने गये और उनसे कहा कि साहब राजस्थान में इतना टैक्स लगाया तो हौजरी का डेवलपमेन्ट नहीं होगा, रेडीमेड क्लोथ्स बन रहे हैं, दूसरी जगह बहुत कम टैक्स है लेकिन यहां पर ६ पर्सेन्ट टैक्स बहुत ज्यादा है, जब कि कहीं पर १ पर्सेन्ट ही है। तब उनसे क्या कहा गया ? अध्यक्ष महोदय, मैं उस अफवाह को सही नहीं मानता लेकिन

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)
बाजार में अफवाह है कि उन लोगों से कहा कि १ लाख रुपये मुझे दो तो माफ कर सकता हूं। कन्सीड्रेशन इस प्रकार का पोलिटिकल, व्यक्तिगत आकांक्षा या पार्टी के लिये किस पर टैक्स लगना चाहिये, किस पर माफ करना चाहिये, यह नहीं होना चाहिये। कन्सीड्रेशन सिर्फ एक होना चाहिए कि राजस्थान का डेवलपमेन्ट कैसे हो, राजस्थान की जनता पर कम से कम टैक्स कैसे लगे और राजस्थान की जनता का विकास कैसे हो। लेकिन आज राजस्थान सरकार का कन्सीड्रेशन दूसरा हो गया है। अध्यक्ष महोदय, स्टेण्डर्ड ऑफ लिविंग की दृष्टि से सोचिये। आज दूसरी स्टेट्स जीवन में काम में आने वाली चीजों पर कम से कम टैक्स लेती हैं। लेकिन हमारे यहां सुबह से देखिये, सुबह होते ही चूल्हा जलाया जाता है, तो सबसे पहले कोयले पर टैक्स है। कोयले पर पहले कम टैक्स था लेकिन अब छः पर्सेन्ट कर दिया गया है। फिर घासलेट पर भी सबसे ज्यादा टैक्स लगा रखा है। राजस्थान के आस-पास की स्टेट्स में घासलेट पर या तो टैक्स कम है या फिर है नहीं। लेकिन राजस्थान में केरोसिन पर सात पर्सेन्ट टैक्स लगा रखा है। दिल्ली में केरोसिन पर बिल्कुल टैक्स नहीं है, गुजरात में तीन पर्सेन्ट है लेकिन हमारे यहां सात पर्सेन्ट टैक्स है। आज घर में स्टोव जलायें या सिगड़ी जलायें उस पर छः सात पर्सेन्ट टैक्स देना पड़ता है। इसके साथ ही अनाज और दालों पर भी टैक्स लगा रखा है जब कि दिल्ली में बिल्कुल टैक्स नहीं है। राजस्थान में माचिस पर भी टैक्स लगा रखा है। और, अध्यक्ष महोदय, घी और तेल पर भी टैक्स है। एक बात यहां मैं और कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आज हम एक यह भी सोचें कि...

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, हौज़री के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो भी चार्ज लगाया है कि हौज़री को एक्जेम्प्ट कराने के लिए जब हम गये तो एक लाख रुपये मांगे। आप किसके पास गये और कब मांगे ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह सुनी हुई बात है।

श्री परसराम मदेरणा : और किसने मांगे ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : फाइनेन्स मिनिस्टर श्री बालकृष्ण कौल। इसका आपको क्या पता !

श्री विजयसिंह झाला : आप नहीं थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) **:** आपने नहीं कहा।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु.) **:** फिर भी आपने नहीं सुना। जो उन्होंने कहा था वह नहीं सुना। कानों में रूई लगा रखी है क्या ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत आरोप है। सुनी हुई बात करते हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैंने कहा कि ऐसी बाजार में चर्चा है...

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप जैसे जिम्मेदार आदमी बाजार में हुई आम चर्चा का जिक्र करते हैं-शर्म आनी चाहिए।

Page No.65

श्री विजयसिंह झाला : सुना आपने भी जरूर है लेकिन कहना नहीं चाहते।

श्री श्रवणलाल : आपकी भी नॉलेज में है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हाँ है, क्या कहता है ?

श्री विजयसिंह झाला : इस पर वित्त मंत्री को बुलाना चाहिये वह ही इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वकील होते हुए भी इस तरह सुनी हुई बातों पर विश्वास करते है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (बांसपुर): अध्यक्ष महोदय, साबित तो नहीं हो सकता लेकिन सरकार ऐसी बातें करने की आदी है। यह मैं भी जानता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हां हां, आप जानते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो यही चाहते हैं कि इस तरह के आरोप न लगाये जायं, यदि सही भी हों तो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी तो ऐसे गलत तरीके से आरोप लगाने की आदत पड़ गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको इसीलिये बैठा रखा है कि आप बीच-बीच में बोलते रहें। भले ही मिनिस्टर रिफ्यूज न करे, लेकिन आप जरूर बोलेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सदस्य ने भी अपनी स्पीच में कहा है कि सुनी हुई बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाजार में भी जो बातें चलती हैं वे बेसलेस या अन-फाउन्डेड नहीं होती हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उसका क्या विश्वास है ? सुनी-सुनाई बातें नहीं करनी चाहिए।

श्री विजयसिंह झाला : कौल साहब तुम्हें भी हिस्सा देंगे। चिंता मत करो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमें हिस्सा देंगे ? एक आप दे रहे हैं। आपके बारे में भी बहुत कुछ सुना है उसको कह दूं।

श्री विजयसिंह झाला : हां, हां-कहो।

श्री सम्पतलाल बोहरा : अध्यक्ष महोदय, आज जीवन की जो नेसेसिटीज हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं और जो आराम-तलबी की चीजें हैं-इनकी डेफीनेशन बदल गई हैं। लेकिन राजस्थान सरकार अब भी पुरानी डेफीनेशन को मानती है कि आटा और दाल तो नेसेसिटी है और बाकी की कोई वस्तु नहीं है। आज आप बिजली को लीजिये। बिजली के सामान को लीजिये-यह आज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं। इसी तरह से सेनिटरी गुड्स हैं, जो मकान में फिट होते हैं जो मकान में लगाये जाते हैं-वह नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। आप कोई मकान बनायें या कोई बंगला बनायें, लेकिन उसमें अगर सेनिटरी फिटिंग नहीं होगा तो उसकी कोई वकत नहीं होगी। इस तरह सेनिटरी फिटिंग होना आवश्यक हो गया है, वह मकान के लिए आवश्यक वस्तुएं हो गई हैं। इसी प्रकार आप बिजली को लें, जिस घर में बिजली नहीं होगी-उसको लेना कोई पसन्द नहीं करता है। वह भी आवश्यक हो गई है। लेकिन

Page No.66

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

राजस्थान सरकार इन बिजली और सेनिटरी गुड्स को लक्जरी गुड्स समझता है और उन पर दस पर्सेन्ट टैक्स लगाती है, जब कि यह जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं बन गई हैं।

मैं अर्ज करना चाहता हूं, आज आप घी और तेल को लें, जब घी पर आप तीन पर्सेन्ट टैक्स लगाते हैं वहां तेल पर पांच पर्सेन्ट टैक्स लगाने का आपको क्या अधिकार है। आज घी और तेल नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। वैसे आज घी मिलता नहीं है इसलिए लोग डालडा खाते हैं, लेकिन फिर भी घी पर तो तीन पर्सेन्ट टैक्स है और तेल पर पांच पर्सेन्ट टैक्स है क्योंकि तेल गरीब आदमी खाता है, मजदूर खाता है, और क्योंकि घी बड़े आदमी खाते हैं और नौकरी पेशा खाते हैं इसलिए उस पर तीन पर्सेन्ट टैक्स है। या तो आप घी पर बढ़ाइये या फिर तेल पर दो पर्सेन्ट कीजिये; नहीं तो तेल, घी, डालडा घी सब एक भाव होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा आश्चर्य तब होता है जब प्रश्न यह उठता है, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान सरकार को सेल्स टैक्स के अन्तर्गत यह पॉवर दी गई है कि राजस्थान सरकार अपने नोटिफिकेशन के जरिये किसी भी आइटम पर दस पर्सेन्ट तक टैक्स लगा सकती है इस पॉवर का किस प्रकार दुरुपयोग होता है, कब-कब वह टैक्स लगाती है, यह आज बहुत विचारणीय प्रश्न हो गया है। अध्यक्ष महोदय, सदन जब यहां चल रहा हो-साल में कम से कम तीन बार या दो बार सदन चलता है, तब कोई टैक्स लगाना हो तो मध्यावधि टैक्स न लगा कर आप बजट जिस समय यहां लायें उस समय टैक्स लगा दें या जब सेशन चलता हो उस वक्त लगायें तो इस सदन के अन्दर विचार हो सकता है कि क्या लगना चाहिए, किस पर लगना चाहिये और किस पर नहीं लगना चाहिए। और वह सदन की राय के द्वारा तय हो सकता है। लेकिन यह क्या करते हैं कि जब सदन खत्म हो जाता है तब टैक्स लगाते हैं और जब तक नेक्स्ट सेशन होता है तब तक वह टैक्स पुराना हो जाता है, उसके बारे में किसी को याद नहीं रहता है इसलिए उस पर कुछ विचार नहीं होता है और कोई चर्चा नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष अक्टूबर में सेशन चालू था लेकिन उस वक्त टैक्स नहीं लगाये। फिर उसके बाद १-११-६५ को, २-११-६५ को और ४-११-६५ को नये टैक्स लगा दिये गये। उसके बाद जब सेशन मार्च में फिर हुआ तो एक छोटा सा टैक्स लगाकर बता दिया कि इस वर्ष गवर्नमेन्ट ने टैक्स नहीं लगाये हैं। मैं समझता हूं कि जिस वक्त बजट लाया जाता है उस समय जितने टैक्स लगाने हों वह लगा दीजिये। उसके बाद में जरूरत हो तो जब विधान सभा का सेशन चले उस वक्त टैक्स लगायें या फिर आवश्यकता पड़ जाय मध्यावधि टैक्स लगाने को तो टैक्स लगायें लेकिन जब विधान सभा का सेशन चालू हो तब उसको सदन में प्रस्तुत करके सदन की राय ले लें। मैं समझता हूं यह एक पार्लियामेन्ट्री पद्धति के अनुसार अच्छा होगा। लेकिन यह क्या करते हैं, यह ऐसा करते हैं कि जब सेशन खत्म होता है तब टैक्स लगाते हैं ताकि वह सदन में चर्चा के लिये नहो

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

आये, और उस समय इस प्रकार के टैक्स लगाते हैं जिनसे लोगों का जीवन दूभर बन जाता है। आपने १-११-६५ को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को बढ़ा कर पांच पर्सेन्ट कर दिया, उसके बाद में २-११-६५ की दवाइयों पर जो टैक्स चार पर्सेन्ट था वह छः पर्सेन्ट कर दिया और इसी तरह खाद्य-तेलों पर, दालों पर, मेदा-सूजी पर पांच पर्सेन्ट टैक्स कर दिया जहां कि उसके ऊपर कुछ नहीं था। और हाथी दांत से बने सामान पर पांच पर्सेन्ट कर दिया, पापड़ पर दो पर्सेन्ट कर दिया और जवाहरात पर दो से पांच पर्सेन्ट कर दिया। फिर ४-११-६५ को आपने भेड़, बकरी और ऊंट को छोड़ कर सारे पशुओं पर टैक्स लगा दिया, सांड, बैल, गाय, खच्चर, घोड़ा । मैं......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको क्या दिक्कत है ? पशुओं पर लगाया है !

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : और अध्यक्ष महोदय ......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुर्गे-मुर्गी बाकी रह गये, वह भी आ रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह भी आ रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इनको (श्री गिरधारीलाल व्यास) तो बीच-बीच में बोलने की आदत ही हो गई है। ये बीच-बीच में वैसे ही बोलते हैं जैसे बारात जब आती है तो एक भोंपू होता है वह बोलता ही रहता है बीच-बीच में।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपसे तो कम बोलता हूं। आप ज्यादा बोलते है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : शंख या ढपोलशंख में से कोई हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं निवेदन कर रहा था कि यह बहुत ही सैद्धान्तिक प्रश्न है कि हम टैक्स तो लगायें लेकिन किस तरह से लगायें। नोटिफिकेशन के जरिये टैक्स लगाते हैं वह नहीं लगा कर यदि बजट के समय लगाते है तो उस पर चर्चा होती है और हम जो सुझाव रखते हैं उनको सरकार को मानना पड़ता है और टैक्सों में रिलीफ भी मिलता है। लेकिन जो मध्यावधि में टैक्स लगाये जाते हैं या जब सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद में लगाये जाते हैं तो उन पर कोई चर्चा का सवाल पैदा नहीं होता है सदन की राय नहीं ली जाती है। और बाद में विधान सभा में प्रश्न उठाते हैं तो चूंकि वह टैक्स लग जाता है इसलिए उस पर अच्छी तरह कोई विचार नहीं होता है। इसके अलावा सरकार द्वारा वह टैक्स लगाये जाते हैं जो यह विधान सभा रिजेक्ट कर चुकी है। गत वर्ष में यह विचार हुआ था कि कोई नये टैक्स नहीं लगाये जायेंगे, और इसलिए कई टैक्स विथड्रा हुए थे, लेकिन वही टैक्स लगाये गये मध्यावधि में। आपने जो पशुओं पर १९६३ मे टैक्स लगाया था वह आपने विथड्रा किया था, लेकिन मुझे दुःख है कि ४-११-६५ को फिर आपने वही टैक्स लगा दिया। अनाज पर टैक्स लगा दिया। इस प्रकार और कई टैक्स हैं जो बीच में लगा दिये जाते हैं और जिन पर कोई कन्सीड्रेशन नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा समय

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

नहीं लेना चाहता हूं लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनसे सरकार की इज्जत का सम्बन्ध होता है। हमारी सरकार ने गत वर्ष बजट के समय यह एश्योरेन्स दिया था कि स्टे एप्लीकेशन यदि कोई आदमी मूव करेगा कामश्नर के पास-तो जब यह कमिश्नर को स्टे की पावर्स दी थीं, तब मैंने यह प्रेस किया था, इस बात पर जोर दिया था कि जब तक एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाय तब तक टेक्स को स्टे समझा जायगा। तब मेरा यह अमेंडमेंट एक्सेप्ट न करके वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जब तक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन नहीं होगा तब तक टेक्स को स्टे मानेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है। कमिश्नर को कोई एप्लोकेशन दे दी जाय तो उस पर तीन-चार महीने तक कोई हियरिंग नहीं होती है, उस पर कोई डेट मुकर्रर नहीं होती है और सेल्स टैक्स अधिकारी अटेचमेंट कर लेता है, कुर्की ले आता है और सामान जब्त कर लेता है.......

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहूंगा। एक केस है उसमें २०-१२-६५ को एसेस्मेंट हुआ। दो महीनों का समय अपील का होता है। १३-१-६६ को स्टे की एप्लीकेशन मूव कर दी। उसकी हियरिंग फिक्स नहीं हुई। २४-३-६६ को कहा कि कोई हियरिंग फिक्स करो मगर कोई हियरिंग फिक्स नही की जाती है और एटेचमेंट वारन्ट जारी कर दिये जाते हैं और जो एप्लीकेशन स्टे के लिये दी हुई है उसकी कोई परवाह नहीं की जाती है। यह केस है जमनादास हजारीलाल का और एक वकील साहब की चिट्ठी है :

"उधर पूरा रुपया जरिये कुर्की वसूल कर लिया है। अब मुझे उनकी वकालत से हटा दिया है।"

यहां पर आश्वासन दिये जाते हैं कि जब तक स्टे एप्लीकेशन का तस्फिया नहीं होगा तब तक कोई रुपया वसूल नहीं किया जायगा, लेकिन उसकी कोई वेल्यू नहीं। मेरी इस संबन्ध में एक सरकारी अधिकारी से बात हुई थी और मैंने उनसे कहा कि सदन में मन्त्री महोदय इस प्रकार का आश्वासन देते हैं, उस पर उसने कहा कि आश्वासन देते हैं ठीक है मगर कानून में नहीं लिखा है। आश्वासन सदन में देते हैं। इसलिये जो आश्वासन दिया जाता है उसको कार्यान्वित करने की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कि आपके एश्योरेन्सेज का कोई मूल्य हो। महीना नहीं हुआ कि एटेचमेन्ट वारन्ट जारी कर दिया जाता है। हमने रेक्टीफिकेशन के लिये एप्लीकेशन मूव की और यह सोच कर किया कि फलां गलती रह गई है उसको सुधार लिया जावे। इसके लिये यह है कि १२० दिनों में एप्लीकेशन्स का डिस्पोजल हो जाना चाहिये। मगर आजकल होता क्या है कि एप्लीकेशन ली और उसको रिजेक्ट कर दी जाती है। यह लिख दिया जाता है कि एप्लोकेशन इज् हियरबाई रिजेक्टेड, चूंकि एप्लीकेशन में कोई दम नहीं है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उसके लिये कोई डेट फिक्स नहीं की जाती हियरिंग के लिये और लिख दिया जाता है कि The application is hereby rejected.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक नहीं कई उदाहरण हैं, कई नजीरें हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं दो नजीरें अपने साथ लाया हूं । एक एप्लीकेशन जमनादास की है, इसमें लिखा है :

"Glass chattons do not come under the category of precious stones and hence tax has rightly been charged at 7%. The application under Section 17 filed is, therefore, hereby rejected."

यह एक एप्लीकेशन है : application to the Assistant Commercial Taxes Officer, 'While assessing the above dealer for the year 1964-65, tax has been levied at 7% on glass chattons. The glass chatton is not the article made of glass but is a synthetic stone and is known as semi-precious stone. As such the tax is chargeable at the general rate only."

यह एप्लीकेशन १५-१२ को मूव की और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और कोई हियरिंग नहीं की । और दूसरा है :

"Since the dealer is running a bakery, he does not fall in the category of manufacturer of cooked food. Application filed is, therefore, hereby rejected."

यह हमारा हाल है, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस समय राजस्थान में ऐसा लगता है कि कोई लॉ एण्ड ऑर्डर का राज्य नहीं है । अगर आप मार्च के महीने में किसी भी व्यापारी के यहां जावें तो आप देखेंगे कि यहां पर कौन राज्य कर रहा है । इस समय जिस प्रकार से टैक्सों की वसूली हुई है, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में और किसी भी अन्य राज्य में या किसी भी राज्य के कोने में आपको इस प्रकार की मिसालें नहीं मिलेंगी जिस प्रकार यहां पर टैक्सों की वसूली की गई है । यहां पर यह इसलिये किया गया, अध्यक्ष महोदय, कि टैक्सों से बजट को पूरा करना है । जबर्दस्ती लोगों के घरों पर जाकर पुलिस फोर्स ले जाकर लोगों से रुपया वसूल किया गया है । जो रुपया अप्रेल से पहले ड्यू नहीं होता उसको जबरदस्ती वसूल मार्च में किया जाता है । मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में १५ करोड़ के बजट में १। करोड़ या १॥ करोड़ रुपया जो वसूल किया गया है वह अप्रेल में वसूल होने वाला था, उसको मार्च में वसूल किया है और इस तरह से सदन को गुमराह किया है । यह हमारी स्थिति है ।

अध्यक्ष महोदय, आप किसी भी व्यापारी से पूछ लीजिये । मैं एक-दो नमूने आपके सामने रखना चाहता हूं । एक डी. सी. एम. से ३॥ लाख और २५ हजार रुपया किसी और व्यक्ति से लिया गया । इस प्रकार हर एक व्यक्ति से मार्च में टैक्स वसूल किया गया है । इससे एक बड़ा भारी आर्थिक प्रश्न उत्पन्न होता है । आगे आने वालों के लिये

Page No.70

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

क्या सही बजट हो सकता है। जब जो रकम अप्रेल में ड्यू है, उसको मार्च में वसूल कर लिया जावे और वह बढ़ा कर बताया जावे और अगर आगे आने वाले समय में वर्षा और बिजली की कमी से और कमी होगी और हम पर टेक्स बढ़ेंगे। इसलिये आगे आने वाला वर्ष हमारे लिए भयंकर होगा और हमें टेक्स बढ़ाने पड़ेंगे। मगर अध्यक्ष महोदय, यह क्यों किया गया ? यह इसलिये किया गया कि वित्त मन्त्री यह समझते हैं कि मैं आगे आऊं या नहीं, हमारी सरकार बनेगी या नहीं ? जो होगा वह होवेगा। उनको आगे की क्या फिक्र है ?

एक माननीय सदस्य : आपको क्या फिक्र है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : हमको राज्य करना है इसलिये फिक्र है।

चूंकि उनको अब जाना है इसलिये टेक्स डिपार्टमेन्ट में एक साल अपनी कारगुजारी बता कर नाम पा लें। यह टेक्स परपजली और डेलीबरेटली लिया गया है और इसके लिये कमिश्नर ने डी० ओ० लेटर इश्यू किया कि मार्च में टेक्स वसूल करो। इसलिये मार्च में टेक्स वसूल किये गये। मैं आपको निवेदन करूं कि जिनकी केपेसिटी नहीं थी देने की उनकी कितावें ले गये। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि टेक्स की वसूली के लिये पुलिस फोर्स तक काम में लिया गया। उन्होंने सुरेन्द्र शर्मा जो पुलिस के डि० सु० पु० हैं उनको राजस्थान सेल्स टेक्स में लिया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेल्सटेक्स में तो केल्कुलेशन का काम है उसमें पुलिस का क्या काम है। मगर उनको महेज इसलिये लिया गया कि पुलिस वाले किसी प्रकार की बाधा नहीं डालें। कोई किसी की बहियें छीनी जावें और कोई शिकायत करे तो उसकी कोई सुनवाई नहीं करे इसलिये राजस्थान सरकार ने उन डिप्टी सु० पुलिस को लिया है और वे हैं सुरेन्द्र शर्मा और उनको स्पेशल ऑफिसर बना कर नियुक्त किया है। वे कोई ज्यादती करें तो उनकी कोई सुनवाई नहीं करे। अगर पुलिस दस्तन्दाजी करती है तो वे कह देते हैं कि मैं तुम्हारा डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट हूं। आप यहां पर दखल मत दो। इस प्रकार किसी की बहीयां उठा कर ले जावे, कोई सुनने वाला नहीं। किसी के घर में घुस जावे और मकान मालिक के घर में घुस कर उसकी भी तलाशी ले ले। चाहे वह टेक्स का क्लर्क हो या टेक्स का ऑफिसर हो, वह मकान मालिक की तलाशी ले सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़े समय में ही समाप्त कर रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, टेक्स का मामला है। टेक्स का विरोध कॉंग्रेस वाले तो कोई करेंगे ही नहीं, यह तो ऑपोजिशन को ही करना है। इसलिये समय दिया जाय।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अध्यक्ष महोदय, आखिर में किताबें पकड़ने की व्यवस्था है। किसी भी आदमी की किताब उठा कर ले जाते हैं। जब किताबें उठा कर ले जाते हैं तो उनका बिजनेस खतम हो जाता है। वे लोग राजस्थान के बाहर से माल

(श्री सम्पतलाल बोहरा)
नहीं मंगा सकते और न सी. फार्म दे सकते हैं। इसलिये यह तय हो जाये कि कितने दिनों में किताबें उनकी लौटा दी जावेंगी। आज लोगों की किताबों को लिये हुए चार-चार साल हो गये उनको वापिस नहीं लौटाई गई हैं।

(विराम)

चार-चार साल हो गये आप उनकी किताबों को लिये हुए बैठे हैं। उनका बिज-नेस रुइन हो गया। अगर आपको किसी से बदला लेना है तो आपके सेल्स टेक्स ऑफिसर से कोई मिल ले और उनको १००) रु० या दो सौ रुपये दे दिये और वह उसकी बहियें पकड़ कर ले जावेगा। वह आदमी तो खत्म हो जावेगा क्योंकि उसका बिजनेस जब तक किताबें नहीं देंगे चल नहीं सकेगा।

(२ म. प.)

इस प्रकार की धांधली आज चल रही है। यह पॉवर सीजर का तभी यूज होना चाहिये। We are living in a democracy now.

हमको वोट लेने पड़ते हैं, जनता की इच्छा पर काम करना पड़ता है। जयपुर में इस समय २५ ऑफिसर अन्डर ट्रेनिंग हैं उनको भी सीजर की यह पॉवर दे दी कि वे जहां चाहें किताबें पकड़ लें, १५ ए. एस. टी. ओ. हैं, उनको सीजर के पॉवर, ४ सी. टी. ओ. उनको भी सीजर के पॉवर, डिप्टी कमिश्नर उनको भी सीजर के पॉवर और अदर परसन ऑथोराइज्ड बाई डिप्टी कमिश्नर उनको भी सीजर के पॉवर्स दे दिये गये हैं। इतने ५०-६० आदमियों को सीजर के पावर्स हैं तो किस प्रकार इस पॉवर का उपयोग होगा यह आप खयाल फरमा सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि चाहें जिसकी ही बहियां पकड़ कर ले जाते हैं, चार-चार वर्ष हो गये उन बहियों को पकड़ कर ले गये पर बहियां नहीं लौटाई गई हैं, किसी प्रकार का सेल्स टेक्स नहीं बनता और खींचतान कर जैसे-तैसे थोड़ा बहुत सेल्स टेक्स बनाने की कार्यवाही की जाती है, क्योंकि आखिर जस्टिफाई तो करना पड़ता है।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, चैक-पोस्ट्स पर जबरन टेक्स वसूल किया जाता है, वैसे चैक पोस्ट्स पर टेक्स लीगली नहीं लगा सकते। एक्सपोर्ट की रेस्ट्रिक्शन्स, किसानों से चैक-पोस्ट्स पर टेक्स वसूल किया जाता है, इम्पोर्ट होता है उस पर-चैक-पोस्ट्स पर टेक्स वसूल किया जाता है, राज-स्थान के बाहर किसान माल लेकर जाता है उस पर सेल्स टेक्स। यह बात सही है कि आपने जो टेक्स लगाया है सदन की अनुमति से लगाया है चाहे इल्लीगल हो पर जो पॉवर्स टेक्स लगाने के सदन ने आपको नहीं दिये और जो टेक्स माफ हैं वे टेक्स भी चैक-पोस्ट्स पर वसूल किये जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि निवार पर टेक्स १-७-५८ से माफ है पर राजस्थान सरकार की चैक-पोस्ट्स ३०-५-६५ को आर. एस. एल. १४०० नं की गाड़ी में निवार थी, उस पर टेक्स लगाया, निवार पर १८ रु० ६९ न. पै. टेक्स लगाया गया। ३०-५-६५ को टेक्स लिया। चैक-पोस्ट्स पर किस प्रकार की ज्यादतियां हो रही हैं, उसका सिर्फ एक नमूना मैं पेश कर रहा हूं, जो किसान निवार लेकर गये, उनसे चैक-पोस्ट्स

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)
पर निआर पर टेक्स लिया गया जो कानूनन नहीं लिया जा सकता, इस प्रकार किसानों के खून से हमारी ट्रेजेरी भरी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, यह कानून है कि जिस हिसाब से टेक्स वसूल किया गया है तो उसका दूसरा हिसाब हो तो उसमें उसको एडजस्ट करना चाहिये। पर हमारे सेल्स टेक्स ऑफिसर कहते हैं कि यह चेक-पोस्ट्स पर दिया गया टैक्स है, इल्लीगल है इसको हम एडजस्ट नहीं करते। इस प्रकार के केस में डिप्टी कमिश्नर, अपील ने जो फैसला दिया वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं :

"यद्यपि कर निर्धारण अधिकारी ने यह रकम मुजरे नहीं करने के यह कारण बताए हैं कि यह रकम चालान के मारफत जमा नहीं की गई है और न ही उचित स्थान पर ही जमा की गई है। कर-निर्धारण अधिकारी की यह दलील आश्चर्यजनक प्रतीत होती है कि विभाग की ओर से रसीद देकर करदाता को चैक-पोस्ट पर रकम जमा कराने पर मजबूर किया जाता है तो फिर ऐसा कहना कि उचित स्थान पर रकम जमा नहीं कराई गई, यह अनुचित है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इस सम्बन्ध में कानून स्पष्ट है अतः एक १३०) ४० पैसे जो अपीलांट से चेक-पोस्ट पर लिये गये हैं मुजरे देने चाहियें।

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। आज्ञा जारी हो।"

चेक-पोस्ट्स पर रुपया वसूल किया जाता है, उसको रिफण्ड करना चाहिये पर हमारे सेल्स टेक्स ऑफिसर रिफण्ड नहीं करते हालांकि वह चालान के जरिये ट्रेजरी में जमा कराया गया है। एक ओर चेक-पोस्ट्स पर जबरदस्ती रुपया वसूल किया जाता है और दूसरी ओर हमारे सेल्स टेक्स ऑफिसर उसको एडजस्ट नहीं करते। इस प्रकार के केस में डिप्टी कमिश्नर, अपील का फैसला है जिसमें रुपया रिफंड किया गया।

एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूं। वह यह है कि हमारे सदन ने सरकार को या सेक्रेटरियेट को या ब्यूरोक्रेसी को अधिकार दिये हैं कि इन नियमों के आधार पर टैक्स लगाइये। आपने एक नोटिफिकेशन निकाला और हमारा टैक्स ४ पर्सेन्ट से ५ पर्सेन्ट कर दिया। यह केस डिप्टी कमिश्नर अपील के पास गया तो उन्होंने इसे इल्लीगल करार दिया, रेवेन्यू बोर्ड में गया तो रेवेन्यू बोर्ड ने भी इसे इल्लीगल करार दिया। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, मैं रेवेन्यू बोर्ड का यह फैसला सुना रहा हूं :

"As a result of this notification the general rate of sales tax has been restricted to six items, which is manifestly contrary to the intention of the Legislature as embodied in Section 5 of the Act. Such a defective notification cannot serve as a legal sanction for levying tax on the opposite party for the sale of aerated water at the rate of 5 per cent, which is higher than the general rate of

Page No.73

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

4 per cent. It is settled law that any rule or notification which is inconsistent with the provisions of the statute under which it is issued is void and without effect "

अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू बोर्ड ने यह बात तय की कि ४ पर्सेन्ट टैक्स ही वाजिब है, ५ पर्सेन्ट वाजिब नहीं है। इस पर हमारी राजस्थान सरकार हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट में केस सब्जुडिस है, पर नोटिफिकेशन के जरिये राजस्थान सरकार ने ६-३-६१ से इस टैक्स को लागू रखा है। राजस्थान सरकार ने यह नोटिफिकेशन निकाला है कि ६-३-६१ से समझ लिया जाय कि रेट ४ पर्सेन्ट से ५ पर्सेन्ट थी। इस प्रकार जो टैक्स नहीं था वह आज से ५ साल पहले से वसूल किया जा रहा है। मैंने केवल रेफरेंस के लिये यह रखा है. इस पर बहस तो बाद में की जायगी :

अध्यक्ष महोदय, वही परिस्थिति एक नोटिफिकेशन के जरिये होने वाली है जिससे २० करोड़ का घाटा राजस्थान सरकार को होने वाला है, वित्त मन्त्री को इसके लिये कठघरे में खड़ा किया जाय तो भी उऋण नहीं हो सकते। सेक्शन ५ में एक अमेंडमेंट किया वह यह किया। मैं सेक्शन ५ पढ़ कर सुनाता हूं:

"The tax payable by a dealer under this Act shall be at such single point in the series of sales by successive dealers as may be prescribed and shall be levied at such rate not exceeding ten per cent on the taxable turnover, as may be notified by the State Government in the Official Gazette."

यह अमेंडमेंट हुआ है ४-५-६४ को ....

श्री परसराम मदेरणा : इस रेवेन्यू बोर्ड के फैसले का ४ पर्सेन्ट से ५ पर्सेन्ट का हवाला माननीय सदस्य दे रहे हैं। यह इस टैक्सेशन लॉ से सम्बन्धित नहीं है। दूसरा बिल लिया जा रहा है; सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल उससे सम्बन्धित है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे तो इस पॉइन्ट पर बोल कर दूसरे पॉइन्ट पर आ गए हैं। आपको यह आब्जेक्शन उस समय लाना चाहिये था।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : मैं निवेदन कर चुका हूं कि वह तो केवल रेफरेंस मात्र था।

इस सेक्शन पर ४-५-६४ को यह कहा गया कि इस अमेंडमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट किस पर कितना टैक्स लगाये इस प्रकार का नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट निकालेगी। पर २-११-६५ तक इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं निकाला। इसलिये राजस्थान सरकार कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकती। डेढ़ साल का टैक्स २० करोड़ रुपया बनता है। हाई कोर्ट में लोग गये या नहीं मुझे पता नहीं पर शायद लोग हाई कोर्ट में जा रहे हैं और इस प्रकार वही

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

स्थिति इसकी भी होने वाली है। यह २० करोड़ रुपया वसूल नहीं होने की स्थिति में आ गया है।

पहले अमेंडमेंट या वह यह था। वे जवाब देना चाहे तो मैं पहले ही पढ़ देता हूं। ४-५-६५ से जो पोजिशन थी वह मैं पढ़ देता हूं :

"Provided also that where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette provide that the rate at which the tax payable by a dealer in respect of any goods or class of goods to be specified in the notification shall be such not exceeding 10 per cent on the taxable turnover as may be specified in the said notification."

यह जो ४-५-६४ से पहले रूल था उसमें यह था। "The Government may notify" लेकिन ४-५-६४ के बाद जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें लिखा है "The Government shall notify" और सरकार ने २-१-६५ तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और इस कारण से सरकार को कम से कम २० करोड़ रुपये का घाटा होने का अन्देशा है।

एक बात और कहना चाहता हूं। बहुत बार कानून के जरिए सरकार टेक्स नहीं लगाती, नोटिफिकेशन के जरिए नहीं लगाती, लेकिन सक्यूर्लर के जरिए लगाती है, असेसिंग ऑथोरिटीज जो कॉन्फीडेन्शियल सक्यूर्लर्स होते हैं उनको कोट करते हैं, इसका उदाहरण मैंने पहले भी दिया था। एक आइटम का रेफरेन्स देना चाहता हूं। सण पर पहले दो प्रतिशत टेक्स था, लेकिन कमिश्नर साहब ने एक सक्यूर्लर जारी किया "San is not Jute' लगाओ ६ पर्सेन्ट टेक्स और उसके आर्डर का असेसिंग ऑथोरिटी ने हवाला दिया है :

"The sale of San worth Rs. 7,316.93 nP. has been shifted to general rate instead of 2% as it is not Jute vide Circular No. F. 104 (LT. ST./64/56) dated 28-2-1964, issued by the office of Commissioner, Excise and Taxation, Rajasthan, Udaipur. The contentions of the party that San is a species of Jute and has always been treated as such and that most of the purchases are from local dealers against S. T. 17 and, therefore, they are taxable at last point are not entertainable because of the clarification made by the circular mentioned above and that no tax has been

Page No.75

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

paid by the party for the local sales which have been made against S. T. 17 and hence they are taxable at the hands of the dealer as L. P. goods."

सण यानी जूट पर पहले दो पर्सेन्ट टैक्स था, सक्यूलर निकालकर उस पर ६ प्रतिशत कर दिया। जब कोई पॉइंट डिस्प्यूटेबल हो, कोई पॉइंट लीगल हो तो उसको ठीक प्रकार से डील करना चाहिये, यह बात नहीं, लेकिन सरकार सिर्फ एक सक्यूलर निकालकर इस पर टैक्स लगाती है। इस दृष्टि से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मध्य प्रदेश का इस सिलसिले में फैसला है उसको मैं पढ़कर सुनाता हूं:

"In the Chamber's Encyclopaedia Vol. IV, hibiscus cannabinus has been described as follows:-

"Hemp leaved hibiscus, Deccan hemp. In Bombay, the Central Provinces and Madras (regions unsuitable for Jute growing), this small herbaceous shrub is largely cultivated for its fibre which is used as a substitute for Jute. It is rather coarse and harsh, through strong. In India it is made into ropes, sack cloth and nets and largely into paper.

The assessing officer has clearly stated in his order that the goods purchased by the appellant is hemp. From the dictionary meaning, it appears that hemp is hibiscus cannapins. In view of this hemp should have been taxed at the rate of 2% and not at the rate of 4%"

मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं इसके जरिए कि हमारी सरकार स्टैच्यूट के जरिए टैक्स लगाए, सदन के जरिए टैक्स लगाए, नोटिफिकेशन के जरिए; लेकिन नोटिफिकेशन के जरिए या सक्यूलर के जरिए बराबर टैक्स लगाने की आदत को उनको रोकना चाहिए। मैं इससे अधिक नहीं कहूंगा। अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो हमारी टैक्सेशन पॉलसी है उसको मैंने सिद्ध करने की कोशिश की है कि वह राजस्थान की जनता के हित में नहीं है। राजस्थान के कृषि उत्पादन बढ़ने में इससे सहायता नहीं मिल रही है, राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने में बाधा पैदा हो रही है, राजस्थान के एक्सपोर्ट पर अंकुश लग रहा है, राजस्थान की मेन्युफैक्चरिंग इन्डस्ट्री विकसित नहीं हो रही है। राजस्थान में धांधलियां हो रही हैं टैक्स की वसूली में। जो एक इज्जत वाले व्यापारी के साथ टैक्स वसूली में होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। आज जितने व्यपारी हैं उनको चोर समझा जा रहा है और इस प्रकार से बिहेव किया जाता है जैसे वह चोर हों। इन सारी

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

बातों को दृष्टिगत करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की टैक्सेशन पॉलिसी को रिवाइज करें, प्रायोरिटीज़ को चेंज करें। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में जो दरें हैं उनके कम्पेरिजन में यहां कर कम करें। मगर राजस्थान का वास्तव में विकास करना है तो पड़ोसी राज्यों के मुकाबले यहां कर कम होने चाहिएं, क्योंकि राजस्थान अविकसित है। राजस्थान में पर केपिटा टैक्स इतना अधिक है कि वह बड़े-बड़े शहरों, बम्बई और मद्रास की कम्पेरिज़न में आता है लेकिन यहां तो औद्योगिक उत्पादन नहीं है, इसलिए सारा भार कन्ज्यूमर पर पड़ता है। बम्बई में जो कपड़ा पैदा होता है, टैक्स लेते हैं, उसका भार सारे हिन्दुस्तान पर पड़ता है लेकिन बम्बई में पर केपिटा टैक्स इतना अधिक होते हुए भी रीयल पर-केपिटा टैक्स जो कन्ज्यूमर पर पड़ता है वह कम है। राजस्थान में जो पर-केपिटा टैक्स का भार है वह बहुत अधिक है। इसलिए राजस्थान की टैक्सेशन पॉलिसी को रिवाइज़ करें। अंत में मैं निवेदन करता हूं कि जो बिल लाया गया है उसको जनमत जानने हेतु भेजा जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो टैक्स के सिलसिले में माननीय सदस्य ने सरकार पर जिस प्रकार आरोप लगाए हैं कि उन्होंने हर चीज पर टैक्स लगा कर जनता का जीना मुश्किल कर दिया है और दूसरी पैरवी जो उन्होंने की कि सेल्स टैक्स लोगों से वसूल करके सरकार को नहीं देते हैं और उनके खिलाफ जिस प्रकार से कार्यवाही होती है उसके सम्बन्ध में, उन्होंने बचाव के सम्बन्ध में अपनी पैरवी की है। एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि सरकार उनको ज्यादा तंग करती है और उनसे नाजायज तरीके से टैक्स वसूल करती है, मगर मेरा सरकार के खिलाफ आरोप यह है कि सरकार उनसे मिलकर जिन लोगों से टैक्स वसूल करना चाहिए और जितना वसूल करना चाहिए, वह नहीं कर रही है। आज कमी इस बात की है कि हम यह महसूस करते हैं कि टैक्सेशन पॉलिसी इस प्रकार की होनी चाहिए कि टैक्स कम से कम लगे और लोगों को उससे तकलीफ न हो। टैक्स हम ज्यादा से ज्यादा लगाते जा रहे हैं और वसूलियां कम होती जा रही हैं, वसूली जितनी होनी चाहिए, जितनी उनसे इन्कम होनी चाहिए, उस प्रकार से इन्कम सरकार प्राप्त नहीं कर रही है। पहले एक्साइज और टैक्सेशन विभाग एक था और एक ही विभाग होने के कारण यह विभाग एफीशियेन्सी के लिहाज से ठीक तरीके से काम करके टैक्सेशन और एक्साइज दोनों काम संभालता था। मगर अब तो एक लम्बी-चौड़ी पलटन इस विभाग में कर दी, कमिश्नर से लेकर सब-इन्सपेक्टर और सिपाहियों वगैरह तक। पुलिस विभाग से भी इस विभाग में ज्यादा कर्मचारी कर दिए। उसके बावजूद भी हालत यह है कि जिस प्रकार से वसूलियां होती हैं, जिस प्रकार से वसूली करके पैसा सरकार के खजाने में जमा होना चाहिए वह कहीं नहीं देख रहे हैं। वह पैसा जिस एफीशियेन्सी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ खज़ाने में आना चाहिए वह नहीं आ रहा है; वह इसलिए नहीं आ रहा है कि जितने व्यापारी लोग हैं उनकी जो टैक्सेशन की पैरवी करने वाले लोग हैं उनसे कुछ न कुछ तरीके सीख कर

Page No.77

(श्री गिरधारीलाल व्यास) .

और किस प्रकार से टैक्स को इवेड किया जाता है, वह सारी की सारी सामग्री इन लोगों ने पर्याप्त मात्रा में सीख ली है। इसकी वजह से दो-दो तरह के हिसाब रखे जाते हैं और हमारी टैक्सेशन पॉलिसी नाकामयाब रही है। आज तक जितना पैसा वसूल होना चाहिए उतना नहीं होता है।

आज जनता की जेब में से व्यापारी लोग हर चीज पर टैक्स वसूल कर सकते हैं, चाहे उनको देना पड़ता हो या नहीं देना पड़ता हो लेकिन सरकार को क्या पड़ी है कि यह देखे कि जिन आर्टिकल्स पर दुकानदार कन्ज्यूमर्स से टैक्स वसूल करता है वह सरकारी खजाने में जमा होता है या नहीं। उदाहरण के लिये पेसेन्जर टैक्स वसूल किया जाता है और मोटरों में टिकिट काट कर दिया जाता है, पिछले दिनों इस सम्बन्ध में निवेदन किया था कि बहुत से लोग टिकिट ही नहीं काटते, किराये ले लेते हैं और पेसेन्जर टैक्स भी उनकी जेब में चला जाता है। इसी प्रकार व्यापारी लोग टैक्स का पैसा माल की कीमत के साथ वसूल करके कन्ज्यूमर्स से ले लेते हैं और सरकारी खजाने में जमा नहीं होता है और बीच में खा जाते हैं, इसलिये व्यवस्था इस बात की करनी है कि वह सरकार में पैसा जमा होता है या नहीं। टैक्सेशन विभाग इस व्यवस्था को नहीं कर सका है। मैंने जगह-जगह घूम कर देखा है। टैक्सेशन इन्सपेक्टर तहसीलों में रहते हैं, उन्होंने अपना व्यापारियों से पैसा बांध रखा है, उनसे वे पैसा ले आते हैं और सरकार के अन्दर पैसा आता है या नहीं आता है, यह आप जाने और आप जानकारी करना चाहें तो कर सकते हैं। जहां तक इन लोगों का काम है, दूसरे अधिकारियों का काम है, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत से आदमियों की बहियां जब्त करके रख ली जाती हैं। उन्हीं लोगों की रखी जाती हैं जिनको ये अधिकारी तंग करना चाहते हैं, नाजायज पैसा उनसे लेना चाहते हैं। उनकी बहियां चार-चार साल तक रखी जाती हैं। जो लोग पैसा दे देते हैं उनकी बहियां रखने का सवाल ही नहीं होता है और वहीं का वहीं निपटारा हो जाता है। वाजिब टैक्स उनको देना चाहिये, उससे भी उनका छुटकारा हो जाता है। दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि यहां के अधिकारी अधिक से अधिक टैक्स लगाते हैं और जनता को तकलीफ दे रहे हैं। मेरी यह शिकायत है कि लगे हुए टैक्स भी नहीं वसूल कर रहे हैं। इस चीज को दूर करना चाहिये। जनता को अधिक से अधिक राहत मिले और वह सुखी हो, इस ओर ध्यान देकर इनकी व्यवस्था करना चाहिये। टैक्सेज का भार कम हो। नेसेसिटी ऑफ लाइफ का सामान है उन पर टैक्स लगा देते हैं, वसूल न हो सके और लोग खा जायं बीच में और कन्ज्यूमर्स को टैक्स देना पड़े, यह ऐसी बात है जो अधिक दिन बर्दाश्त नहीं हो सकती और ऐसे इन्तजाम को कोई अच्छा नहीं कह सकता। नेसेसिटी ऑफ लाइफ तेल, घी, अनाज, ये रात और दिन जीवन में काम में आते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी को अपना पेट भरने के लिये ये चीजें आवश्यक हैं, उन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये और उन लग्जरी चीजों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाना चाहिये ताकि आपकी इन्कम भी बढ़े।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

बड़े आदमियों पर यह टैक्स लगे और गरीब आदमी और मिडिल क्लास के आदमी पर इनका टैक्स का-भार न पड़े।

(२.२५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लम्बी चौड़ी लिस्ट बतायी और यह कहा गया कि टैक्स लगे हैं उनको अधिक से अधिक बढ़ाया जा रहा है। यह मानना पड़ेगा कि टैक्स लगाये बिना कोई भी सरकार नहीं चल सकती और जिस प्रकार से विकास करना चाहते हैं उसी प्रकार से विकास नहीं हो सकता। लेकिन टैक्सेशन के विषय में एक स्टेट से दूसरी स्टेट और सारे देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि राजस्थान के व्यापारियों को दूसरों के मुकाबले में नुकसान न उठाना पड़े। दिल्ली में दो पर्सेन्ट टैक्स है और वहां छः पर्सेन्ट टैक्स है तो वहां के लोगों को महरूम रहना पड़ेगा।

श्री श्रवणलाल (हिण्डोन-सु०) : सदन का कोरम पूरा नहीं है।

(गण-पूरक घन्टी)

श्री गिरधारीलाल व्यास : (कोरम पूरा होने पर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो भी टैक्स लगाये जायं वे इस तरीके से लगाये जायं कि कम से कम लोगों को तकलीफ हो। आज जिस प्रकार का टैक्सेशन या जिस प्रकार की चीज यहां पर हुई है जैसे अनाज पर टैक्स। पिछले साल भी असेम्बली में लड़ाई-झगड़ा हुआ था, इस तरफ और उस तरफ बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया था और यह कहा था कि अनाज पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये। यह बहुत ही जरूरी चीज है जिसके बिना जिन्दा नहीं रहा जा सकता। इसके विपरीत टैक्स लगा दिया गया यह अच्छी चीज नहीं है। जो भी आवश्यक चीजें हैं जिनकी हर कन्ज्यूमर को आवश्यकता होती है; जैसे केरोसीन, घी, तेल और दूसरी चीजें जिनकी हर आदमी को, गरीब से गरीब को भी आवश्यकता होती है उन पर कम से कम टैक्स लगाना चाहिये और जो व्यापार की चीजें हैं जिनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान-प्रदान या जिनको भेजने की जरूरत है, उन पर दूसरी स्टेट के मुकाबले में ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिये। यदि हमारे यहां पर ज्यादा टैक्स हुए तो उस आर्टिकल में और इन्डस्ट्री में तरक्की नहीं कर सकते और हमारे व्यापारी पिछड़ जावेंगे। घी और तेल के टैक्स पर कहा गया कि घी पर तीन पर्सेन्ट और तेल पर पांच पर्सेन्ट। घी बड़े लोग खाते हैं जैसा आप कहते हैं; तो तेल पर कम होना चाहिये क्योंकि इसको तो अधिक से अधिक गरीब लोग खाते हैं। कम से कम इसको बराबर तो कर देना चाहिये। आपका यह उसूल है कि जिसको ज्यादा लोग काम में लेते हैं उस पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं। यह आपका उसूल गलत है। गरीब लोग जिन आर्टिकलस को कन्ज्यूम करते हैं उन पर कम टैक्स लगाने चाहियें जिससे उन पर अधिक भार न पड़ेगा।

कृषि के प्रॉडक्शन को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने कृषि की हर चीज पर टैक्स लगा दिया है। मैं कम से कम यह

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

नहीं मानता कि हमारी सरकार की यह नीयत है कि कृषि की पैदावार नहीं बढ़नी चाहिये। हमने हर क्षेत्र में किसानों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। उनको जमीन से लेकर जब तक पैदावार न हो जाय साधन उपलब्ध कराने में सरकार ने सहयोग दिया है। टैक्सेज जितने भी लगाये गये हैं ट्रेक्टर पर, डीजल पर उसमें तो ट्रेक्टर खेती के अलावा दूसरे भी काम में आता है। जिन लोगों के पास ट्रेक्टर हैं वे मुश्किल से एक महीना उससे काम लेते हैं ग्यारह महीने उससे दूसरा काम लेते हैं, उससे दूसरी कमाई करते हैं। जिन-जिन लोगों ने खेती के लिये ट्रेक्टर लिये हैं उनका दूसरे तरीके से उपयोग करके उससे मुनाफा कमाते हैं।

ट्रेक्टर पर टैक्स लग गया, डीजल पर टैक्स लग गया इससे खेती-बाड़ी का कोई नुकसान हो रहा हो यह बात नहीं है। इससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा यह मानने वाली बात नहीं है। क्योंकि ट्रेक्टर साल में एक महीना मुश्किल से खेती के काम में आता है बाकी समय में उससे दूसरा काम करके काफी मुनाफा कमाते हैं। इसलिये इस पर टेक्स लगने से खेती पर किसी प्रकार का असर पड़ेगा, यह बात मानने लायक नहीं है।

इसी प्रकार से एक्सपोर्ट के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। जो माल हमारे यहां से बाहर विदेशों को एक्सपोर्ट होता है उस पर इन्कम टैक्स भी भारत सरकार द्वारा कम किया है वह इसलिये कि लोगों को एक्सपोर्ट में प्रोत्साहन देने के लिये ये सहूलियतें दी गई हैं।

इन्कम टैक्स आदि का रिडक्शन इसीलिये दिया जाता है कि माल ज्यादा से ज्यादा बाहर जाय। लेकिन हमारी सरकार तो उन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा रही है। हमें चाहिये तो यह था कि जिन चीजों का हम एक्सपोर्ट करते हैं वह ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हों, इसलिये उनमें टैक्सों की सहूलियतें दें, ताकि हमारा फोरिन एक्सचेन्ज बढ़े। फोरिन एक्सचेन्ज बढ़ता है तो व्यापारी उसमें ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लेगा। जितनी चीजें एक्सपोर्ट होती है उन पर टैक्सेशन का भार कम से कम पड़ना चाहिये। इन चीजों में हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि दूसरे प्रदेशों में उन पर क्या टैक्स है हम कहीं ज्यादा टैक्स लगा कर हम उनके मुकाबले कम्पीटिशन में स्टेन्ड भी कर सकेंगे या नहीं ? इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि जो व्यापारी यहां पर इस प्रकार का सामान बाहर भेजता है उसको बाध्य होकर दूसरे प्रदेश से चीजें खरीदनी न पड़ें, दूसरे प्रदेश के लोग ज्यादा फायदा उठा लें और हमारे यहां के लोग रह जायं, उनको तकलीफ उठानी पड़े. यह नहीं होना चाहिये।

हमें ज्यादा से ज्यादा इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि टैक्सेशन का भार गरीब लोगों पर कम से कम पड़े मगर यहां यह देखा गया है कि हमने हर चीज पर हर क्षेत्र में टैक्स बढ़ाने की कोशिश की है। पहले हमने जानवरों पर भी टैक्स लगाया है। जब यह टैक्स पिछली साल आया तो काफी विरोध हुआ उसको वापिस ले लिया गया उसी को फिर इस साल भी ले आये और एक्सपोर्ट पर रख दिया। इस तरह से जिन बातों का हम विरोध करते हैं एक साल दूसरी साल उन्हीं

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

चीजों को वापिस ले आते हैं। जिन बातों का हम विरोध करते हैं और जिसके बारे में समय-समय पर चेतावनी देते हैं कि इन चीजों का गरीब आदमियों पर असर पड़ता है, आप इनका ध्यान रखिये। कम से कम आप इस प्रकार के टैक्स लगावें जिसका भार गरीब आदमी पर कम से कम पड़े। जिस चीज पर टैक्स हटाने की बात पहले साल में कर देते हैं। आप दूसरे साल उसी प्रकार की परिस्थितियां पैदा करते हैं, यह आपकी किस प्रकार की पॉलिसी है, हमारी समझ में नहीं आता। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिये कि जितना ज्यादा से ज्यादा टैक्स आप वसूल करेंगे तो लोगों को टैक्स के प्रति घृणा पैदा होगी लोगों को यह महसूस होगा कि हमारी जेबों को काटना चाहते हैं। आपका रवैया यह होना चाहिये जिसकी जेब में ज्यादा हो उससे ज्यादा लें, जिसके पास कम हो उससे कम लें।

अभी एक माननीय सदस्य महाजनों और व्यापारियों की पैरवी कर रहे थे कि आप व्यापारियों को ज्यादा तग करके उन पर ज्यादा टैक्स लगा करके उनको शोषण करना चाहते हैं। मैं तो यह कहूंगा, ये खुद ही शोषण करने वाले लोग हैं। आप खुद इनको टैक्स छोड़ देते हैं। आपकी तरफ से ढिलाई है, आप उनसे पूरा पैसा वसूल नहीं करते, यदि करते तो यह नौबत नहीं आती। हर साल नये-नये टैक्स लगा करके आप गरीब आदमियों को परेशान करते हैं यह उचित नहीं है। आज राजस्थान में पर केपिटा जो टैक्स है वह अन्य प्रान्तों से सबसे ज्यादा है। आपको चाहिये कि टैक्सेज को घटा कर आपको नोन-टैक्स रैवेन्यू बढ़ानी चाहिये। आपने जो टैक्स लगाये हैं वह अच्छी तरह से वसूल हो, इसमें जो गड़बड़ियां चली आ रही हैं, बेईमानियां और घोटाले हो रहे हैं उन चीजों को मिटा करके अगर आप एफिशियेन्टली वसूल करते हैं तो राज्य को अच्छी आमदनी होगी इस प्रकार का प्रबन्ध करना आवश्यक है।

नये-नये आर्टिकल्स पर टैक्स बढ़ाते जायं और पिछले आर्टिकल्स का पैसा ही वसूल न हो, इस तरह से आप जनता को टैक्स लगा कर परेशानी में डालते हैं। इन चीजों को मन्त्री महोदय, ध्यान में रखकर भविष्य में इस प्रकार के टैक्सेज ज्यादा नहीं लगायेंगे, ऐसी आर्टिकल्स पर जो दैनिक उपयोग की हैं, तो लोगों के लिये ज्यादा अच्छा होगा।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान करारोपण विधि संशोधन विधेयक, १९६६ के बारे में मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। इस सरकार को करोड़ों रुपये के टैक्स लगाकर भी सन्तोष नहीं है दिन प्रति दिन नये नये टैक्स लगाते जा रहे हैं। ३२ करोड़ तक के टैक्स लग चुके हैं, तीस करोड़ रुपया जमीन बेच कर प्राप्त किया गया है आखिर इसका अन्त कब होने वाला है यह समझ में नहीं आता। आज बहुमत के बल पर यहां पर विराजमान हो गये। आप जो जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं उस पर आपको विचार करना चाहिये।

घी जैसी वस्तु जो हमेशा काम में आने वाली है आज तो शुद्ध घी का वैसे ही पता नहीं, जापे के समय शुद्ध घी लोगों को

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

खाने का नहीं मिलता और यह टैक्स लग जाने से यह भी मिलना दूभर हो जायगा। आज जापे में यदि शुद्ध घी खाने को औरतों को नहीं मिलेगा तो उनके बच्चे किस प्रकार सुदृढ़ होंगे। आज देश को बलवान और ताकतवर लोगों की आवश्यकता है। आज देश के सामने कई समस्यायें हैं वैसी हालत में बलवान और सुदृढ़ व्यक्ति ही देश के लिये उपयोगी हो सकते हैं। यह जो आपने घी पर टैक्स लगाया है उससे ज्यादातर किसानों पर असर पड़ने वाला है जो घी बेचकर अपना गुजारा करते हैं उनको बड़ा भारी नुक्सान होगा।

पंचायत राज में इस प्रकार के टैक्स लगाना हितकर नहीं है। जयपुर और दिल्ली में बैठ कर ८० प्रतिशत लोग जो गावों में रहते हैं उन पर टैक्स लगाना भारी अन्याय है। आप जितने भी सारे टैक्स लगाते हैं वे सारे टैक्स ऊपर बैठकर लगाते हैं। छिपे तरीके से लगाकर जाहिरा तरीके से वसूल करते हैं। व्यापारी वर्ग जिसको आप शोषण करने वाला कहते हैं लेकिन उनके मार्फत आप गरीब मजदूर वर्ग को बरबाद करते जा रहे हैं। भारत में टैक्स का बोझ जनता पर इतना हो गया अन्वेषण सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय आय से पांच गुना टैक्स आपने यहां लगा दिया है।

एक सहायक सेक्रेटरी यहां हिन्दुस्तान में आये थे उन्होंने इन्दिराजी को बधाई दी थी कि आपके हिन्दुस्तान में टैक्सों की प्रदर्शिनी लगी हुई है। आपने राजस्थान में अन्य राज्यों की अपेक्षा कई गुना टैक्स लगा दिया, इससे तो बंगाल में कम है।

दिल्ली में सिनेमा पर २५ प्रतिशत टैक्स है, जब कि राजस्थान में ४० प्रतिशत इस प्रकार के टैक्सों से जनता पीसी जा रही है। दिनों दिन इस पंचायती राज में जहां अफसर भ्रष्टाचार करते हैं, टैक्स की वसूली जो नहीं करते जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में मुकद्दमे चालान किये हैं, लेकिन उनके खिलाफ मुकद्दमा पेश करके कोई फैसला नहीं किया जाता। इस प्रकार ऐसे अधिकारियों के साथ पक्षपात करते हैं। राजस्थान में गाड़ियों का टैक्स लोगों में बकाया है। आपकी वसूली का ढंग ठीक नहीं है। आपका करोड़ों रुपया टैक्स का बकाया है, आप उसको वसूल नहीं कर पाते और रोजाना नये नये टैक्स लगाते हैं। आप ८१ करोड़ का बजट बनाते हैं और संशोधित में ९७ का कर देते हैं, तो १५-१६ करोड़ का तो यों फर्क हो जाता है संशोधित में और अनुमान में तो यह क्या मशीनरी है जो इतना अन्तर अनुमान में रखती है।

फिर आमदनी अगर ज्यादा हो जाती है तो खर्च भी ज्यादा कर देते हैं। खर्च कम नहीं करते। आप अपने मिलने जुलने वालों और आपका साथ देने वालों को पनपाते हैं। आपके विभागों में इस कारण भ्रष्टाचार हो रहा है। रोजमर्रा विधान सभा में यही बातें सामने आती हैं। फिर भी हम जब वाजिब बात इधर से कहते हैं तो आप ध्यान नहीं देते उस पर। सुनते नहीं। तो समय रहते आप चेतो। इस तरह के टैक्सों को हटाओ।

जनता को सहूलियत दो, नहीं तो आइन्दा चुनाव आ रहे हैं, आपको मालूम हो जावेगा।

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

हमें तो क्या कहना है अब ज्यादा ? चुनाव नजदीक आ ही रहे हैं।

इसी तरह सिनेमा के बारे में आपने किया है कि बिना टैक्स दिये प्रवेश कोई करेगा तो २००) रु० जुर्माना किया जावेगा। यह आप लोग ही करते हैं। मन्त्री लोग हुए; सेक्रेटरी, डाइरेक्टर, अधिकारी वर्ग या बड़े-बड़े लोग हुए, वे ही इस तरह का काम करते हैं। गरीब तो फ्री जाने से रहा, उसको कौन जाने देगा। पर यह जुर्माने का बोझ भी आप पर नहीं पड़ने वाला है, यह हम जानते हैं। इसमें भी कोई सिनेमा का कर्मचारी, गरीब आदमी पर ही बोझ पड़ेगा। वह मारा जावेगा। तो जो गरीब होगा वह महरूम रहेगा, आप नही रहेंगे।

आपने इतने कानून कायदे टैक्सों के बारे में बना डाले हैं कि आम जनता तो समझ ही नहीं पाती।

आपने वादा किया था कि पंचायती राज में हम सब को आराम पहुँचावेंगे, सस्ता अनाज, कपड़ा देंगे, पर इन बीस सालों के बाद भी आपके इन वादों का कहीं ठिकाना नहीं है। भूखमरी फैल रही है उल्टी। अकाल का वक्त आ रहा है महंगाई आसमान छू रही है। उधर टैक्सों की भरमार और उन टैक्सों से वसूल किया गया रुपया पानी की तरह आप बहा रहे हैं, भ्रष्टाचार में वह पैसा लुट रहा है। तो इधर तो टैक्सों से अनाप शनाप वसूली और लुटाई हो रही है, उधर अकाल राहत के कामों में आप मजदूरों को पूरी मजदूरी देना नहीं चाहते, उन गरीबों को जो अकाल से पीड़ित हैं।

मेरे क्षेत्र में रायपुर, नान्देसवां में अकाल राहत कार्य के लिये ७० हजार रुपया रक्खा है। सड़कें बनाना चाहते है पर मजदूर नहीं आते। आप आदमियों को रुपया सवा रुपया और औरतों को ८७ पैसा देना चाह रहे हैं, जब कि पास मे ही राणा प्रतापसागर बान्ध पर दो और ढाई रुपया मिल रहा है।

पशु मर रहे हैं. चारे की व्यवस्था आपके पास नहीं है। जंगलों में बन्दिशें लगा रक्खी है।

तो जो जरूरी काम करने के हैं वे तो करते नहीं। रोजाना टैक्सों के इस तरह के कानून लाकर इस सदन का भी और हमारा भी समय नष्ट करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे कानून लावें जिससे जनता का भला हो, इसमें हमारा भी समय का सदुपयोग है और सदन के समय का भी।

लाखों-करोड़ों की वसूली आप वसूल नहीं करना चाहते, टैक्स नये पर नये लादना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

(अनुपस्थित)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसिंह।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इस करारोपण विधि (संशोधन) विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे ताकि वह सात दिन में इस पर पूरा विचार करके अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत कर सके।

(श्री गोविन्दसिंह)

टैक्स आप ऐसे लगावें जो दूसरे राज्यों से अधिक न हों। बहुत से टैक्सों की मैंने सूची देखी तो राजस्थान, मध्यप्रदेश और दूसरी स्टेटों के टैक्सों में राजस्थान में लगे टैक्स दुगुने और इससे भी ज्यादा हैं। पांच छ नाम मैं बताऊंगा। वे हैं खास तौर पर : सेनीटरी गुड्स पाईप पर राजस्थान में १६ प्रतिशत, दिल्ली में ५ और मध्यप्रदेश में ७ प्रतिशत हैं।

हाइड्रोजेनरेटेड आइल पर राजस्थान में दस, मध्यप्रदेश में ६, गुजरात में ८, दिल्ली में ५ प्रतिशत हैं।

कटपीस पर राजस्थान में १०, दिल्ली में ५, मध्यप्रदेश में ७। क्राकरी पर राजस्थान में दस, दिल्ली में ५ और मध्यप्रदेश में ७ प्रतिशत है।

फायर वुड और चारकोल पर राजस्थान में ६, मध्यप्रदेश मे २ प्रतिशत है।

केरोसिन आइल पर राजस्थान में ७, दिल्ली में एग्जम्पटैड, गुजरात में ३ प्रतिशत है।

एडीबल आइल में राजस्थान में ५, मध्यप्रदेश में २ है।

माचिस पर राजस्थान में ७, गुजरात में ३ है।

तो ये ऐसे टैक्सेज हैं। खास तौर से मैंने उन आइटम्स का नाम लिया है जो राजस्थान में दूसरे प्रान्तों से करीब-करीब दुगुने हैं। इसकी वजह से हमारे यहां के व्यापार को नुकसान हो रहा है। इससे सरकार को भी पूरा टैक्स नहीं मिल रहा। आज बाजार में आप चले जायं। कोई सामान मांगे और आप कहें कि कीमत कम कर दी जावे तो बिना बिल के सामान दे दिया जावेगा तो व्यापारी सेल्स टैक्स लगाना ही छोड़ देगा।

व्यापारियों को भी नुकसान है। सामान अभी कहां से आता है, आस-पास के इलाकों से, दूसरी स्टेटों से आता है जिनमें टैक्स कम है। चोरी से वहां से लाते हैं और अपना धन्धा करते हैं। मिनिमम टैक्स भी जो हमें मिलना चाहिये वह भी नहीं मिलता। कस्टमर भी दो रुपया और दस रुपया की बचत के लिये उसमें शामिल हो रहा है।

तो टैक्स आप ऐसे लगावें कि जिनमें आप पास की स्टेटों से अधिक से अधिक फर्क एक-दो पर्सेन्ट का हो। बस। जिससे कि खरीददार और बेचवाल दोनों को भी झूठ नहीं बोलना पड़े, चोरी नहीं करनी पड़े और सरकार को भी उसका वाजिब हिस्सा मिल जावे। इन टैक्सों से वास्तव में राजस्थान सरकार को नुकसान हो रहा है। जो कोमोडिटी बाहर से ला रहे हैं व्यापारी लोग उस पर सेल्स टैक्स सरकार को नहीं मिलता। कागजों में १६ पर्सेन्ट, १० पर्सेन्ट टैक्स लगा कर आप भले ही राजी हो जावें।

मैं निवेदन करूं कि भवानीमण्डी राजस्थान में है और उससे लगी हुई भैंसोदा मंडी मध्य प्रदेश में है। वनस्पति घी पर राजस्थान में दस पर्सेन्ट टैक्स है और भैंसोदा में छः पर्सेन्ट। अब क्या हुआ कि राजस्थान के व्यापारियों ने अपनी दुकानें वहां लगा लीं। आपकी मण्डी तो चौपट हो गई और मध्य प्रदेश की मण्डी चमन हो गई। वहां की सरकार को टैक्स काफी मिला और आपको एक पैसा भी नहीं मिला। इससे

(गोविन्दसिंह)

उनकी मण्डियां पनपती जा रही हैं और आपकी मण्डी उजड़ती जा रही है।

यह ठीक है कि आप टैक्स लगावें। पर यह अवश्य देखें कि इसका व्यापारियों पर, मण्डियों पर, खरीददारों पर और सरकार पर क्या असर पड़ने वाला है।

सीधी बात है राजस्थान बन गया, राजस्थान सरीखे अलग-अलग प्रान्त मिल कर देश बन गया। तो अब एक राजस्थान में १० पर्सेन्ट टैक्स है और दूसरे मध्य-प्रदेश में छः पर्सेन्ट ही टैक्स हैं। तो फायदा क्या हुआ देश के एक होने से, ऐसा जनता सोचती है।

हमारा पुराना व्यापार तो अच्छा चल रहा था राजस्थान में वह और चोपट होता जा रहा है। चार हजार, पांच हजार, दस हजार जो आपको अधिक टैक्स से मिलने वाला था, नहीं मिल पाता है आपकी नीति के कारण। कोई भी व्यापारी नुकसान खाकर व्यापार नहीं करेगा, यह आपको समझना चाहिये। पुरानी इन्डस्ट्रीज भी खतम होती जा रही हैं।

इसलिये निवेदन है कि आप इस पर पुर्नविचार करें।

खास तौर से निवेदन करना है घी पर। आलोचना हुई। घी पर टैक्स एक्सपोर्ट पर है। इससे तो उल्टा राजस्थान की जनता का भला है। हमारे यहां का घी बाहर जाने से रुक जावेगा। इसमें क्या नुकसान है। इसमें कुछ कहना सिवाय सरकार की आलोचना खामख्वाह करने के और कुछ नहीं है। मैं इसको नहीं मानता। घी एक-दो पर्सेन्ट का मिलता होगा नहीं तो या तो घी में तेल मिला होगा या कुछ और।

तेल खाने की चीज है। इस पर टैक्स वाजिब होना चाहिये, हम कम नहीं कर सकते तो घी के बराबर तो रक्खें।

गुड़ का सवाल है। किसान स्वयं गन्ने से गुड़ बनाता है। इस पर भी आपने टैक्स लगा दिया है। एक तरफ कहते हैं काश्तकार की चीजों पर टैक्स नहीं लगाना चाहते। दूसरी तरफ करते उल्टा हैं। हरेक किसान अपने-अपने ढंग से स्वयं गुड़ बनाता है। तो काश्तकारों को मालूम पड़ रहा है कि उस पर भी टैक्स लग रहा है। गुड़ की कोई फेक्टरी भी कहीं नहीं है। किसान स्वयं अपने गन्ने से गुड़ तैयार करता है।

जहां तक गल्ले का सवाल है कहा जाता है कि खरीददार पर टैक्स है। मैं भी यही मान कर चल रहा था कि यह काश्तकार पर नहीं है। पर अभी कोटा, बूंदी और झालावाड़ में सरकार मक्का खरीद रही है। उसका भाव रखा है झालावाड़ में ४२ रु० क्विन्टल, कोटा में ४३रु० का भाव है। जवार का भाव झालावाड़ में ४५ रु० और कोटा में ४६ रु० है। जब काश्तकार जवार और मक्का को बेचता है तो सेल्स टैक्स उसमें से काट लेते हैं। तो आपको निवेदन यह है और आप हमेशा यह कहते आये हैं कि जो काश्तकार हैं उनसे सेल्स टैक्स नहीं लेंगे तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ वालों से क्यों टैक्स लिया जा रहा है? अगर वह कर्मचारी लोग गलती से ले रहे हैं तो उसका माफ किया जाय और अगर वह गलती नहीं कर रहे हैं तो, जैसी कि आपकी

(श्री गोविन्दसिंह)

घोषणा है कि काश्तकारों से टैक्स नहीं लेंगे तो फिर यह क्यों ले रहे हैं ? इसको साफ किया जाये। तो भाव आपने ४२ रुपये बता रखे हैं और उसमें सेल्स टैक्स काट रहे हैं इसका नतीजा क्या होगा ? एक तरफ तो आप भाव कम दे रहे हैं और दूसरी तरफ सेल्स टैक्स लगा रहे हैं तो इससे आपकी ज्वार और मक्का यहां नहीं रहेगी बल्कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में चली जायगी। मक्का के लिये मैं कह सकता हूं कि झालावाड़ का जहां तक प्रश्न है आपकी करीब ६० पर्सेन्ट मक्का मध्य प्रदेश में गयी है। तो आप एक-दो रुपये का सेल्स टैक्स लेकर वह गल्ला राजस्थान में नहीं रहे और मध्य प्रदेश चला जाये इस तरह का कदम उठा रहें हैं। यह गल्ला एक दो रुपये के पीछे आप जहां अकाल पड़ा है वहां आप मुहैय्या नहीं करने देते हैं और वह गल्ला एक-दो रुपये की वजह से बाहर जा रहा है इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसा टैक्स जिसकी वजह से गल्ला हमारे यहां नहीं रहने वाला है और बाहर जा रहा है और हमारे यहां अकाल पड़ा हुआ है इन टैक्सों के ऊपर आप फिर दुबारा विचार करें ताकि गल्ला बाहर न जावे और आप उस गल्ले को अकालग्रस्त एरिया में भेज सकें।

आप एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप हर चीज को एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अगर हमारे देश को ऊंचा उठाना है, अगर हमारे देश को समृद्धिशाली बनाना है तो हमको गल्ला हमारे यहां पर ही पैदा करना होगा। अगर हमको पाकिस्तान या चीन से लड़ना है तो कम से कम हमारे यहां गल्ला का इन्तजाम पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए। अगर हम विदेशों से गल्ला लेंगे तो न जाने कब वह हमको जवाब दे दें और फिर हमारी स्थिति खराब हो जाये। इसलिये हमको गल्ले के मामले में अपने स्वयं के ऊपर ही निर्भर होना पड़ेगा। इसलिये चौथी पंचवर्षीय योजना जो बनाई है उसमें भी यही ध्येय रखा हुआ है कि हम गल्ला पैदा करने वाले साधनों को बढ़ावा दें। इसलिए जिन चीजों को काश्तकार काम में लाता है गल्ले के उत्पादन के लिए उनके ऊपर टैक्स लगायें या नहीं इस पर दुबारा सोचना चाहिये। एक तरफ तो हम जितनी भी चीजें और इम्प्लीमेन्ट्स गल्ला बढ़ाने के लिए काश्तकार काम में ले सकता है उनके ऊपर टैक्स लगाते जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि काश्तकार को क्योंकि टैक्स के रूप में पैसा देना पड़ता है इसलिए वह क्यों गल्ले की पैदावार को बढ़ायेगा। वह केवल कैश क्राप्स ही बढ़ायेगा। वह मूंगफली और तिलहन बोयेगा और आपको गल्ला बाहर से मंगाना पड़ेगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करें जिससे काश्तकारों को मालूम पड़े कि अगर वह गल्ला पैदा करते हैं तो उनको पैसा ज्यादा मिलने वाला है। जब वह यह समझ जायगा तो अपने आप वह गल्ला पैदा करने में लग जायेगा और जो बाहर से हम गल्ला मंगाते हैं वह नहीं मंगाना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन था कि इसको ७ दिन के लिए प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये और जो हमारे आसपास के प्रान्त हैं मध्य प्रदेश है, गुजरात है, यू० पी०, दिल्ली, पंजाब

(श्री गोविन्दसिंह)

है वहां पर इस सम्बन्ध में कितने टैक्सेज हैं उनको भी रिव्यू कर लें और फिर हमारे सामने रिपोर्ट आ जाये तो मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इसके ऊपर विचार किया और दूसरे प्रान्तों के बराबर टैक्सेज कम किये तो आपकी आमदनी में कमी नहीं होने वाली है बल्कि जो टैक्सेज की चोरी होती है उसमें कमी हो जायेगी।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि व्यापारी सेल्स टैक्स तो खरीदारों से ले लेता है पर वह राज्य में जमा नहीं कराता। वह साल-साल और दो साल उनके पास पड़ा हुआ रहता है। बहुत-सा टैक्स जमा हो जाता है और बहुत-सा नहीं होता। लेकिन हमारे नियम बन जायें कि जो भी सेल्स टैक्स लिया जा रहा है वह आपके केश में जमा हो जायगा। मेरा तो इसके लिए निवेदन है कि कम से कम जो व्यापारी धंधा करने वाले हैं उनको आप अपनी तरफ से टिकिट क्यों नहीं दे दें। जितना धंधा करने वाले हैं उनको हम टिकिट दे दें और जो भी सामान वह बेचता है वह बिल पर उस टिकिट को लगा दे। इससे न तो उनको केसेज ही लड़ने पड़ेंगे और न उनको हरेसमेन्ट होगा और हमारा पैसा भी वसूल हो जायेगा। जहां तक सेल्स टैक्स ऑफिसर का प्रश्न है मैं समझता हूं कि उनका व्यू लोनियेन्ट होना चाहिये। हां, यह ठीक है कि जो व्यापारी बेईमानी करता है या पैसे को छिपाता है उसके साथ तो सख्ती की जाये, उसमें दो राय नहीं है; लेकिन ऐसा नहीं हो कि बेईमान को तो राहत मिल जाये क्योंकि बेईमान आदमी तो आपके डिपार्टमेन्ट वालों को पैसा देकर राहत पा सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो कि ईमानदारों को तंग किया जाये, उनके रोकड़ और वही खाते दिवाली के दिन जब्त कर लिये जायं। दिवाली पर जब कि रोकड़ बही खाते की पूजा होती है उस दिन छीने गये हैं। तो ऐसी टेन्डेंसी जो ऑफिसर्स की हो गई है उसके ऊपर चैक होना चाहिये। कम से कम ईमानदार व्यक्ति को हैरेस नहीं किया जावे।

इसके अलावा जहां तक चैक-पोस्ट का प्रश्न है रायपुर में चैक-पोस्ट है वहां पर तीन-चार सौ रुपये की रोजाना आमदनी होती है लेकिन अफसोस है कि उस चैक-पोस्ट की हालत बहुत खराब है। बरसात में आप उसकी हालत देखिये। तो एक तरफ आप आमदनी के जरिये बढ़ा रहे हैं और चैक-पोस्ट के ऊपर क्या-क्या आराम होने चाहिएं उनकी तरफ भी आप ध्यान दें। मेरा निवेदन यही है कि इस बिल के लिए जल्दी न करें, यह टैक्सेशन का प्रश्न है, अगर राजस्थान की इन्कम बढ़ती है जनता परेशानी से बचती है और आप डिसकन्टेटमेन्ट से बच सकते हैं तो प्रवर समिति के सुपुर्द इसको किया जाये और उस समय ही इसको फाइनेलाइज किया जाये।

(सर्व श्री राधाकृष्ण गोयल व श्रवणलाल बोलने हेतु खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : आपके अमेन्डमेन्ट्स तो हैं नहीं, इसलिए ५-५ मिनट ही बोल लें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिक्री कर एक महत्वपूर्ण कर है, लेकिन यह कर दिन दूना और रात चौगुना बढ़ाया जा रहा है जिससे जनता पर यह बहुत भार बन गया है। जहां तक

Page No.87

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

निजी आवश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है यह कर बहुत भारी मात्राओं में है। और इस बढ़ती हुई मंहगाई के जमाने में जब कि पर कैपिटा इन्कम राजस्थान में नागरिकों की नहीं बढ़ी है, भाव ऊंचे जा रहे हैं फिर यह टैक्स लगाने से और इस टैक्स की दरें और भी अधिक होने से जनता को अपने निर्वाह की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो मनुष्य के जीवन को अत्यन्त आवश्यक सामग्री उसको जिन्दा रखने के लिए चाहिए जैसे आटा, गेहूं, तेल, मिट्टी का तेल, कोयला आदि वस्तुएं हैं।

इन पर भी बिक्री कर बहुत अधिक मात्रा में राजस्थान में लगाया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनतंत्रीय सरकार है। अब तक जितने भी वक्ता-माननीय सदस्य-इस सदन में अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं उनमें दो मेम्बर्स ने यह मत इस सदन में प्रस्तुत किया है कि जो कर की दरें राजस्थान में हैं वह निकटवर्ती राज्यों से काफी अधिक हैं और उसी के समान स्तर पर लाना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है इसलिये राजस्थान सरकार के लिये जनतंत्रीय सरकार होने के नाते यह परम आवश्यक हो जाता है कि इस सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित करे और जो सेल्स टैक्स की दरें दिल्ली में या अन्य हमारे निकटवर्ती राज्यों में हैं उसी के अनुरूप हमारे राज्य में लगायें क्योंकि अन्तर होने से इवेज़न होता है, सेल्स टैक्स का स्मगलिंग होता है और जो टैक्स हमें मिलना चाहिए वह भी हमें नहीं मिल पाता क्योंकि खरीद-फरोख्त बराबर के एरिया में जा कर लेते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, संक्षिप्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कर नीति सामाजिक सुधार के लिए, लोगों की आर्थिक स्थिति ऊंचा करने के लिए लगाई जाती है कृषि को विकसित करने के लिए जो कर नीति आवश्यक है उसके विपरीत राजस्थान सरकार ने आचरण किया है। खेती को बढ़ावा देने के बजाय डिस्करेज करने के लिए यह कर नीति काम में आ रही है। खेती की कई वस्तुओं के ऊपर टैक्स लगाया गया है जिससे काश्तकारों को डिसकरेजमेन्ट है और राज्य सरकार को इस ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।

(३ म० प०)

इसके साथ ही मैं एक छोटा सा निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने खेती के हल जो कि एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स हैं उस हल को तो कर मुक्त कर रखा है लेकिन हल के जो अन्य औजार, जो कुली और दांते और इसी प्रकार की अन्य चीजें खेती में काम में आती हैं और इसी रूप में हैं, उनको एक्ट में मेन्शन नहीं करने से सरकार के अधिकारी कर वसूल करते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को अपनी निश्चित नीति, जो भी हो और जो एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट में हल हैं, उसकी डेफिनिशन को साफ कर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में घरेलू उद्योग और छोटे बड़े उद्योग हैं ये भी यहां की जनता की आय बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। वर्तमान कर नीति ऐसी है जिससे यहां पर इसमें एनकरेजमेंट नहीं मिल पाता है। लोग जो साधारण आमदनी करते हैं, छोटे २ उद्योगों से उनको भय लगता है इन बढ़े हुए सेल्स टैक्स वगैरा

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

से। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार को निश्चित रूप से अपनी इस नीति में परिवर्तन करना चाहिए।

इसके साथ ही राजस्थान में बनी हुई चीजें राजस्थान से बहार और विशेष रूप से भारत से भी बाहर जाती हैं। उनके सम्बन्ध में भी राजस्थान सरकार की नीति उनको एनकरेज करने की होनी चाहिए जिससे हम फोरिन-एक्सचेंज प्राप्त कर सकें, फोरिन एक्सचेंज अर्न करने में हमको सहायता मिले और विकास की योजनाओं में भी मदद मिल सके। लेकिन राजस्थान सरकार ने ऐसी वस्तुओं पर जो कि राजस्थान से बाहर जाती हैं, अमेरीका, कनाड़ा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी वगैरा जाती हैं, उन पर भी बिक्री कर लगाकर उनके उत्पादन में कमी करने की राजस्थान सरकार ने जो गल्ती की है उस गल्ती को भी सुधारा जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में कर लगाने का जो तरीका है और वसूली का जो तरीका है उसके सम्बन्ध में भी दो शब्द कह देना चाहता हूं। यह जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हैं, ये एक प्लैटून की तरह है, जो पुलिस और आर. ए. सी. जिस प्रकार से राजस्थान में भरी हुई है और इससे उसी तरह आतंकित हैं, व्यापारी इतने भयभीत हैं कि जैसे रात को कभी डकैत या चोर आता है और उससे जिस प्रकार डरते हैं, उसी प्रकार आपके इससे डरते हैं। ये लोग इतने निष्पक्ष भी नहीं हैं जिससे कर वसूली भी पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं और वसूली में अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति भी इनकी बन गई है। इस तरह का जो कर वसूली का तरीका है वह नितान्त दूषित है और इसमें मेरा निवेदन है कि इस सेल्स टैक्स को बिल्कुल समाप्त करके इसके स्थान पर प्रोडक्शन ड्यूटी लगा कर उसमें कोई हिस्सा लिया जाय या और तरह से डायरेक्ट टैक्स लिया जाय तो न इसमें टैक्स इवेजन होगा, न भष्टाचार ही होगा। तो इसके सम्बन्ध में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। जितना कर वसूल होता है उसका बहुत बड़ा परसेंट तो एवेजन में जाता है और साथ में बहुत अधिक खर्चा कर वसूली में सरकार का हो जाता है। इसलिए हमारी जो प्रथा है, जो परम्परा है कर वसूल करने की वह बिल्कुल गलत है और जैसा मैं निवेदन करूं कि जैसे कि हर इंसान की कैपिटल पर, जैसे आपने सेल्स टैक्स लगा रखा है उसकी जगह प्रोडक्शन टैक्स लगाया जाय, वहीं पर एक्साइज ड्यूटी लगे और स्टेट्स अपना शेयर प्रोडक्शन टैक्स में से ले ले, इससे जो भ्रष्टाचार होता है वह भी खत्म हो जाएगा और सब स्टेट्स को उनका हिस्सा मिल जायगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ-साथ जो आज की व्यवस्था चल रही है डिपार्टमेन्ट की, उसके सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करूं कि इसमें समुचित सुधार आवश्यक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं सरकार से यही निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस सेल्स टैक्स प्रणाली में, इस की नीति में अन्तर किया जावे, इसकी रीति में फर्क किया जावे और यथा शीघ्र आमूल परिवर्तन कर दिया जावे और जो अभी सेल्स

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

टैक्स लगता है उसको समाप्त कर प्रोडक्शन टैक्स लगा दिया जावे।

श्री श्रवणलाल (हिंडौन-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे राजस्थान में २६ जिले हैं, इन २६ जिलों में से करीब २३ जिले ऐसे हैं जहां कि लोग अकाल से ग्रस्त हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ अकाल से पीड़ित हैं और दूसरी तरफ हमारी सरकार टैक्स पर टैक्स लगाकर टैक्सों का भार इस जनता पर लादती चली जा रही है। इन १८ सालों में इस हमारी सरकार ने इस गरीब जनता पर इतने टैक्सों का भार लाद दिया है कि इन टैक्सों ने जनता की कमर तोड़ का रूप धारण कर लिया है। यह सरकार दिन-ब-दिन नये नये टैक्सों पर टैक्स लगा कर जनता पर बोझ पर बोझ लादे जाती है और उसके अलावा भी जो टैक्स हमारी सरकार लगाती है उसके अलावा भी अन्य प्रकार के और टैक्स हैं जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज के टैक्स हैं या और दूसरी तरह के टैक्स हैं।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर और स्टेटों के बजाय, सब स्टेटों से हमारी सरकार इतने अधिक टैक्स लगा चुकी है कि जिसकी अगर और किसी दूसरी स्टेट से तुलना की जावे तो वह काफी अधिक संख्या में महसूस होते हैं। इसी के साथ-साथ सरकार यह कह कर चलती है कि अगर हमने टैक्स नहीं लगाये, अगर हमने टैक्सों से इन्कम नहीं की तो हम हमारी सरकार को कैसे चलायेंगे। हम कैसे विकास के कार्यों को करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर तो टैक्सों पर टैक्स लगाये चले जायं और दूसरी तरफ टैक्सों की वसूली नहीं करते हैं। दुनियां भर की वसूली में गड़बड़ घोटाले हैं। लाखों की बकाया एक-एक आदमी पर चली आ रही है। आप उनको वसूल नहीं कर सकते हो और जनता पर नये टैक्स पर टैक्स आए दिन लगाते जाते हो तो यह शोभाजनक बात नहीं है। इसके साथ-साथ जैसा कि मैंने पहले भी एक प्रश्न रखा था इस यात्री कर की वसूली के विषय में और उसके उत्तर में जो लिस्ट मुझे यहां पर दी गई थी उसमें बताया गया था कि एक-एक आदमी पर लाखों की संख्या में एक-एक व्यक्ति पर बकाया है लेकिन उनकी वसूली नहीं की जाती है। मैं उनके नाम नहीं लूंगा कि किन-किन में बकाया है लेकिन मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि यह बकाया जरूर है और हम इसकी जरूर ही वसूली के लिये कार्यवाही करेंगे। तो जिस प्रकार से भोली जनता पर टैक्स पर टैक्स लगाये जा रहे हैं और दूसरी तरफ पीने को पानी नहीं दिया जा रहा है, खाने को अनाज मुहैय्या नहीं हो रहा है, जनता त्राहि त्राहि कर रही है और ऊपर से ये टैक्स लगाए जा रहे हैं तो यह अच्छी चीज नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से यह कहते हैं कि हम विकास के कार्य कर रहे हैं; उन विकास के कार्यों में भी आज हर जगह गड़बड़ घोटाले हैं। आज यहां हर तरफ से आपको इस सदन के अन्दर यह सुनने को मिलता है कि कहीं पर सड़क ही गायब हो गई तो कहीं पर कुएं के लिये पैसा दिया तो कागजों में तो कुआ है लेकिन वास्तव में कुआ गायब हो गया। कहीं पर नल की बातें हैं तो कहीं पर पुलिया ही टूट गई। इस तरह से हजारों घोटाले हैं। इस जनता से टैक्स के रूप में जो पैसा सरकार इकट्ठा

(श्री श्रवणलाल)
करती है उस पैसे को विकास कार्यों के नाम पर खर्च करके इस तरह से दुरुपयोग करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ जो हमारी सरकार यहां टैक्स लगाती है और उसे विकास कार्यों के नाम पर सरकार लोगों को देती है। उसके अन्दर भी यह देखने में मिलता है कि एक जिले से लेकर दूसरे जिले तक में दुरुपयोग होता है। एक जिले के अन्दर तो लाखों करोड़ों रुपये वहां पर खर्च हो जाते है और दूसरी तरफ यह देखते हैं कि एक जिला इस तरह से तरसता है विकास कार्यों के लिए कि न वहां पर कोई व्यवस्था है, न कोई पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, न पीने के पानी की व्यवस्था है, न आने-जाने के साधनों की व्यवस्था है। दूसरी-दूसरी तरह की भी दिक्कतें हैं उनके विकास के कार्यों की दिक्कतें हैं, कृषि योजनाओं की दिक्कतें हैं तथा और कई अन्य प्रकार की दिक्कतें हैं। तो हमारी यह सरकार इस जनता के ऊपर, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा कर रुपया वसूल करती है और इस रुपये को मनमाने ढंग से विकास कार्यों पर खर्च करती है। वहां मनमानी ढंग से खर्च करती है तो एक तरफ तो एक जिले के लिए चाहे जितना रुपया खर्च कर देती है लेकिन दूसरे जिले के लिये उसके पास रुपया नहीं है जब कि टैक्स सब से ही वसूल किया जाता है। उनकी तरफ कोई आंख उठा कर देखने वाला नहीं है कि किसमें कितनी बकाया है और उसको वसूल करना है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से इन्होंने पहले इसी सदन में अनाज के बारे में यह घोषणा की थी कि हम अनाज के ऊपर टैक्स नहीं लगायेंगे, इस प्रकार की घोषणा यहां पर की थी। फिर भी इन्होंने उसी अनाज पर टैक्स लगा दिया। आज कौनसी ऐसी वस्तु बाकी है जिस पर टैक्स नहीं लगाया हुआ है। आज इन्होंने तेल पर टैक्स लगा दिया है, घी पर टैक्स लगा दिया है और घी और तेल पर इस प्रकार से टैक्स लगाया है कि तेल पर तो पांच प्रतिशत टैक्स और घी पर तीन पर्सेंट टैक्स। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि तेल जो है उसे गरीब आदमी अधिकतर खाते हैं और घी पर भी आपने टैक्स लगा दिया है। इस तरह से जितनी छोटी २ चीजें हैं उन पर भी आपने टैक्स लगा दिया है। तेलों पर टैक्स लगा दिया, अनाज पर टैक्स लगाया और अन्य छोटी २ चीजों पर टैक्स लगा दिया। रोज की दिनचर्या में काम में आने वाली चीज कोयला, मिट्टी का तेल, अन्य प्रकार के अनाज और रोजाना के काम में आने वाली वस्तुएं हैं वे सब चीजें हैं जिन पर आपने टैक्स लगाया है और उसका असर सीधा गरीब जनता पर जाकर पड़ता है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ हमारी सरकार टैक्स लगाने को लगा देती है, एक बार टैक्स लगा दिया, लेकिन उसके बाद में फिर यह नहीं सोचती है कि टैक्स का नतीजा क्या होगा ? उसके वसूल करने का भी कोई तरीका नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप जाकर कभी भी प्राइवेट बसेज़ को देखेंगे तो वहां पर रुपये में आठ आना भी टैक्स वसूल नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको उदाहरण दूं जिनक मुझ से निजी सम्बन्ध है। जब

(श्री श्रवणलाल)

कभी मैं इधर-उधर जाता हूं तो यह देखता हूं कि ५० पर्सेंट टिकट नहीं बनते हैं और यात्रियों को टिकट नहीं बनाकर एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करा देते हैं। तो इस तरह से वहां पर इस टैक्स की चोरी होती है।

दूसरे सिनेमा घरों में सर्विस टिकिट जो लगाते हैं शहरों के अन्दर वह सिस्टम न हो, लेकिन जो छोटे-छोटे कस्बे हैं, छोटी-छोटी जो जगह हैं वहां पर सर्विस टिकिट हैं। वह सर्विस टिकिट नहीं लगाते हैं या थोड़े बहुत लगाते हैं तो क्या करते हैं कि वह टिकिट भी लगाते हैं तो फाड़ कर देने वाला इस ढंग से फाड़ता है कि टिकिट छूट जाय और वह टिकिट सिनेमा देखने वाले व्यक्ति को दे देता है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से टैक्स लगाते हैं उसको वसूल करने के लिए हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि जिसके विषय में आज किसी प्रकार से कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर हमारी सरकार ने जो पहले टैक्स लगाया था सही ढंग से टैक्स को वसूल करती तो आज नौबत यह नहीं आती कि नये टैक्स जनता पर और डालें।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस गरीब जनता को, भोली-भाली जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिसको आने-जाने के साधन नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा हैं, भूख से लोग तड़प-तड़प कर मर रहे हैं। उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, यह नहीं होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह जो टैक्स है इसको वापिस लें मन्त्री महोदय ने जो यह टैक्स लगाया है उसको वापिस लें और जनता को राहत कार्यों के लिए जो सामना करना पड़ रहा है, जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, अकाल का सामना करना पड़ रहा है इस समय तो यह जो टैक्स लगाया है उसको वापिस लिया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री !

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं ५ मिनिट ही लूंगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : अभी मन्त्रीजी तैयार नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Would you like to speak now ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : वे तैयारी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दो बिल्स हैं, इसलिए समय पर दृष्टि रखना चाहिए।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : मैं ५ मिनिट ही बोलूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष, यह हाउस के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष : (श्री कृष्णकुमार गोयल से) आप थर्ड रीडिंग पर बोल लें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : थर्ड रीडिंग बाद में होगी

श्री उपाध्यक्ष : उस समय नहीं बोलने का वादा हो तो बोललें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : तो पहले श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : दो मिनिट मेरे को भी दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष, यह है जो टैक्स का बिल हाउस के अन्दर आया है....

श्री उपाध्यक्ष : आप केवल दो मिनिट बोलेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : दो मिनिट। ५ मिनिट के लिए अर्ज किया था, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा ५ मिनिट।

श्री मुक्तिलाल मोदी : राजस्थान सरकार जब बनी, राजस्थान के अन्दर जब प्रजातन्त्र की हुकूमत आई तो जनता यह समझ रही थी और यह ऐलान किया था सरकार ने कि हम समाजवाद लायेंगे और जनता को काफी फायदा पहुँचायेंगे। परन्तु, माननीय उपाध्यक्षजी, जनता जिस तरह से सोच रही थी कि प्रजातन्त्र आने के बाद जनता को फायदा मिलेगा वह फायदा आज नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो माननीय मंत्री सरकार के अन्दर बैठे हैं वह तो यह समझ कर टैक्स लगाते हैं कि यह ठीक है। माननीय मंत्रीजी ने आज तक कभी भी सेल्स टैक्स कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के साथ जा कर एक जगह भी चेक नहीं किया होगा। एक दफ्तर का भी चेकिंग पूरी तरह से नहीं किया होगा। सेक्रेटेरियेट के अन्दर बैठकर जो चाहें सो कर लें।

तो, माननीय उपाध्यक्षजी, जितना टैक्स राजस्थान के अन्दर लगाया है उतना टैक्स नहीं लगाते और बहुत ही कम लगाते तो उससे भी इतना रुपया वसूल हो सकता था। राजस्थान सरकार ने यह ऐलान किया था कि ३०० रु० पर फेमिली जो कि ४-५ आदमियों की होगी उसके ऊपर महीने को इन्कम राजस्थान सरकार आज कूंतती है। परन्तु, आज, माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान के गांवों को जाकर देखें कि क्या स्थिति है लोगों की। ये तो सेक्रेटेरियेट में बैठते हैं, जहां कि पंखे चलते हैं, रेफ्रिजिरेटर चलते हैं, अच्छे सोफा सेट हैं, आराम करते हैं और मोटरों में जाते हैं। जनता को देखने चुनाव के वक्त तो जरूर जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पर फेमिली क्या होगा ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : ३-४ आदमियों की फेमिली होगी उस पर ३०० रु० तय किया था, परन्तु किसी के ८ आदमी, किसी के १० आदमी और किसी के १२ आदमी हैं क्योंकि पोपुलेशन बढ़ रही है।

तो, माननीय उपाध्यक्षजी, सरकार टैक्स दिन पर दिन लगा रही है। ऐसा कोई भी बजट अभी तक खाली नहीं गया कि जिसके अन्दर, आज १४ वर्षों के अन्दर कोई बजट ऐसा पास नहीं हुआ है कि जिसमें टैक्स नहीं लगाया हो। १४ वर्ष हो गये हैं। सन् ५२ से चुनाव हो रहे हैं। यह प्रजातन्त्र सन् ४७ में आया है। उस वक्त से बराबर जनता पर टैक्स लग रहा है। यह बड़ा जरूरी है कि टैक्स लगना चाहिए, परन्तु उस

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

टैक्स को पूरी तरह से वसूल नहीं करें और दिन पर दिन नये टैक्स लगायें यह तो सरकार की कोई तर्क वाली बात नहीं है, क्योंकि आज सरकार यह सोचती है कि हम टैक्स लगा कर ज्यादा टैक्स वसूल कर लेंगे जैसा कि यहां पर मोटर के ऊपर टैक्स लगाया, बिजली के ऊपर टैक्स लगाया और कई चीजो के ऊपर दिन पर दिन हर बजट के अन्दर टैक्स लगाते हैं, परन्तु हम बार-बार चिल्लाते हैं सरकार से कि एक तरफ तो पाप टैक्स लगाते हैं और दूसरी तरफ मेरे जैसे जो लोग हैं वह आज इस पंचायती राज्य के होने के बाद लाखों रुपये और करोड़ों रुपयों का हर चीज के अन्दर विकास के लिये रखा गया है उसको जीम जाते हैं। विकास के लिए रुपया। विकास के लिए रुपया पास होता है पर विकास का काम नहीं होता है। को-ऑपरेटिव के अन्दर जो क्रय-विक्रय संघ खुला हुआ है उसमें हजारों लाखों रुपयों का घोटाला है उसकी गारन्टी राजस्थान सरकार ने बैंक को दे रखी है और कोई दिन ऐसा आयेगा कि राजस्थान सरकार को वह रुपया चुकाना पड़ेगा। जो-जो यह सरकार सोचती है कि हम विकास कर रहे हैं परन्तु विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि विकास तो उस हालत में होता कि जनता ज्यादा सुखी होती। हजारों आदमी बेकार सुबह से लेकर शाम तक मैट्रिक पास, इन्टर पास, बी०ए०पास डोलते फिरते हैं और, माननीय उपाध्यक्षजी, क्योंकि दिन पर दिन टैक्स लगाते हैं तो टैक्स का तरीका क्या है। अलग-अलग दफ्तर खोल दिये जिनसे जनता को परेशानी ही परेशानी है। एक दफ्तर में वकील करो तो दूसरे में फिर करो, दलाल करो, सुबह करो, शाम करो, यही धन्धा जनता का बन रहा है। परन्तु यह मेरी समझ में नहीं आता है कि जो टैक्स दुनिया के दूसरे कोने में लग रहे हैं पर यहां तो राजस्थान में तो, हिन्दुस्तान में तो पचासों तरह के टैक्स है। एक टैक्स बाकी रहा है मरने पर का टैक्स वह और ले लो। रोटी खाने का टैक्स और ले लो कि एक आदमी रोजाना रोटी खाये और मरेगा तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : मरने का भी टैक्स है, मोदीजी, और रोटी पर भी टैक्स है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मरने पर भी टैक्स है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह कहती है बहनजी कि है, तो कोई टैक्स बाकी नहीं है। इससे मर जायें तो अच्छा है। इस संसार के अन्दर जिन्दा रह कर भी क्या करना है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं कहूं....

श्री उपाध्यक्ष : आपके पांच मिनट हो गये। श्रीमती लक्ष्मीकुमारी !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सेल्स टैक्स लगा रहे हैं उस पर मैंने सदन में इन दिनों कई बार चर्चा की है, और आज मैं इसका घोर विरोध करना चाहती हूं। यह जो टैक्स लगाया है उसको मैं संज्ञा देती हूं "Penny wise pound foolish."

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

जहां हमने इससे आमदनी राज्य सरकार की कम की लेकिन नुकसान हमारी सरकार का बहुत ज्यादा कर दिया। मुश्किल से २०,०००) रु० की आमदनी होती होगी लेकिन नुकसान हमने लाखों रुपयों का किया है। इसके अलावा जो हस्त उद्योग, हस्त कलाएं जिनको हमने काफी मेहनत से बहुत दिनों के अन्दर पनपाया था वे भी नष्ट कर दी गईं। यदि इस टैक्सेशन से थोड़ा फायदा किसी को हुआ होगा तो वकीलों को हुआ होगा लेकिन दुकानदारों को नुकसान हुआ है, आम जनता को नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान हस्त उद्योग के कारीगरों को हुआ है। मुरादाबाद और जयपुर में पीतल के बर्तन बनते हैं। मुरादाबाद में ३ परसेन्ट सेल्स टैक्स लगाया जाता है और हमारे यहां ५ या ६ परसेन्ट सेल टैक्स लगता है। इसी तरह से हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके मुकाबले में राजस्थान मे कहीं दुगुना, कहीं तिगुना और कहीं चार गुना टैक्स लगाया है। चन्दन की लकड़ी पर मद्रास और मैसूर के मुकाबले १२ परसेन्ट से १४ परसेन्ट ज्यादा टैक्स लगता है। नाथद्वारा का हस्त उद्योग, जयपुर में जूतियों का उद्योग, हाथी दांत और पीतल का उद्योग सारा का सारा नष्ट होता जा रहा है। राजस्थान सरकार कभी कोई टैक्स लगावे तो उसको समझ के साथ सोचना चाहिये। पड़ोसी राज्यों में जितना टैक्स लगता है उसके मुकाबले में हमारे यहां टैक्स कम लगना चाहिये जिसका नतीजा यह हो कि दूसरे लोग यहां आकर खरीदें। लेकिन हमारे यहां जो टैक्स लगाया जाता है जो पॉलिसी अख्त्यार की जाती है, मैं कहती हूं कि सेल्स टैक्स की मुर्खतापूर्ण पॉलिसी हाथ में ली गई है।

बिजली की चीजों पर हमारे यहां १६ पर्सेन्ट सेल्स टैक्स लगता है जब कि दिल्ली में ५.६ पर्सेन्ट लगता है। नतीजा यह होता है कि राजस्थान का इधर का हिस्सा दिल्ली से सामान लाता है और उदयपुर की तरफ का हिस्सा बम्बई से सामान मंगाते हैं। आज राजस्थान में दिल्ली, बम्बई के मुकाबले में कहीं दुगुना, कहीं तिगुना और कहीं चार गुना सेल्स टैक्स बढ़ जाता है, नतीजा यह होता है कि दुकानदारों की आमदनी में कमी हो रही है और राज्य की आमदनी में भी भारी कमी हो रही है। मैं मिनिस्टर महोदय से कहूंगी कि आंकड़े देखें सेल्स टैक्स लगने से पहले सरकार को कितनी आमदनी होती थी और सेल्स टैक्स लगने के बाद आमदनी में कितनी घटोतरी हुई है। कृपया आप आंकड़े देख कर बतावें। मुझे विश्वास है कि सेल्स टैक्स लगाने के बाद जरूर हानि हुई होगी यह आंकड़ों से पता लगेगा। लेकिन हमारी संस्कृति, कला, उद्योग और आम जनता को जो नुकसान हुआ है उसको रुपयों में नहीं आंक सकते। खास करके फाइन आर्ट्स और कला को जो नुकसान हुआ है मैं कहूंगी करोड़ों रुपये खर्च कर दें तो भी वह चीज प्राप्त नहीं हो सकती।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): उपाध्यक्ष महोदय, आज इस विधेयक पर अपने विचार रखते समय मुझे मुख्य मंत्रीजी की वे बातें थोड़ी याद आ जाती हैं। मैं सोचता हूं राजस्थान के नेता किस गंभीरता से प्रश्न को लेते हैं यदि सेल्स टैक्स की धाराओं को देखें तो साफ हो जाता है। जिस

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

समय राज्य कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने का प्रश्न सामने आया, कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया उस समय मुख्य मंत्रीजी ने केवल एक स्पष्टीकरण दिया कि यदि हम राज्य कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाते हैं तो एक ओर ट्रेजरी पर बोझ बढ़ेगा और दूसरी ओर उसी अनुपात से सभी चीजों की मंहगाई बढ़ती चली जाती है। इससे एक ओर ट्रेज़री पर बर्डन डालना चाहते हैं और दूसरी ओर कर्मचारियों को जो फायदा वृद्धि से मिलना चाहिये वह नहीं मिलता। जहां यह प्रश्न सामने आता है वहां मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो आपकी राजस्थान सरकार की नीति प्रति वर्ष नये-नये टैक्स इजाद करके लगाने की है क्या उससे सामान्य वस्तुओं की कीमतों पर असर नहीं पड़ता ? क्या सामान्य चीजों का मूल्य नहीं बढ़ जाता है ? लेकिन सामान्य तरक्की का विषय एक ओर रह जाता है। सरकार टैक्सेशन पॉलिसी बनाते समय यह विचार नहीं करती कि अमुक टैक्स लगाने के बाद सामान्य जनता जिन चीजों का उपयोग करती है, जो चीजें सामान्य लोगों के लिये आवश्यक हैं उन पर टैक्स का भार पड़ता है या नहीं। आज, उपाध्यक्ष महोदय, एक सामान्य परिवार के उपयोग की ऐसी कोई चीज नहीं बची है जिस पर टैक्स नहीं लगा हो। अनाज को ले लीजिये, कैरोसिन को ले लीजिये, कोयला को ले लीजिये, छोटी से छोटी चीज ले लीजिये, कोई चीज नहीं बची है जिस पर राजस्थान सरकार ने टैक्स नहीं लगाया हो। टैक्स आरम्भ में लगाया वही चला आ रहा हो यह बात नहीं है उसमें निरंतर वृद्धि करते रहे हैं। टैक्स के कारण दिन प्रति दिन अनेक चीजों में मंहगाई बढ़ती जा रही है।

आज टैक्सेशन पॉलिसी निर्माण करने वाले सिर्फ एक चीज सामने रखते हैं और वह यह कि टैक्स से अधिक से अधिक आय हो सके, केवल यह एक चीज सरकार सामने रखती है। जब कि टैक्स निर्धारित करते समय सरकार को सबसे पहला ध्यान इस बात का रखना चाहिये कि जो टैक्स लगा रहे हैं उसके कारण कौन-कौन व्यक्ति प्रभावित होते हैं। इस पर कभी सरकार ने विचार नहीं किया होगा। जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है टैक्स के कारण उनके उत्पादन में गिरावट आती है या बढ़ोतरी होती है इस पर भी कभी विचार नहीं किया। न सरकार ने कभी इस बात पर विचार किया कि जिस वस्तु पर टैक्स लगा रहे हैं उसके द्वारा उस वस्तु का उपयोग कम करना चाहते हैं या उपयोग में बढ़ोतरी करना चाहते हैं। आज तक सरकार ने इन बातों पर विचार नहीं किया। एक ही नीति सरकार की रहती है टैक्स लगाओ, वसूल करो और आय विधान सभा में अधिक से अधिक बताओ, इतनी वृद्धि हुई।

मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, आपने साधारण टैक्स घी पर लगाया है, क्या आपने कभी विचार किया है कि घी पर टैक्स लगाने के कारण क्या वेजिटेबल को प्रोत्साहन देना चाहते हैं ? क्या आप यह चाहते हैं कि राजस्थान की जनता जो थोड़ा बहुत शुद्ध घी खाती है उसको शुद्ध घी नहीं खाने दिया जाय और उसको मजबूर किया जाय कि बड़े-बड़े करोड़पतियों की इन्डस्ट्री हैं डालडा आदि की उनको प्रोत्साहन दिया

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जाय ? क्या कारण था कि आपने घी पर टैक्स लगाया ? घी पर टैक्स लगाने से राजस्थान सरकार को १० लाख रुपयों की आमदनी होगी लेकिन १० लाख की आमदनी के कारण आपने सिद्धान्त का खून कर दिया, सिद्धान्त की आपको चिन्ता नहीं। शुद्ध घी को प्रोत्साहन देना चाहिये था उसके बजाय सरकार की नीति इस प्रकार की है कि राजस्थान की जनता नकली घी, वैजिटेबल घी जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है उसका लोग अधिक उपयोग करें और शुद्ध घी का कम उपयोग करें। इससे आपने सिद्धान्त का खून कर दिया। घी पर टैक्स लगाने की पहले मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी लेकिन विरोध के कारण, पार्टी में विरोध हुआ उसके कारण और अन्य अनुभवों से जो घी पर टैक्स लगाया था वह मध्य-प्रदेश सरकार ने हटा दिया लेकिन राजस्थान सरकार ने शुद्ध घी पर टैक्स लगा दिया। इसका असर क्या होगा ? आज राजस्थान में इतना घी नहीं होता जिससे कि जरूरत पूरी हो सके। मध्य प्रदेश से हमारे यहां घी ज्यादा आता है। अब स्थिति इस प्रकार की होगी कि राजस्थान में घी महंगा होगा और मध्यप्रदेश में सस्ता होगा इसलिये यहां के व्यापारियों को मजबूर होकर दूसरों के मुकाबले में कॉम्पिटीशन के कारण मध्य प्रदेश से घी मंगाना होगा। अपने घी के व्यापार को मध्य प्रदेश की ओर डाइवर्ट करना होगा लेकिन राजस्थान सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है। जहां एक ओर इस बात की आलोचना की जाती है, पुरानी परिपाटियों को पीटा जाता है और यह सत्य है कि हिन्दू धर्म का मतलब आज यह रह गया है कि सर पर चोटी हो और मुंह पर तिलक हो। जिसके सिर पर चोटी नहीं है और मुंह पर तिलक नहीं हो वह हिन्दू नहीं, 'हिन्दू' शब्द क्या है और वास्तव में प्रयोग किस अर्थ में कर रहे हैं, उसकी चिन्ता नहीं केवल तिलक और चोटी रखने पर ही हिन्दू माना जाता है। आज उसी प्रकार कांग्रेस शासन में जहां गांधीजी का नाम लेते हैं वहां गांधीजी के सिद्धान्तों की हत्या करके चलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं महात्मा, गांधी ने हिन्दुस्तान की जनता को घर घर में सूत की कताई के लिये और हाथ का कपड़ा बुनने के लिये खादी उत्पादन को प्रोत्साहन देने का नारा क्यों दिया ? उस नारे के पीछे भावना क्या थी ? खादी को प्रोत्साहन मिले इस नारे के पीछे भावना क्या थी ? कभी आपने इस पर विचार किया है ? उसके पीछे भावना यही थी कि घरेलू उद्योग-धन्धे बढ़ें और घरेलू उद्योग-धन्धे चलाने वाला आदमी आत्म-निर्भर हो, वह दूसरों के ऊपर रहने वाला न बने। यही कारण है कि उस परिपाटी को निभाने के लिये आज भी खादी से बने कपड़े पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं।

इतना ही नहीं इसके अलावा खादी कमीशन भी रिबेट देता है खादी-उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए। इस बात को सैद्धान्तिक रूप से महात्मा गांधी ने रखा था और उसी नारे के अनुसार आप खादी को प्रोत्साहन देते चले जा रहे हैं लेकिन वह भी आज आपके लिए एक परिपाटी रह गई है जिस तरह मैं हिन्दू के लिए कह सकता हूं कि तिलक लगाना और चोटी रखना उनके लिए एक परिपाटी हो गई है। आज आप गांधी के नाम को जिन्दा रखने के लिए और चुनाव के समय जनता से वोट लेने के लिए उस नारे को बनाये रखना चाहते हैं लेकिन जो सिद्धान्त रूप

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

में महात्मा गांधी ने इस विचार को रखा था कि हमारे देश में कुटीर-उद्योग पनपें उसकी चिन्ता नहीं करके आप चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने पापड़ के ऊपर नवम्बर, १९६५ के अन्दर दो परसेंट टैक्स लगाया, वह क्यों लगाया ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पापड़ आज बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट बनाते हैं या केपिटलिस्ट बनाते हैं ? क्या पापड़ बड़े-बड़े उद्योग बनाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बीकानेर के अन्दर हजारों परिवार इस पापड़ के धन्धे के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन आपको उनकी चिन्ता नहीं है, आपको तो आसानी से उनसे टैक्स वसूल करना था। इससे पापड़ के कुटीर उद्योग को कितना नुकसान पहुँचेगा इस बात की चिन्ता इस राज्य सरकार को नहीं है।

इसके अलावा आपने हाथी दांत से बने सामान पर पांच परसेन्ट टैक्स लगा दिया। आज राजस्थान के अन्दर बने हाथी दांत के सामान की केवल राजस्थान में ही नहीं, केवल हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के अन्दर ख्याति है। लेकिन उस पर भी पांच परसेन्ट टैक्स लगा कर हाथी दांत के कुटीर उद्योग को समाप्त करने के लिए आपने एक षड़यंत्र किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जहां आप एक ओर सैद्धान्तिक बातें करके चलते हैं वहां पर घी के ऊपर टैक्स लगा कर क्या आप राजस्थान की जनता को इस बात से संतोष दिला सकते हैं कि इससे सरकार दस लाख रुपया पैदा करने वाली है ? आपने जो यह दस लाख रुपये पैदा करने की कोशिश की है। इससे आपने क्या उन सिद्धान्तों का खून किया है या नहीं ? आज आवश्यकता इस बात की थी कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो नकली घी बनता है, जो वेजीटेबल ऑइल बनता है, जो देश की जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकर है उसके अन्दर रंग डाला जाय, उसके अन्दर कलर मिलाया जाय ताकि घी के अन्दर होने वाला अडल्ट्रेशन समाप्त हो जाय और आज जो बड़े-बड़े उद्योगपति हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके पूंजीपति बनते चले जा रहे हैं और करोड़पति बनते चले जा रहे हैं। उनके इस काम में कुछ रुकावट डाल सकते। लेकिन इस ओर हमारी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है, हमारी सरकार उस नकली घी में कलर डालने का प्रयास नहीं कर सकी है। आखिर करेगी भी कैसे, क्योंकि ये जो पूंजीपति हैं वे तो कांग्रेस-शासन की बेक-बोन हैं, उन पर यह सरकार कुठाराघात नहीं कर सकती। कुठाराघात करने के लिए तो इस सरकार का हाथ चलेगा उन लोगों पर जो आज गांवों के अन्दर रहते हैं और पीढ़ियों से मवेशियों को पाल कर उनके दूध और घी के धन्धे के द्वारा अपना जीवन- निर्वाह कर रहे हैं, और साथ ही राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं। उन लोगों पर इस सरकार ने कुठाराघात किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केवल गांधीजी की दुहाई देने से काम नहीं चलेगा जब तक महात्मा गांधी ने राजस्थान और हिन्दुस्तान के सामने सिद्धान्त रूप में जो आदर्श रखा था उसका आप दिल से पालन नहीं करेंगे और तब तक आपका यह केवल ढकोसला मात्र होगा, इस में कोई सत्यता नहीं होगी।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं स्थिति यह है कि सेल्स टैक्स विभाग अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए विधान सभा के सदस्यों के विचारों के साथ कितना खिलवाड़ कर सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके सेल्स टैक्स विभाग ने गत मास में दिया है। व्यापारियों पर जो सेल्स टैक्स ड्यू होता है अप्रेल में और जिसकी वसूली अप्रेल के महीने में ही होनी चाहिए उस सेल्स टैक्स को जबरन सेल्स टैक्स विभाग ने मार्च में वसूल कर लिया है। और वह इसलिए कि आप बताना चाहते थे कि इस साल में आपने कितनी वसूली कर ली है। आप यह बताना चाहते थे कि राजस्थान का सेल्स टैक्स विभाग है वह कितना जागरूक है और कितनी एफीशियेन्टली उसने टैक्स वसूल कर लिया है। लेकिन आपने जो एक महीने की वसूली की है, क्या इसका प्रभाव आने वाले बजट १९६६-६७ के बजट की आय के ऊपर पड़ेगा या नहीं ? लेकिन आपने इसकी चिन्ता नहीं की, आपने तो मार्च के महीने में जितने भी व्यापारी थे उनसे सेल्स टैक्स वसूल कर लिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केवल एक चीज और रख दूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उप-मन्त्रीजी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, गत सत्र में विधान सभा के अन्दर उन्होंने हमको यह आश्वासन दिया था कि अगर कोई व्यापारी, जिसे कि असेसमेंट की डिमाण्ड इश्यू की गई है उसके अगेन्स्ट कमिश्नर को अपील कर देता है तो उस वक्त तक, जब तक कि अपील पर फैसला न हो जाय, डिमाण्ड की वसूली नहीं की जायगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आश्वासन आपने हमको इस सदन में दिया, क्या उसका परिपालन हो रहा है ? क्या आपके सरकारी कर्मचारी डिमाण्ड के विपरीत कमिश्नर को अपील कर देने के बावजूद जबरन उस व्यापारी से जबरन रकम वसूल नहीं कर रहे हैं ? मुझे अफसोस है कि अपील करने के बावजूद भी वह रकम उनसे वसूल की जा रही है। आप इस सदन के अन्दर आश्वासन देते हैं और इस सदन के सदस्यों को किसी तरह से संतोष दिला देना चाहते हैं लेकिन आपने जो यहां पर विश्वास दिलाया था वह एक ओर धरा रह जाता है और सरकारी कर्मचारी एफीशियेन्सी के नाम पर कानून और रूल्स का गला घोंटते चले जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़ी हाई-हैण्डेडनेस हो सकती है उसका उदाहरण एक केस द्वारा मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा।

जयपुर के अन्दर एक मेसर्स ईस्टर्न कॉमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड है, इस मेसर्स ईस्टर्न कॉमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो हुआ है वह हाई-हैण्डेडनेस का एक दृष्टान्त हो सकता है। सरकारी कर्मचारी अगर किसी ज्यादती पर उत्तर सकते हैं तो इसका एक सेम्पल हो सकता है। यह एक केस मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेसर्स ईस्टर्न कॉमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है, इसके दफ्तर पर छापा मारने के लिए तारीख ७-१०-६५ को जयपुर के लगभग चालीस सेल्स टैक्स ऑफिसर, सारे सेल्स टैक्स

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
इन्सपेक्टर और जितना इनका अमला था वह इन्डस्ट्रियल एस्टेट के अन्दर पहुँचता है और वहां पहुँच कर जो वहां का मैनेजर था, उसे लॉक कर दिया जाता है, उसको बन्द कर दिया जाता है ताकि वह टेलीफोन से किसी व्यक्ति से बातचीत नही कर सके और उसके बाद में जितना रिकार्ड था, जितने कागजात थे वह सब जब्त कर लिये जाते हैं। अब यह घटना केवल यहीं समाप्त हो गई हो यह बात नहीं। इसके बाद यह जितना अमला था यह खेतान भवन के अन्दर आया। वहां पर इस पार्टी के दो ऑफिस थे। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर कानून के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ। वहां पहुँच कर एक नोटिस दरवाजे पर लगा दिया जाता है.......

श्री रावतराम (सादुलपुर) : आपका क्या यह मतलब है कि इत्तला कर देते पहले? वह सारा रेकार्ड गायब कर देता, अगर पहले से इत्तला कर देते।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ऐसा नहीं है। एकदम सडन चैकिंग होता है, सरप्राइज़ चैकिंग होता है, लेकिन जो मालिक होता है उसकी मौजूदगी के अन्दर रेकॉर्ड सीज़ किया जाता है और कागज तैयार किये जाते हैं। लेकिन इस केस के अन्दर ऐसा नहीं हुआ है। जिस समय वहां छापा मारने के लिए पहुँचते हैं तो वहां मैनेजर को ताला बन्द करके एक कमरे में बन्द कर दिया जाता है और फिर जब्त करने की कार्यवाही की जाती है रजिस्टर और स्टॉक की। उसके अन्दर मैनेजर की उपस्थिति नहीं है। मैं यही कहने जा रहा हूं कि सरकारी कर्मचारियों के सामने ऐसी क्या दुविधा थी, ऐसी कौनसी दिक्कत थी कि ऐसा नहीं किया गया कि जो वहां मैनेजर था, या जो मालिक था उसको अपने साथ हिरासत के अन्दर लेते और उसकी मौजूदगी के अन्दर सारे कागज जब्त किये जाते। लेकिन यह नहीं किया गया। उनके बारे में यह सारी की सारी पार्टी खेतान भवन में आई क्योंकि उस पार्टी के खेतान भवन के अन्दर दो दफ्तर थे। और वहां पहुँच कर पन्द्रह मिनिट पहले एक नोटिस लगाया। आप अनुमान लगाइये कि पन्द्रह मिनट पहले जो कमरा बन्द है उसके ऊपर एक नोटिस लगाया, बतौर इत्तिला के कि इसकी तलाशी लेना चाहते हैं और विदिन ए पीरियड नहीं संभलाओगे तो पन्द्रह मिनट के बाद मे कमरे पर कब्जा कर लेंगे। तो पन्द्रह मिनट पहले यह तमाम काम होता है और पन्द्रह मिनट के बाद उनका ताला तोड़ दिया जाता है और सारे कागजात सीज़ कर लिये जाते हैं।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, उसी खेतान भवन में एक दूसरे वकील रहते हैं। वे वकील थे और उनकी अलग कम्पनी थी। उनके दफ्तर का ताला भी तोड़ दिया गया और उनका सामान सीज़ कर लिया गया और सामान सीज़ करने के बाद जब पार्टी ने इनके फैसले के खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड के सामने अपील की तो, उपाध्यक्ष महोदय, उस अपील पर इन्स्ट्रक्शन दिया गया कि इन्हें सामान का कब्जा दे दिया जाय। लेकिन रेवेन्यू बोर्ड जैसे उच्च अधिकारी की भी इन्होंने चिन्ता नहीं की और उसके इन्स्ट्रक्शन का पालन नहीं किया और मनमानी करते रहे। जो वकील रहते हैं खेतान भवन में जिनका सामान इन्होंने गलत तरीके से जब्त किया था, उसने मुन्सिफ कोर्ट के अन्दर दावा

Page No.100

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

किया और मुन्सिफ कोर्ट से कागजात वापिस लेने का ऑर्डर प्राप्त किया। लेकिन उस पार्टी को आज तक कागजात वापिस नहीं किये गये। और उस वकील के कागजात जो गलत तरीके से सीज़ किये गये थे वे दीवाली तक उसे वापिस प्राप्त नहीं हुए, बल्कि उसके तीन-चार महीने के बाद प्राप्त हुए। आखिर इस हाई-हैण्डेडनेस का मतलब क्या है ? कानून है, व्यवस्था है और चोर पकड़े जाने चाहिये। सेल्स टैक्स की चोरी भी नहीं हो, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। हम यह नहीं चाहते कि करों की वसूली नहीं की जावे। करों की वसूली की जावे और हम यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सख्ती से की जावे। मगर उसके लिये कोई कानून और व्यवस्था हो जिसके अनुसार कर वसूल किये जावें। आज कानून और व्यवस्था पर सारा लोकतन्त्र का शासन चल रहा है उसका इस प्रकार से आप गला न घोटें और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि कोई कानून नहीं रहेगा।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्क्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने जो व्यवस्था बनाई है उसके कारण आज जो अधिकारी भ्रष्ट हैं और जो अपने भ्रष्ट आचरणों के कारण व्यापारियों पर नाजायज दबाव डालकर नाजायज मुनाफा कमाना चाहते हैं उन पर रोक लगाई जावे और इसके लिये आपको इस बात पर खास तौर से ध्यान देना होगा कि नाजायज कार्य नहीं किये जावें। अगर आपका यही ध्यान रहा कि टैक्सेशन पोलिसी में टैक्स वसूल करने का, तो मैं यह कहूंगा कि राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा और अंधकारमय ही होगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिक्री कर (संशोधन) विधेयक लाया गया है उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा।

इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस वक्त सरकार ने बजट सैशन पर घोषणा की कि हमने चमड़े पर से टैक्स बिल्कुल हटा दिया है। अब जब इसको हम देखते हैं तो यह टैक्स हटाने वाली बात है न कोई आप टैक्स हटाने जा रहे हैं। और इससे उन लोगों को, जो चमड़े का काम करते हैं उनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है जिसको सरकार ने बहुत बड़ा शो किया है और जिसके लिये सरकार ने यह कहा है कि हमने एक टैक्स वापस ले लिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपकी कच्चे चमड़े पर से टैक्स हटाने की नीति है तो बिल्कुल हटावें और जो यह अमेन्डमेन्ट कर रहे हो कच्चे चमड़े से टैक्स हटाने का तो इससे सदन का इतना समय क्यों जाया कर रहे हो। जिस वक्त यह टैक्स लगाया गया था उस समय भी सदन का समय बेकार जाया किया था क्योंकि इस चमड़े पर टैक्स के लगाने से कोई आमद नहीं हुई, यह बात बुद्धि के योग्य नहीं समझी जा सकती। जो कर आपने तीन वर्ष पहले लगाये उनको तीन वर्ष बाद वापिस लें यह बात समय जाया करने की है और उन गरीबों को जो चमड़े का काम करते हैं उनको झूठा विश्वास दिलाने के लिये बता रहे हैं कि हम चमड़े से टैक्स हटा रहे हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो लोगों को गुमराह करने की इस प्रकार की नीति है उसको आपको दूर करनी चाहिये और आपको अगर चमड़े पर से टैक्स हटाना है तो ५९

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

में लगाये गये टैक्स में अमेन्डमेंट लावें तो यह खतम होगा।

चमड़े पर टैक्स लगाने की नीति आपकी है उससे राजस्थान सरकार को कितना नुकसान हुआ है और जो लोग धन्धा करते थे चमड़े का उनको भी इससे कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है कि चमड़े का धन्धा करने वाले ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जो समझदार नहीं हैं, अनपढ़ हैं, उन पर एक तरफ कर लगावें और दूसरी तरफ यह कहें कि हम चाहते हैं कि धन्धे चलें। यह हो नहीं सकता। इसलिये आपकी कर लगाने की जो नीति है उसको आपको बदलनी चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि चमड़े पर किसी भी राज्य में, तमाम भारतवर्ष में आप देखें, कहीं पर भी कर नहीं है। राजस्थान में ही यह चमड़े पर कर है और राजस्थान सरकार ने गरीब लोगों को परेशान करने के लिये यह तरीका अपनाया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपने चमड़े पर से टैक्स हटाया है तो पूरा हटावें। वरना इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट से कोई फायदा नहीं होगा।

दूसरी बात मैं कहूंगा कि जब से राजस्थान सरकार ने टैक्स लगाये हैं तब से जो-जो उद्योग-धन्धे थे उनको खत्म कर दिया है। यहां से जितने आस-पास के राज्य हैं वहां से चमड़ा आता था और यहां पर उस चमड़े की रंगाई होती थी और वह बाहर जाता था। कच्चे पर राजस्थान सरकार ने टैक्स लगा कर उसका आना भी बन्द कर दिया और एक प्रकार से अन्याय किया। बाहर से कच्चा चमड़ा लाकर रंगा जाता था उससे सरकार को रंगे चमड़े पर टैक्स मिलता था और लोगों को धन्धा भी मिलता था। अब न तो बाहर से चमड़ा आता है और न रंगा जाता है, इससे सरकार को व छोटी जाति के लोगों का नुकसान है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आपकी इस सम्बन्ध में क्या नीति है उसको आप स्पष्ट करें। आप बतायें कि कच्चे चमड़े के कर से कितना प्रोफिट हुआ है और आज तक आपने इससे कितना धन प्राप्त किया है? मैं जहां तक समझता हूं कच्चे चमड़े के टैक्स से कोई आमद नहीं होती है तो मैं मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल क्लीयर शब्दों में कह दीजिये कि चमड़े से टैक्स हटावेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप चमड़े पर से बिल्कुल टैक्स समाप्त कर देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय उत्तर दें।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, कर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बिक्री-कर को लेकर माननीय सदस्यों ने टैक्स के सम्बन्ध में, टैक्स की बढ़ोतरी के सम्बन्ध में बहुत सी बातें सदन में कहीं। मैं समझता हूं कि आज जो बिल सदन के सामने है इस बिल के द्वारा राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन्स इश्यू किये हैं उनमें सिर्फ घी पर ही टैक्स लगाया है लेकिन यहां पर जो टैक्स समय समय पर राज्य सरकार द्वारा लगाये गये दूसरे एक्टों के तहत और नोटिफिकेशन्स के तहत उन सबका जिक्र यहां पर किया और यह बात कही कि टैक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसके फलस्वरूप जिन लोगों की आर्थिक स्थिति...

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : पॉइन्ट ऑफ आर्डर सर, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घण्टी के पश्चात्)

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों की ऐसी भावना थी कि राज्य में टैक्सों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है और हुई है इसलिये समाज का वह तबका जो आर्थिक तौर पर निर्बल है वह टैक्सों के भार को वहन करने में असमर्थ है और उसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान में न तो उद्योग पनप रहे हैं न एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ रही है और न दूसरे कोटेज इन्डस्ट्रीज की चीजें हैं उनकी पैदावार में बढ़ोतरी होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस बात के लिए बाध्य है कि राज्य की जो योजनाएं हैं और योजना में जो टार्गेटस निश्चित किये गये हैं उन्हें हर स्थिति में पूरा करना पड़ेगा और इस राज्य सरकार के कमिटमेंट हैं अगर उनको पूरा करने के लिये हम यह जरूरी समझते हैं कि हमारे यहां हर नेशनल वैल्थ बढ़े, और नेशनल वैल्थ ही नहीं बढ़े उसके साथ-साथ लोगों की सेविंग है उसका दुबारा इन्वेस्टमेन्ट होना चाहिये। और इस तरह से मनी लगातार सर्क्यूलेशन करने के बाद जो राज्य में ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं जिसे सेल्फ जेनरेटिंग इकोनोमी कहते हैं। अगर इसको नहीं लाते हैं तो मुल्क के सामने आर्थिक तौर पर खतरा नहीं, राजनैतिक तौर पर भी है। यह सही है कि देश गरीब है। मगर इसे गरीबी से हमें निकालना है। कोई भी राज्य सरकार जो वोटों से अपनी सरकार बनाती है वह कभी यह पसन्द नहीं करेगी कि जनता पर टैक्स लगाये जावें और जनता का डिसप्लेजर प्राप्त करें। यह निश्चित बात है कि जब तक टैक्सेज के बारे में इस ओर बैठने वाले और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य जब तक यह नहीं समझ लें कि टैक्सेज क्यों लगाये जाते हैं, इस राज्य को टैक्सेज से कितनी रेवेन्यू है और वह रेवेन्यू राजस्थान की पैदावार की बढ़ोतरी के लिये राजस्थान की जनता की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिये राजस्थान की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये और राजस्थान में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में केवल सेल्फ सफिशियेन्सी हासिल करने के लिये ही नहीं बल्कि उससे और अधिक बढ़ा कर राजस्थान से बाहर भेजने का राजस्थान का प्रयास है। चाहे एग्रीकल्चर में हो या और किसी दूसरे क्षेत्र में हो यह हम तभी पूरा कर सकते हैं जब कि हम योजनाओं के अनुसार अपना बजट बढ़ाते जायें सालों-साल। इसलिये योजना कमीशन हमको डाइरेक्टिव्स देता है कि अगर हम योजनाओं को सफल बनाना चाहते हैं योजनाओं के टार्गेट्स को अचीव करना चाहते हैं तो इतने टैक्सेज, इतने रिसोर्सेज हमारी स्टेट को रेज करने पड़ेंगे। आज मुल्क पूरे प्लान के प्रारूप में इसको स्वीकार करता है और वह योजना इस सदन के द्वारा भी स्वीकार की जाती है तो राजस्थान सरकार के लिये ओब्लीगेटरी हो जाता है कि उन रिसोर्सेज को जिनका वादा किया है पूरा करे। इसलिये हमको इस देश के अन्दर सेल्फ एक्सैलेरेटिंग सेल्फ जेनेरेटिंग इकोनोमिक स्टेज की हैसियत तक पहुँचना है तो हमें कुछ दिनों पेट पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। यह काफी दुःखद घटना है जब कि मैं यह कहता हूं, क्योंकि पहले फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने इस तरह की बात सदन में कही थी तो काफी माननीय सदस्यों ने उसको

(श्री परसराम मदेरणा)
चर्चा की थी। हम यह चाहते हैं कि जो बिलकुल भूखे हैं उनके पेट पर पट्टी नहीं बांधें पर जो लोग देने की स्थिति में हैं वे अपनी कुछ लग्जरीज को कम करें और कुछ टैक्सेस दें। हम सेविंग्स के जरिये स्टेट की रेवेन्यू को बढ़ाते हैं वह जनता के स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा उठाने के लिये, हमारे राजस्थान की इकानामी को सेल्फ एक्सेलरेटिंग और सेल्फ जनरेटिंग बना कर टेक ग्राफ राज्य की स्टेज तक ले जाना चाहते हैं। इसलिये हमारा यह दायित्व है, उससे हम बच नहीं सकते। कोई इसे पसन्द करे या नहीं करे पर राजस्थान सरकार जिसके ऊपर बहुत जबरदस्त दायित्व है वह इससे मुंह नही मोड़ सकती।

यहां यह कहा गया कि इन टैक्सेज का भार उन लोगों पर नहीं पड़ेगा, इन्सीडेन्स ऑफ टैक्सेज उस क्लास ऑफ पीपुल पर नहीं पड़ेगा जो कि इस भार को वहन कर सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्सेज का रेट ग्राफ स्ट्रक्चर है उसको आमतौर पर देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने इस बात की पूरी कोशिश की है कि उसी क्लास ऑफ पीपुल पर टैक्सेज का भार पड़े जो इसको वहन कर सकती है। इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में टैक्सेज लगाये गये हैं और समय-समय पर बढ़ोतरी की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह भी कहा गया है कि जो टैक्सेज यहां लगाये गये हैं वह दूसरी स्टेट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। खास तौर से मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पर केपिटा टैक्स राजस्थान में दूसरी स्टेट्स के मुकाबले ज्यादा हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास सभी स्टेट्स के आंकड़े हैं, सभी टैक्सेज के तो नहीं हैं पर सेल्स टैक्स के हैं........

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : मैंने जो कहा उसको तोड़-मरोड़ कर कह रहे हैं। मैंने यह कहा कि राजस्थान का इन्सिडेन्स ऑफ टैक्सेशन कन्ज्यूमर्स पर पड़ता है। मैंने यह नहीं कहा कि राजस्थान का पर केपिटा टैक्सेशन हाईयेस्ट है। आप यह बताइये कि कितनी स्टेट्स का राजस्थान से पर-केपिटा टैक्सेशन ऊंचा है और कितनी स्टेट्स का राजस्थान से नीचा है।

श्री परसराम मदेरणा : खास तौर से सेल्स टैक्स का पर-केपिटा इन्सिडेन्स ऑफ टैक्सेशन राजस्थान में दूसरी स्टेट्स के कम्पेरिजन में कितना है, सिर्फ सेल्स टैक्स के आंकड़े मेरे पास हैं इसलिये उनके आधार पर कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान की १६ स्टेट्स में से ६ स्टेट्स में पर-केपिटा इन्सिडेन्स ऑफ टैक्सेशन राजस्थान से ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में अभी पर-केपिटा इन्सिडेन्स ऑफ टैक्सेज है वह ५.३४ है जब कि आसाम में ५.६३ है, मैसूर में ६.१६ है आन्ध्र में ५.५६ है, वेस्ट बंगाल में ६.४० है, पंजाब में ५.४१ है, मद्रास में ११.७१ है, केरल में ६.२३ है, गुजरात में ६.११ है ....

श्री अब्दुल जब्बार : वहां एक्सपोर्ट कितना होता है ?

श्री परसराम मदेरणा : आप जरा ठहर जाइये। मैं एक पॉइन्ट पर कह रहा हूं, उसे मेक आउट करने दीजिये। उसके बाद आप पूछिये, मैं बराबर उत्तर दूंगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

तो मैं निवेदन कर रहा था कि पर-केपिटा इन्सिडेन्स ग्राॅफ टैक्सेज है, खास तौर से सेल्स टैक्स का वह तीन-चार स्टेट्स को छोड़ कर हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स में राजस्थान के कम्पेरिजन में पर-केपिटा इन्सिडेन्स ग्राॅफ टैक्स ज्यादा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की चीजों पर टैक्स के बारे में यहां कहा गया खास तौर से झालावाड़ से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं, खास तौर से गल्ले के बारे में कहा है...

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : एक मिनट....

(दोनों माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि ग्रगर किसान खुद गल्ला बेचता है तो इस पर कोई टैक्स नहीं है, वह टैक्स से एग्जेम्प्टेड है ....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं यह कह रहा था कि पर-केपिटा भार ग्रापने बताया दूसरी स्टेट्स का। ग्राप राजस्थान के ग्रास-पास की जो बोर्डर स्टेट्स हैं उनका पर-केपिटा इन्सिडेन्स ग्राफ टैक्सेज बताइये। दूसरी स्टेट्स में करोड़ों रुपये का लोहा पैदा होता है, करोड़ों रुपयों का कपड़ा, कोयला ग्रादि पैदा होता है, उन स्टेट्स में बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं यहां ऐसी कौनसी चीज पैदा होती है, ऐसी कौनसी इन्डस्ट्रीज हैं ? ग्राप एक भी ऐसी चीज बता दीजिये कि राजस्थान में १० – १५ लाख की पैदा होती हो, यह बताइये। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली का बता दीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : यहां कपड़ा पैदा होता है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं इस पॉइन्ट पर बोल रहा था तो माननीय सदस्य उसी वक्त इस सवाल को उठाते। मैं जब दूसरे माननीय सदस्य को जवाब दे रहा था तो उस समय ग्रापको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिये। दूसरे माननीय सदस्य ने एक पॉइन्ट उठाया उसका जवाब दे रहा था, चाहे माइनर पॉइन्ट ही हो मैं उसका जवाब देना ग्रपना कर्त्तव्य समझता हूं। ग्रापने राजस्थान की पड़ोसी स्टेट्स का टैक्स पूछा। मध्य प्रदेश में पर-केपिटा इन्सिडेन्स ग्राॅफ टैक्स ४.४० है जो राजस्थान से कम है लेकिन पंजाब राजस्थान की दूसरी पड़ोसी स्टेट है वहां ५.४१ है जब कि राजस्थान में ५.३४ है...

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यू. पी. ग्रौर दिल्ली का बताइये।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कह दिया कि कुछ स्टेट्स में राजस्थान से कम है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : राजस्थान में बोर्डर स्टेट्स से पर-केपिटा इन्सिडेन्स ग्राॅफ टैक्सेस ज्यादा है, इसके बावजूद कि हमारी पड़ोसी स्टेट्स इन्डस्ट्रियली कितनी एड-वान्सड हैं। राजस्थान से पंजाब इन्डस्ट्रियली कितना ग्रागे बढ़ गया है; राजस्थान में कोई इन्डस्ट्री नहीं है, फिर भी पंजाब में ग्रापसे कम है। उत्तर प्रदेश राजस्थान से एड-वान्स्ड है, फिर भी वहां राजस्थान से पर-केपिटा इन्सिडेन्स ग्राॅफ टैक्सेज कम है। मेरे कहने का ग्रर्थ यह है कि....

श्री परसराम मदेरणा : आपके कहने का अर्थ मैं समझ गया....

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं आप एक घंटा बोले हैं, स्पष्टीकरण कर सकते हैं पर भाषण परस्पर शुरू हो जायेंगे तो what is the point which you want to clear ?

श्री परसराम मदेरणा : सेलस टैक्स की एक-एक सेक्शन पर मावली से आने वाले माननीय सदस्य बोले हैं, न तो उनकी स्पीच रिलेवेन्ट थी, मैं कोशिश करूंगा कि माननीय सदस्य ने काफी मुद्दे वजनी उठाये हैं, सबका जवाब नहीं दे सकूंगा। बड़े-बड़े मुद्दों का जवाब देना चाहूंगा। इस तरह कम्पेरिजन में पड़ते हैं तो आप गुजरात का भी कहेंगे, जहां अहमदाबाद है। कभी मद्रास का कहेंगे, कभी दिल्ली जैसे शहर का कहेंगे जहां इन्डस्ट्रीज ज्यादा लग गई हैं। राजस्थान पिछड़ा हुआ है, इसमें दो राय नहीं, मैं इस बात का दावा नहीं करता कि राजस्थान इन्डस्ट्रियली डेवेलप्ड है, किन्तु हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में औद्योगीकरण हो और राजस्थान में औद्योगीकरण करना है तो वह बातें करने से ही नहीं होता और इस तरह से आलोचना करने से कोई भी टैक्स नहीं लगे, कृषि उत्पादन बढ़ जायगा, औद्योगीकरण अपने आप हो जायगा, एक्सपोर्ट अपने आप होने लगेगा, यह तो नहीं होता है। दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है जिसने अपनी इकोनोमी को सुधारने में शुरू-शुरू में जब तक उसका पूरा औद्योगीकरण न हो टैक्स न लगाए हों। आप देख सकते हैं चाहे यूरोप हो, चाहे अमरीका हो, जापान हो, रूस हो, उन देशों में भी शुरू-शुरू के अन्दर बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। वे परिस्थितियां राजस्थान में दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में हैं। राजस्थान क्या था ? छोटी-छोटी स्टेट्स थीं, उद्योगों को विकसित नहीं कर सके, बड़े बड़े कल-कारखाने नहीं लगा सके। इसके बावजूद भी जिस दिन उद्योग की मांग सदन में चल रही थी तो उद्योग मन्त्री ने बताया कि राजस्थान के अन्दर कितने बड़े-बड़े उद्योग खुले हैं और आगे कितने खोलने का विचार है। प्राइवेट सैक्टर में और पब्लिक सेक्टर में क्योंकि हमारी मिक्स्ड इकोनोमी है। राजस्थान का औद्योगीकरण द्रुत गति से तभी संभव हो सकता है जब हम उद्योगों को हर प्रकार से सहायता दें, खास तौर से माननीय सदस्य कोआपरेटिव्स और स्टेट सैक्टर की बात करते हैं लेकिन कोआपरेटिव्स और स्टेट सैक्टर में भी अगर राज्य सरकार के पास धन नहीं होगा तो उसकी क्षमता से बाहर की बात होगी। यह सही है कि राजस्थान का औद्योगीकरण ऐसा नहीं है, जैसे दूसरे राज्यों का है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, जो टार्गेट्स हैं उनके जरिए हम जो नेशनल वेल्थ को प्रोड्यूस करके दुबारा इन्वेस्ट करके सेल्फ जेनरेटिंग इकोनोमी का स्टेज लाना चाहते हैं, अगर उस वक्त तक सरकार के साथ सहयोग करें तो राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य में मेरी निश्चित आस्था है।

यहां पर कहा गया कि घी पर टैक्स लगाया है। यह सही है कि हमने घी पर टैक्स लगाया, वह इसलिए कि हम चाहते हैं कि राजस्थान का बजट घाटे का न हो। जब कभी भी घाटे का बजट होता है तो उसका इन्फ्लेशन की ओर ट्रेन्ड जाता है। हम चाहते हैं कि घाटे का बजट राज्य सरकार का न हो। तो हमने दूसरे राज्यों में देखा कि प्रायः घी

(श्री परसराम मदेरणा)
पर टैक्स है या नहीं। जहां हमने तीन पर्सेन्ट लगाया है वहां गुजरात में तीन प्रतिशत, मध्य प्रदेश में दो पर्सेन्ट, पंजाब में ६ पर्सेन्ट, उत्तर प्रदेश में तीन पर्सेन्ट, आंध्रप्रदेश में ४ पर्सेन्ट, बिहार में ४ पर्सेन्ट, केरल में ३ पर्सेन्ट लेकिन मल्टीपल पॉइंट पर है और उसके अनुसार मद्रास में ढाई प्रतिशत मल्टीपल पॉइंट पर है। मेरे कहने का मतलब ....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मध्य प्रदेश में हटा लिया है।

श्री परसराम मदेरणा : अखबार में तो मैंने नहीं पढ़ा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : घी से तेल पर ज्यादा क्यों है ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में घी पर से टैक्स विथ्ड्रा कर लिया है। मैंने तो अखबार में नहीं पढ़ा, हो सकता है कि मध्य प्रदेश में विथ्ड्रा कर लिया हो; लेकिन हमारे जो वित्तीय साधन हैं वे परमिट नहीं करते कि हम इसे विथ्ड्रा करें।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपके अंदाजे से घी पर कितना टैक्स वसूल होगा और बजट में घाटा कितने रुपयों का आएगा, क्या वह इससे पूरा हो जायगा ?

श्री परसराम मदेरणा : घाटे की बात वित्त मन्त्री ने सदन को बताई थी जो टैक्सेज उन्होंने विथ्ड्रा की थीं ....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यह टैक्स लगाते समय कितना रुपया वसूल होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : कोल्हू और घानी से जो तेल निकाला जायगा उस पर से टैक्स विथ्ड्रा किया, उसके बाद जवाहरात पर लास्ट पॉइंट पर लगेगा, इससे घाटा होगा; शायद ३० या ४० लाख के आस-पास की बात कही थी। लेकिन अब घी पर टैक्स क्यों लगाया और जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे कि घी पर टैक्स कम लगाया है और तेल पर ज्यादा क्यों ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : आपकी जानकारी में होगा कि घी से कितना रुपया वसूल होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं सब जानकारी दे दूंगा। वेजीटेबुल घी पर टैक्स जब से ही यह सेल्स टैक्स लागू हुआ, १९५८ से, तो उस पर टैक्स है, वह सात प्रतिशत था उसके बाद वेजीटेबल घी पर अब दस प्रतिशत टैक्स है। तो घी और वेजीटेबल पर सात पर्सेन्ट का डिफरेंस शुरू से है। उसके बाद में एडीबल आइल पर पहले दो पर्सेन्ट था, अब हमने बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। रिफाइन्ड कोकोनट पर ७ प्रतिशत है, तो वेजीटेबल घी और घी के बीच जो सात पर्सेन्ट का डिफरेंस था, क्योंकि वेजीटेबल पर अब १० प्रतिशत है और घी पर तीन प्रतिशत, तो करीब-करीब ७ पर्सेन्ट का अंतर यों का यों रहता है। दूसरी बात वेजीटेबल घी पूअरर सेक्शन्स ऑफ दी कम्यूनिटी खाते हैं। थोड़े कम्पेरेटिवली वेल-टु-डू आदमी घी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें माननीय सदस्य इमोशनल ज्यादा होते हैं बाकी न एग्रीकल्चरिस्ट पर यह असर करने वाला है जैसे कि कई माननीय सदस्यों ने कहा। यह

(श्री परसराम मदेरणा)
डीलर पर लगेगा और उस डीलर पर लगेगा जिसका टर्नओवर १५ हजार तक का है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एग्रीकल्चरिस्ट पर लगने का डर नहीं है, लेकिन आपके इन्सपेक्टर्स उनको तंग करेंगे और घी की पीपियां ले जायेंगे। गरीब लोग तेल खाते हैं उस पर इतना नहीं बढ़ाना चाहिये। घी तो मालदार ही खाते हैं, आपने उस पर ३ प्रतिशत कर दिया है तो कोई ऐतराज नहीं लेकिन तेल पर ७ प्रतिशत कर दिया है वह ज्यादा है।

श्री परसराम मदेरणा : तेल पर भी करीब-करीब वही अंतर है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : सात प्रतिशत बढ़ गया। आप एक तरफ कहते हैं कि वेजीटेबल घी साधारण कन्ज्यूमर खाते हैं, उस पर १० प्रतिशत क्यों और घी कोई नहीं खाता है उस पर ३ प्रतिशत? आपकी नीति क्या है? वेजीटेबल घी, घी और तेल का किस दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं? तीनों के टैक्सेज में जो वेरिएशन्स है; जैसे घी पर तीन प्रतिशत, तेल पर पांच प्रतिशत और वेजीटेबुल पर १० प्रतिशत, वह क्यों है? इसका मापदंड क्यों है?

श्री परसराम मदेरणा : एडीबुल ऑइल की बात कर रहे थे। एडीबुल ऑइल के संबंध में पहले अगर कोई व्यक्ति ईन्डीजिनस घानी से तेल निकालता था तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। ६-३-६६ को टैक्स लगा और १६-३-६६ को एग्जेम्प्शन दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि कोल्हू या घानी से जो तेल निकलता है तो टैक्स नहीं। अगर कोई आदमी कोल्हू या घानी से तेल निकालता है तो निश्चित तौर से कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। यह सही है कि जो दूसरी तरह से एडीबल ऑइल प्रोड्यूस किया जाता है; जैसे मशीन से तो उस पर पांच प्रतिशत है और जैसे मैंने आपको कम्पेरेटिवली बताया वेजीटेबल पर १० प्रतिशत है, तेल पर पांच पर्सेन्ट है और और घी पर तीन प्रतिशत है। और वह भी घी पर दूसरी स्टेट का कम्पेरेटिवली देखेंगे तो उन सब ही स्टेट्स में घी पर टैक्स है।

यहां पर मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात और कही कि टैक्सेशन विभाग के कुछ कर्मचारी जब कभी भी बुक्स को सीज करते हैं तो डेढ़ २ साल तक रिटर्न नहीं करते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि राज्य के कॉमर्शियल टैक्सेशन के सभी कर्मचारियों को जो इस डिपार्टमेन्ट से सम्बन्ध रखते हैं उनको २५-४-६४ के एक सक्यूलर के द्वारा कमिश्नर ने इन्स्ट्रक्शन्स दे दी थीं कि किसी की बुक्स को सीज करते हैं, करेन्ट बुक्स को, तो उनको १५ दिन के अन्दर लौटा देना चाहियें और दूसरी बहियों और किताबों को दो महीने के भीतर २ लौटा देना चाहिये जब तक कि डिप्टी कमिश्नर ज्यादा दिन तक उनको रखने के लिये परमिशन न दे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्सेशन के इन्स्ट्रक्शन्स बहुत साफ हैं और उनका इम्प्लीमेन्टेशन ठीक तरीके से नहीं होता है तो यह राज्य सरकार देखेगी कि फ्यूचर में इस प्रकार का ऐसा केस राज्य सरकार के सामने आये तो राज्य सरकार उस पर तुरन्त एक्शन ले। आपके इस मुद्दे को उठाने के बाद ही मैंने कमिश्नर महोदय

(श्री परसराम मदेरणा)

को यह इन्स्ट्रक्शन्स दे दिये हैं कि आप दूसरा सक्यूलर पहले वाले का हवाला देकर निकाल दें कि इन्स्ट्रक्शन्स की पूरी तुरन्त पाबन्दी होनी चाहिये और उसमें किसी प्रकार की ढेतलाती न हो। और यह भी कहा गया कि छाछ पर भी टैक्स लगेगा या लग रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक छाछ का प्रश्न है छाछ पर कोई टैक्स नहीं है। यह बात जरूर है कि रेस्टोरेन्ट और होटल्स में लस्सी भी देते हैं और दूसरी चीज भी देते हैं तो टोटल टर्नओवर पर एक पर्सेन्ट लम्प सम टैक्स इम्पोज किया है। उसमें वह चीज आती है, लस्सी के बेचने वालों को हमने देखा है, काफी लोगों की अच्छी हालत है और हो सकता है कि उसके साथ में एक दो आइटम और हो, इसलिये लम्प सम में हमने एक पर्सेन्ट लगाया है। इसी आधार पर पंजाब में भी और दिल्ली में भी टैक्स हैं।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राज्य सरकार एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती। इसको प्रोत्साहन देने के लिये राजस्थान सेल्स टैक्स बिल पर सदन इसके बाद विचार करेगा और रेट्स को रिड्यूस करने का खास तौर से उन गुड्स की जो एक्सपोर्ट किये जावेंगे, उसमें प्रावधान है। इसके पास होने के बाद और कानून बनने के बाद राज्य सरकार की ऐसी मंशा है कि जो गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको इम्पीटस मिलेगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आप सिद्धान्ततः स्वीकार करते हैं कि एक्सपोर्ट के लिये जो भी सुविधा देनी चाहिये वह देनी चाहिए। ५ सी में एक्सपोर्ट के लिये कन्सेशनल रेट्स पर माल खरीद सकते हैं उसको वह सुविधा क्यों नहीं देना चाहते जो एक्सपोर्ट के लिये दी जानी चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, उपाध्यक्ष महोदय, ५ सी. के नीचे एक्सपोर्ट के लिये रा मेटीरियल को कन्सेशन रेट दिलाने की बात करते हैं। इस प्रकार का उन्होंने अमेन्डमेन्ट भी मूव किया था।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: है।

श्री परसराम मदेरणा : ५ सी. पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : ५ ए. में भी चाहिये और उसमें अमेन्डमेन्ट मेरा है।

श्री परसराम मदेरणा : थोड़ी देर बाद क्लॉज बाई क्लॉज लेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट, जिसके जरिये फौरिन एक्सचेन्ज हासिल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें हिन्दुस्तान के बाहर जायं। उसके साथ-साथ स्टेट की वित्तीय स्थिति को भी देखना पड़ता है कि आया जो हमारे क्षेत्र में है, जो राज्य सरकार की जो लिस्ट २ है उसके अन्तर्गत हम टैक्स लगा सकते हैं, उसमें बराबर कन्सेशन देते गये, माननीय सदस्य मेन्युफेक्चर्ड रा मेटीरियल की बात करते हैं, कल ट्रान्सपोर्ट में कन्सेशन की बात होगी, परसों तीसरी बात पर कन्सेशन की बात होगी, एक के बाद एक कन्सेशन लेने की बात होगी. हम समझते हैं कि स्टेट की रेवेन्यू इनसे बढ़नी चाहिये वह नहीं बढ़

(श्री परसराम मदेरणा)

सकेगी। सभी प्रकार का कन्सेशन चाहते हैं वह नहीं मिल सकता। जो व्यक्ति गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा और डिक्लेरेशन देगा उन कन्डीशन्स पर जो कि राज्य सरकार नोटिफाई करे उनको वह मानता है तो निश्चित रूप से तो टैक्स की रेट्स को हम रिड्यूस करेंगे। इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट राज्य सरकार लायी है और मैं समझता हूं क्लाज बाई क्लॉज पर विचार किया जावेगा तब उस पर भी विचार किया जावेगा। मसूरिया क्लॉथ पर माननीय सदस्य ने बात कही। वह तो एग्जेम्प्टेड है और किसी प्रकार का टैक्स नहीं है और कोटेज इन्डस्ट्री की तरह ही उसको काम में ल या जाता है। रहा रॉ मेटीरियल का सवाल। रॉ मेटीरियल में कुछ ऐसा पोर्शन है, गोटा और कुछ ऐसी चीजें जिन पर टैक्स लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार की भी मान्यता रही है और दूसरी स्टेट की भी मान्यता रही है कि इस प्रकार की कीमती चीजें जिसके साथ हों उसको पूरी तरह से एग्जेम्प्ट नहीं किया जा सकता। रहा सवाल कन्सेशन पर रा मेटीरियल मिले। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था, उस समय मावली से आने वाले माननीय सदस्य सदन में नहीं थे, उनसे उस समय निवेदन किया गया था कि वे कन्सेशन के मुस्तहक तब ही हो सकते हैं जब रजिस्टर करा लें और वालन्टरियली रजिस्टर कराना चाहिये ताकि उसके बाद ही रा मेटीरियल कन्सेशन रेट पर लेने के लिये मुस्तहक हो सकते हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आप यह आश्वासन दे दीजिये कि वह टैक्सेबल माल नहीं बेचेंगे, उस हालत में वे रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और वह ग्रान्ट होगा। आज क्या हो रहा है कि उनके रजिस्ट्रेशन उलटे केन्सल हो रहे हैं। जिन्होंने ले रखे हैं उनके ही केन्सल कर रहे हैं....

श्री परसराम मदेरणा : मैंने तो आपको कानूनी पोजिशन बतायी।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं भी आपको कानूनी बात ही बता रहा हूं, गैर-कानूनी नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप प्रेक्टिकली बता दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : पशु-कर के सम्बन्ध में बात कही।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये। आप यह कह रहे हैं कि वॉलेन्टिरियली करा लिये हैं, उनके भी केन्सल हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : We are still to discuss this bill clause by clause.

श्री राधाकृष्ण गोयल : लेकिन मंत्री महोदय ने बात रखी वह बड़ी महत्वपूर्ण है। उसी का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये। जो रिलीफ वे देना चाहते हैं सिद्धान्त रूप से, आया व्यवहारिक रूप में भी दे रहे हैं।

मैंने एक बात कही, कन्सेशन तब ही मिल सकता है जब वे रजिस्टर्ड हों; जब तक रजिस्टर्ड नहीं होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जहां एग्जेम्प्टेड हों टैक्स से, वहां टर्नओवर

(श्री परसराम मदेरणा)

का प्रश्न नहीं रहता। तब वैसे रजिस्टर्ड हो सकता है, निश्चित तौर पर वॉलन्टयरी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, इसको मैं कानूनी तौर पर एग्जामिन करवा लूंगा। वॉलन्टियरीली रजिस्ट्रेशन एप्लाई करके यह हो सकता है या नहीं, इस बारे में ऑफ हेन्ड नहीं कह सकता। माननीय सदस्य भी वकील हैं; वे भी एग्जामिन कर लें, मैं भी लॉ डिपार्टमेंट से एग्जामिन करा लूंगा...

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आप यह आश्वासन दे दें कि रॉ मेटीरियल कन्सेशन रेट पर खरीदने के लिये रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जायगी। जब आप सुविधा देंगे तो कन्सेशनल रेट पर माल खरीद सकेंगे। यह सुविधा होनी चाहिये। कानून के पॉइन्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता तो कन्सेशन भी नहीं मिल सकता। कन्सेशन देने के लिये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सुविधा देना आवश्यक है।

श्री परसराम मदेरणा : यह इस प्रकार का आश्वासन नहीं है जैसे रोड के कम्पलीशन के बारे में हो या किसी बिल्डिंग के कम्पलीशन के बारे में हो। कानून के अन्दर जो रियायतें दी जा सकती हैं वह दी जायेंगी दूसरा कोई रास्ता नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो। रॉ मेटीरियल कन्सेशनल रेट पर उन्हीं को मिल सकता है जो रजिस्टर्ड हों। यह मैं कानूनी रूप से एग्जामिन कराऊंगा और आप से भी बात कर लूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, उनको रॉ मेटीरियल की सुविधा नहीं मिल सकती। आप इस बारे में हमेशा से यह कहते आ रहे हैं कि हम विचार करेंगे। आप यह मानते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद फायदा होगा लेकिन रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता तो फिर उनको फायदा किस प्रकार से मिलेगा ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसको आपने कहा एग्जामिन करवा लिया जायगा, आप रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये वह दे देंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मेरी बात का मतलब निकाला वह सही है। रजिस्ट्रेशन जो नहीं करवाते हैं उनको सुविधा नहीं मिल सकती जब तक कानून यह है। वॉलन्टियरीली रजिस्ट्रेशन हो सकता है या नहीं इसके बारे में ऑफ हेन्ड ओपीनियन नहीं दे सकता। यह इन्टरप्रिटेशन का मामला है लॉ डिपार्टमेंट से एग्जामिन कराऊंगा उसके बाद में क्या कुछ किया जा सकता है वह देखा जायगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इसमें कोई कठिनाई होगी, तो उसको मिटाने की मन्त्री महोदय व्यवस्था करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : We can't compel a reply to that extent. आप किसी चीज के बारे में असहमत हैं तो उसको आप डिस्कशन के समय ले लेंगे ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : सिद्धान्त रूप से मान लिया है। वास्तव में कोई कठिनाई होगी तो लेजिस्लेशन द्वारा उसको स्पष्ट कर दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जूट और सन्

(श्री परसराम मदेरणा)

एक प्रकार की चीज़ है दोनों पर अलग-अलग क्यों टैक्स लगाया गया यह बात कही। मैंने इस पॉइन्ट को एग्जामिन करवाया था। लॉ डिपार्टमेंट से एग्जामिन होने के बाद में हमें यह लीगल ओपीनियन मिली कि बायोलोजिकल सेन्स के अन्दर जूट नहीं है। आज सेन्टर का जो सेल्स टैक्स है उसमें इम्पोर्टेड गुड्स डिक्लेअर नहीं है इसलिये सेल्स टैक्स लगेगा। कानूनी जानकारी करने के बाद ही इस पर सेल्स टैक्स लगाया है।

दूसरी बात पशु-टैक्स के सम्बन्ध में। इसके बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं पशु टैक्स प्रीसीडिंग एक्सपोर्ट पर पर्चेज टैक्स है। लेकिन बीच में नोटिफिकेशन के जरिये कैटल के लोकल पर्चेज खरीद पर भी टैक्स लगाया गया। उसके बाद १६ मार्च को वित्त मंत्री महोदय ने घोषणा की थी उसके अनुसार उन्होंने लोकल ट्रान्जेक्शन पर टैक्स नहीं लगेगा यह कहा और जिस तरह से पहले था, जो पशु यहां से बाहर जाते थे दूसरी स्टेट्स में उन्हीं पर टैक्स लगेगा। पशुओं के नाम से ज्यादा एलर्जिक नहीं होना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप किसी टैक्स को एक दफा छोड़ देते हैं, दुबारा फिर उसी को ले आते हैं। आपका इस बारे में कुछ सिद्धान्त तो होना चाहिये। जिस चीज़ पर आपने पहले टैक्स माफ कर दिया उस चीज़ पर फिर टैक्स नहीं लगना चाहिये। यह स्पष्ट होना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : २-३-६३ को एक नोटिफिकेशन निकला था। माननीय सदस्य को यह मालूम है कि नो टैक्सेज़ विदाउट रिप्रेजेन्टेशन। टैक्सेशन के जितने भी प्रोपोजल्स होते हैं वे सदन के सामने आते हैं। जब तक माननीय सदस्यों की मोहर नहीं लगती है तब तक उनको लागू नहीं किया जा सकता। उस समय सदस्यों को एतराज होता है तो उस पर राज्य सरकार विथ्ड्रा कर लेती है। यह एक कन्वेन्शन है और वित्त मंत्री महोदय को स्पेशल प्रिविलेजेज़ हैं कि वे टैक्सों के प्रोपोजल्स को गुप्त रखते हैं। राजस्थान के वेज़ और मीन्स देख कर उनको टैक्स प्रोपोज करने का अधिकार है। वे प्रोपोजल्स सदन के सामने आते हैं। अगर सदन में उन टैक्सेज़ के खिलाफ राय होती है वे विथ्ड्रा कर लेते हैं। यह जो पशुओं पर कर लगाया गया है वह बाहर जो पशु हमारे यहां से अच्छी नस्ल के बिकने के लिये जाते हैं, जो ले जाते हैं उनकी भी माली हालत अच्छी होती है और जिनको बेचा जाता है वे भी माली हालत अच्छी रखते हैं तो ऐसी हालत में कर लगाना जरूरी है। हमारे यहां अलग-अलग बोर्ड हैं उसी प्रकार टैक्स हैं। पहले जो लोकल ट्रान्जेक्शन पर भी टैक्स लगने का था वह हटा दिया है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपके यहां से २-३-६३ को नोटिफिकेशन इश्यू हुआ था। यहां डिस्कशन होने के बाद १८-३-६३ को विथ्ड्रा किया। उसी नोटिफिकेशन के मुताबिक फिर ४-११-६५ को नोटिफिकेशन निकाला गया, फिर वे ही टैक्स लागू किये गये; भेड़, बकरी सारे टैक्स वे ही जो पहले छोड़ दिये गये थे, बैल, बछड़ा, ऊँट, घोड़ा, गधा आदि सब चीजों पर।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य के पास सब नोटिफिकेशन्स हैं। आपने जो ६३ के नोटिफिकेशन का हवाला दिया उसके बाद आपने १८ मार्च, ६३ का जिक्र किया। उसके बाद में ४ नवम्बर, ६५ का जिक्र किया। उसके बाद मार्च, ६६ का जिक्र किया। वे सब नोटिफिकेशन्स मेरे सामने हैं। ६३ के अन्दर जो टैक्सेज वापिस लिये गये थे उसके बाद में तो हालत ही बदल गई थी।

६३ और ६५ में तो बहुत हालत बदल गई।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्या बदल गई? स्केअरसिटी हो गई, घास नहीं मिलता, इसलिये पशुओं पर टैक्स लगाने के लिये अनुकूल स्थिति पैदा हो गई?

श्री परसराम मदेरणा : डिफेन्स पर खर्चा बढ़ गया। पाकिस्तान, हिन्दुस्तान की लड़ाई हुई। चन्द्रगुप्त मौर्य के बाद तीसरी शताब्दी के बाद १६ सौ, १७ सौ वर्षों में भारत की धरती पर उसके दुश्मन की पांच लाख फौजें अभी तक कभी नहीं भिड़ीं। इस बात का इतिहास साक्षी है।

(हंसी)

श्री कृष्णकुमार गोयल : चन्द्रगुप्त मौर्य ?

श्री परसराम मदेरणा : खास तौर से सिविल डिफेन्स के बारे में, होम गार्ड्स के बारे में हमें अधिक खर्चा करना पड़ा। बोर्डर पर आर. ए. सी. की अधिक बटालियनें रेज की गईं। इसका खर्चा जो पड़ा इसकी वजह से सोचा कि टैक्स लगाओ। इसलिये यह लगाया गया। उस वक्त हालत और थी, और अब इस कारण हालत बदल गई।

फिर ऐसा भी है कि आज जिस माल पर टैक्स कम है या नहीं है तो दस साल बाद उस पर अधिक बढ़ाया जा सकता है या नये सिरे से लगाया जा सकता है। तब तक उसका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। एक्सपेण्ड होने के बाद किसी भी इन्डस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ सकता है और उसके प्रोफिट का मार्जिन देखते हुए रेट चेन्ज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नये सिरे से लगा सकते हैं। तो यह दलील कि ६३ में विथड्रॉ कर ली और ६५ में लगा दी, इन हालतों में ठीक नहीं रहती।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने आश्वासन दिया था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेन्टेशन तो फिर आपने यह क्यों लगाया?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़। प्रश्न यह है कि जो संशोधन.......

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अभी तो बहुत से पॉइन्ट जवाब देने को हैं बाकी। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेन्ट्स हैं। तो स्पष्टीकरण थोड़ा ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्टीकरण थर्ड रीडिंग में ले लें।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो मुद्दे रह गये हैं उनकी सफाई तो होने दीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : टैक्स इवेजन के सम्बन्ध में तो कुछ कहा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गिरधारीलालजी। यदि आप इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं तो उनके खिलाफ वोट दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : एग्रीकल्चर इम्प्लीमेन्ट्स के सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि शिड्यूल के आइटम ८ में करीब ११ चीजें ऐसी हैं जो एग्रीकल्चरल मशीनरी की तारीफ में आती हैं और जो पहले की तरह अब भी टैक्स से एग्जेम्पटेड हैं।

आप चाहते हैं कि ट्रैक्टरों को भी इसमें ले लें। मैं इसमें आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य से इत्तिफाक करता हूं। ट्रैक्टर आम तौर पर लोग एक महीने एग्रीकल्चरल परपज के लिये चलाते हैं और बाकी ११ महीने किराये पर चलाते हैं। मकान बनाने का मैटीरियल भी इससे ढोते हैं। मैं जानता हूं कि पिछले चार सालों में करीब चार-सौ पांच-सौ ट्रैक्टर नागौर और जोधपुर जिले में आ गये हैं और उनमें सब किराये पर देते हैं और किराया भी काफी ले रहे हैं। मैं आप से कहूं। मुझ से कुछ किसान मिलते हैं और उनसे पता लगता है कि डीजल का खर्चा निकाल कर एक साल में नौ हजार उन्होंने बचा लिये हैं। तो इस तरह से दो साल में ट्रैक्टर घर का हो जाता है। १६ हजार में वह बिक जावेगा। अब १६ हजार के इन्वेस्टमेन्ट से दो साल में प्रोपर्टी घर की हो जावे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अब मैं नहीं कहता कि सभी किसान किराये पर चलाते हैं, पर अधिकांश चलाते हैं। इसलिये हमने इसको टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं रखा है। अब प्लौ वगैरह के लिये कहा तो ये आइटम एग्जेम्प्टेड में हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : पुली, दांता स्पेसिफिकली इसमें मेन्शन नहीं होने से टैक्स इन पर वसूल किया जाता है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इनसेक्टीसाइड्स के लिये क्या कहते हैं?

श्री परसराम मदेरणा : जब अमेन्डमेन्ट शिड्यूल में आवें तब इस पर कह लें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सम्पत्तिलालजी बोहरा इत्यादि ने प्रस्तुत विधेयक को तीन माह और एक माह इत्यादि के लिये जनमत जानने हेतु प्रसारित करने सम्बन्धी रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गोविन्दसिंहजी ने प्रस्तुत किया है उसको पारित किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया। क्लॉज बाई क्लॉज।

अब समय करीब-करीब समाप्त होने वाला है और हमारे सामने काफी बिजनेस

(श्री उपाध्यक्ष)

बाकी है। तो इसे कम से कम पारित किया जाय तब तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जाय क्या सदन की मंशा है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : और बिजनैस का क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : उसे कल लिया जावेगा। तो इस बिल को पारित करें तो ५।। बजे तक हो जावेगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह बिल पास न हो जावे तब तक।

श्री उपाध्यक्ष : तो ठीक है, प्रस्तुत विधेयक पारित न हो जावे जब तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जाता है।

समय का खयाल रखते हुए इसे ५।।-६ बजे तक समाप्त कर सकें तो ज्यादा अच्छा हो।

(विराम)

क्लॉज २

इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :—

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली):—

In Section 5 A of the Rajasthan Sales Act, 1954-insert the words "or in the course of Export out of India" between the words " in the course of Inter-State Trade or Commerce " and the words "shall be liable".

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, आबकारी एवं कर) :—

In the "explanation" proposed to be inserted by clause 2, for the word " includes" substitute the expression " shall, during the period commencing on the 6th day of March, 1964 and ending on the date of commencement of the Rajasthan Taxation Laws (Amendment) Act, 1966 be deemed to include ".

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मेरा अमेन्डमेन्ट है क्लाज़ २ के सेक्शन ५ ए में। अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है :—

In Section 5A of the Rajathan Sales Act, 1954-insert the words " or in the course of Export out of India " between the words " in the course or Inter-State Trade or Commerce " and the words " shall be liable ".

उपाध्यक्ष महोदय, ५ (ए) पर्चेज़ टैक्स का क्लॉज है। इसके अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति अपना सामान बाजार से खरीदता है, उसको कन्ज्यूम कर लेता है या मैन्युफेक्चर करने में काम लेता है या और किसी प्रकार से....

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं इस पर अधिक आ के ही अमेन्डमेन्ट हैं। दो, तीन,

(श्री उपाध्यक्ष बोहरा)

चार सारे ही क्लॉजों पर। आप सबको मूव कर दें एक साथ। इसके बाद में मन्त्रीजी का मूव कर दिया जावेगा। We will consider all these to-gether.

(अल्प विराम के अनन्तर)

All right let him move.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्लॉज बाई क्लॉज़ मूव करने से हमें भी सोचने का समय मिल जावेगा, आराम भी मिल जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : तो माननीय मन्त्रीजी को मूव करने दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"In the explanation proposed to be inserted by clause 2 for the word "includes" substitute the expression "shall, during the period commencing on the 6th day of March, 1964 and ending on the date of commencement of the Rajasthan Taxation Laws (Amendment) Act, 1966 be deemed to include".

श्री उपाध्यक्ष : (श्री सम्पत्तिलाल बोहरा से) अब आप करिये।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसके बाद में यह भी तो आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं। He has moved his amendment. अब आप अपना अमेन्डमेन्ट मूव कीजिए।

(विराम)

क्लॉज २

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : तो उपाध्यक्ष महोदय, ५ (ए) में इस प्रकार की व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति बाजार से सामान खरीद कर यदि उसे फिर राजस्थान में नहीं बेचता या राजस्थान की इन्डस्ट्रियल ट्रेड में नहीं बेचता तो उसको खरीद टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि यदि वह अपना माल किसी काम में, मैन्युफेक्चरिंग करने में और उसका मैन्युफेक्चरिंग करके राजस्थान के बाहर या हिन्दुस्तान के बाहर एक्सपोर्ट करता है तो उसको फुल रेट से टैक्स लगेगा। यदि वह राजस्थान के बाहर आढ़त के लिए बेचने के लिए भेजता है तो टैक्स फुल रेट पर लगेगा, इस प्रकार की व्यवस्था है और यदि कोई आदमी कन्सेशनल रेट पर माल लेकर बेचता है और जिस परपज के लिए लिया है और उससे अलग परपज के लिए है या हिन्दुस्तान के बाहर भेजे, तो सवाया टैक्स इस ५ (ए) के अन्तर्गत लगता है और १६ (ए) के अन्दर उस पर दुगुना जुर्माना लग सकता है। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि कन्सेशनल रेट पर जो माल मिलता है वह एक्सपोर्ट आउट ऑफ इन्डिया के लिए भी मिलना चाहिए। नहीं तो, जो आज कॉन्स्टी-ट्यूशनल पाइन्ट उठाया था वह इस पर लागू होगा और कॉन्स्टीट्यूशन का जो सेक्शन २८६ है वह यह कहता है :

"No law of a State shall impose, or authorise the

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

imposition of a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place—

(a) outside the State; or

(b) in the course of the import of the goods into or export of the goods out of the territory of India· "

तो जो यह धारा २८६ ऑफ दी कॉन्स्टीट्यूशन है उसके अन्तर्गत आता है, जो राजस्थान के बाहर माल बिकेगा उसका राज्य सरकार को अधिकार नहीं है कि टैक्स लगाये और जो एक्सपोर्ट के लिए माल जायेगा उस पर भी राजस्थान सरकार को टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। यही नहीं आर्टिकल ३०४ ऑफ दी कान्स्टीट्यूशन यह कहता है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन्स लगा सकते हैं लेकिन वह प्रेसिडेन्ट की सेंक्शन से ही लगा सकते हैं। तो आर्टिकल ३०४ यह कहता है :

'Notwithstanding anything in article 301 or article 3 3 the Legislature of a State may by law—

(a) .... ..

(b) impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within that State as may be required in the public interest :

Provided that no Bill or amendment for the purposes of clause (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a State without the previous sanction of the President.'

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो अमेन्डमेन्ट या जो एक्ट आॅलरेडी है उसमें एक विशेष प्रकार का अन्तर है। यदि आप राजस्थान के बाहर एक्सपोर्ट के लिये माल भेजते हैं तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो मैंने मूव किया है कि इसमें जो कन्सेशन इन्टर-स्टेट ट्रेड के लिये लिया हुआ है वह राजस्थान के बाहर एक्सपोर्ट के लिये भी दिया जाये। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा कि २८६ के अन्तर्गत यह कवर होगा और यह सारा का सारा एक्ट इनवेलिड डिक्लेयर कर दिया जायेगा। नहीं तो दूसरा जो सेक्शन ३०४ कॉन्स्टीट्यूशन का पढ़ा है उसमें कवर-अप हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो अमेन्डमेन्ट मूव हुआ है उसमें भी विशेष प्रकार की भाषा काम में ली गई है जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। यदि आपको एग्जम्प्शन देना है तो आप सीधी-सादी बात कहिये कि जितने भी आइटम्स ४ (१) (२) में एग्जेम्प्टेड हैं यानी एक्सप्लेनेशन जो नोट किया है वह एक्सप्लेनेशन सफिशियेन्ट है। लेकिन यहां पर जो भाषा यूज की गई है :

"For the purpose of this section, Exempted

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

goods' includes goods the sale of which by dealers in general is exempt from tax without any condition or on the sale condition that an exemption certificate with or without payment of any fee, is obtained or that the goods are recorded in the registration certificate of the dealer claiming the exemption."

यह भाषा बड़ी डिफेक्टिव है। अच्छा तो यह होता कि इसमें आप यह कह देते कि ४ (१) (२) में जितने भी एग्जेम्पशन्स हैं वह इसको कवर करते हैं। एक्सप्लेनेशन जो दिया है वह इतना सा काफी होता। मैं यही कह कर अपना अमेन्डमेन्ट मूव करता हूं कि एक्सपोर्ट के लिये कन्सेशन ५ (ए) में भी मिलना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने क्लॉज ५ (ए में जो अमेन्डमेन्ट रखा है वे वर्ड्स "State Trade or Commerce" और "shall be liable" के बीच में वह एड करवाना चाहते हैं "or in the course of export outside India."

इसका मतलब यह है कि पर्चेज टैक्स से कोई भी गुड्स जो आउट ऑफ इण्डिया एक्सपोर्ट के लिये जाता है उस पर पर्चेज टैक्स नहीं लिया जाना चाहिये........

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : फुल रेट से नहीं लेना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : आपके इससे तो यह हो गया कि कतई नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपका जो अमेन्डमेन्ट है वह तो सेल पर टैक्स नहीं लेगा, आपका यह नहीं है कि कन्सेशन रेट पर वह नहीं खरीद सकेगा। आपका मतलब यह है कि एक्सपोर्ट करे उसको कन्सेशन देंगे। वह तो सेल जब कि लास्ट पॉइन्ट पर हो जाता है उसमें अमेन्डमेन्ट है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा जो अमेन्डिंग बिल है जो इसके बाद ही अभी सदन में लाया जायेगा उसमें एक्सपोर्ट करने वाले गुड्स को सर्टन कन्डीशन्स और रेस्ट्रिक्शन्स के अन्तर्गत नोटिफाई करने के बाद में हम रेट्स को रिड्यूस करेंगे। इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट मैं उसमें ला रहा हूं। तो माननीय सदस्य के अमेन्डमेन्ट से यह होता है कि पर्चेज टैक्स से जो गुड्स एक्सपोर्ट होता है वह एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिये और जो मैं अमेन्डमेन्ट ला रहा हूं उसमें सेल्स टैक्स ही नहीं है। सेल्स टैक्स और पर्चेज टैक्स दोनों के रेट्स को रिड्यूस किया गया है. ऐसा अमेन्डिंग बिल अभी इसके बाद ला रहा हूं। इसलिये रिड्यूस्ड रेट का आपका पर्पज है वह उस अमेन्डमेन्ट से सर्व हो जायेगा और उसके बाद में भी राज्य सरकार की यह मान्यता है कि कोई भी गुड्स है जिसको एक्सपोर्ट किया जाना जरूरी है तो सेक्शन ४ (बी) के अन्दर नोटिफाई करके एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। वह सेल्स टैक्स और पर्चेज

Page No.118

(श्री परसराम मदेरणा)

टैक्स दोनों के लिये हो सकता है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसको स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह कही। मैं जो अमेन्डमेन्ट लाया हूं अभी वह अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:—

"For the word 'includes' substitute the expression shall, during the period commencing on the 6th day of March, 1964 and ending on the date of commencement of the Rajasthan Taxation Laws (Amendment) Act, 1966, be deemed to include."

इन्क्लूड की जगह जो सबस्टीट्यूट किया है वह यह है :

"Shall during the period commencing on the 6th day of March, 1964 and ending on the date of commencement of the Rajasthan Taxation Laws (Amendment Act) 1966 be deemed to include".

इसको लाने का मतलब मेरा इतना ही है कि इस पीरियड के बीच में जो आर्टिकल्स पर्चेज टैक्स से वास्तव में एग्ज़ेम्प्ट होने चाहिये थे और एग्ज़ेम्प्ट हुए हैं हमने उसमें पर्चेज टैक्स नहीं लिया है। लेकिन उसके बारे में डाउट्स हैं कि जिन आर्टिकल्स को हमने एग्ज़ेम्प्ट किया है—हम एग्ज़ेम्प्ट दो तरीके से करते हैं एक तो सेक्शन ४ (ए) के अन्दर जो शिड्यूल में एग्ज़ेम्प्शन है वह एग्ज़ेम्प्टेड है और एक (ब) के नीचे नोटीफाई करके एग्जेम्प्ट करते हैं। नोटिफाई करके जो एग्ज़ेम्प्शन किया वह करीब ४५ आर्टिकल्स हैं और उन ४५ आर्टिकल्स के अन्दर हम अलग-अलग तरह से किसी में सर्टेन कन्डीशन्स हैं, किसी में दूसरी कन्डीशन है और किसी में कोई कन्डीशन नहीं है लेकिन पर्चेज टैक्स उन पर नहीं लिया है। ४५ में से कुछ पर पर्चेज टैक्स हमने नहीं लिया है और इसलिए नहीं लिया है कि हमारी ऐसी धारणा थी कि जिन चीजों पर सेल्स टैक्स लाइबल है और सेल्स टैक्स से वह एग्ज़ेम्प्ट हो जाती हैं तो पर्चेज टैक्स भी उनके ऊपर लाएबल नहीं है। ऐसा हम कानूनी स्टेन्ड लेकर चलते थे, लेकिन उसमें कुछ डाउट्स हैं और उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए न तो किसी को एतराज है और न किसी ने इसको चैलेन्ज किया है और जो भी अमेन्डमेन्ट मैं लाया हूं, वह डीलर्स के हक में है और उनके फायदे का है। इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना कि यह एक्स्प्लेनेशन के अन्दर दूसरा अमेन्डमेन्ट लाये हैं यह एम्बीगुअस है लेकिन एम्बीगुअस नहीं है। उस पर्टीकुलर पीरियड के अन्दर जो आर्टिकल्स एग्ज़ेम्प्टेड थे और जिनका पर्चेज़ टैक्स नहीं लिया गया है उनके ऊपर एग्ज़ेम्पशन की कोई दिक्कत नहीं खड़ी हो जाये इसलिए लाया गया है। उसके बाद में जो मैंने कमेन्समेन्ट आफ दिस एक्ट ६६ में रखा है उस दिन के बाद इसलिए इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि ४ (बी) के अन्दर हम नोटिफाई करके कर देंगे और इसी कारण

(श्री परसराम मदेरणा)

हम यह अमेन्डमेन्ट लाये हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को अब कोई डाउट या कोई अन्क्लीयर बात नहीं रही होगी। मैंने सारी बातों को क्लेरीफाई कर दिया है और माननीय सदस्य का जो अपना अमेंडमेंट है उसी अमेंडमेन्ट के सिलसिले में मैं अमेंडिंग बिल के द्वारा इस प्रकार का प्रोविजन ला रहा हूं जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने अमेन्डमेंट को वापस कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ में जो संशोधन माननीय उप-मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ में जो संशोधन माननीय सदस्य श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज (३)

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :—

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

(1) (i) Replace Part (a) by the following part:-

"(a) against Serial No. 3, in column 2 insert the words "chhach" between the words "Dahi and Khowa".

(ii) Part (b) be deleted.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

(2) Add the following parts to the clause:—

"(c) against Serial No. 8—

(i) in Column No. 2 after the word and comma "manures" add the word "insecticides".

(ii) entry in Column No. 3 be deleted".

"(d) against Serial No. 9 in Column No. 2, after the words "cattle feeds" add the words "including poultry feed"].

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे दो अमेंडमेंट हैं क्लॉज २ में हैं। पहला अमेंडमेंट लिखा है:—

"against S. No. 3 in Column No. 2, for the

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

expression 'cream, ghee and butter' the expression 'and cream' shall be substiuted; and...

यह जो लिखा हुआ है तो इसके साथ मैंने छाछ को भी जोड़ने का प्रस्ताव किया है। दूसरा अमेंडमेंट मैं इसके बाद में दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि उप-वित्त-मंत्रीजी ने बताया कि छाछ पर हमारी टैक्स लगाने की मंशा नहीं है। गत वर्ष भी यही बात कही गई थी। इस समय जो कानून बना हुआ है उसके अन्दर दही और खोआ पर तो टैक्स है लेकिन छाछ पर टैक्स नहीं है। आपका इन्टेन्शन साफ है, आपका यह कहना है कि छाछ पर टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं आता है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि छाछ पर टैक्स नहीं लगे तो आपको इसमें इन्क्लूड करने में क्या आपत्ति है? इसके द्वारा जो घी पर टैक्स लगाया गया है उसका भी मैं विरोध करता हूं और मैंने यहां पर एक सीधा प्रश्न रखा था कि घी पर कितना टैक्स वसूल होगा, लेकिन आप कोई आंकड़े दे नहीं सके। आपने मध्यप्रदेश का उदाहरण दिया कि चूंकि मध्यप्रदेश ने टैक्स लगाया है घी पर इसलिए हम भी लगा रहे हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश ने घी पर से टैक्स उठा लिया है तो फिर राजस्थान में टैक्स लगाने का क्या औचित्य रह जाता है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा जो घी वर्ड हुआ है वह नहीं हटाया जाय।

इसके बाद मेरा जो दूसरा संशोधन है....

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा संशोधन भी ले रहे हैं ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जी हां, दोनों साथ ही रख देता हूं।

इसमें एक बड़ी मजेदार बात यह है कि एन्ट्री नम्बर १७ है, जिसमें कहा गया है :

'edible oils produced in indigenous kohlus or ghanis worked by animal or human agency when sold by the owners only of such kohlus or ghanis."

यह एग्जेम्प्शन था और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी अपने बजट भाषण में इसको विथड्रॉ किया था और टैक्स लगाया था। तो ऐसी स्थिति में यह एण्ट्री अमिट हो सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि नोटिफिकेशन के जरिए इसको एग्जेम्प्ट किया है लेकिन यदि इसको शिड्यूल में रखा जाय तो क्या आपत्ति हो सकती है। इसमें हमारी शंका यही है कि आज तो आपने इसको नोटिफिकेशन के जरिए एग्जेम्प्ट कर दिया लेकिन किसी भी समय मध्यावधि आप उस नोटिफिकेशन को विद्ड्रॉ कर लेंगे और टैक्स लगा देंगे। अगर इसको शिड्यूल्ड में रख दिया जाय तो शिड्यूल्ड के आइटम को चेंज करने की पॉवर गवर्नमेंट को नहीं हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जो आइटम नं० १७ है वह शिड्यूल में रहे और उसका एग्जेम्प्शन नोटिफिकेशन के जरिये नहीं हो। यह एण्ट्री जो ओमिट कर रहे हैं उसको नहीं किया जाना चाहिए। वह ३ (बी) जो आप ओमिट कर रहे हैं वह नहीं की जाय और जो एण्ट्री आपने लिखी है वह ओमिट की जानी चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री; वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दो अमेंडमेंट्स रखे हैं तो पहले अमेंडमेंट के जरिए जो शिड्यूल का सीरियल नम्बर ३ में दही और खोवा के बीच में छाछ वर्ड को इन्सर्ट कराना चाहते हैं। छाछ के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि छाछ पर कोई टैक्स नहीं है। अगर माननीय सदस्य को फिर भी इस बात का डाउट है तो मैं शिड्यूल के अन्दर तो इन्क्लूड करने को तैयार नहीं हूं लेकिन सैल्स टैक्स धारा ४ (बी) में मैं नोटिफाई करा दूंगा। छाछ पर टैक्स लगाने का राज्य सरकार का कतई इरादा नहीं है। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो उसको डिस्पेल किया जाएगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अगर शिड्यूल में लिख देंगे तो क्या फर्क हो जाएगा ?

श्री परसराम मदेरणा : शिड्यूल में रख कर मैं कानून की मजाक नहीं बनाना चाहता।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : इसमें एक बात बताइए....

श्री परसराम मदेरणा : इससे माननीय सदस्य का परपज सर्व हो जाता है। राज्य सरकार को अधिकार है कि किसी आइटम को गजट में नोटिफाई करके, धारा ४ (२) के अन्तर्गत एग्जेम्प्ट कर दे और जैसा मैंने कह दिया है कि इसके एग्जेम्प्शन का नोटिफिकेशन और निकलवा दूंगा, तो इसके बाद में तो माननीय सदस्य के दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसके पहले एक प्रश्न है। जो आइल के सम्बन्ध में बात है उसके बारे में अर्ज कर दूं। जो घाणियों से तेल निकालेंगे उसको तो एग्जेम्प्ट कर दिया है लेकिन जब वे बाजार में बेचेंगे उसी तेल को तो क्या उसका सेल्स टैक्स लिया जाएगा। इस बात को आप क्लैरीफाई कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं समझता हूं कि आप खिलाफ में वोट देंगे। सरकार के पक्ष में वोट न देकर खिलाफ में देंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं तो क्लेरीफिकेशन मांग रहा हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मोरल करेज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आपके पद-चिन्हों का ही पालन करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरा माननीय सदस्य का अमेंडमेंट यह है कि "Part (b) be deleted"

शिड्यूल को सीरियल नम्बर १७ की एण्ट्री यह है :

'edible oils produced in indigenous kohlus or ghanis worked by animal or human agency when sold by the owners only of such kohlus or ghanis.'

यह पहले, उपाध्यक्ष महोदय प्रिंटेड था। जब बजट के प्रपोजल्स आए तो एक

(श्री परसराम मदेरणा)

नोटिफिकेशन के जरिए इसको एग्जेम्प्शन के कोर्स से हटाया। उसके बारे में माननीय वित्त मंत्रीजी ने दिनांक १६-३-६६ को कोल्हूज और घाणीज का जहां तक सम्बन्ध है, तो जो कोई कोल्हू या घाणी से तेल प्रोड्यूज करता है और खुद बेचता है तो उनको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया है लेकिन उसके साथ ही साथ कण्डीशन एक और थी कि अगर वह सिर्फ कोल्हूज और घाणी के तेल को ही बेचता है तो ही एग्जेम्प्ट है लेकिन कोल्हू और घाणी के तेल के अलावा, उसकी ओट में तेल का व्यापार शुरू कर देता है तो इन्डीजिनस कोल्हू और घाणी की जो यह कोटेज इन्डस्ट्री है, उसको वह एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्शन देने का सवाल है तो वह सब प्रश्न स्ट्रक हो जाते हैं। इसलिए इस एक्ट में तो इस सीरियल नं० १७ को एमेंड किया जाना आवश्यक है लेकिन इस बिल के द्वारा एक नोटिफिकेशन हमने १६-३-६६ को इश्यू किया है। धारा ४ (२) के अन्तर्गत वह नोटिफिकेशन इस प्रकार है:—

'In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 4 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Rajasthan Act 29 of 1954) the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest to do so hereby exempts from tax the Sale of edible oil, produced in indigenous kohlu or ghani (without employing electricity or any other power at any stage) by person owning such indigenous kohlu or ghani and dealing exclusively in the produce of such indigenous kohlu or ghani.

डीलिंग एक्सक्लूजिवली इन दी इन्डीजिनस कोल्हूज एण्ड घाणीज का मतलब यह हुआ कि इस नोटिफिकेशन के जरिये हमने उस कन्डीशन को निकाला है वास्तव में उसमें मन्शा यह थी कि अगर एक्सक्लूजिवली इन्डीजिनस कोल्हूज एण्ड घाणीज के द्वारा ही तेल प्रोड्यूस करता है तो एक्जेम्प्शन पाने का मुस्तहक है। उससे किसी प्रकार का इवेजन ऑफ टैक्स नहीं होगा। एग्जेम्प्शन के अन्दर दूसरे तेल को लाकर व्यापार और धंधा शुरू न करे इसलिये नोटिफिकेशन के जरिये एक्जेम्प्ट कर दिया है जब नोटिफिकेशन के जरिये एक्जेम्प्ट कर दिया है तो मैं नहीं समझता कि सीरियल नं० १७ की एन्ट्री है उसको बहाल रखा जाय। इसको ओमिट करना आवश्यक है। इसलिए माननीय सदस्य अपने एमेंडमेन्ट को मेरा जवाब सुनने के बाद विदड्रॉ करेंगे।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मुझे इसमें जो खास बात कहनी है जो कि इसमें बदमाशी है कि 'डीलिंग एक्सक्लूजिवली' वर्ड्स जो यूज किये हैं तो इनका सीधा-सादा अर्थ यह होगा कि एक तेली कोल्हूज के तेल के साथ-साथ अगर खल बेचता है तो इसको डीलिंग

Page No.123

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

'एक्सक्लूजिवली' नहीं मान कर टैक्स लगायेंगे। मान लें कि कोई तेली तेल बेचता है और तेल के साथ तिल्ली एक रुपये की बेच देता है तो आप कहेंगे कि You are dealing exclusively in oil यानी जो मन्शा आपकी है वह इस नोटिफिकेशन के जरिये फुलफिल नहीं होती है। मुझे यह कहना इसलिए है कि जो बात आप कह रहे हैं वही बात इस बिल में लिखी है शिड्यूल में। शिड्यूल में यह है कि:—

"Edible oils produced in indigenous kohlus or ghanis worked by animal or human agency when sold by the owners only of such kohlus or ghanis."

तो शिड्यूल में यही लिखा है कि हाथ से काम करेगा और मशीन का काम नहीं करेगा, बिजलीका उपयोग नहीं करेगा, और यदि खुद बेचेगा तो उसको ही माफ होगा। यह लिखा हुआ है डीलिंग एक्सक्लूजिवली तो इसका मतलब यह हुआ कि दूसरी चीजों में डील नहीं करेगा। एक तेली अगर एक रुपये के तेल के साथ तिल भी बेच देता है तो आप कहेंगे —

You are dealing exclusively for oil.

उस पर टैक्स लगायेंगे। तेल के साथ अगर वह खल बेचदे तो आप कहेंगे कि खल बेची है इसलिये एक्सक्लूजिवली तेल में डील नहीं करते हैं तो आपकी सारी मन्शा समाप्त हो जायगी इन्डाइरेक्टली। एक तरफ तो आप उसको एक्जेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आप उसको फंसा लेंगे। मेरा यही कहना है कि जो शिड्यूल में है वह रखें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को छोटी-छोटी बात पर डाउट बहुत हो जाता है, छाछ के बारे में चर्चा हुई तो मैंने एश्योरेन्स दिया कि नोटिफिकेशन निकाल दूंगा। अब उन्होंने वही खल वाली बात...

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसका भी नोटिफिकेशन निकाल दें।

श्री परसराम मदेरणा : आलरेडी शिड्यूल में एक्जेम्प्ट किया है उसको।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मेरे कहने का मतलब यह है कि एक रुपये का यदि उसने तिल बेच दिया तो ..

श्री परसराम मदेरणा : अब आप दूसरी बात पर आगये।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : मैंने दोनों का ही कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य का डाउट बेकार है।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : आप मेरी बात को समझे नहीं। वह तेल ही नहीं बेचता है और दूसरी चीजें बेचता है चाहे वे माफ ही की हुई हों। वह माफी के आइटम्स में डील करेगा तो टैक्स नहीं लगाया जायेगा, लेकिन उससे मान लो कि एक रुपये की मूंगफली बेच दी या मूंगफली का कचरा बेच दिया तो क्या ओरीजिन होगा? मूंगफली का छिलका बेच दिया तो He is not dealing

Page No.124

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

exclusively for oil but आप कहेंगे कि तुमने तिलहन बेचा है और सिर्फ तेल और प्रोड्यूस ऑफ कोल्हू नहीं बेचा है और दूसरी चीज बेची है तो एक्जेम्प्शन लागू नहीं होगा। आपकी मन्शा इससे साफ नहीं होती है। आप यह स्पष्ट करें कि अगर तेल कोल्हू के द्वारा निकाला गया बेचेगा तो एक्जेम्प्शन है, लेकिन दूसरा तेल बेचेगा तो एक्जेम्पशन नहीं होगा। यह बात तो समझ में आती है। आपने कह दिया कि एक्स्क्लुजिवली उसमें डील करता है, तभी माफ होगा; तो इससे कन्फ्यूजन होगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): बात तो सही है।

श्री परसराम मदेरणा: बात तो माननीय सदस्य सही कह रहे हैं, क्योंकि यह नोटिफिकेशन १६-३-६६ का है वह है—

'by the person owning such indigenous kohlus or ghani and dealing exclusively in the produce of such indigenous kohlu or ghani.'

And this word produce includes oil cakes.

श्री सम्पतिलाल बोहरा: But not "till.'

श्री परसराम मदेरणा: आॅइल केक्स आॅलरेडी एग्जेम्प्टेड हैं इन शिड्यूल।

माननीय सदस्य से दूसरा निवेदन यह है कि एग्जेम्प्शन दो तरीकों से किया जा सकता है। एग्जेम्प्शन है या तो शिड्यूल के अन्दर हो या सेल्स टैक्स की धारा ४ (२) के अन्दर किया जा सकता है। यह नोटिफिकेशन सेल्स टैक्स की धारा ४ (२) के अन्दर रखा है। माननीय सदस्य देखेंगे कि शिड्यूल के अन्दर जितनी भी एन्ट्रीज़ हैं सीरियल नम्बर की उससे ज्यादा एन्ट्री ४ (२) में है। इसलिये चाहे इसमें एग्जेम्प्ट करें चाहे नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट करें, उसका मतलब एक ही है। शिड्यूल के अन्दर भी एग्जेम्प्टेड है और नोटिफिकेशन के जरिये भी एग्जेम्प्टेड है। मैं माननीय सदस्य को फर्दर एश्योरेन्स यह देना चाहता हूं कि एक ही डाउट उनके दिमाग में हो सकता है कि शिड्यूल के अन्दर मान लो कि एग्जेम्पटेड है तो वह एग्जेम्प्शन तभी ओमिट हो सकता है जब कि इस सदन में कोई बिल लाया जाय या और एमेंडमेंट के जरिये यह किया जाय। नोटिफिकेशन के लिए आप कहें कि गवर्नमेण्ट न मालूम दूसरा नोटिफिकेशन निकाल दें, तो मैं माननीय सदस्य को एक केटेगोरिकल एश्योरेन्स देना चाहता हूं कि राज्य सरकार जब तक यह सदन दुबारा मीट न हो या ऐसी कोई स्थिति खड़ी न हो जाये तब तक धारा ४ (बी) के अन्दर जो इन्डीजिनस कोल्हू और घाणी के प्रोड्यूस को एग्जेम्प्ट किया गया है वह किसी भी प्रकार से दूसरा नोटिफिकेशन उसके बारे में नहीं निकालेगी, और ऐसा एश्योरेन्श देने के बाद...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): ऐसी स्थिति कैसी ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐसी स्थिति जब अपन जीत कर आयेंगे तब देख लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि ऐसी स्थिति पैदा न हो जाये।

श्री परसराम मदेरणा : एग्जम्प्शन को निकालने का प्रश्न आयेगा तो सदन की मन्शा ली जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : वेग है। आपने जो केटेगोरिकल एश्योरेन्स दिया है वह वेग हो जाता है जब कि आप यह कहते हैं कि जब तक ऐसी स्थिति पैदा न हो जाये।

श्री परसराम मदेरणा : आपका और मेरा टर्म फरवरी ६७ तक है। मेरी और सदन की जो मियाद है अगले साल तक, उसमें जब तक सैशन मीट नहीं करेगा तब तक यह पोजीशन रहेगी। उसके बाद में जो सरकार बनेगी वह उसके इन्टेन्शन और पॉलिसी डिसीजन पर मुनस्सर होगा।

इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मेरे एक्स्प्लेनेशन से सेटिस्फाइड हो गये होंगे और इस एमेंडमेंट को विथड्रा करेंगे।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मुझे जो बात पूछनी है वह एक्स्क्लूजिवली वर्ड यूज किया है, डीलींग एक्स्क्लूजिवली है, उसका एश्योरेन्स दिया जाय कि वह कोई भी चीज बेचेगा तो उसको कन्सेशन मिलेगा। तेल दूसरा नहीं बेचेगा यह बात समझ में नहीं आती है कि दूसरी चीजें बेचेगा....

श्री परसराम मदेरणा : जवाहरात बेचना शुरू करदे।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : तो क्या हुआ? तेल ही दूसरा बेचे तो वह है।

श्री परसराम मदेरणा : तेल की प्रोड्यूस के सम्बन्ध में स्पष्ट कर दिया है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं तेली हूं और तेल निकालता हूं, लेकिन तेल के साथ में मिर्च भी बेचता हूं, तो तेल के अन्दर आप उसको एग्जेम्प्शन नहीं देंगे। मेरा मतलब यह है कि तेल बना कर बेचता है और गांव में रहता है तो उसके साथ में १०) रुपये की बीड़ी भी रख लेता है, १०) रुपये का गुड़ भी रख लेता है, १०) रुपये की शक्कर भी रखता है, १०) रुपये का आटा भी रखता है और ये चीजें बेचता है तो इसमें एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगा। आप यह कहें कि दूसरी चीज भी बेचेगा तो भी उसको यह छूट देंगे। मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मतलब यह है कि जो डाउट है डीलिंग एक्स्क्लूजिवली के बारे में, तो जो तेल बेचता है और तेल जो है घाणी और कोल्हू का है उसके साथ में दूसरा तेल लाकर बेचना शुरू कर दे...

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : वह नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : अब रहा सवाल यह कि दुकान दूसरी खोल दी और घाणी भी चलाना शुरू कर दी, तो जो चीजें टेक्सेबल हैं उनका एग्जेम्प्शन कैसे होगा?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : वह तेल एग्जेम्प्ट होगा, उसका सवाल नहीं सवाल तो यह है कि घाणी के तेल के साथ-साथ

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

१०) रुपये की बीड़ी भर कर रख लेता है और बेचता है तो वह घाणी का तेल एक्जेम्प्ट होगा कि नहीं। वह तेल घाणी से खुद बनाता है, लेकिन उसके साथ १०) रुपये के और आइटम भी रख रखे हैं तो उसको घाणी के तेल पर माफी है कि नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा व्यक्ति जो इन्डिजिनस कोल्हू और घाणी से तेल प्रोड्यूस करता है वह डीलर की केपेसिटी में नहीं आता तो वह एग्जेम्प्टेड है। लेकिन, दूसरा आर्टिकल जो टैक्सेबल है वह बेचता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिये मैं बीड़ी, सिगरेट और दूसरी चीजों के बारे में एश्योरेन्स नहीं दे सकता, लेकिन जहां तक इन्डिजिनस घाणी से तेल प्रोड्यूस करेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यही एश्योरेन्स दे सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज ३ में आपके दो और अमेन्डमेन्ट्स हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मेरा पहला अमेन्डमेन्ट है:—

"Add the following parts to the clause:—

"(c) against serial No. 8-(i) in column No. 2 after the word and comma 'manures' add the word 'insectisides.'

ये टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं। मेरा इसमें सुझाव है वह यह है कि इसमें वर्ड है "इनसेक्टिसाइड्स" और जोड़ दिया जाय।

आज हिन्दुस्तान में जो अनाज की कमी है उसका बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हम अपनी फसल को कीड़ों से नहीं बचा सकते, चूहे और दूसरे कीड़ों से नहीं बचा पाते। बहुत से कीटाणु फसल नष्ट कर देते हैं या कमजोर कर देते हैं इससे पैदावार नहीं बढ़ती है या कम हो जाती है इसलिये आवश्यकता इस बात की थी कि जिस प्रकार साइन्टिफिक चीजें काम में लाते हैं ऐसी चीजों को इन्सेन्टिव मिलना चाहिये और जैसे मेन्योर पर टैक्स नहीं लेते हैं तो इन्सेक्टिसाइड्स भी ऐसी चीजें हैं जो फसल को बचाती हैं, कीटाणुओं से बचाती है इसलिये आवश्यक है कि इकोनॉमिकली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर भी टैक्स नहीं लगाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा अमेन्डमेन्ट सीरियल नं० ६ में कैटल फीड के बारे में है। वह इस प्रकार है :—

"In column No. 2., after the words 'cattle feeds' add the words 'including poultry feed'.

इसके साथ-साथ मेरा यह सुझाव है कि "including poultry feed" और बढ़ा दिया जाय। आज यहां हमारे मंत्री महोदय यह बार-बार कहते हैं कि भाई आपको खाने के लिये अनाज नहीं मिलता है तो और किसी साधन से आप क्षति-पूर्ति कीजिये, उदर-पूर्ति कीजिये और उसके लिये मुर्गी-पालन और दूसरे धन्धे शुरू किये जाते हैं। मुर्गी भी जानवर हैं और जानवरों के खाने की चीजों पर टैक्स माफ है तो मुर्गी के खाने

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

के लिये जो फीड काम में आता है उसको भी एग्जेम्प्ट किया जाय ....

श्री उपाध्यक्ष : मुर्गी को खाने के लिये या मुर्गी के खाने के लिये ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : "मुर्गी के खानेके लिये" जो आवश्यक खाना है, फीड है, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाय क्योंकि वह भी केटल फीड है। इसमें यह स्पष्ट नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें मुर्गी का खाना पोल्ट्री फीड इन्क्लूड समझा जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मुर्गी का खाना क्या-क्या है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह भी मैं बताता हूं। चार्ट लाया हूं, इसमें ऐसी चीजें नहीं हैं जिन पर टैक्स लगाता हो। वैसे सारी चीजें एग्जेम्प्टेड हैं, एक-दो को छोड़ कर। पोल्ट्री फीड कई चीजों के मिक्स्चर से बनता है और कितने ही तरह का बनता है। लेकिन मुख्य चीजें इस प्रकार हैं :—

ग्राउन्ड नट ऑयल	१० पर्सेन्ट
कोटनसीड ऑयल	२० पर्सेन्ट
राइस ब्रान	१० पर्सेन्ट
मक्का	३० पर्सेन्ट
ग्राम	३० पर्सेन्ट

इसी तरह के १५-२० तरह के फीड होते हैं। साधारणतया उन पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन मिक्स करके बेचा जाय तो टैक्स लगाने की शायद सरकार की मंशा है, इसलिये मैं कहता हूं कि इस पर टैक्स नहीं लगाया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने क्लॉज ३ पर तीन अमेन्डमेन्ट्स मूव किये हैं, जो एक्ट से सम्बन्धित हैं। उनका पहला अमेन्डमेन्ट है सीरियल नं० २ में इन्सेक्टिसाइड्स ...

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : सीरियल नं० ८ में।

श्री परसराम मदेरणा : सीरियल नं० ८ में 'इन्सेक्टिसाइड्स' को 'मेन्योर' और 'एग्रीकल्चर' के बीच में इन्सर्ट किया जाय।

उनका दूसरा अमेन्डमेन्ट यह है कि सीरियल नं० ९ में 'पोल्ट्री फीड' को इन्क्लूड किया जाय। और तीसरा अमेन्डमेन्ट यह है कि....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : दो ही हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सीरियल नं० ८ में जो कॉलम ३ है और उस कॉलम ३ में जो एन्ट्रीज हैं वे पूरी की पूरी डिलीट कर दी जायं। कॉलम ८ को पूरा डिलीट करने का मतलब यह होगा, जहां १३ आर्टिकल्स के हमने नाम लिखे हैं उनमें हमने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेन्ट्स को मशीनरी की केटेगरी में मानते हैं, उनको वहां नहीं रखकर जनरल एग्जेम्प्शन दिलाना चाहते हैं। इसमें टैक्स इवेड करने की काफी गुंजायश रह जायगी, इवेड करने के लिये लूप होल्स रह जायेंगे, इसलिये जो शिड्यूल में सीरियल नं० ८ की कॉलम ३ में जिन आर्टिकल्स का नाम लिखा है राज्य सरकार ने काफी सोच-समझ कर लिखे हैं। जो आर्टिकल्स खास तौर से एग्रीकल्चर के काम में आते हैं उन सबका इसमें समावेश है, इसलिये माननीय सदस्य का यह संशोधन मानने में असमर्थ हूं।

(श्री परसराम मदेरणा)

जहां तक सीरियल नं० ८ में 'इन्सेक्टि-साइड्स' यूज करना चाहते हैं मेन्योर' और 'एग्रीकल्चर' के बीच में और सीरियल नं० ९ में जो 'पोल्ट्री फीड' को इन्सर्ट कराना चाहते हैं इन दोनों के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन है कि यह नये प्रकार का एग्जेम्प्शन कुछ चीजों के सम्बन्ध में आप चाहते हैं। जहां तक नये एग्जेम्पशन का सम्बन्ध है यह गवर्नर की बिना रिकमन्डेशन के इस सदन में इस प्रकार का एग्जेम्प्शन नहीं दिया जा सकता और यदि देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल २०७ (१) रेड विद आर्टिकल १९९ (१) (ए) को अटेक करते है। इन दोनों आर्टिकल्स का मतलब यह है कि टैक्स के सम्बन्ध में किसी प्रकार का नया एग्जेम्प्शन या इम्पोजीशन बिना गवर्नर की रिकमन्डेशन के सदन में नहीं लाया जा सकता इसलिये कॉन्स्टियूशनली बहुत बड़ा ऐतराज है जो संविधान की धाराओं के अनुसार हम नहीं कर सकते इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिकल्टी को देखते हुए आप अपना अमेन्डमेन्ट विथड्रा करेंगे।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मेरा मतलब यह था कि 'Cattle feed includes poultry feed' आप इसको मानते नहीं हैं या मानते हैं ? आप यह कहिये कि मुर्गी के खाने का सामान चाहिये वह इन्क्ल्यूडेड नहीं है या आप मानते हैं कि है ?

श्री परसराम मदेरणा : मुर्गी हो या घोडा-घोड़ी हो, बात यह है कि नया एग्जेम्प्शन चाहते हैं, सेल्स टैक्स के शिड्यूल में है, उसमें जितना सीरियल नंबर है वह वही है जो एग्जेम्प्टेड है और दूसरा एड करने का कहते हैं, यह नया एग्जेम्प्शन है। पोल्ट्री फीड एक प्रकार का है नहीं, कई प्रकार के आर्टिकल्स उसमें आते हैं। पोल्ट्री फीड के नाम से बहुत सी चीजों को एग्जेम्प्ट कराना चाहते हैं और उन पर अलग अलग टैक्स हैं। तो उसके कॉन्सीक्वेन्सेज बहुत लम्बे होंगे और कम से कम पन्द्रह आइटम्स के अन्दर फिर एग्जेम्प्शन करेंगे तो लॉ कोर्ट के अन्दर जाने के लिए दरवाजे खुल जायेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि यह पोल्ट्री फीड है यह नया एग्जेम्प्शन है और फिर पोल्ट्री फीड एक चीज नहीं है। इसके अलावा बिना गवर्नर की रिकमन्डेशन के कोई नया एग्जेम्प्शन नहीं कर सकते हैं। और अगर करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल २०७ और १९९ अफेक्ट होते हैं। इसलिए हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशनल बार है। हम इस प्रकार नया एग्जेम्प्शन कर नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि (श्री सम्पत्तिलाल बोहरा से) आप विदड्रॉ करेंगे ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं प्रेस करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : एक सैकण्ड इसमें यह कहा था। कि छाछ को एग्जेम्प्ट कर दिया जायगा क्लॉज ३ (१) में....

श्री परसराम मदेरणा : एक्सेप्ट नहीं किया है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं विदड्रॉ कर रहा हूं, एक मान लिया गया है कि छाछ

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

का नोटिफिकेशन जारी करके एग्जेम्प्ट कर दिया जायगा। यह क्लॉज ३ का फर्स्ट अमेंडमेंट है और सेकण्ड के लिए भी इन्होंने कहा कि एक्सक्लूजिवली डील करेगा तो एग्जेम्प्ट करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : एक्सक्लूजिवली डील करेगा। अगर कोई और धन्धा करेगा तो टैक्स ले लिया जायगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : तेल पर ले लेंगे ? अगर दूसरा धन्धा करेगा तो जो घानी से तेल निकालेगा उस पर भी ले लेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सब पर ले लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : फिर तो उसका कोई अर्थ नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने क्लॉज ३ में रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज ४

इस खंड में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुआ

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

"In sub-section (2) of new Section 10 A replace the words 'shall, on conviction before a Magistrate, be liable to pay a fine not exceeding two hundred rupees and shall in addition be liable to pay the tax which would have been paid by him' and also the proviso by the following: -

"shall be liable to pay double the tax which would have been paid by him".

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसमें भी है क्या ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : एक है क्लॉज चार में।

यह एन्टरटेनमेंट टैक्स के ऊपर है...

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसे भी चिपड़ा कर लें।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्लॉज ४ में नॉन पेमेन्ट आफ टैक्स पेनल्टी का क्लॉज रखा है। राजस्थान एन्टरटेनमेंट टैक्स एक्ट के सेक्शन १० ए के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि कोई आदमी एन्टरटेनमेंट टैक्स दिये बिना सिनेमा में एडमिशन करेगा तो उस पर २००) रुपये का जुर्माना देना होगा। इसमें है :

"shall, on conviction before a Magistrate, be

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

liable to pay a fine not exceeding two hundred rupees "

वह मजिस्ट्रेट के सामने कन्विक्शन होने पर २००) रुपये जुर्माना देगा और टैक्स भी देगा। इसमें यह है—

"Provided that no court shall take cognizance of any offence under this sub-section except with the previous sanction of the prescribed authority."

तो यह जो पैनल्टी का प्रोवीजन लगाया है यह इतना कम्बरसम है, इतना डिफिकल्ट है कि न तो चालान किया जायगा, न मजिस्ट्रेट के पास जायगा और न जुर्माना होगा। अगर कोई सिनेमा में बिना टैक्स दिये घुस गया तो दो सौ रुपये तक जुर्माना होगा। वह कब होगा? जब मजिस्ट्रेट के पास जायगा। मजिस्ट्रेट के पास कब जायगा? जब राजस्थान सरकार ऑथोरिटी को पूछेगी। उसके बाद जब ऑथोरिटी सैंक्शन देगी तब वह जायगा। इससे इसका अर्थ समाप्त हो जाता है, इसलिए मैंने मूव किया है :

" shall be liable to pay double the tax which would have been paid by him."

यदि कोई आदमी सिनेमा में बिना टैक्स दिये घुस जाता है और चैकिंग करने पर पकड़ा जाता है तो जितना टैक्स बनता है उससे दुगुना ले लें और उसी समय ले लीजिये, it will be most convenient और मामूली पनिशमेन्ट हो जायगा। आप कहते हैं कि वह मजिस्ट्रेट के पास जायगा और वह कन्विक्शन करेगा और वह कब करेगा जब प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी उसकी इजाजत दे दे। मैं समझता हूं, इस सब में २०० रुपये खर्च हो जायेंगे और उसके बदले में आपको एक नया धेला भी नहीं मिलने वाला है। मैं समझता हूं कि मजिस्ट्रेट कोई ऐसा बेवकूफ नहीं होगा जो सिनेमा में एन्टरटेनमेंट टैक्स दिये बिना घुस जाने पर २००) रुपये जुर्माना कर दे। वह १) या २) रुपया जुर्माना करेगा। तो फिर ऐसा कानून बनाने से क्या फायदा जिससे लिटिगेशन बढ़े और नेट रिजल्ट कुछ भी नहीं आये? मेरा निवेदन है कि वास्तव में इस प्रवृत्ति को बन्द करना चाहते हैं तो इमीजियेटली स्पॉट पर पकड़ लीजिये और डबल टैक्स लेकर उसको छोड़ दीजिये। इससे आपका पर्पज सर्व हो जायगा और इमीजियेटली रिकवरी देन एण्ड देअर हो जायगी। यह प्रोसीजर भी अच्छा रहेगा, बनिस्बत इसके कि मजिस्ट्रेट के पास भेजें, कन्विक्शन के लिए इजाजत लें, फिर केस दायर करें और फिर कोई पार्टी अपील करे। यह प्रोसीजर एडॉप्ट करें उसके बजाय जो मैंने सुझाव दिया है इसको एक्सेप्ट करें तो अच्छा होगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : एक सैकण्ड।

उपाध्यक्ष महोदय, सिनेमा के टैक्स की चोरी बड़ी क्लासेज में अकसर होती है, सिनेमा में अपर क्लासेज के चार्जेज की चोरी अकसर होती है, क्योंकि सिनेमा वाले जिन लोगों को सिनेमा दिखा कर ओब्लाइज करना चाहते हैं उनको इन्वाइट करते हैं और उनसे टैक्स की वसूली नहीं करते हैं और न वे अपने पास से जमा

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

कराते हैं। अकसर जयपुर और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सिनेमाओं में यह चीज देखने को मिलती है। इसलिए जिस चीज को आप अमेंडमेंट के जरिये बन्द करना चाहते हैं उसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक्चुअली यह कहां तक अमल में लाई जायगी ? जो संशोधन है उसके अनुसार प्रोसीक्यूट करने वाली ऑथोरिटी टैक्सेशन ऑफिसर है या जो इन्सपेक्टर हैं उसको होती है, लेकिन ऐसे किसी भी ऑफिसर ने आज तक सिनेमा टैक्स देकर देखा नहीं होगा। अकसर ऐसे ऑफिसर का लिहाज होता है और पुलिस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट के दूसरे ऑफिसर और उनके परिवार वाले लोगों के प्रति लिहाज होने से वह एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं। इसलिए यह जो कानून बना दिया है इसका टैक्सेशन ऑफिसर और अन्य ऑफिसर ही वायोलेशन करते हैं। इसलिए इनमें जो संशोधन है इसके ऊपर राज्य सरकार विचार कर ले कि जो कानून बनाने की मन्शा है वह कहां तक पूरी होती है और कहां तक प्रेक्टीकल रूप से जायज़ है ? जो संशोधन आया है उस पर भी सरकार विचार कर ले और स्वीकार भी कर ले तो किसी हद तक स्थानीय व्यवस्था से, डबल टैक्स वसूल कर लेने का भय रहेगा। अलबत्ता यह है कि इस संशोधन से भय बना रहेगा। जो भी वहां जाता है सिनेमा देखने के लिए उसको डिटेक्ट होने का भय रहेगा और पकड़े जाने पर उसको शर्म भी आयेगी। इससे धीरे-धीरे टैक्सेशन के इवेजन में कमी आयेगी, लेकिन इसका दृढ़ता से पालन किया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री !

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : Yes or no कह दें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि बहुत से स्पेक्टेटर्स एन्टरटेनमेंट टैक्स का नॉन-पेमेन्ट करते हैं, और इसलिए जो नॉन-पेमेन्ट ऑफ एन्टरटेनमेंट टैक्स स्पेक्टेटर्स द्वारा किया जाता है इसको ऑफेन्स बनाने की बात है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है वह यह है कि इसमें अमेंडमेंट क्लॉज ४ में है, इस क्लॉज ४ के पार्ट (२) के अन्दर है :

"Shall, on conviction before a Magistrate, be liable to pay a fine not exceeding two hundred rupees and shall in addition be liable to pay the tax which would have been paid by him."

इसको रिप्लेस करवाना चाहते हैं इन वर्ड्स से :

"Shall be liable to pay double the tax which would have been paid by him."

इसका मतलब यह हुआ कि जो उसको टैक्स देना है, उसमें अगर नॉन-पेमेन्ट ऑफ एन्टरटेनमेंट टैक्स का ऑफेन्स पाया जाय तो सिर्फ डबल टैक्स लगा देना चाहिए। और यहां पर जो मजिस्ट्रेट की ऑथोरिटी रखी है आपके संशोधन के अनुसार इसको हटाने के बाद में ऑथोरिटी कौन होगी, इस लिहाज से आपका अमेंडमेंट इन्कम्प्लीट है।

Page No.132

(श्री परसराम मदेरणा)

दूसरे टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो प्रोसीक्यूशन करने वाले लोग होंगे वे इस डिपार्टमेंट के होंगे, इसलिए प्रोसीक्यूशन करेंगे नहीं। इसलिए ही यह किया है कि प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी गवर्नमेंट करेगी रूल्स के आधार पर, ताकि इस तरह नॉन-पेमेन्ट ऑफ एन्टरटेनमेंट टैक्स स्पेक्टेटर्स के द्वारा किया जाता है तो उसको ऐसी ऑथोरिटी बिना पक्षपात के कन्विक्शन की इजाजत दे ......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप ऐश्योरेन्स दे दीजिये कि टैक्सेशन के लोग ऐसा नहीं करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हमें भी डाउट है कि नीचे के लोग टैक्स इवेजन में उनको मदद करते हैं इसलिए ऐसे केसेज डील करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को दिया है... ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नीचे के लोग कौन ?

श्री परसराम मदेरणा : वे सिनेमा ऑनर का लिहाज कर सकते हैं, ऑफेन्स करने वाले को पनिश कराने में। इसलिए हमने रखा है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा फाइन इम्पोज किया जायगा, और मेग्जिमम फाइन २००) दो सौ रुपया है। यदि कोई आदमी ऐसा हो तो लगातार ऑफेन्स करता जा रहा हो और टैक्स इवेड करता जा रहा हो तो मेग्जिमम पेनल्टी २००) रुपया है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि पहले ही ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं मगर मजिस्ट्रेट हमेशा लीनियेन्ट व्यू लेते हैं। ट्रैफिक रूल्स में मेग्जिमम पेनल्टी ५०० ,६० है मगर मजिस्ट्रेट २, ३ रुपये ही फाइन करके छोड़ देता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आपके अमेन्डमेंट को स्वीकार कर लिया जाता है तो कोई पेनल्टी इम्पोज करने वाली ऑथोरिटी नहीं रहती है। मैंने मजिस्ट्रेट को ऑथोरिटी मुकर्रर किया है। हमने इसमें कोई इन्सपेक्टर पर यह कार्य नहीं छोड़ा है. जैसे मोटर व्हिकल के ऑफेन्स होते हैं, उसमें एस. आई. को अख्तयार होता है मगर यहां पर हम ऐसा नहीं करते और हम एक ऑथोरिटी नियुक्त करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरी समझ में नहीं आया कि आपका प्रीवीयस सेंक्शन से क्या मतलब है ? आपको प्रीवियस सेंक्शन की क्या जरूरत पड़ती है और वह किससे लेनी होगी ?

श्री परसराम मदेरणा : जो ऑथोरिटी हम प्रेस्क्राइब करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : प्रीवियस सेंक्शन की बात आपने बताई है, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें प्रीवियस सेंक्शन की क्या जरूरत है ? जो भी कोई पकड़ा जाता है उसका बिलफैल चालान पेश हो जाना चाहिये जैसा कि दूसरे मामलों में होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेंट इसको पेनल प्रोविजन बनाना चाहती है तो कोई भी व्यक्ति जो रूल्स को वॉयलेट करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। इसमें प्रायर परमिशन की क्या बात रहती है ? प्रीवियस परमिशन की बात नहीं होनी चाहिये। जो भी ऑफेन्स करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री परसराम मदेरणा : हर चीज के दो पहलू हैं। जहां हम किसी प्रकार के लूप होल को प्लग करना चाहते हैं हमें दूसरी ओर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लोगों को अननेसेसरी हैरेसमेंट किसी प्रकार का नहीं होने पावे और नहीं होना चाहिये और इसीलिये हर एक टैक्सेशन ऑफिसर को प्रोसीक्यूट करने की इजाजत नहीं दी है।

मान लें कि किसी ने एन्टरटेनमेंट टैक्स दिया है, मान लें कि वह स्लिप गायब हो गई और हमारे इन्सपेक्टर उसको पकड़ते हैं और चालान करते है और उन पर २००) रु० फाइन हो जाते हैं, इससे अननेसेसरी हैरेसमेंट ही होगा। इसलिये इसको सेटिस्फाई होना होगा कि वह है हेबिचुअल ऑफेन्डर है और उसको रोकने के लिये यह रखा है और मैं कहता हूं कि यह प्रीवियस परमिशन लेना जरूरी है। मैं कहूंगा कि आज नहीं कल, कल नहीं तो दो महीने या चार महीने या ६ महीने बाद इस तरह के मामले खड़े हो जावेंगे कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट के छोटे-छोटे कर्मचारियों के हाथ में यह अधिकार दे रखा है जो लोगों को परेशान कर रहे हैं जैसा कि हैरसमेंट के बारे मे अभी कहा गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कि हम इसे ऑफेन्स बनाना चाहते हैं। प्रीवियस सेंक्शन के बाद वह केस फाइल होगा और उस पर फाइन होगा, जिससे वह दुबारा ऑफेन्स नहीं करेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अननेसेसरी हैरेसमेंट को रोकने के लिये हमने यह डेलिगेटेड पावर्स लेने का रखा है और लेना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो-चार महीनों में यह शिकायत आवेगी कि सारे बड़े-बड़े लोग जो मुफ्त सिनेमा देखने वाले है, बड़े-बड़े लोग ही मुफत में सिनेमा देखते हैं। गरीबों को मुफ्त में कौन देखने देता है ? गरीब तो पैसा देकर ही जाते हैं। बड़े-बड़े अधिकारी होंगे जो मुफ्त में सिनेमा देखने जावेंगे, 'जैसे हकीकत' पिक्चर में हमारे कौल साहब पधारे थे और उनकी क्या हालत हुई थी ? मैं कहूंगा कि बडे-बड़े लोग तो फिर बचा लिये जावेंगे और इस सेट-अप से गरीबों का जरूर प्रोसीक्यूशन होगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रोसीक्यूटिंग ऑथोरिटी कौन होगा ? वही होगा जो डिटेक्ट करेगा, और इसको डिटेक्ट करेगा इन्सपेक्टर। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो भी व्यक्ति बिना टिकट पाया जाता है उससे डबल टैक्स ले लिया जावे, जिस प्रकार रेल्वे और बसों में ले लिया जाता है। मगर मैं यह कहूंगा कि आज बसों में जाने वाले गरीब लोग होते हैं और सिनेमा में जाने वाले बड़े-बड़े लोग होते हैं। आप यह एक्स्पेक्ट करते हैं कि उन ऑफिसरों के प्रोसीक्यूशन के लिये हम इजाजत देंगे। वह तो हमारी मर्जी है जिसको चाहें इजाजत देंगे। इसका सीधा-सादा अर्थ यह हुआ कि इन्सपेक्टरों की रिश्वत का भाव बढ़ जायगा और जहां पर दो रुपया लेते थे वहां उसके बजाय ५) रु० का हो जावेगा और पांच रुपये की जगह १०) रु० हो जावेंगे। इन्सपेक्टर की रिश्वत की दर है उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह तो ये भी चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप अपनी पर्सनल नोलेज से बता सकते हैं कि कौन आदमी सिनेमा में बिना एन्टरटेन्मेन्ट टैक्स दिये बैठ सकते हैं। आप जानते हैं। बड़े आदमी ही होंगे। फिर आप यह डिस्टिंक्शन क्यों करना चाहते हैं? कानून है तो वह सबके लिये बराबर है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रायर सेंक्शन वाली बात है उसको आप हटा दें। अगर आप इसको पर्सनल चार्ज बनाना चाहते हैं तो आप बनायें।

अभी आपने यह इच्छा प्रकट की है कि आपके यहां के छोटे छोटे आदमी गरीबों को हेरस करते हैं। मैं कहूंगा कि इससे और हैरसमेन्ट बढ़ेगा और उनकी जेब में ५) रु० का नोट जाता था उसके बजाय अब १०) रु० के नोट लेने की आदत पड़ेगी।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इसमें फ्री वे ही लोग ज्यादातर जाते हैं जो प्रोप्राइटर को लाभ पहुँचाने की स्थिति में होते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आपका इन्सपेक्टर या और कोई भी अधिकारी होगा वह उनसे दबा रहेगा और उनके साथ उसी तरह से व्यवहार करेगा जैसा दबाव में आकर करते हैं। इसलिये आपका यह कानून अमल में नहीं आ सकेगा और इसका नतीजा यह होगा कि मैनेजमेंट को बुला कर यह कह देगा कि टिकिट इश्यू कर दो और उनको टिकिट इश्यू हो जावेगा। इसलिये यह कानून महज दिखावे मात्र के लिये कानून बनाया जा रहा है, जबकि इसके इफेक्टिव रिज़ल्ट जीरो हैं। यह कानून सदन में दिखावे मात्र के लिये है और संतोषप्रद समाधान नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो भी कानून बने वह इफेक्टिव कानून बनना चाहिये।

(घन्टी)

श्री परसराम मदेरणा : जो एन्टरटेनमेंट टैक्स नहीं देते हैं उनके लिये तो ऑलरेडी कानून है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : कौनसी दफा है?

श्री परसराम मदेरणा : सेक्शन १० में है। प्रोप्राइटर को प्रोसीक्यूट करने के लिये हमने ऐसा ही प्रोविज़न रखा है और वही स्पेक्टेटर के लिये भी रख रहे हैं।

"Provided that no Court shall take cognizance of any offence punishable under this sub-section except with the previous sanction of the prescribed authority."

अब हमने क्या किया है कि दोनों को ऑफेन्डर माना है। पहले प्रोप्राइटर को ही ऑफेन्डर माना था और स्पेक्टेटर को नहीं। जो प्रोप्राइटर के लिये यह रूल हो वही दूसरे के लिये भी रखें; It is consistent with the scheme of things of Act.

Page No.135

(श्री परसराम मदेरणा)

दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह कही कि डबल वसूल कर लिया जाए। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि इससे प्रोविज़ो तो यों का यों रहता है। इसलिये मैं आपके अमेन्डमेंट को मानने में असमर्थ हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसका जवाब दे दीजिये। जब पहले यह प्रोविजन था कि कोई सिनेमा ऑपरेटर या प्रोप्राइटर टैक्स-इवेजन करेगा तो उनका चालान किया जायगा तो क्या एक का भी सारे राजस्थान में चालान हुआ है? क्या कोई एक भी शिकायत आपके पास आई? क्या एक भी रिपोर्ट आपके पास इस तरह की आई है? अगर आई तो कितने सिनेमा ऑपरेटर्स, का कितने सिनेमा प्रोप्राइटर्स का प्रोसीक्यूशन उस धारा के अन्दर किया?

श्री परसराम मदेरणा : प्रोसीक्यूशन हुआ या नहीं, यह मेरे पास इस समय सूचना नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक का भी प्रोसीक्यूशन नहीं हुआ। यह धारा इसलिये जोड़ रहे हैं कि टैक्स इवेजन होता है। जब एक का भी प्रोसीक्यूशन नहीं हुआ तो फिर किस लिये जोड़ रहे हैं?

श्री परसराम मदेरणा : कोई स्पेक्टेटर जाता है और प्रोप्राइटर उसे एड्मिट करता है तो स्पेक्टेटर देखता है कि मुझे तो टैक्स पे नहीं करना है। कई केसेज ऐसे आये कि उसको पकड़ा तो उसने कहा कि मुझे तो प्रोप्राइटर ने बैठाया है। यह प्रोप्राइटर के लिये तो ऑफेन्स है स्पेक्टेटर के लिये नहीं था, इसलिये स्पेक्टेटर के लिये भी यह करना जरूरी है। जहां तक एन्टरटेनमेंट टैक्स का सवाल है, स्पेक्टेटर से वसूल करना चाहिये। वह नहीं देता है तो नॉन-पेमेंट ऑफ टैक्स का पेनल ऑफेन्स बनना चाहिये जैसा कि प्रोप्राइटर के लिये है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो ठीक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आपके पास कानून की धारा थी कि प्रोप्राइटर उसको वायोलेट करता है, उसको पेनेलाइज किया जा सकता है। पेनेलाइज करने की धारा आपके पास थी, पर आपने किसी का प्रोसीक्यूशन किया है क्या? एक भी उदाहरण दे दीजिये।

श्री मानसिंह मग़र : वह तो इनको दिखाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हमने काफ्यों को प्रोसीक्यूट किया है, नम्बर इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : कोई एक इन्स्टान्स बता दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : एक नहीं, एक से ज्यादा हैं।

श्री मानसिंह महार : कभी आपका भी प्रासीक्यूशन हुआ या नहीं ? आप भी सिनेमा देखते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं कहीं दो साल के बाद चला गया तो चला गया, मेरी जेब से पैसे देता हूं। मैं सिनेमा देखने का आदी हूं नहीं। मैं कहता हूं कि टैक्स इवेड होता है; एक केस में नहीं, कई केसेज में प्रोसीक्यूशन किया है, फिगर्स इस समय मेरे पास नहीं हैं। माननीय सदस्य फिगर्स चाहते हैं तो माननीय सदस्य को अकेले में या सदन में कल बता सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ में श्री सम्पत्तिलाल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज १, प्रस्तावना, नियमन सिद्धान्त इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रस्तावना व नियमन सिद्धान्त इत्यादि विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रस्तावना व नियमन सिद्धांत इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गए।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टैक्सेशन लॉज (अमेंडमेंट) बिल, १९६६ को पारित किया जाय।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष यह टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल आया, इसके बारे में मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बोलना चाहते हैं, हालांकि आप कहते हैं कि ज्यादा समय नहीं लेंगे; पर जरूर ज्यादा समय लेंगे, और यह जरूरी भी है। कई मसले ऐसे हैं जो जरूरी हैं। कल भी राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल है, आज भी राजस्थान सेल्स टैक्स पर डिबेट चल रही है तो कल घंटे दो घंटे बैठ कर इन तीनों बिल्स को पास कर लेंगे........

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आज पारित करना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो कार्य-सूची प्रसारित की गई है उसमें कहीं यह नहीं है कि इस बिल को आज ही पारित करना है; कल और आज के लिये तीनों अमेन्डमेंट्स बिल रखे हैं। कल इन्हें पास कर लेगें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपको आश्वासन देता हूं.........

श्री उपाध्यक्ष : आप तो आश्वासन देते हैं, पर दूसरे नहीं देंगे । जो माननीय सदस्य अभी यहां उपस्थित नहीं हैं उनका आश्वासन कौन देगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं सबकी ओर से आश्वासन देता हूं, सबकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं।

श्री मानसिंह महार : कल ७ बजे तक सब पारित कर देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, कल दो बिल्स हैं, दूसरा बिल भी सेल्स टैक्स के बारे में है, आज का टैक्सेशन का है, कल वाले बिल में ज्यादा क्लॉजेज हैं। सेल्स टैक्स के बारे में कल भी बोल सकते हैं। दो दिन में तीन बिल हैं दो को कल ले लेगें, इसको तो कम से कम आज पारित कर दें। माननीय सदस्य अगर बोलना चाहें तो इन्हें पांच-सात मिनट बोलने दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं साहब, इससे तो कोई फायदा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : The House has said that the time is extended till the Bill is passed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको सब अधिकार हैं, आपने समय बढ़ाया है, अब भी समय बढ़ा सकते हैं। पर जहां तक पारित करने का सवाल है, कल भी पारित कर सकते हैं। कल भी सेल्स टैक्स के प्रोविजन्स हैं, इसमें भी सेल्स टैक्स के प्रोविजन्स हैं, डिबेट कोमन है सारे टैक्सेशन के बारे में कल डिबेट हो जायगी। हो सकता है कि गवर्नमेन्ट की तरफ से टैक्सेशन में रिलेक्सेशन भी हो सकता है, शायद मुख्य-मन्त्री इसकी घोषणा करें। इसलिये थर्ड रीडिंग इसका कल हो जायगा, इसमें दिक्कत क्या है ?

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ के नेता यह चाहते हैं कि मैं बोलूं, इसलिये मैं अपना भाषण शुरू करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे यह कहते हैं कि कल एक घण्टा ज्यादा भी बैठना पड़े तो बैठ जायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : कल जो बिल है, उसका सब्जेक्ट मेटर दूसरा है।

श्री उपाध्यक्ष : पारित तो यह पहले होगा, इसके पारित होने के बाद ही वह आयेगा, पहले तो आ नहीं सकता।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मैं तो बहुत मुख्तसिर बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज दिन भर से टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल पर बहस चल रही है। मैं शुरू से कहता आया हूं कि सरकार को घी और तेल को इन धंधों से जरूर मुक्त करना चाहिये। मैं फिर कहता हूं कि मदेरणा साहब हमारे माननीय उप-मन्त्रीजी कुछ भी फरमायें, घी, तेल का मामला ऐसा है कि डाइरेक्ट इम्पेक्ट गांव वालों पर, किसानों पर पड़ता है। कल महंगा हो जाय तो मेरे ऊपर भी असर पड़ सकता है। पर मैं तो पहले ले आऊंगा। घी पर ३ पर्सेन्ट जस्टिफिकेशन

(श्री मानसिंह महार)

बतायें, घी पर तीन पर्सेन्ट, डालडा पर १० पर्सेन्ट और तेल पर ६ पर्सेन्ट ।

मैं निवेदन करूंगा कि आपकी टैक्सेशन का तरीका क्या है ? यह हैप हैजर्ड तरीका है। आपकी क्राइटेरियन क्या हैं ? कल मुझसे पूछा गया सदन में कि रिश्वत का बेसिस क्या है कि मन्त्री इस बेसिस पर रिश्वत लेते हैं। अब आप बताइये कि क्या बेसिस है ? एक १० प्रतिशत, एक तीन प्रतिशत और एक ६ प्रतिशत। बेसिस क्या है ? आप किसी सिद्धान्त को लेकर चलिए।

आज मैं आपको सिद्धान्त की बातें बताता हूं, इधर-उधर की बातें नहीं करूंगा। कभी तो आप कहते हैं कि किसान को मुक्ति दे रहे हैं, किसान को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जब किसान घी लेकर शहर में आयेगा तो टैक्स वाले इन्सपेक्टर उसको परेशान करेंगे। आप कहते हैं कि उसको नहीं देना पड़ेगा। कुछ लोग गर्दन भी हिला रहे हैं, लेकिन आपके इन्सपेक्टर्स वगैरह इतने चोर होते हैं कि मैं फिर कहता हूं कि किसान जब भी घी लेकर आयगा तो उस किसान को वे चोर लोग परेशान करेंगे, यह बिल्कुल क्लीयर चीज है।

दूध की मिलावट के लिये कानून है कि यदि कोई दूध में मिलावट करेगा तो उसके खिलाफ यह होगा। आज गांवों में कोई भी दूध का ढ़ोल लेकर जाता है तो मैं आज इस ढ़ोल के जरिये उन लोगों की पोल खोलता हूं। तो कोई भी इन्सपेक्टर के नाम मे एक बोतल भर लेता है और चिट लिख दी जाती है। मैं ऐसे १०-२० केसेज साइट कर सकता हूं। तीन-चार दिन तक दूध वाले रोते फिरते हैं। आप कहते हैं कि इसका गांव वालों पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इन्सपेक्टर कहते हैं कि यह बोतल केमिकल इग्जामिनेशन के लिये जायगी। चौथे दिन इन्सपेक्टर को ८०-१०० रुपये देते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन खतम। कागज फाड़कर फेंक दिये जाते हैं, वापिस बोतल दी जाती है। अगर उप-मन्त्री एक्शन लेने की बात करें तो नाम भी बताऊंगा, वरना तो भैंसे के आगे मृदंग बजाना है, कितना ही इनके दिमाग को हैमर करो, सिद्धान्त की बात बताओ; तो भी कोई असर नहीं। इन्होंने कभी सोचा नहीं कि किस प्रकार से सरकार को सुचारुरूप से चलाएं। यही घी में होने वाला है। आज दिन तक क्या घी में एडल्ट्रेशन कम होता था ?

घी वाली समस्या ऐसी है कि हम चाहते हैं कि मदेरणा साहब इस चीज को रोक लें, आज उनका राजस्थान भर में नाम हो जायगा। वे जरा हिम्मत से काम लें। यह भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर चुनाव जीत कर आ गया तो १९६७ में वह मन्त्री बन जायेंगे, आज हमारी बात मान लें तो। हार-जीत का मैं नहीं कहता, क्योंकि इस पोस्ट पर रहने वाले अकसर पांचवें साल बदलते हैं, अब विश्नोई साहब आ जायेंगे; एक न एक रोटेशन से चलते हैं। इसलिये उनसे खास तौर से निवेदन है कि घी की ३ प्रतिशत वाली समस्या है, उसको रोक देना चाहिये। वह भी अपने आप को करसाण बताते हैं तो जब किसानों को बहू-बूढ़ी की बात आये तो मदेरणा साहब नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा ? जनसंघ के नेता और ये लोग शहरी हैं, इनको क्या मालूम कि गांव वालों को क्या दुःख-दर्द है, इसलिये खास तौर से कहना पड़ता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारे ससुराल गांव में है ।

श्री मानसिंह मदार : मेरी गलती हैं । वह जनसंघ के व्हिप से पूछिये, वाइफ की तरफ जरूर पैरवी करेंगे । मदेरणा साहब ! आप तो बड़लू गांव वाले हैं । आपके ससुराल गांव के और आप भी गांव वाले । तो फिर क्या दिक्कत है इस चीज को पोस्टपोन करने में । मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । आप आश्वासन दे दें कि घी वाला मामला पेंडिंग रखते हैं । आपकी बैंचेज भी खाली पड़ी हैं, कहीं डिबेक्ल न हो जाय, इसलिये पेंडिंग में रख दें । सोचो । यह घी वाला मामला ऐसा है कि घी में आपने फिर मिलावटी मामले शुरू कर दिये । मैं तो आज उम्मद करता हूं कि उस पक्ष में गांव में रहने वाले घी की बात को लेकर आपके साथ वोट देने नहीं आयेंगे । घी का मामला जैसे आयगा तो हमारे साथ वोट देंगे कि घी पर टैक्स नहीं लेना चाहिये । घी गांव वालों के लिये महत्वपूर्ण चीज है । करसाण जो खेती करता है, पैसा लगाता है इसलिये कि वह छाछ वगैरह खा ले और घी शहर में बेच कर पैसा कमाए इसलिये आप घी को डालडा की तरह मत समझिये । डालडा पर चाहे जैसे करें, क्योंकि डालडा युग के मन्त्री हैं. घी युग के मन्त्री आप नही हैं । घी एक अहम मसला है कि इस पर आपको फिर सोचना चाहिये । पीछे बैठने वाले चौधरी साहब से पूछ लीजिये, चाहे उसने क्रय-विक्रय संघ में कुछ भी किया हो लेकिन घी का जहां तक मसला आएगा, तो वह भी सोचेंगे । आपके पक्ष में जितने बैठने वाले हैं वे घी पैदा करने वाले और खाने वाले हैं । इसलिये आप जो टालमटोल की बातें करते हैं वह गलत है । आपने घानी के तेल को छोड़ दिया है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है, आपने तेल पर टैक्स बढ़ाया है वह भी अनुचित है ।

(५.५८ म. प.)

(श्री सतीशचंद्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप तेल वाले मामले को भी सोचिए और आप कोई सिद्धांत रखें, सिद्धांतहीन मत बनें, आप सिद्धांत पर काम करें. आप बताइए आपने घी पर ३ प्रतिशत क्यों रखा ? ढाई या पांच पर्सेन्ट क्यों नहीं रखा ? इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आज जो आपकी टैक्सेशन पॉलिसीज हैं वे बिल्कुल सिद्धांतहीन हैं । आप टैक्सेज लगाते हैं, लेकिन वसूली का कोई तरीका नहीं । आप कानून बनाते हैं, लेकिन कानून का पालन कराना आप नहीं जानते । आप कानून आदि आधे दिल से बनाते हैं । आपका वकीलों का सा दिमाग है, उसका लाभ वकीलों को पहुंचता है । आप यह नहीं देखते कि कानून से जनता को कितनी तकलीफ है ।

आपने मनी लेन्डर्स बिल पास किया और कहा कि जल्दी से जल्दी लागू करना चाहते हैं । कुछ भी लागू नहीं हुआ । जयपुर जिले में १५ हजार दरख्वास्तें आई हैं लाइसेंस के लिए । लेकिन आपके पास कोई स्टाफ नहीं है जो इन १५ हजार दरख्वास्तों पर जाकर जांच कर सके । मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास गया । मैंने उनसे कहा कि आपके पास इतनी दरख्वास्तें आई हैं; क्या कर रहे हैं ? बोले, मैं एक आदमी हूं । १५ हजार दरख्वास्तें हैं, इतना बड़ा जिला

(श्री मानसिंह महार)

है- आप बताइए कितने दिनों में एप्लीकेशन्स को चैक कर सकेंगे। तो मैंने पूछा कि फिर क्या हो रहा है? उसने कहा कि एडीशनल स्टाफ के लिए लिखा है। अब पांच वर्ष में एडीशनल स्टाफ सैंक्शन होगी, उसके बाद उन एप्लीकेशन्स पर कोई फैसला होगा। कानून तो धड़ा-धड़ बनाते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सोचते हैं कि इससे क्या होगा? मैं आपके तौर-तरीकों की बुराई करता हूं और बताता हूं कि आप कानून बनाते हैं तो अपनी जेबें गर्म करने के लिए।

एक-एक लाइसेन्स देते हैं, तो १५), १५) रुपये सरकार में गये। एक गरीब गांवड़ेलू का इससे एक्स्प्लोइटेशन होगा। कानून में लम्बी-लम्बी बातें लिख दीं केजुवल ट्रेडर्स होंगे। आप जैसे गये, पटेलजी, १५००) रु० दे दिये। लाइसेन्स लो। फीस ले ली। जेब में रखे पचास रुपये। अरजी की पानड़ी पर दस्तखत करवा लिये। आपका वह कानून भी इस तरह है निरर्थक है। इसी प्रकार घी की बात करता हूं। यह आप कहते हैं कि इसका इम्पेक्ट गरीबों पर नहीं होगा। यह आपका एक विशफुल थिंकिंग है। कानून बनाते हैं। इसका इम्पेक्ट गांव पर नहीं होगा और केवल दुकानदार पर होगा यह भी आपकी समझ की बात है। मैं कहता हूं, यह गलत है। गांव में कोई घी लाता है. दो-तीन रुपये का घी बेचता है, तो आपका इन्स्पेक्टर जावेगा और आपके इस कानून का दुरुपयोग करेगा। आप उठ कर कह दीजिये गलत कह रहा हूं तो........

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : गलत।

श्री मानसिंह महार : गलत कह देने से काम नहीं चलेगा।

श्री फूलचन्द जैन : डीलर की परिभाषा में यह नहीं आता है तो कैसे लगेगा? हमारी समझ में तो नहीं आता।

श्री मानसिंह महार : बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप जैसे नवयुवक आदमी भी इस चीज को नहीं समझ पाये। इसका बड़ा दुःख है। आपकी डीलर की परिभाषा गांव वाले नहीं जानते। आप पी. ए. सी. के चेयरमैन हैं और नवनीत हैं। डीलर की परिभाषा नहीं जान सकेंगे। मैंने सारी रामायण सुनाई और अन्त में आप पूछते हैं कि राम कौन थे और रावण कौन था।

श्री फूलचन्द जैन : ट्रान्जेक्शन अमुक सीमा तक है वह उसकी परिधि में आता है। काश्तकार को कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं छेड़ेगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : काश्तकार यह नहीं जानता कि डीलर की परिभाषा में आता है। इन्स्पेक्टर आवेंगे और कहेंगे। आप कहां मदद करेंगे?

श्री फूलचन्द जैन : आप ऐसा कह रहे हैं। आप वकील हैं ऐसे झगड़े खड़े करेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप जानते हैं कि गांव वाले कहां इसको जानते हैं यह पेचीदगियां अदालतें जानती हैं, आप जानते हैं, गांव वाले कहां जानते हैं। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि आप ऐसा कहते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : गोयल साहब आप एडवोकेट हैं। गेहूं पर

(श्री मोतीलाल चौधरी)

भी दो पर्सेन्ट टैक्स है, लेकिन किसी काश्तकार पर नहीं लगा। १५ हजार का टर्नओवर करेगा तो यह डीलर पर है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : आपको जानकारी नहीं है १५ हजार का घी बेचेगा तब ही लगेगा, यह आप उनसे कहलवा दीजिये।

श्री मोतीलाल चौधरी : किसी किसान पर नहीं लगेगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपने जो कहा वह ही मिनिस्टर साहब से कहलवा दीजिये।

श्री मोतीलाल चौधरी : मुझे भी कहने दीजिये। आप अपने आपको इतना होशियार मान कर न चलें। गेहूं पर कोई सेल्स टैक्स किसान पर नहीं लगा। उसी प्रकार घी पर भी नहीं लगेगा। एडवोकेट तो हैं लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखिये जो धन्धा करता है उसके ऊपर है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं समझा देता हूं आपको। घी का मेन्युफेक्चरिंग हुआ। मेन्युफेक्चर करता है तो पांच हजार की लिमिट में आवेगा। पांच हजार का सेल करेगा तो टैक्स देगा। यह जरूरी नहीं है कि पांच हजार का ही सेल करे। दूसरी चीजें बेचेगा तो भी टैक्स देना पड़ेगा। टोटल टर्नओवर पर ही टैक्स लगता है। यह बात कहलवा दीजिये कि १५ हजार का टोटल बेचेगा उस पर टैक्स नहीं लगावेंगे तो हम सब विथड्रॉ करते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जिस बात को आप सपोर्ट करते हैं वही बात आप मन्त्री महोदय से कहलवा दीजिये।

श्री फूलचन्द जैन : गोयल साहब आप वकील है....

श्री सभापति : मन्त्री महोदय के कहने से ही कानून की परिभाषा थोड़े ही बदल जाती है। मन्त्री महोदय कह देंगे तब भी जो कानून की परिभाषा है वास्तविक रूप से उसका तो असर पड़ेगा ही।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : नेचुरली एश्योरेन्स करते हैं तो उनको कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। जिस प्रकार आपने घाणी तेल पर से टैक्स हटाया। मन्त्री महोदय ने दो शब्द कहे लेकिन नोटिफिकेशन में और परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि मंत्री महोदय कह देते हैं कि घी पर टैक्स नहीं लगेगा तो कानून में उनको परिवर्तन करना पड़ेगा।

श्री मानसिंह महार : चेयरमैन महोदय, मैं समझता हूं इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और नहीं हो सकती। क्लीयर कट टर्म्स में कन्फ्युजन हो गया। सरकारी पक्ष के वरिष्ठ सदस्य, चेयरमैन पी. ए. सी. और एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन, दोनों यह कह रहे हैं कि १५ हजार का घी बेचने पर टैक्स नहीं लगेगा। उप-मन्त्रीजी अभी भी भागे फिर रहे हैं। कानून बनाने वालों की यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो देखिये।

श्री फूलचन्द जैन : आपके कहने से मामला चलने वाला नहीं है। आप जैसा इन्टरप्रिटेशन कर रहे हैं, यह आपका दुर्भाग्य है, हमारा इसमें दोष नहीं है।

Page No.142

श्री मानसिंह महार : मेरी तो अक्ल बहुत मोटी है, आप जैसों की बारीकियां कहां समझ में आयें। मैं तो एक गांवड़ेलू आदमी हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी : वह उनकी परिभाषा है। मर्जी में आवे जैसा कहें। स्पष्टीकरण की दृष्टि से हम जो ठीक समझे हैं वह आपको कहा है। हमारी गलती है तो हमको समझाइये / एडजेक्टिव्ज काम में लाने की बात नहीं है।

श्री मानसिंह महार : बहुत इम्पोर्टेन्ट मसला हो गया है, चेयरमैन महोदय। मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरे थर्ड रीडिंग पर बोलने से कांग्रेस वालों की भी आंखें खुल गयीं। पहले वे बिल्कुल डार्क में थे। वे समझते थे कि १५ हजार का घी बेचेंगे उन पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। बहुत ठीक। हम एतराज नहीं करेंगे क्योंकि गांव का कोई आदमी नहीं होगा जो १५ हजार का टर्न-ओवर करेगा। हम कभी विरोध नहीं करेंगे और बैठ जावेंगे। आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और हम बहुत इज्जत करते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : यह आपकी कृपा है।

श्री मानसिंह महार : आप भी अपनी बात पर डटे रहेंगे। कमी-बेशी की बात हो जाय, १५ हजार की बात पर डटे रह कर मन्त्रीजी से कहिये कि वे इसको बदलें, नहीं तो आप वोटिंग के वक्त हमारे साथ आ जावें।

उप-मन्त्रीजी पर आता हूं। देखिये जरा, आपके साथी भी आपकी कलाबाजी को नहीं समझ पाये। आपने मकड़ी का जाल बनाया, आप सबको पकड़ में लेना चाहते हैं। मेरा सौभाग्य हुआ कि मैंने सब की आंखें खोल दीं।

मैं बहुत स्टडी करके आया था और खास तौर से बारीक पोइन्ट्स देखकर आया हूं, आप यह पन्द्रह हजार वाला मुगालता है उसके बारे में ईमानदारी से कह दीजिये ....

श्री फूलचन्द जैन : मदारी के खेल से तो आगे बढ़ो।

श्री मानसिंह महार : वे चाहे कुछ भी कहें, लेकिन उप-मन्त्री महोदय को तीन-चार बार तो इधर-उधर घुमा दिया है। आप समझाने की कोशिश करें, क्या पोजीशन है? He is in the dark अगर मैं नहीं बोलता तो इस समय तक यह बिल फाइनल हो जाता। हां और ना, इस पर हो जाता।

अब एक और वरिष्ठ सदस्य आ गये हैं कांग्रेस के वे यदि यह कह दें कि १५ हजार वाली लिमिट इस पर लागू है तो मैं बैठ हो नहीं जाऊंगा इसको सर्व सम्मति से पारित भी करा दूंगा। यह कानून में है नहीं इसलिये आपको अमेंडमेन्ट लाना चाहिये, आप इसको पोस्टपोन कर दीजिये। यह बहुत अहम मसला है, जो मिसअन्डर-स्टेन्डिंग्ज हो गया है उस हालत में यह लाजमी है कि जो हमारी सरकार कानून बनाती है उसको देखती नहीं, जैसा लॉ डिपार्टमेन्ट बनाकर भेज देता है वैसा कानून यहां आ जाता है, वही लाकर सदन में पेश कर देते हैं, उसके कोन्सीक्वेन्सेज को नहीं देखते, उसकी उपयुक्तता को नहीं देखते, हमारी भी गलती है कि हमें जिस प्रकार से बारीकी से इस कानून को देखना चाहिये, जैसा कि आज मैंने देखा है, जो हमारी जेबों पर डाका डालने वाला

(श्री मानसिंह महार)

था, उसको मैं रोकने का प्रयत्न कर रहा हूं, टैक्सेशन अमेन्डमेन्ट बिल को मैं बहुत स्टडी करके आया हूं और पन्द्रह बीस भैंसें रखता हूं। इसके लीगल एडवाइजर भी मेरे पास विराजमान हैं।

श्री फूलचन्द जैन : आपने बकरी देखी है, भैंस नहीं।

श्री मानसिंह महार : भैंस भी आपको नहीं दिखती है, तो आपको चश्मे को बदलना चाहिये। आपको यह भी नहीं दिखता है तो आप पी० ए० सी० में क्या करते होंगे, महाराज।

श्री सभापति : वह भी खड़ी हुई नहीं दिखे तो और भी आश्चर्य है।

श्री मानसिंह महार : मेरे पास आज भी बीस भैंसें हैं, आप जांच करलें। इसलिये मैंने बारीकी से इस बिल को देखा है, मैं करसाण भी हूं उसी नुक्ते-निगाह से मैंने इस कानून को देखा है। आप लोगों को मुगालते में मत डालिये। कानून सीधा-सच्चा बनाइये ताकि गांव वाले कानून को समझ सकें। आप और हम जैसे बारीकी को समझते हैं; गांव वाले वैसा नहीं समझते। आपके इन्स्पेक्टर गांवों में जायेंगे। काश्तकारों का धन्धा है; जिसके पास दो, तीन, चार सेर भी घी होता है ..

श्री उपाध्यक्ष : आपका भाषण तो बहुत लम्बा हो गया।

श्री मानसिंह महार : सिद्धान्त की बात आपकी आज्ञा से ही कह रहा हूं ...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आज से पहले तो आपने सिद्धान्त की बात कभी नहीं की।

श्री मानसिंह महार : जब मंत्री सैद्धान्तिक आकर बैठते हैं तो उनके सामने सिद्धान्त की बात करनी पड़ती है। बेकार के जब बैठते हैं तो उनके सामने सिद्धान्त की बात करना जरूरी नहीं ....

श्री गिरधारीलाल व्यास : अब तो बहुत हो गया।

श्री मानसिंह महार : मैं तो डिप्टी मिनिस्टर साहब को स्टडी करने का मौका देना चाहता हूं। कम से कम कुछ तो सोचें। इस मसले पर बिना कानून को देखे ही सदन में बैठ जाते हैं, यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी बनता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कानून को देखा नहीं, अपने साथियों को धोखे में डाल रहे हैं। मदेरणा साहब घी वाला मसला आसान कर दीजिये, आप यह घोषणा कर दीजिये कि १५ हजार का जिसका आउट-पुट है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आप खड़े होकर कह दीजिये, हम तालियां बजायेंगे; खूब आपकी तारीफ करेंगे बड़े योग्य मंत्री हैं। आप फिर टालमटोल करेंगे तो आपकी शामत आ जायगी। घी प्रोड्यूसर हैं, गांव वाले हैं, इसलिये आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस मसले को साफ कर दीजिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अगर इस पर कन्सल्टेशन की आवश्यकता हो तो कल पर रख दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, वित्त) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ी-बड़ी सिद्धान्त की बातें कहीं हालांकि उसमें कोई सिद्धान्त नहीं था, फिर भी सिद्धान्त शब्द को बार-बार दोहराया गया। आपने कहा कि जो घी पर तीन पर्सेन्ट टैक्स लगाया है उसका असर गांव वालों पर पड़ेगा। गांव वालों पर यह टैक्स लगेगा या नहीं इसको जानने के लिये सेल्स टैक्स के अन्दर जो धारायें हैं उनको देखना होगा. यह टैक्स तब लगता है जब कि उसके बिजनेस का टर्न-ओवर टैक्सेबल की सीमा तक पहुँच जाय। टर्न-ओवर की डेफीनिशन धारा २ के (एफ) के अन्दर दी हुई है। उसके बाद में आगे जो (बी) में प्रोवीजो है उस प्रोवीजो में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और डेरी प्रोडक्ट फॉम फाउल्स एण्ड ऐनिमल्स को बिल्कुल एग्जेम्प्ट किया हुआ है।

इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जिसमें सीरियल्स आदि भी हैं, दूसरे अनाज हैं उनका टर्नओवर एक लाख से ऊपर हो। इसमें तीन केटेगरीज़ है टर्न-ओवर की, जो माल को मैन्युफेक्चर करते हैं, जिनका टर्न-ओवर पांच हजार से एक्सीड करता है. एक तो वे हैं। दूसरे कॉओपरेटिव सोसाइटीज़, जिनका टर्न-ओवर २५ हजार का है उससे एक्सीड होता है तो टैक्स लगेगा। इन दोनों केटेगरीज में जो नहीं आते हैं।

दूसरा डीलर के क्लॉज ए० बी० इम्पोर्टर या मैन्युफेक्चरर की केटेगरी में नहीं आता है न कॉओपरेटिव सोसाइटीज़ की केटेगरी में आता है। ऐसे डीलर जिनका टर्न-ओवर पन्द्रह हजार से एक्सीड करेगा उस पर टैक्स लगेगा।

कोई एग्रीकल्चरिस्ट जो एनिमल रखता है उसकी प्रोड्यूस का जहां तक सवाल है उसकी कोई लिमिट नहीं. अगर वह एक लाख का भी घी बेचता है तो भी टैक्स नहीं लगेगा.... •

श्री फूलचन्द जैन : समझ में आयी आपके।

श्री परसराम मदेरणा : पन्द्रह हजार की बात कह कर आप कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं।. केटेगरी ३ में है, जिनका टर्न-ओवर पन्द्रह हजार से एक्सीड करता है उस को टैक्स देना पड़ेगा। कोई धन्धा करता है, एनिमल नहीं रखता है, खुद दूध खरीद कर घी बेचता है उससे, केटेगरी ए. में, उस पर टैक्स लगेगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यानी पांच हजार की आमदनी पर भी टैक्स लगायेंगे, यह कहिये।

श्री परसराम मदेरणा : आप वकील होकर यह बात कर रहे हैं। अगर कोई किसान एतराज करता तो माना भी जा सकता था। करसाण तो एतराज नहीं करता, आप तो इसके माहिर हैं, आपको पता है केटेगरी ए. क्या है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : हाउस को पता नहीं ए० बी० केटेगरी क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : केटेगरी 'ए' वह है जिसमें टर्नओवर पांच हजार से एक्सीड करता है, उस पर टैक्स लगने को

(श्री परसराम मदेरणा)

बात है। कल कोई यह कह दे कि एनिमल जिसके पास नहीं, एग्रीकल्चरिस्ट नहीं, धन्धा दूध मोल लेकर घी निकालता है तो वह मेन्युफेक्चरार की केटेगरी में आयगा। खुद एनिमल रखता है और अपने एनिमल्स रखता है उससे पैदा होने वाला घी बेचता है उसका टर्नग्रोवर पन्द्रह हजार भी हो, कितने ही अमाउन्ट का हो, इसमें टैक्स लगने का सवाल नहीं; उस पर कोई एतराज नहीं हो सकता।

अब मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के दिमाग में से यह सब डाउट जो था निकल गया होगा।

श्री मानसिंह महार : हम इतने जिद्दी आपकी तरह थोड़े ही हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये किसान से तो टैक्स ले नहीं रहे हैं। अब रहा सवाल डालडा युग का, तो जिस घी-युग के ख्वाब देख रहे हैं, वह घी युग के...

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जो स्पष्टीकरण किया है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति, जैसा मोतीलालजी साहब ने कहा था, १५ हजार का घी बेचेगा तो टैक्स नहीं लगेगा, पर स्थिति वास्तव में ऐसी नहीं है। अगर कोई पांच हजार तक भी मैन्युफेक्चर करके बेचेगा तो टैक्स लग जावेगा।

जहां तक एग्रीकल्चरिस्ट का सवाल है, वह तो आज भी अनाज बेचता है उस पर टैक्स नहीं लगता। अब यदि मेन्युफेक्चरिंग की डेफीनिशन में आता है कोई और उसकी टर्नग्रोवर पांच हजार की भी है तो एक रुपया का भी घी बेचता है तो टैक्स लगेगा वह और अगर किसी डीलर की १५ हजार की या ज्यादा की टोटल टर्नग्रोवर है तो एक रुपया, डेढ़ रुपया का भी घी बेचेगा तो उस पर भी लगेगा। यह कहना कि पन्द्रह हजार की बेचेगा तब तक नहीं लगेगा, सही नहीं है। पोजीशन इस प्रकार है:—

श्री सभापति : Order please.

प्रश्न यह है कि राजस्थान करारोपण विधि (संशोधन) विधेयक, १६६६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ६.२२ पर दिनांक ७ अप्रेल, १६६६ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२१ का उत्तर देखिये)

Copy of Notification No. F. 1 (3)/43/E (B—Gr. I) 63, Jaipur, dated the 20th Feb., 1964 from Home 'B' (1) Department to all Heads of the Department.

In exercise of the powers conferred by proviso to sub-rule (b) of rule 173 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1951, the State Government, being satisfied that Stage Carriages belonging to the Rajasthan State Roadways to be plied on 'A' class routes having an over hang in excess of that specified in the said rule but not exceeding 50% of the wheel base excluding ladder and rear bumper, can be used in public place without any danger to public safety hereby exempts the said vehicles from the operation of the said sub-rule.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ का उत्तर देखिये)

सूची 'अ' तारांकित प्रश्न संख्या ५ सा० मं० दिनांक ५-२-६६ के उत्तर में

क्रम संख्या	नाम ठेकेदार	रकम	कारण
(१)	श्री बसन्तसिंह बाबत अन्तिम बिल (जी) टाइप क्वार्टर बारां	४,५३५ रु०	ठेकेदार ने नाप को स्वीकार नहीं किया है और इस सम्बन्ध में अपने उज्रात पेश किये हैं।
(२)	श्री बसन्तसिंह बाबत अन्तिम बिल (ई) टाइप क्वार्टर बारां	४५) रु०	
(३)	श्री बसन्तसिंह बाबत अन्तिम बिल एच) टाइप	(—) ११३६)	

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक ९ अप्रैल, १९६९)

स्कम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१	८	श्रम विभाग)	श्रम-विभाग)
२	२	कोन से	कौन से
,,	अन्तिम से ९	ग्रार	ग्रौर
५	,, ६	इनकम	इन्कम
,,	,, ३	उप-मन्त्रोजी	उप-मन्त्रीजी
७	४	दिनांन	दिनांक
,,	अन्तिम से ७	जो हां,	जी हां,
९	९	५६	५-६
१४	३	श्रा	श्री
१५	अन्तिम से ९	जब्ब र	जब्बार
,,	,, ८	माड़ी	गाड़ी
१९	,, ७	डेगाना	डेगाना
२१	१	(जोहरी)	(जोहरी
२३	अन्तिम से ३	छ्हकल	छीकल
२५	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री भीमसिंह)
,,	अन्तिम से ९	ग्ररिरिक्त	अतिरिक्त
२९	४	डिफैक्टिम	डिफेक्टिव
३७	१३	कर वई	करवाई
,,	अन्तिम से ३	(ग्रासिन्द)	(ग्रासीन्द)
३८	१७	ग्राधकारी	ग्रधिकारी
४६	१३	महादय	महोदय
४९	७	फरमीयें	फरमायें।
५२	३	(श्री भोमीसंह)	(श्री भीमसिंह)
५३	शीर्ष	गहलीत)	गहलोत)
५५	१० व ११ के बीच	——	"(ग्रश्रव्य)"ॐ
५७	१	भेरोंसिह	भैरोंसिंह
५८	३	सॉर्वजनिक	सार्वजनिक

१	२	३	४
६५	१६	बेसेज	केसेज
७३ व ७४	शीर्षक	विधायी कार्य–६ अप्रेल, १९६६-राज० करा० वि० वि० विचा० पर निर्धारित आपत्ति	सदस्यों की रिहाई विषयक सूचना-६ अप्रेल, १९६६-रा० करा० वि० (सं०) विधेयक, १९६६ पर विचार-विमर्श
७३	१८	ज य	जाय
७५ से २९०	शीर्षक	विधायी कार्य–६ अप्रेल, ६६-राज. करा. वि. वि. विचार पर निर्धारित आपत्ति	राज० करा० वि० (सं०)-६ अप्रेल, १९६६–विधेयक, ६६ पर विचार-विमर्श
७५	अन्तिम से २	hig er	higher
७७	,, ६	एकट	एक्ट
७८	,, १५	समा	सभा
८०	,, ६	साध रण	साधारण
८७	,, ६	वानून	कानून
,,	,, ७	मंह	मुंह
८८	,, ३	आर्गूमेन्ट तो	आर्गूमेन्ट है तो
,,	,, १	आकी वश्यकता	की आवश्यकता
८९	१८	की	कि
९०	३	निक ल	निकाल
,,	अन्तिम	संविधानिक	संवैधानिक
९३	,, ४	एक्र	एक
९४	,, ३	बेसेज	केसेज
९५	,, ५	सद ा	सदन
९६	,, ५	मैं	में
,,	,, २	मदे णा	मदेरणा
१०१	११	ज्याद	ज्यादा
,,	१९ के बाद	....	(१ म. प.)
१०३	शीर्ष	......	(श्री अध्यक्ष)
१०४	१८	लेकन	लेकिन
,,	अन्तिम से ६	तैक्स	टैक्स
१०६	,, १२	महादय	महोदय
,,	,, ३	नामच	नीमच
१०७	६	इसम	इसमें

१	२	३	४
१०८	५	प्रातशत	प्रतिशत
,,	१२	जिसस	जिससे
१०६	शीर्षक	कर्य	कार्य
,,	अन्तिम से ४	श्रा	श्री
११४	,, १४	हम र	हमारी
११५	८	क्योंनि	क्योंकि
,,	१०	हयां पर	यहां पर
,,	१५	मैन्यूफैक्चरर यह	मैन्यूफैक्चरर को यह
,,	१६	भो	भी
११७	७	लिए जब मैंन	लिए जब मैंने
११८	१६	लाइसन्स	लाइसेन्स
,,	अन्तिम से ८	(आसींद :	(आसींद) :
,,	,, ६	श्रा	श्री
,,	,, ३	खरिदता	खरीदता
११६	,, ३	लगया	लगाया
१२०	१४	नो टिफिकेशन	नोटिफिकेशन
,,	अन्तिम	जायगो	जायेगा
१२१	अन्तिम से ५	ता	तो
१२२	,, ५	२-११-६५	२-११-६५
१२७	८	डेवलडमेन्ट	डेवलपमेन्ट
,,	अन्तिम से १२	वम	कम
१३०	२१	क	के
१३१	२	समभता	समभती
१३२	११	काई	कोई
१३५	६	कामश्नर	कमिश्नर
,,	१८	न ी	नहीं
१४७	अन्तिम से ६	व ॉज	क्लॉज
१४८	५	कोट	कोर्ट
१४६	११	डल	डील
१५०	२१	पॉलसी	पॉलिसी
१५७	अन्तिम से ४	भो	भी
१५८	५	चोजों	चीजों
,,	अन्तिम से ३	भो	भी
१६१	शीर्ष	(श्री चौसरासह बाबेल)	(श्री चौसरसिंह बाबेल)

१	२	३	४
१६१	८	सुद्दढ	सद्दढ़
१६९	अन्तिम से ६	एरया	एरिया
१७३	८	रना	करना
१७५	११	म द	मदद
१७७	६	टैक्स पर टैस्स	टैक्स पर टैक्स
१८०	१६	मे	में
१८१	२३	करतो	करती
१८२	२३	(कोटपूतली)	(कोटपुतली)
१८५	८	चीजो	चीजों
१८७	१६	राजस्थ न	राजस्थान
१८८	१७	कितनो	कितनी
,,	अन्तिम से ८	नई	नहीं
१८९	७	दूसरो	दूसरी
१९०	अन्तिम से ८	घो	घी
१९१	,, ,, ५	हे।	है।
१९३	,, ,, २	पदा	पैदा
१९६	,, ,, ८	उत्तर	उतर
१९८	१२	ब तौर	बतौर
,,	२२	वम्पनी	कम्पनी
,,	२३	दिया	दिया
१९९	१५	का	की
२०२	२२	माननाय	माननीय
२०३	१८	जोटार्गेटस	जो टार्गेट्स
२०७	अन्तिम से ६	रूपथों	रुपयों
२१५	१५	ाथ	हाथ
,,	२५	रिडयूस	रिड्यूस
२१७	१४	ल या	लाया
,,	१६	मी	भी
,,	अन्तिम	श्वासन	आश्वासन
२१८	अन्तिम से ६	ते	से
२१९	२	वॉल न्टयरी	वॉलन्टियरी
२२१	अन्तिम	नोटिफिकेशन	नोटिफिकेशन
२२६	शीर्ष	(श्री उपाध्यक्ष बोहरा)	(श्री उपाध्यक्ष)
२३५	३	क ने	करने

१	२	३	४
२३६	अन्तिम से ६	हा	हो
२४१	१०	में	मैं
२४१	अन्तिम से २	ब द	बाद
२४९	२०	सेटिसफाइड	सेटिसफाइड
,,	२४	एक्सक्लूजिवली	एक्सक्लूजिवली
२५१	अन्तिम	ज य	जाय
२५३	अन्तिम से २	हु	हूं
२६०	१२	फि	फिर
,,	२३	पार्ी	पार्टी
,,	२७	गायल	गोयल
२६१	५	सका	उसका
२६६	१८	टिकटि	टिकिट
२६७	अन्तिम से ४	ि किट	,,
२७३	६	ग्रौर	ग्रोर
२७४	६	अप ा	अपना
२८७	अन्तिम से २	कॉआॉपरेटव	कोआॉपरेटिव